एकादश माला, खंड 10, अंक 12

सोमवार, 10 मार्च, 1997
19 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग-I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 10 मार्च, 1997/19फाल्गुन, 1918(शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
28	21	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" जोड़िए ।	
48	1	मानव संसाधन विकास मंत्री	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया)
48	1-2	(क) और (ग)	(क) से (ग)
62	24	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" जोड़िए ।	
103	19	(क) और (ग)	(ख) और (ग)
112	3	(छ)	(च)
117	नीचे से 5	(क)	(क) और (ख)
153	6-7	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया)	मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰बोम्मई)
158	नीचे से 8	जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)	जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन)
158	नीचे से 14	जल संसाधन मंत्री	जल-भूतल परिवहन मंत्री
159	5-6	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन)
161	नीचे से 3-4		
310	6	सीरियल	सीरियस

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-I), 1997/1918 (शक)]

अंक 12, सोमवार, 10 मार्च, 1997/19 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201, 202, 204 से 207, 209 और 210	2—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 208 और 211 से 220	27—43
अतारांकित प्रश्न संख्या 2210 से 2385 और 2387 से 2439	43—244
सभा पटल पर रखे गए पत्र	245—248
राष्ट्रपति का संदेश	248
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	248
संचार संबंधी स्थायी समिति	
छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	249
उत्तर प्रदेश बजट-1997-98	249
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)-1996-97	249
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के बारे में	250—252, 253—256
नियम 377 के अधीन मामले	259—263
(एक) आलू का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र भूषण सिंह	259
(दो) कोटा, राजस्थान में उद्योगों को बंद होने से रोकने के लिए निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
वैद्य दाऊ दयाल जोशी	259—260
(तीन) मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले-बालाघाट के विकास के लिए वहां उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री विश्वेश्वर भगत	260
(चार) शीतल पेय निर्माताओं द्वारा शीतल पेयों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
डा॰ कृपासिंधु भोई	260—261
(पांच) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित उपक्रमों के कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए कारगर तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय मुखोपाध्याय	261—262

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(छः) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान राशि में वृद्धि किए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नाईक	262
(सात) तमिल को प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री तिरुची शिवा	262—263
रेल बजट 1997-98—सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (रेल)-1997-98	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)-1994-95	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)-1996-97	263—340
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	264—277
श्री नवल किशोर राय	279—287
श्री बसुदेव आचार्य	288—301
श्री अनंत गंगाराम गीते	301—304
कुमारी उमा भारती	304—311
कुमारी ममता बनर्जी	311—321
श्री एस॰के॰ कारवींधन	321—324
डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी	324—329
श्री सुरेश प्रभु	329—340

लोक सभा

सोमवार, 10 मार्च, 1997/19 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो साथियों सर्वश्री श्याम लाल धूखे तथा बी. गोपाल रेड्डी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री श्याम लाल धूखे ने 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा में मध्य प्रदेश के मांडला सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1972-77 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। श्री धूखे व्यवसाय से कृषक थे और एक जाने-माने राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के दलित वर्गों, विशेषकर राज्य के आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। श्री श्याम लाल धूखे का निधन 63 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के मांडला जिले के अमरपुर ग्राम में हुआ।

श्री बी॰ गोपाल रेड्डी ने 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा में आंध्र प्रदेश के कराली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1937-39 तथा 1946 में मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे। 1958-62 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1947-52 के दौरान मद्रास विधान सभा के नेता भी रहे। श्री रेड्डी 1955 में आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे तथा 1955-56 के दौरान वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे।

श्री रेड्डी एक योग्य सांसद थे तथा 1958-63 के दौरान वह केन्द्र सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। श्री रेड्डी उत्तर प्रदेश के राज्य पाल भी रहे।

श्री रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन तथा नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया और कई बार जेल गए।

उन्होंने शान्तिनिकेतन में विश्व भारती से स्नातक की डिग्री हासिल कर और गुरुदेव रविन्दनाथ टैगोर की रचनाओं का तेलुगु में अनुवाद कर भारत की मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। तेलुगु साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री बी॰ गोपाल रेड्डी का निधन 90 वर्ष की आयु में 9 मार्च, 1997 को हैदराबाद में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा से अनुरोध है कि दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण खड़े हो जायें।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

+

*201. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :***

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना के परिणाम आशानुकूल नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनियमितताओं के मामलों, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) योजना पर अब तक हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को देश में 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के नामांकन में विस्तार, बच्चों को स्कूलों में बनाए रख कर तथा उपस्थिति में सुधार तथा इसके साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 475 जिलों के 4426 ब्लाकों के लगभग 5 लाख स्कूलों में 5.57 करोड़ बच्चे शामिल कर लिए गए हैं।

चूंकि यह योजना अभी पिछले वर्ष ही आरम्भ की गई है, इसलिए इसके प्रभाव का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है। किन्तु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जो प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनसे यह पता चलता है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के नामांकन तथा उपस्थिति में इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) इस योजना पर अब तक किया गया व्यय निम्नवत् है :—

	करोड़ रु॰
(1) 1995–96	44.21
(2) 1996–97	506.59

(28.2.97 तक)

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : महोदय, मैं उत्तर में एक संशोधन करना चाहता हूं। उत्तर के अंत में वर्ष 1996–97 (28.2.97) के लिए हुआ व्यय 506.59 करोड़ दिखाया गया है। आज तक के अद्यतन आंकड़े 613 करोड़ रु॰ हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री पटेल अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, पोषाहार वितरण योजना बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ही लागू है, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, समितियों द्वारा संचालित स्कूल हैं और ऐडिड स्कूल हैं, वहां इसका वितरण नहीं हो रहा है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : जहां हो रही है, वास्तव में वहां भी नहीं हो रही।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : जिन स्कूलों में यह योजना लागू है, वहां भी मध्याह्न का भोजन न देकर कच्चा अनाज, कहीं तीन किलो चावल या गेहूं दिया जाता है, वह भी जो स्टोर में सड़ा हुआ अनाज रहता है, दिया जाता है। इसमें हो रही अनियमितताओं की जांच हेतु सवाल किया गया था कि इसको आपने चेक किया है, उसका भी जवाब नहीं आया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परिषद के स्कूलों के साथ-साथ क्या इस योजना को ऐडिड स्कूलों, मान्यता प्राप्त स्कूलों और समितियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में भी शामिल किया जाएगा, जहां कि उपस्थिति भी अच्छी रहती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है?

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : महोदय, अब इस योजना को सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकाय के स्कूलों तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार इस समय इस योजना को अन्य स्कूलों में पहुंचाने पर विचार नहीं कर रही है।

जहां तक कि आपूर्ति का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमित आपूर्ति की जाती है। राज्य सरकारों को इस योजना को और आगे बढ़ाना होगा। हम परिवहन के खर्च के रूप में 25 रु॰ प्रति क्विंटल अदा करते हैं। हिल स्टेशनों के लिए हम अधिक पैसे देते हैं। यह निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है कि पका हुआ भोजन वितरित करना है अथवा खाद्यान्न वितरित करने हैं। कुछ राज्य पका हुआ भोजन दे रहे हैं लेकिन अधिकतर राज्य खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : महोदय, खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रबंध राज्य सरकार करेगी या केन्द्र सरकार की तरफ से होगा?

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : जैसा कि है, भारत सरकार इसका प्रबंध नहीं कर रही है। कुछ स्थानों पर, गांव पंचायतें और स्वैच्छिक संगठन ऐसा प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन एक प्रस्ताव है कि स्कूलों को पके हुए भोजन की सप्लाई ही करनी चाहिए। इसके लिए, पचास प्रतिशत व्यय का भार राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा और पचास प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : महोदय, कहा जा रहा है कि पोषाहार के कारण स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या बढ़े हुए बच्चों को देखते हुए फन्ड को बढ़ायेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक ब्लाक में दो-तीन फुटकर दुकानें हैं, जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्कूलों में पोषाहार का वितरण करें। मैं निश्चित जानकारी के आधार पर यह जानकारी दे रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या गल्ले को थोक रूप में बेचा जा रहा है, जहां वितरण ठीक से नहीं हो रहा है? सरकार की तरफ से इसकी मोनिटरिंग की भी व्यवस्था नहीं हैं, जिससे इस पवित्र योजना को स्कूलों में बच्चों के लिए लागू किया जा सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस योजना को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएगी, ताकि इस योजना को बच्चों में लागू किया जा सके?

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : जहां तक कि खाद्यान्न का संबंध है, उसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली दुकानों से किया जाता है। यह राज्य सरकार का कार्य है कि उसे वहां से तो ले जाये और स्कूलों को सौंप दे। इसकी निगरानी जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस कार्य को किसी विशेष विभाग को सौंप दें जो इसकी नियमित रूप से निगरानी कर सके।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : महोदय, इस योजना को इस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था कि स्कूलों में आने के लिए बच्चे आकर्षित हों और उनकी उपस्थिति रहे। स्कूलों में उनकी उपस्थिति के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी, लेकिन हो यह रहा है कि महीने भर के लिए दो-ढाई-तीन किलो चावल दिया जा रहा है और दोपहर में भोजन देने की योजना नहीं चल पा रही है। इससे बच्चों की उपस्थिति भी नहीं बढ़ रही है और बच्चों में आकर्षण भी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इसकी व्यवस्था कराएगी, जिससे स्कूलों में आवश्यक रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही एक साथ चावल देकर प्रति दिन भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में कोई निर्देश जारी करेगी?

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे की प्रशंसा करता हूं। मैंने पहले ही यह कहा है कि कुछ राज्य पका हुआ भोजन वितरित कैर रहे हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार डबलरोटी वितरित कर रही है और तमिलनाडु सरकार पके हुए चावल वितरित कर रही है। कुछ राज्य अपनी लागत पर पका हुआ भोजन वितरित कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : कुछ राज्य इसे पचा रहे हैं।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : यह पचाने के लिए ही है। खाद्यान्न पचाने के लिए ही होता है।

कुमारी ममता बनर्जी : लेकिन वयस्कों द्वारा नहीं बच्चों द्वारा।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : इस मामले पर 10 अगस्त, 1997 को हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी।

उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि पका हुआ भोजन वितरित किया जाना चाहिए ताकि इससे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को सहायता प्राप्त हो और इसके व्यय का भार पचास-पचास प्रतिशत के आधार पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। मामले पर केन्द्र सरकार को विचार करना है। मैं इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखूंगा।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यह दो साल से ज्यादा समय से योजना चल रही है जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। यहां पर जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। एक भी जगह बता दी जाए कि यह स्कीम सफल हुई है। क्या माननीय मंत्री जी गवर्नमेंट आंकड़ों को छोड़कर कोई और तरीका बताने की कृपा करेंगे जिससे इसकी सही स्थिति का पता चल सके? इस योजना से यह जरूर हुआ है कि इसमें ज्यादा बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या उनको खुराक मिली है? यह बिल्कुल सत्य है कि पूरे देश में यह स्कीम असफल रही है और 526 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है। यदि स्कूल में खाना खिलाया जाए तो यह स्कीम ज्यादा सफल होगी। लेकिन अगर अनाज देने की व्यवस्था होगी तो हर हालत में यह स्कीम असफल रहेगी और सरकार के आंकड़ों को छोड़कर आप जनप्रतिनिधियों से पूछ कर देख लीजिए। क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं कि पका हुआ भोजन देना अच्छा रहेगा चूंकि वह सीधे बच्चों तक पहुंचेगा। कुछ राज्य पहले ही ऐसा कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है और मैं उसे दोहराऊंगा। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार डबलरोटी वितरित करती है और वह प्रत्येक बच्चे को मिलती है। तमिलनाडु में, पिछले 20 वर्षों से श्री के॰ कामराज के दिनों से वहां चावल वितरित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या दो स्टेट के अलावा तीसरा और कोई स्टेट भी है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : कृपया मुझे उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : दिल्ली और तमिलनाडु को छोड़कर और कहीं मिलता है तो बता दीजिए।...*(व्यवधान)* यह बनाया हुआ भोजन और किस प्रदेश में आप देने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : यहां तक कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी पका हुआ भोजन देने की कोशिश की लेकिन अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया है कि पका हुआ भोजन वितरित किया जाना चाहिए और उसका खर्च केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। मैं इस मामले को मंत्रिमंडल के साथ उठा रहा हूं। मेरे अनुसार भी योजना की पुनरीक्षा की आवश्यकता है।

बेबी फूड लॉ

*202. **श्री राम नाईक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1997 के मुम्बई से प्रकाशित "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "वॉज बेबी फूड लॉ फ्लाउडेड विद ए वेन्जिएन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में प्रकाशित समाचार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए उस अध्ययन को विषयवस्तु की जानकारी है जिसमें शिशु आहार के वाणिज्यिक ब्रांडों के 198 नमूने शामिल किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पाई गई कमियों की जांच करने तथा दोषी निर्माताओं को कड़ी सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(च) क्या सरकार का विचार इन दोषपूर्ण उत्पादों के निर्माण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (च) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (च) उस समाचार को देखा गया है जिसमें नवजात शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक दूध पिलाने की बोतल और नवजात शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण विनियम) अधिनियम, 1992 के कुछ उपबंधों के तथाकथित उल्लंघन का उल्लेख है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अध्ययन हेतु लिए गए नवजात शिशुओं के फार्मूले के नमूने में कुछ कीटनाशक अवशेष और कुछ भारी धातुओं की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। नाशक जीवमार अवशेषों और भारी धातु प्रदूषकों की मौजूदगी एक विश्वव्यापी समस्या है और इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करना व्यवहार्य नहीं है। अवशेष मिट्टी में दशकों तक लगातार बने रहते हैं और भारत में डी॰डी॰टी॰ का इस्तेमाल 1953 से किया जा रहा है। बी॰एच॰सी॰ का भी कई वर्षों तक इस्तेमाल किया गया है। उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अधिकतम सह्य सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि नवजात शिशुओं के फार्मूले के नमूने का कच्ची सामग्री और पैकिंग के लिए किस किस्म की सामग्री उपयोग में लाई गई, आदि बातों को देखते हुए एक विवेचनात्मक तरीके से जायजा लिया जाए।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए उपर्युक्त अध्ययन में प्रविधि विज्ञान आदि को अनेक दोषों से युक्त पाया गया। परिषद ने रिपोर्ट की पुनः जांच करने हेतु एक कोर समिति का गठन किया जिसने अपने परिणाम दिसम्बर, 1996 में दिए। इन परिणामों और सिफारिशों को अब विज्ञानी सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाना है जिसकी बैठक सामान्य रूप से वर्ष में एक बार होती है जिसमें स्वास्थ्य खतरों, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं, परिमाप की वैधता और परिशुद्धता जैसी समस्याओं की व्यापतता जैसे विस्तृत मुद्दों पर विचार किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को निदेश दिया गया है कि वे इस मामले को शीघ्र बोर्ड के समक्ष रखें।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से नवजात शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक, दूध पिलाने की बोतल और नवजात शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण विनियम) अधिनियम, 1992 को लागू करने के लिए कहा गया है और यह देखने हेतु उपाय किए गए हैं कि इन उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार ने स्तन्यपान को बढ़ावा देने और नवजात दुग्ध प्रतिस्थापक/नवजात शिशु फार्मूले के प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित करने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन संहिता भी अपनाई है।

सरकार ने पहले ही कृषि में डी॰डी॰टी॰ और बी॰एच॰सी॰ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 1.4.97 से बी॰एच॰सी॰ के इस्तेमाल को भी बंद करने हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है। यह भी निर्णय किया गया है कि डी॰डी॰टी॰ के इस्तेमाल को बंद किया जाए जिसे अब केवल राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल नाशक जीवमार औषधों को ही उन क्षेत्रों में अलग से इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी जो विशेष रूप से मच्छर वैक्टर के प्रति संवेदनशील हैं अर्थात् बिहार में कालाजार के लिए और पूर्वोत्तर राज्य में मलेरिया के लिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न पूछने से पहले इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वह मैं बताता हूं नहीं तो दूसरा मतलब हो जाएगा। 'ए' में मेरा प्रश्न है :

[अनुवाद]

> "क्या सरकार का ध्यान "वाह। बेबी फूड लॉ फ्लाउटेड विद ए वेनिजएंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

[हिन्दी]

ऐसा लिखा है, उसका मतलब है :

[अनुवाद]

> 'वाह', इसका अर्थ है, यह हैरानी सूचक है, 'बेबी फूड लॉ फ्लाउटिड विद वेन्जिएंस'

[हिन्दी]

इसको दुरुस्त किया जाए और उसके साथ ही प्र॰सं॰ 202 है।

अध्यक्ष महोदय, जो दसवीं लोक सभा के सदस्य थे, उनको मालूम है कि यह गैर सरकारी विधेयक मैंने इस सदन में प्रस्तुत किया था। ममता जी उस समय मंत्री थी। उस समय उन्होंने सहमति व्यक्ति की थी और बाद में सरकारी विधेयक आया और उसको कानून में परिवर्तन किया गया। अब यह सब होने के बाद जो मैंने प्रश्न पूछा है और उत्तर यह आया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो संशोधन करने वाली संस्था है, उसकी संशोधन पद्धति ही गलत है, ऐसा इसमें बताया गया है। बाद में यह बताया गया है कि इसको देखने के लिए एक और कोर कमेटी बनाई गई है। उस कोर कमेटी की रिपोर्ट दिसम्बर, 1996 में आई है।

वह कोर कमेटी की रेकमेंडेशंस साईंटिफिक एडवायजरी बोर्ड देखेगा। वह साल में एक दफा मिलता है, इसमें यह भी कहा गया है। मेरा सवाल यह है कि इस कोर कमेटी की रेकमेंडेशंस क्या हैं? उनकी रिपोर्ट क्या है और साईंटिफिक एडवायजरी बोर्ड ने इसके बारे में क्या विचार किया है? अगर नहीं किया है तो उसकी मीटिंग कब होने वाली है?

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं कि इस मामले पर पहले ही बहुत लम्बी चर्चा की गई है। जैसा कि यहां विनिर्दिष्ट किया गया है रिपोर्ट दिसम्बर, 1996 तक प्रस्तुत कर दी गई थी। अब मैंने आई॰सी॰एम॰आर॰ से पूछा कि वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक को अगले महीने बुलाया जाएगा। मामले के इस पहलू पर विचार करने के लिए वह अप्रैल में बैठक बुला रहे हैं।

श्री राम नाईक : कोर ग्रुप ने क्या निष्कर्ष निकाला है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : कोर ग्रुप ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिन्हें वे वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति द्वारा सत्यापित करवाना चाहते हैं। अतः जब तक कि वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति इस निष्कर्ष पर विचार नहीं करती और अपनी सिफारिशें नहीं देती तब तक मैं आपको यह बताने की स्थिति नहीं होऊंगा कि यह क्या है। लेकिन मैंने वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति से कहा है कि वे अगले महीने अपनी बैठक बुलायें और अपने विचार प्रकट करें। हम उनके समक्ष अपना समय-बद्ध कार्यक्रम रखेंगे ताकि वे सम्भवतः अगले छः से आठ सप्ताह के भीतर आ सके।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, शिशु खाद्य विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से इसमें कई प्रोविजन हैं। इसमें एक सैक्शन है,

[अनुवाद]

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक संबंधी किसी भी डिब्बे अथवा लेबल पर शिशु अथवा महिला, अथवा दोनों अथवा ग्राफिक सामान अथवा लिखावट का चित्र नहीं होना चाहिए जिसे शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक की बिक्री को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है।

[हिन्दी]

अब इसमें कानून का प्रोविजन स्पष्ट है। इसमें 198 के सेम्पल के अंदर क्या है वह तो मेडीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेगा। मेरा सवाल यह है कि जो 198 सेम्पल देखे, उसका जो बाहरी चित्र है उसमें क्या इस कानून के विरोध में एडवरटिजमेंट की दृष्टि से आपने कुछ पाया है? आपने यह कहा है कि इसका काम राज्य सरकार करती है लेकिन केन्द्र सरकार के अंतर्गत दूरदर्शन है तो दूरदर्शन पर भी इस प्रकार से दिखाया जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बाहरी सेम्पल देखने के बाद एडवरटिजमेंट के बारे में आपको कुछ ख्याल आया है। दूरदर्शन का ख्याल में आया है और अगर आया है तो उसके बारे में सरकार ने कौन सी कार्यवाही की और क्या किसी को इसमें सजा दी है और क्या कुछ फाइन किया है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : अभी तक कोई ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं आई है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : आपने बाहर से 198 नमूने देखे हैं।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जी हां, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक, दूध की बोतल, शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 महिला तथा बाल कल्याण विभाग द्वारा बनाया गया था, विज्ञापन मूल विभाग महिला तथा बाल कल्याण विभाग के पास है। वह हमारे पास नहीं है। इस बीच हम क्या करते हैं कि हम उनसे समन्वय स्थापित करते हैं और कुछ कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विज्ञापन संबंधी प्रावधान के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए चार स्वैच्छिक संगठनों को प्राधिकृत किया गया है और मानव संसाधन मंत्रालय को विज्ञापन संबंधी कानून का उल्लंघन करने की किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है। यही जानकारी मुझे उनसे मिली है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आपने सेम्पल देख लिया, सेम्पल के बाहर एडवरटिजमेंट लिखा हुआ है। सब चित्र दिया है, उसमें बच्चों का चित्र है। यह सब देखने के बाद आपको और क्या दिखाना चाहिए? इसमें सब स्पष्ट दिया है, इसके बाद और क्या आपको दिखाना चाहिए?

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मुझे इस बात की सूचना मिली है कि आज तक किसी ने इसके विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के संबंध में मैं मंत्रालय से कहूंगा कि यदि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो वे इस बात की जांच करे क्योंकि इसका उत्तर देने का अभी समय नहीं हुआ है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का ध्यान एक भूल की तरफ राम नाईक जी ने दिलाया है और दूसरी गलती की ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं।

हिंदी प्रत्युत्तर के चौथे पैरा में कहा गया है कि सरकार ने पहले ही कृषि में डी॰डी॰टी॰ और बी॰ए॰सी॰ के इस्तेमाल को बंद करने हेतु 1.4.97 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अब या तो यह हिंदी की गलती है या मैं गलत हूं। कृपया इसको सुधारें।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : कर दी गयी है के स्थान पर अधिसूचना 1.4.97 को जारी होगी, होना चाहिए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : डी॰डी॰टी॰ और बी॰ए॰सी॰ को हिंदुस्तान भर में प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन कालाजार के लिए और पूर्वी भारत में मलेरिया के रोकथाम के लिए अभी भी आपकी मान्यता है कि ये इसी से जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि आयुर्वेद के अनुसंधान केन्द्र ने एक जड़हारी दूब का निर्माण किया है जोकि नीम के आधार पर बनती है। क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि इस जड़हारी दूब को बड़ी तादाद में खरोदकर डी॰डी॰टी॰ की तरह वितरित कराने की योजना आपके विभाग के पास है। अगर है तो कब तक इसको आप लागू कर रहे हैं। डी॰डी॰टी॰ को आप पूरी तरह से बैन करें। इससे मलेरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है बल्कि तेजी से फैल रहा है। इस दूब को आप कब तक अंगीकार करेंगे, कृपया करके यह बताएं।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बैन तो हमने कर दी है लेकिन वह 1.4.97 से लागू होगा। इस पर प्रतिबंध का आदेश पहले ही पास किया जा चुका है। दूसरी चीज यह है कि हमने डी॰ए॰सी॰ को बैन किया है, डी॰डी॰टी॰ को अभी बैन नहीं किया है लेकिन एक हाई लैवल कमेटी जिसमें सैकेट्री हैल्थ, सैक्रेट्री कल्चर, सैक्रेट्री बॉयो-टैक्नोलोजी और प्लानिंग कमीशन की हाई-लेवल कमेटी बनी है जो डी॰डी॰टी॰ को बहुत रोक-टोक के इस्तेमाल करेगी। बिहार में कालाजार के लिए और पूर्वी राज्यों में मलेरिया के लिए जहां इसका जोर रहता है इसका प्रयोग किया जाएगा।

जहां तक आयुर्वेद की बात आपने उठाई है मैंने पहले भी बताया था कि हमने 19 तारीख को ही एक मीटिंग इंडियन सिस्टम ऑफ मैडिसन पर की थी। हम लोगों ने एक एक्शन प्लॉन बनाया है कि कितने दिनों में क्या चीज आ रही है और मलेरिया के ऊपर भी हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद का प्रयोग मैं सिर्फ मलेरिया में ही नहीं बल्कि और कई चीजों में भी करने जा रहा हूं। उसका एक्शन प्लॉन आयेगा तो मैं खुद आपको पर्सनली भेज दूंगा जिससे आप भी उसे देख सकें कि हम किन-किन चीजों में आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वतंत्र चार्टर व्यवस्था

***204. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : **क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपना माल जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में केंद्रीकृत चार्टरिंग व्यवस्था के माध्यम से भेजना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह निर्णय उनके मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच दूरी को समाप्त करने के लिए लिया गया है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कार्यों को सुचारू बनाने के लिए स्वतंत्र चार्टरिंग का अधिकार प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे;

(घ) इस निर्णय के किस हद तक किफायती साबित होने की सम्भावना है और इससे विदेशी मुद्रा का किस हद तक उचित इस्तेमाल निश्चित होगा; और

(ङ) इस निर्णय के अंतर्गत मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित की गई अन्य शर्तें क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रंखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। जल-भूतल परिवहन के चार्टरिंग पक्ष के माध्यम से केन्द्रीकृत नौवहन प्रबंधों के जरिए बोर्ड पर्यन्त/पोत पर्यन्त आयात और लागत और भाड़ा/लागत बीमा भाड़ा निर्यात की सरकारी नीति वर्ष 1958 से विद्यमान है और हाल में समीक्षा करके इसकी पुनः पुष्टि की गई है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम लागत और भाड़ा/लागत, बीमा, भाड़ा आयात और बोर्ड पर्यन्त/पोत पर्यन्त के आधार पर निर्यात की मांग कर रहे थे।

(घ) इस नीति से अधिकतम संभव सीमा तक भारतीय जलयानों का उपयोग करने में सहायता प्राप्त होती है और इस प्रकार उसी सीमा तक विदेशी मुद्रा की बचत होती है तथा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बेड़ा सुदृढ़ होता है, सर्वाधिक प्रतियोगी दरों पर विदेशी जलयानों को

चार्टर करने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होती है, समय पर जलयानों का पहुंचना और मांगकर्त्ता की आवश्यकताओं के अनुकूल नौवहन प्रबंधों का सुनिश्चिय होता है।

(ङ) निर्णय की अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) उपर्युक्त नीति का पालन न करने पर अलग-अलग मामले के आधार पर जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। तथापि, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय संबंधित मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पूरी सूचना/अनुरोध प्राप्त करने पर चार कार्य दिवसों के भीतर ऐसे अनुरोधों का निपटान सुनिश्चित करेगा।

(2) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का चार्टरिंग पक्ष उपयुक्त भारतीय जलयानों के पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा, यदि वे प्रतियोगी दरों पर मांगकर्त्ता की आवश्यकताओं को पूरा करें और निर्धारित समय के अनुसार कार्य करें।

(3) उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न आदि जैसी भारी मात्रा वाली वस्तुओं के आयात के मामले में, जहां भाड़ा पर्याप्त हो, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को आयात/निर्यात, ठेकों के नौवहन पहलुओं के संबंध में सलाह देने के लिए विचार-विमर्श में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।

(4) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को अधिकतम प्रतियोगी दरों पर भारतीय अथवा विदेशी जलयानों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और जलयानों को नियत करने से पहले मांगकर्त्ता विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्ण अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(5) आयातों और निर्यातों की लागत में बचत करने के लिए तथा विदेशी मुद्रा का उचित प्रयोग करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को बोर्ड पर्यन्त/पोत पर्यन्त आधार पर आयात और लागत, बीमा, भाड़ा के आधार पर निर्यात सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके न किए जाने पर विदेशी जलयानों को चार्टर करने के प्रयोजनार्थ और विदेशी मुद्रा में भाड़े का भुगतान करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए आवेदन करते समय जल-भूतल परिवहन मंत्रालय/चार्टरिंग पक्ष से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्राप्त करनी चाहिए।

(6) मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पालन की जाने वाली निविदा प्रणाली का मानकीकरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : जो लॉ 1958 में बना था इसमें बहुत तब्दीलियां हो गयी हैं। इससे लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन आपकी तरफ से उसमें कोई इस्तलाह नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है यह मालूम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री टिंडीवनाम जी॰ वेंकटरामन : महोदय, चार्टरिंग पक्ष के माध्यम से केन्द्रीकृत नौवहन प्रबंन्धों के जरिए बोर्ड पर्यन्त/पोत पर्यन्त आयात और लागत और भाड़ा/लागत बीमा भाड़ा निर्यात की सरकारी नीति वर्ष 1958 से विद्यमान है। फरवरी, 1996 से इसकी पुनः पुष्टि की गई है और इसका अनुसरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : 1996 में आपने किया है लेकिन उसके बाद हालात काफी तब्दील हुए हैं। इन बदले हुए हालात में क्या आपकी कोई नयी पॉलिसी है जिसकी वजह से माल भेजने में लोगों को परेशानियां आ रही हैं। लोगों ने बहुत से रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। इसके बावजूद भी आपने कोई निर्णय नहीं किया है। इस बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है बताएं?

[अनुवाद]

श्री टिंडीवनाम जी॰ वेंकटरामन : माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना सही नहीं है।

दिसम्बर, 1996 में आस्ट्रेलिया से 1.4 मीट्रिक टन के आयात का निर्णय लिया गया था। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 67 ज्ञापनों पर निर्णय लिया जा चुका है। उन्हें भारतीय जलयानों द्वारा ले लिया गया। इस प्रकार माल भाड़े में 20 मिलियन रुपयों की बचत की गई। यह व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। इसी कारण इस व्यवस्था के परिवर्तन या समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न विशेष पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा :

> "मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पूरी सूचना/अनुरोध प्राप्त करने पर चार कार्य दिवसों के भीतर ऐसे अनुरोधों का निपटान सुनिश्चित करेगा।"

यदि ऐसी बात है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रारूप बनाया जा चुका है। आपका "पूरी सूचना" से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्हें तुरन्त पूरी सूचना भेजनी होगी। तत्पश्चात् एक पत्र जायेगा। चार दिन या दस दिन या एक महीने के बाद, आप किसी अन्य सूचना की मांग करेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या कोई प्रारूप है जिससे कि आवेदन करते समय वे उस प्रारूप को पूर्ण रूप से भर सकें और तत्पश्चात सरकार एक निर्णय ले सकेगी।

वी जलयान चार्टर्ड जलयान है। वी फ्लैग जहाजों से भिन्न है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है जिससे इस्तेमाल में लाए जा चुके भारतीय फ्लैग जहाजों की संख्या, उनको किस सीमा तक उपयोग में लाया गया था और और उन्हें कब

उपयोग में लाया गया था, इन बातों को दर्शा सकें। उस अवधि के दौरान इस्तेमाल में लाए गए फ्लैग जहाज कौन से थे।

श्री टिंडीवनाम जी॰ वेंकटरामन : पहले हम चार दिन का समय दिया करते थे। अब, इनमें विलम्ब न होने देने के लिए चार दिन के भीतर ही मंत्रालय सूचना संबंधित व्यक्तियों को दे देता है।

भारत-रूस आणविक सौदा

+

*205. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके हाल ही के रूस दौरे के दौरान भारत को दो आणविक रिएक्टर/शस्त्रों की बिक्री के संबंध में कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टों की जांच की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत-रूस आणविक सौदे के संबंध में रूस पर दबाव डाला जा रहा है;

(घ) क्या पूर्व समझौते के अंतर्गत रूस को दो आणविक रिएक्टर भारत को देने थे;

(ङ) क्या रूस के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के बीच इस विषय पर उनके अमरीका के दौरे के दौरान चर्चा हुई थी;

(च) यदि हां, तो क्या रूसी प्रधानमंत्री के अमरीका के दौरे के पश्चात् इस सौदे के प्रति रूसी दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है; और

(छ) यदि हां, तो इस सौदे को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (छ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रूसी पक्ष ने विदेश मंत्री की 9-13 फरवरी, 1997 तक की रूसी परिसंघ की यात्रा के दौरान भारत में एक नाभिकीय विद्युत केन्द्र की स्थापना पर भारत-रूस सहयोग का उल्लेख किया था।

सरकार ने समाचार-पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं जिनमें यह कहा गया है कि अमरीका ने कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के बारे में रूस पर दबाव डाला है।

"भारत में एक नाभिकीय विद्युत केन्द्र के निर्माण में सहयोग" पर भारत और भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच 20 नवम्बर, 1988 को एक करार सम्पन्न हुआ था। इसके अंतर्गत सोवियत संघ को भारत में एक 2×1000 एम-डब्ल्यू नाभिकीय विद्युत केन्द्र के निर्माण और प्रचालन में सहयोग करना था।

सरकार को रूसी अथवा अमरीकी पक्ष की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि फरवरी, 1997 में रूस के प्रधान मंत्री की अमरीका की यात्रा के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई थी या नहीं।

रूस के प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा सम्पन्न होने के बाद कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के प्रति रूस के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आया है।

कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना पर भारत और रूस के बीच बातचीत अभी पूरी होनी है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, विवरण में यह उल्लिखित है :

> "भारत में एक नाभिकीय विद्युत केन्द्र के निर्माण में सहयोग" पर भारत और भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ को भारत में एक 2×1000 एम-डब्ल्यू नाभिकीय विद्युत केन्द्र के निर्माण और प्रचालन में सहयोग करना था।"

इस समय हम वर्ष 1997 में हैं।

विवरण के अन्त में यह भी उल्लिखित है :

> "कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना पर भारत और रूस के बीच बातचीत अभी पूरी होनी है।"

पहले ही नौ वर्ष बीत चुके हैं। भारत में बिजली की कमी है। बिजली की कमी को दूर किए जाने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी इस संबंध में रूस से कोई चर्चा हुई थी। नौ वर्ष विलम्ब के क्या कारण थे। वे इन परियोजनाओं को कब तक पूरा करेंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, उनका यह कहना कि नौ वर्ष बीत चुके हैं उचित नहीं लग रहा है क्योंकि उन नौ वर्षों में से पांच वर्षों के लिए मेरे माननीय सहयोगी इस विषय पर कार्य कर रहे थे।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : महोदय, यह क्या उत्तर है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : परन्तु तथ्य यह है कि सोवियत संघ के साथ वास्तविक समझौता 1988 में हुआ था। बाद में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसलिए बातचीत को पुनः, जब येल्लिसन महोदय यहां आए थे, तब 1993 में आरम्भ किया गया। 1993 से 1995 तक विभिन्न खण्डों की पुनः समीक्षा की गई थी। जब मैं हाल ही में मास्को गया था तो इस विचार को पुनः गतिशील बनाया गया। अब हम उनके साथ इस विषय के वित्तीय आधार के संबंध में विभिन्न खण्डों पर चर्चा और विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : महोदय, उनकी मास्को यात्रा का विवरण देते समय उन्होंने भारत-रूस संबंधों को साझा हितों पर आधारित सामरिक सहयोग की भागीदारिता के रूप में दर्शाया था। क्या

मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारिता और साझा हित क्या है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सामरिक भागीदारिता के अन्तर्गत मैंने स्वयं को इस प्रश्न तक सीमित रखा था। यह एक अनूठा समझौता है जो रूसी लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय या आन्तरिक स्तर पर बाद में किसी परिवर्तन के होने पर किसी कानून से आबद्ध नहीं करता है। परन्तु इसमें हमारे हितों की रक्षा का भी प्रावधान है। इस समय हमारे पास एक मसौदा प्रस्ताव है जिस पर विचार-विमर्श किया जाना है और मेरे विचार से मंत्रिमंडल इसकी निकट भविष्य में जांच करेगा।

मेरे मास्को प्रवास के दौरान, प्रथम उप प्रधान मंत्री ने गहरी रूचि दिखाई थी कि इस पर आगे कारवाई की जानी चाहिए। यह एक विशाल परियोजना है जिस पर अनुमानतः लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विभिन्न आयामों की जांच की जानी होगी।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : महोदय, मेरा प्रश्न कुछ तकनीकी है और परमाणु ऊर्जा विभाग से पूछा जाना चाहिए। परन्तु इसमें नीतिगत विषय भी जोड़ा है जिसे विदेश मंत्री के साथ भी उठाया जाना होगा। इसी कारण मैं इसे विदेश मंत्री से पूछ रहा हूं।

निवर्त्तमतान सोवियत संघ भारत के साथ संयोजन प्रौद्योगिकी को विकसित करने का इच्छुक था। मेरा मानना है, वर्तमान रूस की सरकार भी भारत के साथ संयोजन प्रौद्योगिकी को विकसित करने की इच्छुक है। संयोजन प्रौद्योगिकी उन अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों में से एक है जो किसी भी देश को बिजली पैदा करने में सहायता कर सकती है। अब, यदि रूस की वर्तमान सरकार संयोजन प्रौद्योगिकी को भारत के साथ मिलकर विकसित करने में सहयोग करने की इच्छुक है, इस मुद्दे पर भारत सरकार का क्या रूख है।

मुझे बताया गया था कि यहां तक कि अमरीकी वैज्ञानिक भी रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके पास तीन टोकोमार्क है-टोकोमार्क I, टोकोमार्क II और टोकोमार्क III। वे इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी से ज्यादा दोनों सरकारों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और नीति पर निर्भर करता है।

इसी कारण, मैं विदेश मंत्री से, यदि वे दे सकें तो या देना चाहें तो, उत्तर देने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, यह इच्छा का प्रश्न नहीं है। यह ज्ञान का प्रश्न है। क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनकी बात को गम्भीरता से लूंगा और मैं इस बात की जांच करूंगा।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या यह सही नहीं है कि 1988 से सहयोग समझौता क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग समझौते को इस आधार पर कि भारत को परमाणु शक्ति रिएक्टर या बिजली की आपूर्ति का समझौता हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे स्वदेशी प्रयासों की गति को धीमा करेगा, अपने पक्ष में नहीं पाता?

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं, पुनर्जीवित की गई प्रस्तावित योजना पर परमाणु ऊर्जा विभाग से पूरी चर्चा की गई या परमाणु ऊर्जा विभाग की पूर्व आपत्ति अब मान्य नहीं है या हमारे विभाग द्वारा किए जा रहे स्वदेशी प्रयासों के प्रश्न को अब पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया था यह सन् 2000 तक किसी प्रकार 10,000 मेगावाट को पुनर्जीवित करने का सम्पूर्ण प्रयास है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग इस कार्य में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। हमें विभाग ने बताया कि 1,000 मेगावाट जैसी उच्च क्षमता की इस प्रकार की प्रौद्योगिकी स्थापित करने की क्षमता उनके पास उपलब्ध नहीं है।

वस्तुतः हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग इस बात में अत्यधिक रूचि रखता है कि हम इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करें क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि यह एक सुनहरा अवसर है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

निरक्षरता निवारण हेतु धन

***206. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को सौ फीसदी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1997-98 के दौरान सरकार का विचार इन राज्यों में निरक्षरता निवारण हेतु कोई नई योजना शुरू करने का है ताकि वर्ष 2005 तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2005 ई॰ तक निरक्षरता का उन्मूलन करना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उन जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से किया जाता है जो संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, परिणामोन्मुखी, स्वयंसेवक आधारित

कार्यक्रम तैयार करती हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक निर्देश तथा सहायता प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम सहयोग के आधार पर चलाया जाता है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय जनजातीय जिलों में अनुवर्ती लागत के अंशदान का अनुपात 4:1 है।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान के बारे में हमने प्रश्न किया है कि ये शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं। क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को शत-प्रतिशत अनुदान देने का कोई वायदा किया है? बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्य बहुत ही पिछड़े हैं। इनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए क्या उपाय मंत्री जी करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : महोदय, जहां तक अनुदान का संबंध है सरकार ने इन राज्यों में शिक्षा को पूर्ण अनुदान देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार की सामान्य शिक्षा प्रदान किए जाने की नीति इन राज्यों पर भी लागू होती है और विशेषरूप से बिहार को विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। विश्व बैंक से भी सहायता मिल रही है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में बिहार सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश को लगभग पूरी तरह से कार्यक्षेत्र में लाया जा चुका। मध्य प्रदेश और राजस्थान को कार्यक्षेत्र में लाया जा चुका परन्तु अभी भी बिहार सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। हम इन राज्यों में साक्षरता कार्यक्रम को तेज करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि साक्षरता मिशन का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। साक्षरता आंदोलन हम चला तो रहे हैं, लेकिन सही स्थिति यह है कि कहीं भी निरक्षरता दूर करने के संबंध में स्थायी तौर पर कोई कार्यक्रम देश के किसी भी कोने में नहीं चल रहा है जिससे 2005 ईस्वी तक सभी निरक्षरों को हम साक्षर बना सकें। हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार ठोस कार्यक्रम निरक्षरता दूर करने के लिए हम लागू करना चाहते हैं? शत-प्रतिशत साक्षरता का कार्यक्रम हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : महोदय, जुलाई में देश के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें सात न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को स्वीकारा गया था जिसमें से एक नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करना था। तत्पश्चात् मैंने शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा अधिकारियों और देश के विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी और हम इस निष्कर्ष पर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री सैकिया जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए पर, पहुंचे थे। इस समिति में ग्यारह राज्य मंत्री भी थे और छह महीनों के विचार-विमर्श के बाद उन्होंने पिछले महीने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने सभी को शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रस्ताव रखें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 40,000 करोड़ रुपयों की धनराशि की आवश्यकता होगी और इस प्रकार कई विद्यालयों, कई शिक्षकों और शिक्षण सामग्री की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने एक प्रतिवेदन भी दिया है। मैं इसे मंत्रिमंडल के समक्ष ले जा रहा हूं।

हमने इस संबंध में मुख्य मंत्रियों को भी लिखा है। उनकी राय को जानने के पश्चात हम उस विषय के बारे में निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपको संसद के जरिए और दूसरे माध्यमों से ये रिपोर्टें नहीं मिलती रही हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 90 से 95 प्रतिशत पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है, इसके अलावा दीवारों पर एक मोनोग्राम बनाने के पूरे देश में एक भी आदमी क्या आपको ऐसा मिला है जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जरिए साक्षर हो गया हो?

[अनुवाद]

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां केवल नाम के लिए नाममात्र साक्षरता उपलब्धि के बाद एक जिले को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया। परन्तु ऐसे भी राज्य और जिले हैं जहां पर उन्होंने इसे लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त, अंशतः या अंशत नहीं प्राप्त किया है। इसलिए, हम एक दूसरी नीति पर विचार कर रहे हैं। हमें सम्पूर्ण नीति को संशोधित करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, गत दिनों के अभिभाषण में प्रधान मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है और आज माननीय मानव संसाधन मंत्री भी यह कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। हम लोगों ने भी कई बार कहा है कि बिहार को इस पिछड़ेपन से बचाने के लिए विशेष सहायता दी जाए। अभी माननीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने जो प्रश्न किया है वह बड़ा स्पष्ट है और उसमें उन्होंने बिहार की भी चर्चा की है तथा पूछा है कि क्या आप बिहार, उड़ीसा और राजस्थान को इस कार्य के लिए शतप्रतिशत ग्रांट देना चाहते हैं, तो मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि दो और एक के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें पैसा खर्च करती हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल में जो सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस मद में बिहार सरकार को जो पैसा भारत सरकार की ओर दिया गया, उस पैसे को शतप्रतिशत दूसरी मदों में डायवर्ट कर दिया गया है। जब इस मद की धनराशि को बिहार में शतप्रतिशत दूसरी मदों में अपव्यय कर दिया गया है, तो क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है और क्या मंत्री महोदय बिहार राज्य को ऐसी स्थिति से उबारने के लिए इस कार्य हेतु शतप्रतिशत अनुदान देना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : मुझे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसे प्राप्त होने के पश्चात मैं उसका अध्ययन करूंगा और आवश्यक कार्रवाई करूंगा। मैं राज्य सरकारों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखूंगा।

श्री राजेश पायलट : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से एक बात जान सकता हूं। मैं योजना आयोग की एक छोटी पुस्तिका को पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के शिक्षा क्षेत्र को आबंटन चीन सहित अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में बहुत ज्यादा है। आबंटन ज्यादा है, परन्तु साक्षरता दर की बढ़ोत्तरी अन्य देशों की तुलना में कम है। क्या ये बात है कि धन बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा रहा है या धन का फिर से किसी दूसरे रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि हम आबंटन को देखें जो कि ज्यादा है तो साक्षरता दर को भी अधिक होना चाहिए। इस विषय पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : इसका सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। पिछले 20 वर्षों में चीन अपनी जनसंख्या को कम कर चुका है। यही मुख्य कारण है।...*(व्यवधान)* चीन में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। इस शताब्दी के अंत तक हमारे पास चीन से अधिक जनसंख्या होगी। यह एक कारण है। जैसाकि आपने कहा, कुछ मामलों में धन का सदुपयोग भी नहीं किया गया। मुझे इस बात को मानना होगा। राज्य सरकारें अपने हिस्से का अंशदान करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। जब तक कि राज्यों, केन्द्र, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायतों के बीच उचित समन्वय नहीं होगा तब तक हम इस बात के साथ पूरा न्याय करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे। यह केरल और दूसरे दक्षिणी राज्यों में सफल क्यों है? हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही यह असफल क्यों है? इसके लिए सामान्य जागरूकता, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक सुधार तथा राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच सहयोग आवश्यक है। इसलिए मैं पुनर्विचार कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। इस समिति ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। मैं इन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष रख रहा हूं।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार समझौता

*207. **श्री चिन्तामन वानगा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल के बीच हुए व्यापार समझौते, जिसका हाल ही में नवीकरण किया गया है, की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या व्यापार समझौते के फलस्वरूप नेपाल से भारत के लिए निर्यात हेतु निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संधि की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं:-

(I) भारत में नेपाल निर्मित वस्तुओं के शुल्क मुक्त प्रवेश के लिए सामग्रीगत मात्रा से सम्बद्ध शर्त का हटाया जाना,

(II) लघु उद्योग एककों में निर्मित नेपाली वस्तुओं के सम्बन्ध में समान शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाना, और

(III) 5 दिसम्बर, 2001 के बाद 5-5 वर्ष की और अवधियों के लिए संधि के स्वयमेव नवीकरण का प्रावधान।

गैर-नेपाली/अभारतीय ब्रांडों की शराब, इत्रों और श्रृंगार प्रसाधनों तथा सिगरेट/तम्बाकू को छोड़कर नेपाल निर्मित वस्तुओं को भारत में अधिमान्य प्रवेश के रूप में इजाजत दी जाएगी।

काफी अरसे से भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटे का रहा है। सहमत परिवर्तनों से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी, अधिक मात्रा में व्यापार संतुलन पाने का अवसर मिलेगा और अपने घनिष्ट और मित्र सहयोगी देश नेपाल को नेपाल में निर्मित वस्तुओं को अधिक मात्रा में भेजने का मौका मिल सकेगा।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वानगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नेपाल के साथ जो व्यापारिक समझौता किया है, उस समझौते के अन्तर्गत नेपाल से इम्पोर्ट किये हुए माल की डयूटी फ्री एंट्री भारत सरकार ने दी है। जब भारत सरकार का माल नेपाल जाता है तो क्या उसके ऊपर नेपाल सरकार ने भी फ्री ड्यूटी दी है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जिस नये समझौते पर भारत सरकार और नेपाल सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, उसके द्वारा नेपाल सरकार को पर्याप्त रियायतें मिलती है और यह हमारी नीति का हिस्सा है। जहां तक नेपाल जाने वाली भारतीय वस्तुओं का सम्बन्ध है मैं इसी समय ब्यौरे को देने में समर्थ नहीं हूं और मुझे इसके लिए सूचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वानगा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि नेपाल से जो माल भारत में आता है तो नेपाल के नाम से बाकी देशों का माल भी भारत में आ सकता है। क्या भारत सरकार ने इसको चेकअप करने के लिए कोई प्रावधान किया है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि माल की उत्पत्ति और विवरण के बारे में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। वक्तव्य में ही ब्यौरे को दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 208. श्री॰ डी॰पी॰ यादव अनुपस्थित हैं।

राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता

+

***209. श्री महबूब जहेदी :**

श्री हाराधन राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में तीव्रता से कार्य करने और क्षति को रोकने के लिए अपेक्षित मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) भारत के प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक भारतीय संग्रहालय है, जो कि भारत सरकार से पर्याप्त अनुदान प्राप्त करता आ रहा है, जिसका विगत वर्षों में विकास हुआ है। जैसा कि पिछले वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकटित होता है :-

(लाख रुपयों में)

1992-93	120.60 रुपये
1993-94	313.00 रुपये
1994-95	312.45 रुपये
1995-96	319.05 रुपये
1996-97	319.05 रुपय

इसके अतिरिक्त, संग्रहालय के प्रवेश-शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री, अनुकृतियों, इत्यादि की बिक्री तथा संग्रहालय के प्रेक्षागृह और अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए विभिन्न शुल्कों के रूप में आय के अपने साधन हैं।

चालू वर्ष में भारतीय संग्रहालय के लिए कुल 319.05 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 189.29 लाख रुपये पहले ही निर्मुक्त कर दिए गए हैं और शेष राशि लेखा परीक्षाओं के सत्यापन, इत्यादि के अध्यधीन चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्मुक्त की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल म्यूजियम हैं, वे पैसे की कमी के कारण बरबाद हो रहे हैं। इसके बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम पैसे दे रहे हैं। लेकिन 1995-96 में और 1996-97 में एक ही राशि रखी गयी है। अगर यह पैसा ठीक नहीं दिया जायेगा और साइंटफिक तरीके से मौनटरिंग नहीं होगी तो ये म्यूजियम बरबाद हो जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : जहां तक संग्रहालय का सम्बन्ध है, पैसे की कोई कमी नहीं है। केवल सरकार ही पर्याप्त धन नहीं दे रही है अपितु वे स्वयं भी अपने संसाधन अर्जित कर रहे हैं। वस्तुतः मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 31.3.1996 को संग्रहालय के पास 138.02 लाख रुपयों की अव्ययित धनराशि थी जिसमें से 53.7¡ लाख रुपये सौध भवन के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए थे। उनके पास न केवल अव्ययित धनराशि थी अपितु वे प्रवेश शुल्क और अन्य माध्यमों के द्वारा भी धन प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास स्वयं के आय के साधन हैं। उनके पास पर्याप्त धन है।

[हिन्दी]

श्री महबूब जहेदी : अध्यक्ष महोदय, पेंटिंग और एंशिएण्ट रेलिक्स और सिंधु सभ्यता के जितने भी चित्र हैं, वे सब बरबाद हो रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि यह पैसा खर्च नहीं किया गया। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि यह पैसा क्यों खर्च नहीं किया गया? इस पूरी बरबादी को रोकने के लिए, म्यूजियम को रेस्टोर करने के लिए सही कदम उठाये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : यदि अधिक धनराशि का प्रस्ताव आता है तो सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनकी सहायता करने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : मंत्री जी ने बताया है कि वहां काफी रुपया है, रुपये की कमी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, एक्सपर्ट्स कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि उसको फुल्ली एयरकंडीशंड किया जाये। अभी म्यूजियम का थोड़ा सा हिस्सा एयरक्रंडीशंड है, लेकिन पूरा एयरकंडीशंड नहीं है। इसके चलते वहां जो हमारी सामग्री है, जो पुरानी अतीत की चीजें हैं, उनका नुकसान हो रहा है, वे बर्बाद हो रही हैं। इसके बारे में मंत्री जी को कोई जानकारी है कि नहीं है? इसके लिए जब सरकार के पास रुपया है तो उसको एयरकंडीशंड क्यों नहीं किया जाता है, इसके लिए सरकार कुछ स्टैप्स लेगी या नहीं लेगी और पूरा म्यूजियम कब तक एयरकंडीशंड हो जायेगा?

दूसरे, पैसे की कमी के चलते जो नये ऑबजैक्ट्स, नई चीज़ें म्यूजियम में लानी हैं, पैसे की कमी के चलते जो नष्ट हो रही हैं, जो पुरानी अतीत की चीज़ें दूसरी जगह में हमें मिल रही हैं, जिनको हमें म्यूजियम में रखना चाहिए, उसके बारे में सटीक रूप से हमारे देश को दिखाने की जो पुरानी अतीत की चीज़ें हैं, उसके बारे में कौन सी व्यवस्था सरकार कर रही है? खनन के चलते बहुत सी जगहों में बहुत सी पुरानी अतीत की चीज़ें हमें मिली हैं, उनको म्यूजियम में रखने के लिए, स्थापित करने के लिए कौन सी व्यवस्था सरकार ने की है?

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि संग्रहालय के पास पर्याप्त धन है। यदि वे संरक्षण के लिए कुछ और धन की मांग करते हैं और यदि एक उचित प्रस्ताव किया जाता है, सरकार इस पर निश्चितरूप से विचार करेगी और उनकी सहायता करने का प्रयास करेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा विचार है कि आंकड़ें कुछ हद तक सही नहीं है। 1993-94 में आबंटन 313 लाख रुपयों का था और चार वर्षों के बाद यह 319.05 लाख रुपये का था। इस बीच मूल्य चालीस प्रतिशत बढ़ गए हैं। इसी कारण वस्तुतः अनुदान कम हो गया है।

दूसरी बात, उत्तर में यह कहा गया है कि कुछ अव्ययित धन है और यह एक समस्या है जिस पर नियंत्रक लेखा महापरीक्षक ने भी टिप्पणी की है। 319 लाख में से 189 लाख रुपयों की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। हम इस पर मार्च में चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इसे चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के पहले जारी कर देंगे। इस प्रकार आज और 31 तारीख के बीच शेष धनराशि को स्वीकृति दी जाएगी और उसको या तो उसे गलत ढंग से खर्च किया जाएगा या अगले वर्ष के लिए उसे समायोजित कर दिया जाएगा। नियंत्रक महा लेखा परीक्षक ने इस पर गम्भीर टिप्पणी की है। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में उत्तर चाहता हूं।

तीसरा, यह खर्च करने का कोई तरीका नहीं है। उत्तर के तीसरे भाग में बताया गया है कि कलकत्ता का विज्ञान नगर भारतीय संग्रहालय का हिस्सा है। मैं एक दिन कुछ सम्बद्ध व्यक्तियों से मिला था और उन्होंने कहा कि यह इस संग्रहालय के अधीन आता है। वे धन के अभाव में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दूसरे चरण के सम्बन्ध में अन्तिम कार्य अगले वर्ष होगा। क्या वे उस कार्य हेतु धनराशि बढ़ाने पर भी विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्यवश आपके प्रश्न में भाग 'घ' नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह आलोचना है।

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : मार्च के अन्त तक पूरी धनराशि दे दी जाएगी। धन तो खर्च किया गया है। हमें रसीदें प्राप्त होनी है। जब तक कि हमें प्रमाणपत्र नहीं मिलता तब तक हम धन दे नहीं सकते। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि 31 मार्च के पहले धन दे दिया जाएगा।

जहां तक विज्ञान नगर का सम्बन्ध है, यह एक अलग मामला है और यह मामला भी सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता में राष्ट्रीय अकादेमी

+

***210. **श्री चित्त बसु** :

श्री जगमोहन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा गत 8 फरवरी को पारित किए गए उस संकल्प की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें भारत सरकार से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी की स्मृति में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय अकादेमी की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) इस प्रश्न के प्राप्त होने के पश्चात् पश्चिम बंगाल विधान सभा के संबंधित संकल्प की प्रति विधान सभा-सचिवालय से प्राप्त की गयी। संकल्प में, विधन सभा ने एक मत से निर्णय लिया है कि राज्य सरकार को अखिल भारतीय स्तर पर नेताजी राष्ट्रीय अकादेमी की स्थापना संबंधी मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाना चाहिए।

इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार से न तो कोई उल्लेख और न ही कोई ब्यौरा अभी तक प्राप्त हुआ है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मै अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि अपनी मां को लिखे प्रारम्भिक पत्रों में सुभाष चन्द्र बोस ने गहरी मानसिक वेदना व्यक्त की थी ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए फिर आप बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

महिला स्वास्थ्य संगठन

*208. **श्री डी॰पी॰ यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक और ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु महिला स्वास्थ्य संगठन स्थापित किए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे संगठन किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इन संगठनों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या अनुदेश जारी किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने ग्राम स्तर पर महिला समुदाय की सक्रिय भागीदारी के लिए महिला स्वास्थ्य संघों की स्थापना करने हेतु 1990-91 में राज्यों से सिफारिश की है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 3052 महिला स्वास्थ्य संघ स्थापित किए गए हैं।

(ग) महिला स्वास्थ्य संघों के गठन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु महिला स्वास्थ्य संघों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखत मुख्य कार्यकलाप हैं :-

(i) ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा को सरल बनाना।

(ii) महिलाओं के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच का विकास करना।

(iii) महिलाओं के बीच परिवार कल्याण के उपायों की स्वीकार्यता के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना।

(iv) आई॰सी॰डी॰एस॰, स्वास्थ्य स्कूल और अन्य स्तर के कार्यकर्ताओं में अभिसारी कार्य को बढ़ावा देना।

(v) स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर सासों और बहुओं के बीच विचार-विमर्श/बातचीत का आयोजन करना।

समस्त देश में इस कार्यक्रम पर विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	रुपये लाखों में
93-94	252.13 रुपये
94-95	529.53 रुपये
95-96	515.76 रुपये

नवनिर्मित बांधों का जीर्णोद्धार

*211. **डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :**
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवनिर्मित बांधों के जीर्णोद्धार हेतु कतिपय निर्णय लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से बांध हैं जिनके जीर्णोद्धार के लिये सरकार ने योजना बनायी है और उन बांधों में से प्रत्येक बांध का मूल निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर खर्च होने वाले संभावित व्यय का भी आकलन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी राशि लगेगी तथा सरकार का विचार इस धनराशि की व्यवस्था किस तरह से करने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में 54 बांधों के सुधारात्मक और अन्य उपाय करने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से सरकार ने वर्ष 1991 में 456 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना (डी एस ए आर पी) प्रारंभ की थी।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में बांध सुरक्षा गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार उनमें सुधार लाने के सुझाव देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के अधीन बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य	बांध का नाम	श्रेणी	सुधारात्मक कार्यों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	पूरा करने का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश	पगारा	I	8.24	1927
2.	18 बांध	पिलोवा	-वही-	13.79	1914

1	2	3	4	5	6
3.	8 श्रेणी I	काकेतो	I	7.93	1935
4.	10 श्रेणी II	कोतवाल	–वही–	11.95	1919
5.		ओदा	–वही–	2.03	1934
6.		तिगरा	–वही–	13.79	1917
7.		गांधी सागर	–वही–	14.46	1960
8.		बरना	–वही–	3.50	1976
9.		रविशंकर सागर	II	2.72	1978
10.		सोन्दूर	–वही–	1.55	1988
11.		दुधावा	–वही–	0.18	1963
12.		मुरमसिली	–वही–	1.16	1923
13.		तावा	–वही–	1.55	1975
14.		चन्दोरा	–वही–	1.13	निर्माणाधीन
15.		सुकता	–वही–	2.99	1985
16.		सम्पेना	–वही–	0.97	1956
17.		बरचार	–वही–	.22	निर्माणाधीन
18.		राजीव गांधी टैंक (मनियारी)	–वही–	.61	1930
		उप–योग (I)		88.80	
19.	उड़ीसा	हीराकुड	–वही–	51.80	1957
20.	(9 श्रेणी–I	दरजांग	–वही–	8.60	1978
21.	I श्रेणी–II)	भंजनगर	–वही–	15.70	1901
22.		सोरादा	–वही–	27.60	1901
23.		घोदहादा	–वही–	9.50	1978
24.		झरनाई	–वही–	3.10	1975
25.		गनिनाला	–वही–	2.00	1975
26.		अलिकौन	–वही–	4.80	उपलब्ध नहीं
27.		बहेड़ा	–वही–	0.30	1982
28.		खंगसबहल	II	2.00	1986
		उप–कुल		125.40	
29.	राजस्थान	परबती	I	34.00	1963
30.	(II बांध	गलवा	–वही–	11.20	1961
31.	7–श्रेणी I,	मैट्रीकुडिया	–वही–	0.81	1957
32.	4–श्रेणी II)	अलनिया	–वही–	18.32	1962

1	2	3	4	5	6
33.		राणा प्रताप सागर	–वही–	1.00	1969
34.		जवाहर सागर	–वही–	1.60	1973
35.		कोटा बराज	–वही–	10.00	1960
36.		गम्भीरी	II	15.78	1959
37.		मोरेल	–वही–	34.00	1959
38.		ज्वाई	–वही–	0.50	1957
39.		सेई	–वही–	0.85	1977
		उप–कुल (3)		128.06	
40.	तमिलनाडु (15 बांध–	पेचीपराई	I	0.80	1906
41.	9–श्रेणी 1, 6–श्रेणी–II)	मनीमुथार	–वही–	0.50	1958
42.		साथनूर	–वही–	16.00	1958
43.		विदूर	–वही–	11.90	1959
44.		गोमुखी	–वही–	5.50	1965
45.		अपर	–वही–	1.37	1968
46.		पोनानियार	–वही–	1.78	1974
47.		पेरियार	–वही–	7.20	1897
48.		कोडागनार	–वही–	0.00	निर्माणाधीन
49.		गुन्देरीपलम	II	0.43	1978
50.		विलिगडन	–वही–	1.00	1923
51.		सिन्धमाली	–वही–	3.97	1987
52.		शोलायर	–वही–	1.70	1971
53.		पेरून्चनी	–वही–	7.20	1952
54.		मणिमुक्ता नाधि	–वही–	4.00	1970
		उप–योग(4)		63.35	
		महा योग		405.59	

जल–भूतल सिंचाई परियोजनाएं

***212. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिंचाई के साधन विकसित करने हेतु वर्ष 1951 से अब तक 246 बड़ी जल–भूतल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है और मार्च, 1996 के अंत तक उपर्युक्त में से कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं;

(ग) क्या निर्माणाधीन शेष परियोनाओं के निर्माण कार्य पूरा होने में हुए विलम्ब के कारण उनकी निर्माण लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और उन्हें पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 1951 में योजना के आरंभ से लेकर, राज्य सरकारों द्वारा निर्माण के लिए आरंभ की गई 292 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में से 129 वृहद सिंचाई परियोजनाएं मार्च, 1996 तक पूरी हो चुकी हैं।

(ग) जी हां। शेष निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण उनकी निर्माण लागत बढ़ गई है।

(घ) निर्माण की लागत में प्रतिशत वृद्धि परियोजना-दर परियोजना भिन्न-भिन्न होती है। सिंचाई राज्य का विषय है और परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य इस क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई धनराशि और राज्यों द्वारा परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। तथापि, केंद्र सरकार परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अब त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत विशेष व्यवस्था कर रही है।

सिंचित भूमि

*213. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान उस भू-क्षेत्रफल के बारे में नए सिरे से आकलन किया है जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है और यह देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने देश में मार्च, 1996 तक सिंचित भूमि के अंतर्गत लाए गए कुल क्षेत्रफल के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है; और

(ङ) शेष भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, वर्ष 1981 में चरम सिंचाई क्षमता 113.5 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई थी, जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 62 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 के अंत तक कुल 89.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भूमि में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने की संभावना है।

(ङ) असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत सी वृहद, मझौली तथा लघु सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 1996-97 के संशोधित बजट प्राक्कलन में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए अंतिम रूप से 500.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के वर्ष 1997-98 के बजट प्राक्कलनों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 1300.00 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन से गाद निकालना

*214. **श्री विजय पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास ने गाद निकालने की कोई योजना या परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या "राष्ट्रीय पोत अभिकल्प अनुसंधान केन्द्र" (नेशनल शिप डिजायन रिसर्च सैंटर) से इस प्रयोजनार्थ निकर्षण पोत (ड्रैजर) का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और निकर्षण पोत (ड्रैजर) बनाने और इसे कांडला पत्तन न्यास को सौंपने में कुल कितने समय की आवश्यकता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) 1996-97 के लिए अनुमानित लागत 29 करोड़ रु॰ तथा 1997-98 के लिए 30 करोड़ रुपये है। भारतीय निकर्षण निगम, वर्ष भर अनुरक्षण निकर्षण कार्य करता है।

(ग) जी हां।

(घ) नौवीं योजना के दौरान 150 करोड़ रुपये की लागत से निकर्षक एम डी कच्छ वल्लभ को बदलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

हेपाटाइटिस

*215. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1997 के "राष्ट्रीय सहारा" में "देश में हेपाटाइटिस रोग बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में देश में हेपेटाइटिस-बी वायरस द्वारा पैदा किए गए खतरे का उल्लेख किया गया है और उसकी रोकथाम हेतु उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया है।

(ग) एक विशेषज्ञ समिति द्वारा रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन हेपेटाइटिस-बी शुरू करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं। प्रथमतः केन्द्रीय-सरकारी अस्पतालों के कार्यकर्ताओं को प्रतिरक्षित करने का निर्णय किया गया है।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

***216. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या पर नियंत्रण पाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए कोई एक समान कानून विद्यमान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या कुछेक समुदायों को इस संबंध में छूट मिली हुई है अथवा उनके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सलाह मानना बाध्यकर नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) नौंवी योजना के दस्तावेज को, जिसमें विभागवार नीतियां और परिव्यय शामिल किए जाएंगे, योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए नौंवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में जनसंख्या वृद्धि दर को तुरंत नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उददेश्य सभी पात्र दम्पतियों को, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, जानकारी और सुविधाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम में छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की कार्यनीति अपनाई गई है।

राष्ट्रीय खेलकूद संघ

***217. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेलकूद संघ खेलकूद के क्षेत्र में देश को तेजी से "आगे ले जाने" में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत करने के लिए खेलकूद गतिविधियों को अधिक व्यापक बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि राष्ट्रीय खेल संघ खेलकूद के क्षेत्र में तेजी से विकास करने की दिशा में देश को आगे ले जाने में असमर्थ रहें हैं। यद्यपि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खराब प्रदर्शन के निश्चित कारणों का सूक्ष्म निरूपण कठिन होगा, फिर भी मोटे तौर पर, इन कारणों की निम्नानुसार पहचान की जा सकती है :-

(1) भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर खेलों के विकास के लिए दीर्घावधिक वचनबद्धता का अभाव;

(2) निचले स्तर पर ही आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होना जिसमें प्रशिक्षण क्षेत्र, मानक खेल उपस्कर आदि शामिल हैं;

(3) अपर्याप्त मुद्रागत संसाधन; और

(4) शैक्षिक पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के एकीकरण का अभाव।

(ग) राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत करने के लिए खेल संबंधी गतिविधियों को विस्तृत आधार देने की दृष्टि से शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों में ये उपाय शामिल हैं: शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेलकूद का प्रभावी एकीकरण; ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद संबंधी कार्यकलापों के संवर्धन और पूरे देश में खेल अवस्थापनाओं के सृजन पर विशेष बल; और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न प्रोत्साहनों और पुरस्कारों का एक सेट प्रदान करना।

[हिन्दी]

साइप्रस के राष्ट्रपति का दौरा

***218. श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइप्रस के राष्ट्रपति ने हाल हीं में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो व्यापार तथा आर्थिक मामलों के संबंध में उनके तथा भारतीय नेताओं के बीच हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दौरे के परिणामस्वरूप भारत तथा साइप्रस के बीच संबंधों के किस हद तक मजबूत होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री ग्लाकोस क्लेराईज 10 से 15 फरवरी, 1997 के दौरान भारत आए।

(ख) राष्ट्रपति क्लेराईज और भारतीय नेताओं के बीच व्यापक बातचीत हुई, जिसमें भारत-साइप्रस संबंध तथा बहुपक्षीय कार्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल है। इस वार्तालाप में अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों पक्षों की विशेष दिलचस्पी के मसलों सहित कई राजनीतिक मसले शामिल थे। इस बातचीत ने हमारे दोनों देशों को अपने आर्थिक संबंधों को गहन करने के माध्यम से हमारे बीच परम्परागत घनिष्ट राजनीतिक संबंधों को

बनाने का एक अवसर भी प्रदान किया। आने वाले समय में भारत-साइप्रस के बीच बढ़ते हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग के अवसरों की पहचान करते हुए, राष्ट्रपति क्लेराईज अपने साथ साइप्रस से एक व्यवसायी शिष्टमण्डल लेकर आए। यूरोपीय संघ में साइप्रस के अवश्यंभावी प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में उन तौर-तरीकों पर चर्चाएं हुई जिनसे भारतीय कम्पनियां साइप्रस के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार कर सकें। इस यात्रा के दौरान, साइप्रस के विदेश मंत्री और हमारे भूतल परिवहन मंत्री के बीच नौवहन सहयोग से संबद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) साइप्रस के राष्ट्रपति की यात्रा से परम्परागत रूप से घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने से भारत तथा साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हुए हैं। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के विशष महत्व के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मसलों पर एक-दूसरे को परम्परागत रूप से समर्थन देने की बात दोहरायी है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रश्न भी शामिल है। राष्ट्रपति श्री क्लेराईज की इस यात्रा से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रति हमारी साझी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में साइप्रस के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि वे अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले नाम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस यात्रा से आर्थिक भागीदारी को घनिष्ठ बनाने का भी मार्ग-प्रशस्त हुआ है जो विशेष रूप से उपयोगी होगा क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ में प्रवेश करने की दिशा में अग्रसर है। यूरोप के साथ भारत के आर्थिक संबंधों का और विस्तार करने में एक प्रवेश द्वार के रूप में साइप्रस जो भूमिका निभा सकता है उससे हमारे भावी संबंध पर्याप्त रूप से मजबूत होने चाहिए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों/उपमार्गों तथा पुलों पर पथ कर

***219. श्री मोहन रावले :**
श्री आर• साम्बासिवा राव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों, उपमार्गों तथा पुलों पर पथ कर लगाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पथ कर से सरकार को प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार का पथ कर लगाये जाने का औचित्य और कारण क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी• वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर बनाए गए 4 लेन वाले खंडों, बाइपासों और पुलों पर पथकर वसूलने का प्रस्ताव है।

(ग) चूंकि, सुविधा की लागत, प्रयोक्ता को बचत और रियायत की अवधि को ध्यान में रखकर पथकर नियत किया जाएगा, अतः यह मामला दर मामला भिन्न-भिन्न होगा। इसलिए, वार्षिक तौर पर होने वाली जमाराशि के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

(घ) चूंकि, राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाने से सड़क प्रयोक्ताओं को काफी बचत होगी, अतः इस बचत का एक भाग पथकर के रूप में वसूला जाएगा।

प्राइवेट अस्पतालों को वित्तीय सहायता

***220. चौधरी रामचन्द्र बैंदा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सरकार स्वैच्छिक संगठनों को अस्पताल चलाने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए योजनाओं का ब्यौरा और सामान्य तौर पर अपनाए जा रहे मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र•स•	योजना का नाम		मानदंड	ग्राह्य सहायतानुदान की राशि
1	2		3	4
1.	चिकित्सा सेवाओं में सुधार	(क)	इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.00 लाख रुपए

1	2	3	4
		(ख) यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाई जानी चाहिए।	
		(ग) यह गैर-सरकारी और गैर-स्वामित्व प्रबंधन वाली होनी चाहिए।	
		(घ) इसे आम जनता को धर्म, जाति, नस्ल अथवा रंग के भेदभाव के बिना सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	
		(ङ) इसके पास उस प्रयोजन के लिए कार्मिक, संसाधन, अनुदान और प्रबंधकीय क्षमता होनी चाहिए, जिस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता मांगी जा रही है।	
		(च) इसका कार्य और वित्तीय स्थिति संतोषजनक होनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के भुगतान की संस्तुति की जानी चाहिए।	
		(छ) संस्थ सामान्यतया क्षय रोग, कुष्ठ, कैंसर, नेत्र और अन्य रोगों के उपचार में कार्यरत होनी चाहिए।	
		(ज) इसे आवेदन पत्र में दी गई निःशुल्क पलंग/निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या की परिभाषा के अनुसार कम से कम 1/5 पलंग आरक्षित रखने पर सहमत होना चाहिए।	
		(झ) इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए और इसे जहां भी आवश्यक हो अपने हिस्से के अनावर्ती व्यय को वहन करने में सहमत होना चाहिए।	
		(ट) इसने भारत सरकार से पहले लिए गए अनुदानों के बारे में समुपयोजन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत कर दिए हों।	
		(ठ) संस्था को सहायता प्रायः तीन वर्षों में एक बार दी जाएगी।	
	राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम -सर्वेक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना	(I) अनुदानग्राही संस्था को सोसाइटी पंजीकरण अधि-नियम 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए	आवर्ती-4.47 लाख रुपए अनावर्ती-1.91 लाख रुपए
		(II) अनुदान के लिए आवेदन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ भेजा जाना चाहिए।	
3.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	(I) कोबाल्ट 60 की अधिप्राप्तिः	1.00 करोड़ रुपए
		(क) राज्य सरकारों/संस्थानों/धर्मार्थ को लगभग 1.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध हो अर्थात् रेडियो थेरापिस्ट (I), सामान्य ड्यूटी अधिकारी (I), रजिस्ट्रार (I), हाऊस सर्जन (2), चिकित्सक (I), चिकित्सीय तकनीशियन (I), मोल्ड रूप तकनीशियन (I), वरिष्ठ रेडियो थेरापिस्ट (I)।	

1	2	3	4
		(ख) भाभा परमाणु शक्ति अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई द्वारा ले आउट प्लान का अनुमोदन किया जाता है। (ग) सामान्य जीवन मीमा के पश्चात् कोबाल्ट श्रोत को बदलने की लागत संस्थान द्वारा वहन की जाती है। (घ) संस्थान/अस्पताल का अनुरोध संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है और उसे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी रेडियो-थेरापी विकास कार्यक्रम की स्थायी समिति द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जाता है। (II) कैंसर के मामलों का पता लगाने तथा जन जागृति गतिविधियों को चलाने के लिए पंजीकृत तथा मान्यताप्राप्त धार्मिक अस्पतालों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों, जो 5 वर्ष से अधिक समय से जनजागृति गतिविधियों और कैंसर का समय से पूर्व पता लगाने में सक्रिय रूप से शामिल हों, को 5.00 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में गैर-सरकारी संगठन का अनुरोध भी संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है।	
4.	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना :	निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद में क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की गई है। (I) मां और बच्चे के स्वास्थ्य स्तर पर सर्वेक्षण और अध्ययन करना। (II) इसी समूह में रूग्णता और मृत्यु के बड़े कारण अभिज्ञात करना। (III) क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबोधन कराना और राज्य तथा राष्ट्रीय सरकार को फीड-बैक/सूचना उपलब्ध कराना। (IV) समस्या निदान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करना और स्थानीय संशोधनों/आवश्यकताओं के अध्यधीन उपयुक्त उपाय सुझाना। (V) महिला और बालकों से संबंधित सभी स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रलेखन केन्द्र के रूप में कार्य करना। (VI) अपनाए गए स्वास्थ्य उपायों का निरन्तर प्रबोधन एवं मूल्यांकन उपलब्ध करना, (VII) प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के माध्यम से रूग्णता तथा मृत्यु से संबंधित शिक्षा के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल और ज्ञान में सुधार,	अनावर्ती-29.00 लाख रुपए आवर्ती-7.00 लाख रुपए प्रति वर्ष (तीन वर्षों के लिए)

1	2	3	4
		(VIII) माताओं को स्तर-I तथा स्तर-II की परिचर्या उपलब्ध कराना और कम से कम तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपयुक्त रेपरल प्रणाली का विकास, (IX) ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना। (X) चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या तथा मैनुअलों का विकास करना, तथा (XI) लोगों को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करना,	
5.	छोटे परिवार को बढ़ावा देने तथा जन-संख्या नियंत्रण छह - बिस्तर योजना	छह पलंगों वाली योजना देश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है जहां आपरेशन थियेटर संबंधी सुविधाएं दूर हैं तथा आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और शहरों की गन्दी बस्तियों/गैर-सरकारी संगठन को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान करना होता है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां दम्पति सुरक्षा दर 35 प्रतिशत से कम है। इस योजना के अतर्गत संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ पुरूष नसबंदी और महिला नसबंदी, एमटीपी और आईयूडी निवेशन करना अपेक्षित होता है।	अनावर्ती - 4.50 लाख रुपये आवर्ती - शहरी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों- 0.60 लाख रुपये

गंभीर रोगी

2210. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "डिनाइंग हॉस्पिटैलाइजेशन टु क्रीटीकल पेसेंट्स इज ए कंटेम्पट केस, सेज एस॰सी॰" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को हिदायतें जारी की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राइवेट अस्पताल गरीब रोगियों को निःशुल्क आउटडोर और इंडोर सुविधाएं नहीं दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि निजी अस्पताल ऐसी सेवाएं कर सकें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिवों व केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को भेज दिए हैं ताकि न्यायालय के आदेशों के पालन के लिए उचित कार्यवाही की जा सके।

(ग) और (घ) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, प्राइवेट अस्पतालों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं जिसके लिए कुछ राज्यों के पास भूमि प्रयोग कानून सहित कानून है।

[हिन्दी]

मांग पर दवाइयों की आपूर्ति

2211. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के॰स॰स्वा॰यो॰ लाभभोगियों की मांग पर दवाइयों की आपूर्ति प्रायः दो कार्य दिवसों के भीतर कर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में के॰स॰स्वा॰यो॰ के औषधालयों विशेषरूप से सरोजनी नगर और लक्ष्मीबाई नगर में निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों की मांग पर दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ख) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को इंडेन्टेड की गई औषधियों की आपूर्ति सामान्यतया दो कार्य दिवसों में कर दी जाती है।

इस संबंध में दिशानिर्देशों को 21.5.96 को पुनः जारी किया गया है और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली/नई दिल्ली के अन्तर्गत आने वाले सभी औषधालयों के प्रभारियों को अनुदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सैंटर

2212. **श्री बी॰एम॰ सुधीरन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एलेप्पी, केरल के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सैंटर को बंद करने के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) एलेप्पी (केरल) के चिरतला में वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र परियोजना स्थानिकमारी-ग्रस्त इलाकों से फाइलेरिया के परजीवियों के संचरण के उन्मूलन के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना के रूप में प्रारंभ की गई। यह उद्देश्य प्राप्त करके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद समझौता ज्ञापन के जरिए केरल सरकार को यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की योजना बना रही है। फिर भी यह परिषद परियोजना के पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने तक तकनीकी मार्गदर्शन और सुविज्ञता प्रदान करती रहेगी।

खेल प्रोटोकोल

2213. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों का खेलकूदवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत के साथ खेल संबंधी विभिन्न प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किए हैं और उनमें से कितने प्रोटोकोलों को कार्यान्वित किया जा चुका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलें और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : आठवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष 1996-97 के लिए रूसी संघ के साथ 20 फरवरी, 1996 को एक खेल नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें खेल विशेषज्ञों, खेल वैज्ञानिकों, खेल औषधि विशेषज्ञों, शारीरिक व्यायाम के विशेषज्ञों और एथलेटिक्स (मध्यम एवं लम्बी दूरी की दौड़), थ्रो, तीरंदाजी, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स, रोइंग तथा ग्रीको-रोमन कुश्ती की खेल विधाओं में उच्च दक्षता प्राप्त कोचों (प्रशिक्षकों) के आदान-प्रदान का प्रावधान किया गया है। इसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, जूडो, हॉकी (पुरूष एवं महिला), वॉलीबाल, रोइंग, कुश्ती तथा केनोइंग और कायकिंग की खेल विधाओं में खेल संबंधी टीमों का आदान-प्रदान करने संबंधी प्रावधान भी है।

जहां तक नयाचार के कार्यान्वयन का संबंध है, खेल विशेषविदों, विशेषज्ञों एवं खेल टीमों के दौरों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सरकार ने एथलेटिक्स, ग्रीको-रोमन कुश्ती, थ्रोइंग की खेल विधाओं तथा खेल शरीर क्रिया विज्ञान में ठेका आधार पर रूसी प्रशिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

डी॰डी॰टी॰ का प्रभाव

2214. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने "महिलाओं पर डी॰डी॰टी॰ के प्रभाव" के संबंध में कोई अनुसंधान या अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के महिलाओं पर डी॰डी॰टी॰ के प्रभाव संबंधी अध्ययन के अनुसार गर्भाशय लियोमोयोमा में डी॰डी॰टी॰ मिश्रणों की वास्तविक भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए और अध्ययन अपेक्षित हैं। एक अन्य गर्भवती महिलाओं में नाशक जीव मार अवशेषों संबंधी वक्ष दूध, मातृ रक्त, प्लेसेंटा रक्त और प्लेसेंटा में नाशक जीव मारों की विद्यमानता का पता चला है।

(ग) कृषि में डी॰डी॰टी॰ के उपयोग पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। बी॰एच॰सी॰ के उपयोग पर रोक 1.4.97 से लगाई गई है। यद्यपि ऐसे क्षेत्र जहां पर मलेरिया वेक्टर मच्छर डी॰डी॰टी॰ के प्रति अनुक्रियाशील है वहां पर डी॰डी॰टी॰ की सीमित मात्रा का प्रयोग किया जाता है और अब कालाजार के नियंत्रण के लिए नए जेनेरेशन कीटनाशी और जैव पर्यावरणिक पद्धतियों जैसे कई विकल्पों का पता लगाया गया है तथा डी॰डी॰टी॰ का प्रयोग चरणबद्ध ढंग से बंद किया जा रहा है।

तथापि नाशक जीवमार अवशेष कई दशकों में मौजूद रहते हैं और खाद्य पदार्थों में मिलते रहते हैं। यह प्रक्रिया विश्व व्यापक है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है।

चिकित्सा सुविधाएं

2215. **श्री के॰पी॰ नायडू :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के एम॰बी॰बी॰एस॰ चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना नहीं चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के लिए "दो वर्षीय मिडिल रिंग कन्टैन्स्ड कोर्स" शुरू करने का है ताकि ग्रामीण लोग चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहें;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एम॰डी॰ पाठ्यक्रम करने से पहले तीन वर्ष की आवश्यक ग्रामीण क्षेत्र सेवा संबंधी शर्त लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। लाइसेंसिएट चिकित्सा व्यवसायी जैसा अल्पकालिक पाठ्यक्रम पहले उपलब्ध था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से 22.1.80 से लाइसेंसिएट चिकित्सा पाठ्यक्रम बंद कर दिया है।

(घ) और (ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियां भरने हेतु उनके लिए क्षेत्रीय विकेंद्रीयकृत भर्ती नीति अपनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो से तीन वर्षीय सेवा कर चुके चिकित्सा अधिकारियों के लिए कुछ प्रतिशत में स्नातकोत्तर सीटों का आरक्षण करने पर विचार करें।

शैक्षणिक संस्थाओं में जनसम्पर्क सेवाएं

2216. **श्री रूप चंद मुरमु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक संस्थाओं में जनसंपर्क सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ग) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा सम-विश्वविद्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद होता है। इसी तरह से, अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों में भी जन-सम्पर्क अधिकारी के पद हैं।

सुभाष चन्द्र बोस को श्रद्धांजलि

2217. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी 23 जनवरी, 1997 से प्रारंभ कर वर्ष भर मनाने का निर्णय लिया है, जिसके दौरान विभिन्न कार्यक्रम व कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे। स्मरणोत्सवों का शुभारंभ करने के लिए 23 जनवरी, 1997 को लाल किले में एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य के अलावा, भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाग लिया। शताब्दी वर्ष के दौरान आयाजित किए जाने वाले कार्यक्रमों व कार्यकलापों के संबंध में दिशा-निर्देश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति की उप-समिति ने इस विषय में पहले ही कार्ययोजना तैयार कर ली है।

नेताजी के जन्म दिवस- 23 जनवरी, 1997 को देश-प्रेम दिवस के रूप में घोषित किया गया है और प्रत्येक वर्ष इसको इसी रूप में मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट भारत के राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 1997 को जारी किया गया। 19 फरवरी, 1997 को आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा रु॰ 100/-, रु॰ 50/- और रु॰ 10/- के स्मारक सिक्के तथा रु॰ 2/- का परिचालन सिक्का भी जारी किया गया।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी इस महत्वपूर्ण घटना को समुचित तरीके से मनाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी संस्थान

2218. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या तकनीकी संस्थानों की क्षेत्रीय सघनता का इन राज्यों में निजी न्यासों तथा समितियों द्वारा तकनीकी शिक्षा के वाणिज्यिकरण के साथ कोई संबंध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार कितने इंजीनियरिंग कालेज तथा प्रबन्धन संस्थान हैं;

(ङ) क्या तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असन्तुलन देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए हानिकारक हैं; और

(च) यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने हेतु अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार डिग्री स्तर तथा डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों में संस्थाओं का संकेन्द्रण अधिक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इस समस्या से पूर्णतः अवगत है और वह ऐसी सुविधाओं को जनशक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त स्तर की तकनीकी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए उन राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं जहां ऐसी सुविधाओं की कमी है। इसके साथ-साथ परिषद् ऐसे स्थानों पर नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना किए जाने को हतोत्साहित कर रही है जहां उनका संक्रेन्द्रण अधिक है।

विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिग्री संस्थाओं की संख्या	डिप्लोमा संस्थानों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	106	157
2.	कर्नाटक	51	179
3.	तमिलनाडु	90	161
4.	आंध्र प्रदेश	34	82
5.	मेघालय	–	02
6.	असम	03	09
7.	मणिपुर	–	03
8.	मिजोरम	–	01
9.	नागालैंड	–	01
10.	त्रिपुरा	01	01
11.	सिक्किम	01	–

केरल में कालेजों का विकास

2219. श्री रमेश चेन्नित्तल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केरल में कालेजों के विकास के लिए सहायता/अनुदान के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

2220. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या जल संसाधन मंत्री 11 अगस्त, 1994 के अतर्रांकित प्रश्न संख्या 2634 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में हाल की बाढ़ के कारण हुए विनाश की जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा की गई दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपायों संबंधी 207 सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। आठवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंध संबंधी कार्यकारी दल ने उपर्युक्त सिफारिशों में से 25 महत्वपूर्ण सिफारिशों की आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहचान की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा पहले ही किए गए उपायों जिनमें राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियां भी शामिल हैं, की समीक्षा करने तथा बाढ़ प्रबंध संबंधी व्यापक उपायों की सिफारिश करने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ दिनांक 30.9.96 को बाढ़ प्रबंध संबंधी पांच क्षेत्रीय कार्य बलों का गठन किया।

(घ) और (ङ) तूफान/बाढ़ों से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अक्तूबर-नवंबर, 96 के दौरा आंध्र प्रदेश के बाढ़ तथा तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरान करने के लिए दो केंद्रीय दल भेजे थे। प्रथम दल 21 से 28 अक्तूबर, 96 तक तथा दूसरा दल 27 नवंबर से 01 दिसंबर, 96 तक वहां गया था।

दोनों दलों की सिफारिशों के आधार पर अंतरमंत्रालयी दल की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 142 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। यह राशि वर्ष 1996-97 के दौरान आपदा राहत कोष से जारी की गई 124.19 करोड़ की धनराशि के अतिरिक्त है।

(च) बाढ़ प्रबंध राज्य का विषय है। ऐसी योजनाओं के आयोजन, कार्यान्वयन/निष्पादन का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनकी परस्पर प्राथमिकता के अनुसार उनकी अपनी योजना निधियों में से किया जाता है। केंद्र सरकार की समन्वयक और सलाहकार की भूमिका होती है और वह राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के मूल्याकंन सहित राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

दिल्ली के महाविद्यालयों में प्रबंधन समितियों का गठन

2221. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में अभी तक प्रबंधन समितियों का गठन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

मेडिकल कालेज

2222. श्री हरिवंश सहाय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्राइवेट मेडिकल कालेजों को सरकार के अधीन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में दुर्गावती सिंचाई परियोजना

2223. श्रीमती मीरा कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दुर्गावती सिंचाई परियोजना को लागू करने में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गयी; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) बिहार की दुर्गावती परियोजना पर 147.40 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत की तुलना में 75.40 करोड़ रु॰ की राशि खर्च की गई जिससे मार्च, 1994 तक 23.670 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई।

(ग) परियोजना का पूरा होना, राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

स्वास्थ्य गाइड

2224. श्री द्वारका नाथ दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर असम के करीमगंज क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा समुदाय स्वास्थ्य गाइडों (सी॰एच॰जी॰) को केवल 50 रुपये की एक मुश्त राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सी॰एच॰ गाईडों के भुगतान को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) समुदाय स्वास्थ्य गाइडों को दिये गये भुगतान की दर में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) रोल में दर्ज ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को राज्य सरकार के माध्यम से 50/- रुपये प्रतिमाह के मानदेय का भुगतान किया जाना होता है। यह मंत्रालय ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के अधीन असम राज्य को निधियों का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है।

(ग) केन्द्र सरकार ने असम राज्य को सलाह दी है कि वे रोल में दर्ज ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करें।

(घ) सामुदायिक स्वास्थ्य गाइडों के लिए भुगतान की दरों में संशोधन करने का इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ का कार्यकरण

2225. श्री नारायण अठावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "फ्रेश रूल्स फार अप्रूवल आफ न्यू

टेकनिकल इंस्टीट्यूट लाइकली" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ के कार्यकरण के पुनर्गठन/पुनर्प्रबोधन हेतु क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) मंजूरी हेतु ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ के पास लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कारगर, क्षमतापूर्ण और पारदर्शी कार्यकरण हेतु तैयार की गयी कार्य योजना क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी संस्थाओं तथा कार्यक्रमों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। इस समय परिषद के पास 354 प्रस्ताव हैं। मौजूदा विनियमों में कार्य विधि, समय-अनुसूची तथा पद्धति में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो सरकारी राजपत्र में तत्संबंधी अधिसूचना के बाद लागू होंगे।

आयोडीन की कमी

2226. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अक्तूबर, 1996 के "द आब्जर्वर ऑफ बिजिनेस एंड पालिटिक्स" में "आयोडीन डेफीसिएंसी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने आयोडीन अल्पता विकार की समस्या अपने नियंत्रण में ले ली है और पहली ही राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं :—

(क) नमक का व्यापक आयोडीकरण।

(ख) राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों में आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कक्षों की स्थापना।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार।

(घ) आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करना।

(ङ) आयोडीन अल्पता विकार मानिटरिंग प्रयोगशाआलों की स्थापना; और

(च) आयोडीकृत नमक की गुणवत्ता की मानिटरिंग। खाद्य गैर आयोडीकृत नमक की बिक्री पर केरल, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यों में पूर्ण और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है।

निजी क्षेत्र द्वारा पत्तनों का विकास

2227. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी कम्पनियों अथवा फर्मों द्वारा किन-किन पत्तनों का विकास अथवा उपयोग किया गया है तथा इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कुछ ऐसे निजी पत्तन संचालक सामान्य शुल्क का सरकार को अथवा सम्बद्ध पत्तन न्यास को भुगतान कर पाने में अक्षम है;

(ग) क्या सरकार ने इन निजी पत्तन संचालकों को व्यापार में टिकने योग्य बनाए रखने हेतु कोई अवसंरचनात्मक समर्थक नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (घ) निजी पत्तनों का विकास तटवर्ती राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने किसी निजी पत्तन का विकास नहीं किया है।

उड़ीसा में विश्वविद्यालयों को धन

2228. श्री भक्त चरण दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान उड़ीसा में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी-कितनी सहायता अनुदान राशि दी गई;

(ख) क्या यह अनुदान विश्वविद्यालयों द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और इन विश्वविद्यालयों के पास शेष अप्रयुक्त राशि कितनी है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना धन आबंटित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उपरि पुल

2229. डा॰ अमृत लाल भारती : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में चौफटका रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि पुल के निर्माण हेतु दिनांक 25 अक्तूबर, 1989 के निर्माणादेश सं॰ 199-89-28 लोक निर्माण विभाग/9/18/आर॰/88 के माध्यम से तीन करोड़ छियानवे लाख और छियासी हजार रुपये की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या इस पुल का निर्माण-कार्य जल्द आरम्भ करने हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (ड) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के विकास और रख-रखाव के लिए मुख्यतः केन्द्र सरकार जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कों/पुलों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार हैं। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है और इसलिए इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालय

2230. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय बी॰टेक॰, एम॰बी॰ए॰, एम॰सी॰ए॰ और तकनीकी शिक्षा संबंधी अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों द्वारा औसतन कितनी फीस ली जाती है;

(ग) इनमें से कितने विश्वविद्यालय एसोसिएशन आफ इंडियन यूनीवर्सिटीज द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(घ) क्या इन विश्वविद्यालयों का प्रवेश देश में तकनीकी शिक्षा के उचित विकास के हित में है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों के नियंत्रण और विनियमन हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर तकनीकी शिक्षा में कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। उनके द्वारा किसी विदेश सम्बद्ध कार्यक्रम को अनुमोदित नहीं किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ ने भी भारत में कोई तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान नहीं की है। अतः भारत में तकनीकी शिक्षा चलाने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। ऐसे विदेश से संबद्ध कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, परिषद समय-समय पर समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर रही है।

[हिन्दी]

गुजरात के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना

2231. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार गुजरात के उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त सहायता से चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पत्तन संबंधी नीति

2232. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान निजी पत्तनों की सुविधाएं प्रदान करके उनका भरपूर उपयोग करने हेतु वर्तमान पत्तन नीति में संशोधन करने की पहल की है ताकि वे सामान्य पत्तन सुविधाओं से युक्त होकर उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं दे सकें और तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;

(ख) पत्तन क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके द्वारा निजी निवेशकों के लिए खोलने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) पत्तन विकास के लिए स्वीकृत सीधे विदेशी निवेश और चल रही मुख्य परियोजनाओं की परियोजना-वार प्रगति क्या है; और

(घ) पत्तनों के आधुनिकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य संबंधित नेटवर्क सुविधाओं के लिए स्वीकृत/प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) तटवर्ती राज्य सरकारों द्वारा निजी पत्तन विकसित किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने कोई निजी पत्तन विकसित नहीं किया है।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किए हैं :—

(1) पत्तनों की विद्यमान परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना।

(2) अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निर्माण/सृजन जैसे :—

(i) कन्टेनर टर्मिनलों का निर्माण तथा प्रचालन।

(ii) बल्फ, ब्रेक बल्क, बहुउद्देश्यीय और विशेष कार्गो बर्थों का निर्माण और प्रचालन।

(iii) वेयर हाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, भंडारण सुविधाएं और टैंक फार्म।

(iv) क्रेन/हैंडलिंग उपकरण।

(v) आबद्ध विद्युत संयत्रों की स्थापना।

(vi) शुल्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाएं।

(3) पत्तन हैंडलिंग के उपकरणों को पट्टों पर देना और निजी क्षेत्र से फ्लोटिंग क्राफ्टों को पट्टे पर लेना।

(4) पायलोटेज।

(5) पत्तन आधारित उद्योग के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ग) सरकार ने हाल में जवाहर लाल नेहरू पत्तन में दो बर्थ वाले एक कन्टेनर टर्मिनल के निर्माण और प्रचालन के लिए पी एंड ओ पोर्टस्, आस्ट्रेलिया, कोंसोटोरियम पेरकापालान बेरहाड (मलेशिया) और डी बी सी पोर्ट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के संघ को लाइसेंस देने का अनुमोदन किया है।

निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(घ) महापत्तनों के आधुनिकीकरण और अन्य संबंधित नेटवर्क सुविधाओं के लिए 9वीं योजना (1997-2002) में 15,465 करोड़ रु॰ - केन्द्रीय क्षेत्र में 9111 करोड़ रु॰ और निजी क्षेत्र में 6354 करोड़ रु॰ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची।

पत्तनों की विद्यमान बर्थों/परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना।

1. बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए मैसर्स जी पी कार्पोरेशन लि॰, बैंकाक को कांडला पत्तन में बर्थ सं॰ 6 को पट्टे पर देना।
2. मद्रास पत्तन न्यास ने मैसर्स बंगाल टाइगर लाइन्स के साथ एक दीर्घकालीन बर्थ आरक्षण करार किया है।
3. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि॰ और टिस्को को हल्दिया गोदी परिसर में बर्थ पट्टे पर देना।
4. बम्बई पत्तन न्यास ने इंदिरा गोदी परिसर में बर्थ सं॰ 1 के प्रयोग के लिए मैसर्स अमेरिकन प्रेसीडेन्ट लाइन्स के साथ एक करार किया है।
5. कलकत्ता पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं के लिए मैसर्स चौखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड को एन एस ड्राय 1 और 2 को संलग्न भूमि सहित तथा वेट बर्थ आदि को पट्टे पर देना।

भण्डारण सुविधाओं/वेयर हाउसों का सृजन

6. तूतीकोरिन पत्तन में तरल पेट्रोलियम गैस के भंडारण और प्रेषण के लिए मैसर्स स्पिक (एस पी आई सी) को भूमि पट्टे पर देना।
7. गैर-खतरनाक तरल बल्क कार्गो के लिए भंडारण सुविधाओं के सृजन हेतु मद्रास पत्तन में मैसर्स सूरज एग्रो प्राइवेट लि॰ को भूमि पट्टे पर देना।
8. श्रेणी "ख" और "ग" के तरल रसायनों की भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए मैसर्स गणेश बेंजो प्लास्ट लि॰ को भूमि पट्टे पर देना।
9. श्रेणी "ख" और "ग" के तरल रसायनों की भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स को भूमि पट्टे पर देना।
10. नई भंडारण सुविधाओं/वेयर हाउसों के सृजन के लिए विभिन्न महापत्तनों में विभिन्न पक्षों को भूमि पट्टे दी गई है।
11. यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं आदि स्थापित करने के लिए मैसर्स टिन्ना आयल्स एंड कैमीकल्स लि॰ मुम्बई को विशापत्तनम पत्तन में पारगमन शैड को पट्टे पर देना।

शुल्क गोदियों, जहाज मरम्मत सुविधाओं और पोत विखन्डन सुविधाओं का सृजन

12. मैसर्स वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि॰ द्वारा मुरगांव पत्तन में तिरती (फ्लोटिंग) शुल्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।
13. मैसर्स चौखानी इंटरनेशनल लि॰ द्वारा मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधओं की स्थापना

14. पोत विखंडन यार्ड की स्थापना के लिए मैसर्स वैस्टर्न इंडिया मैरीटाइम डिवीजन को आबंटित भूमि।

पत्तनों द्वारा निजी क्षेत्र से पट्टे पर उपकरण लेना।

15. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा पट्टे पर लिए गए कटेनर हैंडलिंग उपकरण।

16. मुम्बई पत्तन में कंटेनर हैंडलिंग उपकरण।

17. विशाखापत्तनम पत्तन में टगों को भाड़े पर लेना।

तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से बड़ा निकर्षण

18. मैसर्स एम आर पी एल द्वारा वित्त पोषित नव मंगलूर पत्तन में बड़ा निकर्षण।

नई बर्थों का सृजन

19. नव मंगलूर पत्तन में मैसर्स एम आर पी एल के तेल शोधक कारखाने के लिए क्रूड हैंडलिंग और पी ओ एल उत्पाद सुविधाओं का सुजन। परियोजना के वित्त पोषण की व्यवस्था एस सी आई के माध्यम से मैसर्स एम आर पी एल द्वारा की गई।

20. कांडला में भारतीय तेल निगम द्वारा प्रतीयमान जेट्टी।

21. कांडला में एच पी सी एल द्वारा प्रतीयमान जेट्टी।

22. गोवा तट से दूर एशिया बल्क टर्मिनल के निर्माण के लिए मैसर्स रिलायन्स को अनुमोदन।

23. आई एफ एफ सी ओ के माध्यम से कांडला में तरल जेट्टी।

24. एच पी सी एल के माध्यम से नव मंगलूर पत्तन में तरल पेट्रोलियम गैस सुविधा का सृजन।

25. मुरगांव तट से दूर अपतटीय स्टाकयार्ड और बर्थ (ओ एस बी) का सृजन।

26. तूतीकोरिन में मैसर्स एस पी आई सी इलैक्ट्रीक पावर कार्पोरेशन के लिए आबद्ध जेट्टी।

27. नव मंगलूर में नागार्जुन फर्टीलाइजर्स एंड कैमीकल्स के लिए आबद्ध जेट्टी।

28. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में कटेनर टर्मिनल।

त्रिपुरा में तकनीकी संस्थान

2233. **श्री बाजू बन रियान :**
श्री केशव महन्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिपुरा और असम में शैक्षिक, तकनीकी शिक्षा और पोलिटेकनीक संस्थानों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी तथा शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित किया जाना तत्संबंधी जनशक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों और उनकी सम्पूर्ण व्यवहार्यता पर निर्भर है। तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए त्रिपुरा और असम की राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेजीडेंट डाक्टरों की हड़ताल

2234. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1997 के "स्टेट्समैन" में "वर्क एफेक्टेड एट॰आर॰एम॰एल॰ हास्पिटल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसकी कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) रेजीडेंट डाक्टर 12-13 फरवरी, 1997 को 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए थे। अस्पाल के प्राधिकारियों ने सूचना दी है कि उन्होंने विगत वर्ष दायर की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के आधार पर कुछेक डाक्टरों के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल मुकद्मों के विरोध में ऐसा किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उपमार्ग (बाइपास)

2235. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में बनाये जाने वाले उपमार्गों की संख्या क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 24 पर बेरली में एक उपमार्ग निर्माणाधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्रस्ताव अभी सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के स्तर पर है।

(घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलना

2236. **श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार के कोडरमा, हजारीबाग, और गिरिडीह जिलों में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इनके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) मुम्बई (महाराष्ट्र) चेन्नई (तमिलनाडु), दिल्ली, कानपुर उत्तर प्रदेश, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) और गुवाहाटी (असम) में स्थिति छः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। इस समय, देश में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हेपेटाइटिस-जी विषाणु

2237. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1996 में "एशियन ऐज" में "किलर वाइरस हैपेटाइटिस-जी इन इंडियां" शीर्षक से प्रकाशित समचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह घातक विषाणु रक्त से संक्रमित होता हैं, यदि हां, तो यह विषाणु कितना फैल चुका है और कितने व्यक्तियों में इस विषाणु का संक्रमण हो चुका है;

(ङ) क्या किसी वर्ग विशेष के लोग, किसी विशेष आयु वर्ग या किसी विशेष व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस विषाणु के संवेदी और वाहक होने का पता लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस विषाणु के मुख्य कारण क्या हैं और यह कैसे फैलता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सरकार को भारत में हेपेटाइटिस-जी वाइरस संक्रमण के संबंध में छपे समाचारों की जानकारी है।

(ख) से (च) रक्ताधान के जरिए और अन्तःशिरा औषध उपयोग जैसे प्रभावन के अन्य आन्त्रेतर तरीकों से हेपेटाइटिस जी वाइरस के संक्रमण का स्पष्ट रूप से पता चला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में आयुर्विज्ञानियों द्वारा किए गए एक अध्ययन से 16 जिगर फेल्योर के गंभीर और चिरकारी रोगियों में से दो रोगियों की सक्रमण हेतु पॉजिटिव रोगियों के रूप में सूचना मिली। पी॰ फाल्सीपेरम के दो रोगियों में हेपेटाइटिस जी वाइरस जेनोम का भी पता चला। देश में इस रोग की व्यापकता का पता लगाने के लिए और विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हैं।

हांगकांग में भारतीय मूल के लोगों का पुनर्वास

2238. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हांगकांग का चीन को हस्तांतरण होने के बाद भारतीय मूल के लोगों के राज्य-विहीन होने पर उनकी बहाली के बारे में समुचित कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : हांगकांग के आव्रजन विभाग द्वारा आंकड़ों के अनुसार, उन भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो हांगकांग के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास ब्रिटिश स्वतंत्र प्रदेश नागरिकता (बीडीटीसी) अथवा विदेशी ब्रिटिश राष्ट्रिक (बीएनओ) पासपोर्ट हैं किन्तु उनके पास किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता नहीं हैं, की संख्या लगभग 3,200 है।

भारत सरकार, यह सुसंगत नीति रही है कि बीडीटीसी और बीएनओ पासपोर्ट धारकों के प्रति ब्रिटिश सरकार का मूल दायित्व है और इन व्यक्तियों की ब्रिटिश नागरिकों के रूप में इनके दर्जे की आवश्यक सुरक्षा करने के उपाय करने चाहिए। 4.2.1997 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया है कि केवल हांगकांग में बसे हुए ब्रिटिश जातीय अल्पसंख्यक ही ब्रिटिश नागरिकों के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन कर सकेंगे और 30 जून, 1997 के पश्चात ही उन्हें यूनाइटेड किंगडम में बसने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात, ऐसी उम्मीद है कि बीडीटीसी और बीएनओ पासपोर्ट धारी अधिकांश भारतीय, यदि उनके पास किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता नहीं है, ब्रिटिश नागरिकों के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि

2239. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के विदेशी मंत्री श्री के॰ लॉस किंकेल ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत से व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव किन स्पष्ट शर्तों पर दिया गया था; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) डा॰ किंकेल ने बताया कि यदि भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह अभीष्ट होगा। तथापि, उन्होंने इस संधि पर भारत के दृष्टिकोण की सराहना की है।

(ग) विदेश मंत्री ने जर्मन विदेश मंत्री को साफ तौर पर यह बताया है कि भारत सीटीबीटी और एनपीटी पर इनके मौजूदा रूप में न तो इस समय और न ही भविष्य में हस्ताक्षर करेगा। सीटीबीटी के संबंध में भारत का दृष्टिकोण सिद्धान्तगत और सुसंगत रहा है। भारत का मानना है कि सीटीबीटी नाभिकीय निरस्त्रीकरण प्रक्रिया का एक ऐसा अभिन्न अंग होना चाहिए जिससे एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों का पूर्ण विनाश हो सके।

बाढ़ नियंत्रण

2240. श्री के॰पी॰ सिंह देव :
डा॰ जी॰आर॰ सरोदे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिए धन आबंटन में वृद्धि करने संबंधी मांग बढ़ती जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर उड़ीसा में आठवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना में इनके लिए किन परियोजनाओं/कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश में आंका गया बाढ़ प्रवण क्षेत्र 40 मिलियन हैक्टेयर है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) और (ग) बाढ़ों के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) नदियां जो अपनी परिवहन क्षमता से अधिक प्रवाह ले जाती हैं।

(ii) सहायक नदियों के मुख्य नदी में गिरने के स्थान पर जल का वापस आना

(iii) नदी रिसन के समय भारी वर्षा।

(iv) बर्फ गिरने या भूमि धंसकने से धाराओं में रूकावट।

(v) उच्च भूमि पर बाढ़ों के समय ऊंचे ज्वार का आना।

(vi) झंझावात और तूफान

(vii) अपेक्षित शीघ्रता से सतही जल को ले जाने वाली अपर्याप्त जलनिकास प्रणाली। दिए गए किसी भी क्षेत्र में, उपरोक्त किसी एक या अधिक कारण से बाढ़ आ सकती है।

(घ) से (च) आठवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए आबंटित की गई राशि और नौवीं योजना के लिए प्रस्तावित आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है। नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गए अतिरिक्त आबंटन की राशि और स्वीकृत राशि संलग्न विवरण-III में दी गई है। उड़ीसा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) बाढ़ प्रबंध कार्यों की आयोजना, अन्वेषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने दीर्घावधि और अल्पावधि उपायों के बारे में 207 सिफारिशें की हैं। इन्हें कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है। आठवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंध पर कार्य दल ने 207 सिफारिशों में से, आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 25 सिफारिशों का पता लगाया है। भारत सरकार ने 30.9.96 को बाढ़ प्रबंध पर 5 प्रादेशिक कार्य दलों का गठन भी किया जिनमें केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और जो बाढ़ समस्या की जांच, राज्य सरकारों द्वारा पहले ही किए गए उपायों की समीक्षा और बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों की सिफारिश करेंगे। पूर्वी प्रोदेशिक कार्य दल उड़ीसा की बाढ़ समस्या की जांच कर रहा है। कार्य दलों की रिपोर्टें 31.3.97 तक मिल जाने की संभावना है।

विवरण–I

देश में बाढ़ संभावित क्षेत्र

(लाख हेक्टेयर क्षेत्र में)

क्र॰सं॰	राज्य	बाढ़ संभावित क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	गुजरात	13.9
5.	हरियाणा	23.5
6.	हिमाचल प्रदेश	2.3
7.	जम्मू व कश्मीर	0.8
8.	कर्नाटक	0.2
9.	केरल	8.7
10.	मध्य प्रदेश	2.6
11.	महाराष्ट्र	2.3
12.	मणिपुर	0.8
13.	मेघालय	0.2
14.	उड़ीसा	14.0
15.	पंजाब	37.0
16.	राजस्थान	32.6
17.	तमिलनाडु	4.5
18.	त्रिपुरा	3.3
19.	उत्तर प्रदेश	73.36
20.	पश्चिम बंगाल	26.5
21.	दिल्ली	0.5
22.	पांडिचेरी	0.1
	कुल	335.16

(अर्थात् 34 मि॰ हेक्टे॰)

1953–78 की अवधि के लिए राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र	34 मिलियन हेक्टेयर
(1978) तक संरक्षित क्षेत्र	10 मिलियन हेक्टेयर
कुल :	44 मिलियन हेक्टेयर
संरक्षण कार्यों की कमी के कारण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जिसे सूचित किए गए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में जोड़े जाने की संभावना है (काल्पनिक) (–)	4 मिलियन हेक्टेयर
देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र	40 मिलियन हेक्टेयर

विवरण–II

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आठवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए में)	नौवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	143.54	735.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.71	153.04
3.	असम	86.85	296.49
4.	बिहार	251.71	537.50
5.	गुजरात	10.00	52.60
6.	गोआ	0.90	4.63
7.	हरियाणा	52.00	145.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00	12.75
9.	जम्मू व कश्मीर	40.75	49.09
10.	कर्नाटक	11.00	136.00
11.	केरल	65.00	317.27
12.	मध्य प्रदेश	8.53	20.00
13.	महाराष्ट्र	1.46	105.41
14.	मणिपुर	20.00	60.00*
15.	मेघालय	8.54	25.62*
16.	मिजोरम	0.25	0.75*
17.	नागालैंड	1.50	5.00
18.	उड़ीसा	42.05	339.50
19.	पंजाब	125.00	125.87
20.	राजस्थान	25.30	75.90
21.	सिक्किम	0.00	200.00
22.	तमिलनाडु	30.00	30.00
23.	त्रिपुरा	8.00	24.00
24.	उत्तर प्रदेश	70.00	498.75
25.	पश्चिम बंगल	280.00	500.00
	कुल राज्य	1,293.09	4550.17
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.15*
27.	चंडीगढ़	0.00	शून्य
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.02	शून्य
29.	दमन एवं द्वीव	1.17	5.70

1	2	3	4
30.	दिल्ली	40.00	200.00
31.	लक्षद्वीप	2.60	10.00
32.	पांडिचेरी	4.44	42.47
	कुल संघ क्षेत्र	48.28	258.32
	कुल योग	1,341.37	4808.49

* आठवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्ययों का ब्यौरा राज्यों से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तावित ब्यौरों को तीन बार में लिया गया।

विवरण–III

क्र•सं•	राज्य का नाम	मांग की धनराशि (करोड़ रु•)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रु•)
1.	असम	6.95	3.95
2.	बिहार	1.28	1.28
3.	केरल	28.53	3.00
4.	मध्य प्रदेश	1.00	1.00
5.	मेघालय	10.50	10.50
6.	पश्चिम बंगाल	1.63	1.63

पूर्वोत्तर राज्यों की शिक्षा योजना हेतु प्रकोष्ठ

2241. श्री केशव महन्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की शिक्षा योजना की जांच हेतु कोई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रकोष्ठ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) उत्तर–पूर्वी राज्यों में शैक्षिक योजनाओं की जांच के लिए ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, युवा कार्यक्रम और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग नामक चारों विभागों की योजनाओं की प्रगति की मानिटरिंग के लिए शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

शैक्षणिक उपकर

2242. श्री समीक लहिरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उपकर से राज्य सरकारों को भी हिस्सा दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी प्रस्ताव के निहितार्थों पर विचार करने के लिए इस विभाग द्वारा गठित राज्य शिक्षा मंत्रियों की समिति ने अन्य बातों के साथ सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को उन उपायों पर विचार करना चाहिए जिनसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करने के लिए राजस्वों में वृद्धि करने में समर्थ हो सके। समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि राज्यों को इस संबंध में एक शैक्षिक उपकर लगाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार सरकारों को इस संबंध में समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

महिला विकास निगम

2243. श्री पवन दीवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में महिला विकास निगम स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने और कौन–कौन से जिलों में उक्त निगम स्थापित किया गया है; और

(ग) उक्त निगम द्वारा अब तक किये गये कार्य कौन–कौन से हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस•आर• बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम समूचे मध्य प्रदेश राज्य में कार्य कर रहा है।

(ग) निगम द्वारा अब तक किए गए कार्य हैं :—

(1) ग्राम्य स्कीम को लागू करना, जिसके अन्तर्गत छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को निगम द्वारा 500 रु• ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

(2) फोटो कापियर मशीन स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत बैंक से ऋण लेकर फोटो कापियर मशीन लगाने वाली महिलाओं को 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है जो अधिकतम 10000 रु॰ होती है।

(3) सामर्थ्य स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाने का व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है।

(4) टंकण प्रशिक्षण स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत राज्य के जिला मुख्यालयों और अन्य बड़े कस्बों में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और छात्रवृति प्रदान की जाती है।

(5) नोराड स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसे कार्य निगम को सौंपे गए हैं।

(6) राष्ट्रीय महिला कोष के लिए नोडल अभिकरण।

(7) स्टेप परियोजना का कार्यान्वयन अभिकरण।

(8) राज्य के छः जिलों (हौशंगाबाद, देवास, सिहौर, बेतूल, टीकमगढ़, छतरपुर) में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण महिला विकास और शक्ति सम्पन्नता कार्यक्रम जिसका निधीयन विश्व बैंक-अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा किया जाता है, का कार्यान्वयन अभिकरण।

(9) ड्वाकरा दलों द्वारा तैयार चीजों की मेलों में बिक्री की व्यवस्था।

(10) आयोत्पादन गतिविधियों के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण का आयोजन।

[अनुवाद]

एड्स के मरीजों के लिए विशेष अस्पताल

2244. श्री सुशील चन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के रोगियों का जनरल सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाता है और संक्रामक रोगों की तरह एड्स और एच॰आई॰वी॰ जीवाणु वाले रोगियों का इलाज पृथक अस्पतालों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एड्स के रोगियों को विशेष चिकित्सीय सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने हेतु अलग अस्पतालों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में कुछ ऐसे निजी अस्पताल भी हैं जहां इन मरीजों की चिकित्सा हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) एड्स के रोगियों का उपचार करने हेतु अलग से कोई अस्पताल नहीं है। एड्स के रोगियों का उपचार जनरल अस्पतालों में अन्य रोगियों की तरह किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) देश में कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है जिसने विशेष रूप से एड्स के रोगियों का उपचार करने हेतु सुविधाएं स्थापित की हों।

सी टी ई योजना के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय

2245. श्री उधव बर्मन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी॰टी॰ई॰ योजना के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो महाविद्यालयवार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि के उपयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान शिक्षक शिक्षा कालेजों (शिक्षा कालेजों तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थाओं) को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

(ग) इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि राज्य अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें निधियों के उपयोग की सूचना भी शामिल हो।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 2654 लाख रु॰ की राशि उपयोग की गयी है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत सी॰टी॰ई॰/ आई॰ए॰एस॰ई॰ की संख्या	आठवीं योजना के दौरान सी॰टी॰ई॰/ आई॰ए॰एस॰ई॰ को स्वीकृत की गई धनराशि (रु॰ लाखों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	549.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	7	203.31
4.	बिहार	2	63.90
5.	गोवा	–	–
6.	गुजरात	1	56.00
7.	हरियाणा	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	48.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2	149.00
10.	कर्नाटक	8	515.24
11.	केरल	2	103.86
12.	मध्य प्रदेश	10	352.75
13.	महाराष्ट्र	–	–
14.	मणिपुर	1	40.50
15.	मेघालय	2	69.00
16.	मिजोरम	–	–
17.	नागालैंड	1	40.50
18.	उड़ीसा	4	542.00
19.	पंजाब	–	20.00
20.	राजस्थान	7	530.51
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	–	92.50
23.	त्रिपुरा	1	43.25
24.	उत्तर प्रदेश	3	189.00
25.	पश्चिम बंगाल	2	53.25
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–
29.	दमन और दीव	–	–
30.	दिल्ली	–	141.37
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–
	जोड़	67	3803.28

पोत निर्माण और मरम्मत एकक

2246. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पोत निर्माण एवं मरम्मत एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धनराशि

2247. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वर्षवार आवंटनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या संस्थाओं/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की निरन्तर बढ़ती संख्या की तुलना में धनराशि के हिस्से में क्रमिक गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आवंटित योजना अनुदान

निम्नलिखित है :—

	रु॰ करोड़ों में
1994–95	234.20 रु॰
1995–96	207.77 रु॰
1996–97	200.63 रु॰

विश्व-विद्यालयों अनुदान आयोग को सरकार से पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान एक योजना से दूसरी योजना में तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 1992–93 से 1996–97 के दौरान सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 921.24 करोड़ रु॰ की राशि प्रदान की जबकि सातवीं योजना में 576.00 करोड़ रु॰ की राशि प्रदान की गई थी।

(घ) सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :—

- 1.1.1986 से कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन। अध्यापकों के प्रशिक्षण और केरियर प्रोन्नति के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- अध्यापन व्यवसाय में उत्कृष्ट व्यक्तियों को लाने के लिए अखिल भारतीय अर्हता परीक्षा आरंभ की गई है।
- नए नियुक्त विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के अभिविन्यास के लिए शौक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।
- पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और मानविकी में 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 विषयों के लिए आधुनिक पाठ्यचर्या तैयार की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत अध्यापन और अनुसंधान के सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान की प्रोन्नति हेतु मुख्य सुविधाएं व सेवायें प्रदान करने के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए।
- कुछ चुने हुए कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश वितरित किए गए। इन दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिवसों के अनुपालन पर बल दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री, न्यूनतम कार्य दिवस आदि देने हेतु न्यूनतम स्तरों के लिए विनियम अधिसूचित किए।

[हिन्दी]

घाटमपुर में नवोदय विद्यालय

2248. श्रीमती कमल रानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में घाटमपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) जिला कानपुर देहात में गांव जहांगीराबाद, तहसील घाटमपुर और साथ ही कुछ अन्य वैकल्पिक स्थानों पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। किंतु यह प्रस्ताव अस्थायी आवास के संबंध में समिति के मानदंडों के अनुसार नहीं है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे समिति की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक उपयुक्त प्रस्ताव भेजें।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों की जेलों में भारतीय

2249. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों की जेलों में बड़ी संख्या में भारतीय बंद हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय राष्ट्रिक जेल में बन्द हैं। 30.11.1996 को हमारे रिकार्ड के अनुसार खाड़ी देशों के जेलों में बन्द भारतीयों का देशवार अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. बहरीन	82
2. इराक	3
3. कुवैत	135
4. ओमान	38
5. कतर	382
6. सऊदी अरब	1169
7. संयुक्त अरब अमीरात	144
8. यमन	3

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण संबंधी सम्मेलन

2250. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण के बारे में कोई सम्मेलन दिसम्बर, 1996 अथवा जनवरी, 1997 में आयोजित किया गया था; और

(ख) उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए और इनके कार्यान्वयन की रूपरेखा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग संबंधी परियोजना

2251. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान स्टेशन, दिल्ली द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को "कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग" संबंधी परियोजना दी गई है;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने उक्त कार्य को अपेक्षाकृत कनिष्ठ संकाय सदस्य को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा कन्सलटेंशी परियोजना कार्य के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) निर्माण इंजीनियरी के संबंध में कोई भी परियोजना केन्द्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को नहीं दी गई है। तथापि निर्माण सामग्रियों और संरचनाओं हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति (जल संसाधन मंत्रालय) ने पोजोलैनिक निर्माण सामग्रियों की लघु संरचना माडलिंग के संबंध में एक परियोजना मई, 1996 में प्रदान की थी। सिविल इंजीनियरी विभाग में भवन निर्माण सामग्री प्रयोगशाला को स्थापित करने में सहायक रहे डा॰ बी॰ भट्टाचारजी, सह-आचार्य मुख्य अन्वेषक हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

2252. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति अपेक्षानुसार हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जन्म दर 1951-61 दशक में 41.7 से कम होकर 1995 में 28.3 प्रति हजार रह गई है। कुल प्रजनन दर 1951-61 दशक में 5.97 से कम होकर 1993 में 3.5 रह गई है। शिशु मृत्यु दर 1951-61 दशक में 146 से कम होकर 1995 में 74 प्रति हजार जीवित जन्म रह गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप मार्च, 1996 तक 197.39 मिलियन जन्मों को रोका गया है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम में इस समय विकेन्द्रीयकरण एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया जा रहा है। उच्चस्तर पर गर्भ निरोधक के लक्ष्य निर्धारित करने की पद्धति को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पर सेवाओं के विकेन्द्रीकृत नियोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

बोट जेटटी के लिए धनराशि

2253. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोट जेटिट्यों के आधुनिकीकरण और रख-रखाव के लिए धन उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की कोई योजना मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ केरल को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का केरल के राष्ट्रीय जलमार्ग में किसी जेट्टी का विकास कार्य शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केरल को आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :-

	(करोड़ रु॰)
1993-94	0.50
1994-95	0.02
1995-96	0.33

(ग) जी हां।

(घ) केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग पर 12 स्थानों अर्थात् कोट्टापुरम, कोची, इर्णाकुलम, अलूवा, कक्कानाडु, वायकम, चेरथला, अलापूझा, तिरूकुन्नापूझा, कयामकुलम, चावरा और कोल्लाम में जैट्टियों/टर्मिनलों का विकास 9वीं योजना अवधि के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है।

अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के लिए धनराशि

2254. श्री मुख्तार अनीस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में शैक्षिक रूप से पिछड़े और वंचित अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक विकास के लिए योजना आवंटन के संबंध में अल्पसंख्यक समुदायों के विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ज्ञापनों में क्या प्रमुख सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में दिए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित है :-

(1) अल्पसंख्यक संस्थाओं के विकास की क्षेत्र गहन योजना के अंतर्गत स्कूलों की स्थापना और मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। विशेष मामले के रूप में और सामान्य नियमों में छूट देते हुए राज्य सरकारों की सिफारिशों की अपेक्षा को छोड़ा जा सकता है और ये योजनाएं कुछ गैर सरकारी संगठनों को हस्तांतरित की जा सकती है।

(2) उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना।

(3) मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र तथा प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए संसद में विधेयक रखना।

(4) अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार का विशेषरूप से सीटों के आरक्षण के संबंध में निर्धारित कानून के अनुसार निर्णय किया जाए।

(5) पटना, दरभंगा, रांची/हजारी बाग, भागलपुर/गोडडा, सीवान/छपरा, किशनगंज/पूर्णिया, बिहार शरीफ/गया और आरा में 8 केन्द्रीय सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय स्कूलों की स्थापना।

(ग) क्रम सं॰ (5) पर दी गई मद निर्णयाधीन है। अन्य मुद्दों की जांच करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक से रक्षा बलों में भर्तियां

2255. श्री विजय संकेश्वर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रक्षा बलों के तीनों स्कंधों के लिए कर्नाटक से की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में इनमें भर्ती किए गए लोगों की कुल संख्या कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक में कुल कितने भर्ती केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने केन्द्रों पर भर्ती की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक से रक्षा सेवाओं के तीनों विंगों में की गई भर्ती का ब्यौरा इस प्रकार है :-

सेना

वर्ष	भर्ती
1993-94	1517
1994-95	2259
1995-96	2712

नौसेना

वर्ष	भर्ती
1994	63
1995	23
1996	39

वायुसेना

वर्ष	भर्ती
1993-94	63
1994-95	63
1995-96	76

(ख) और (ग) सेना के मामले में, देश के अन्य भागों की तरह कर्नाटक की भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के अनुपात में भर्ती की जाती है। तथापि कर्नाटक से कुल भर्ती, भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के अनुसार मांग की अपेक्षा कम है।

नौसेना के मामले में किसी राज्य विशेष से भर्ती किए गए नौसैनिकों की संख्या उन पात्र आवेदकों की संख्या पर निर्भर करती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा जांच में उत्तीर्ण हो पाते हैं।

वायुसेना के मामलें में, वायुसैनिकों की भर्ती अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर की जाती है।

(घ) भर्ती केंन्द्रों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं :-

सेना

भर्ती कार्यालय (मुख्यालय), बेंगलूर

शाखा भर्ती कार्यालय, बेलगाम

शाखा भर्ती कार्यालय, मंगलौर

मद्रास इंजीनियरी ग्रुप एवं केंद्र, बेंगलूर

पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, बेलगाम

मराठा लाइट इंफैंट्री, रेजिमेंट केंद्र, बेलगाम

सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण), बेंगलूर

सेना सेवा कोर केंद्र (एम टी), बेंगलूर

सेना पुलिस कोर केंद्र एवं स्कूल, बेंगलूर

पायनियर कोर प्रशिक्षण विंग, बेंगलूर

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक से भर्ती, भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या की प्राधिकृत प्रतिशतता और रेजिमेंटों/कोरों के वर्ग संघटन के अनुसार अखिल भारतीय और सभी वर्गो की रिक्तियों के लिए अन्य प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा भी की जाती है।

नौसेना

नौसेना भर्ती केंद्र, बेंगलूर।

वायुसेना

वायुसैनिक चयन केंद्र, बेंगलूर।

अमरीकी वीजा नियम

2256. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1997 को "टाइम्स आफ इंडिया" में "न्यू॰यू॰एस॰ लॉ वरीज इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी प्रशासन के सख्त वीजा नियमों को लागू करने के विचार से वहां से सैकड़ों भारतीयों को पलायन करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) अमरीका से भारतीयों के अतिरिक्त पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संदर्भित खबर "अवैध आप्रवासन सुधार और आप्रवासी उत्तरदायित्व अधिनियम 1996" जो कि अमरीकी कांग्रेस द्वारा पारित और 30 सितम्बर, 1996 को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और प्रवृत बहुप्रयोगी प्राधिकरण बिल का एक भाग है, से संबंधित रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इस अधिनियम के अनुपालन के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। यह कानून गैर-आप्रवासी वीसा में प्राधिकृत अवधियों के बाद अमरीका में रूके हुए सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होगा। यह कानून केवल भारतीयों को लक्ष्य बनाकर विशेष रूप से नहीं बनाया गया है तथा जो व्यक्ति अमरीका में वैध रूप से रह रहे हैं वे भी इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे।

(घ) सरकार अमरीका सहित विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं के प्रति सचेत है।

"सिद्ध" पद्धति पर लिखी गई पांडुलिपि

2257. श्री के॰ परसुरामन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "सिद्ध" पद्धति पर तमिल में लिखी गई पांडुलिपियों को लगभग 3000 वर्ष पूर्व जर्मनी द्वारा तमिलनाडु से ले जाकर जर्मनी में मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय में रख दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने देश के उपयोग के लिए उन तमिल पांडुलिपियों को वापिस लाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। यह जैसे ही प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक्टरों का पुनः पंजीकरण और पुनः प्रमाणन

2258. लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :
डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रत्येक पांच वर्षों में डाक्टरों के लिए पुनः पंजीकरण और पुनः प्रमाणन कराना अनिवार्य बनाने के लिए एक विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) अधीनस्थ विधायन समिति (10 वीं लोक सभा) ने अपनी 13 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार/भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा हर पांच वर्ष बाद डाक्टरों द्वारा पंजीकरण का अनिवार्य नवीकरण निर्धारित किया जाना चाहिए। समिति को सूचित किया गया था कि पूरे देश में लगभग 4.5 लाख चिकित्सकों के पंजीकरण के नवीकरण में प्रशासनिक कठिनाइयां आएंगी, विशेषकर जहां भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं और राज्य चिकित्सा परिषदें इस जिम्मेंदारी को वहन करने के लिए पूरी तरह से सशक्त नहीं है। तथापि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा तौर तरीकों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) स्नातक चिकित्सा शिक्षा जिसमें एम बी बी एस पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या शामिल है, के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अधीन एक विनियम के रूप में अनुमोदित की गई हैं और इसकी सूचना 4 मार्च, 1997 को भारतीय चिकित्सा परिषद् को दी गई है। प्रत्येक विषय पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ब्यौरेवार पाठ्यचर्या विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की जाती है।

सड़क क्षेत्र में सुधार

2259. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी उद्यमियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने में हुई देरी से सड़क क्षेत्र में निवेश में कमी आई है;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने हेतु कहा गया है तथा यह भी कहा गया है कि वैकल्पिक माध्यमों से धन उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पहले दीर्घकालीन रणनीति तैयार की थी यथा, केन्द्रीय सड़क निधि को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा वाहनों के पंजीकरण मूल्य में वृद्धि;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये सभी योजनाएं अब तक लागू नहीं की गई हैं तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में सड़क क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाथ जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए एक संशोधित संकल्प सन् 1988 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। तथापि, सरकार अभी इसके कार्यान्वयन पर विचार कर रही है। निजी क्षेत्र की सहभागिता के संबंध में सरकार ने सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बी ओ टी के अंतर्गत परियोजना देने हेतु मार्गनिर्देश अभी हाल में अनुमोदित कर दिए हैं। वाहन पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं है।

(च) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति लेने से छूट देकर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अभी हाल में उपाए किए हैं।

कश्मीर के बारे में अमरीकी नीति

2260. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट सुश्री रॉबिन रफेल द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में हुए चुनाव से वहां की समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अमरीकी सरकार के लिए कश्मीर अभी भी एक विवादित क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके वक्तव्य से कश्मीर के बारे में अमरीकी नीति का पता चलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) अमरीकी सहायक विदेश मंत्री राबिन राफेल द्वारा फरवरी, 1997 में अपनी भारत यात्रा के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते समय जम्मू और कश्मीर में चुनावों के संबंध में कथित रूप से व्यक्त की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार ने अखबारों में छपी रिपोर्टें देखी हैं। इस यात्रा के दौरान, सरकारी बैठकों में इस विषय पर बातचीत नहीं हुई थी।

(ग) भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अमरीकी सरकार इस स्थिति को भली-भांति जानती है।

प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी दौरे

2261. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री जयसिंह चौहान :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कितने विदेशी दौरे किए गए और इन दौरों का प्रयोजन क्या था;

(ख) इन दौरों में उनके साथ गए गैर-सरकारी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गैर-सरकारी व्यक्तियों पर सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, यदि कोई हो, कितना है;

(घ) क्या इस खर्चे की वसूली कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो शुरू में यह राशि किस खाते के अंतर्गत अदा की गई?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अपना कार्यभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री ने नीचे दिए गए देशों की यात्राएं की। प्रत्येक यात्रा का प्रयोजन भी दिया गया है।

1. जिम्बाब्वे-हरारे में जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
2. इटली-रोम में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
3. बंगला देश-द्विपक्षीय यात्रा।
4. स्विटजरलैंड-दाबोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए।
5. मॉरीशस-द्विपक्षीय यात्रा

(ख) उपर्युक्त सभी यात्राओं में प्रधानमंत्री के साथ सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, सुरक्षाकर्मी और अन्य अधिकारी तथा मीडिया के प्रतिनिधि गए थे। श्रीमती देवगौड़ा उनके साथ हरारे, रोम, दाबोस और मॉरीशस की यात्राओं पर गयी थीं। हरारे और रोम की यात्राओं में प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य भी उनके साथ गए थे।

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों और मीडिया से जुड़े गैर सरकारी सदस्यों के खर्च का सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सीधा निपटान किया गया था। गैर सरकारी व्यक्तियों पर सरकार ने कोई खर्च नहीं किया।

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

2262. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्र सरकार की नौकरी में पुनः नियुक्त किया गया है, उनके गृह राज्यों में तैनात करने हेतु विशेष अवसर प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनके द्वारा सामना की जा रही अनेक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उनकी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण करने के दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) जो भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रक्षा सेवाओं में पुनः रोजगार चाहते हैं, उन्हें संबंधित सेना मुख्यालय द्वारा यथासंभव उनकी पसंद के स्थानों पर तैनात किया जाता है। परन्तु जिन भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में पुनः रोजगार दिया जाता है, उन पर उन विभागों के सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा-शर्तें ही लागू होती हैं और, इसीलिए उन्हें तैनातियों और स्थानांतरणों के मामले में उनके संवर्ग में अन्य कर्मचारियों के समान माना जाता है।

टर्बो जेनेरेटिंग उपस्कर

2263. **श्री सनत मेहता :**
श्री एन॰जे॰ राठवा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1985 में 2.85 बिलियन जापानी येन हेतु सरदार सरोवर परियोजना के रिवर बोर्ड पावर हाउस (आर॰बी॰पी॰एच॰) में छः 200 एम॰जी॰ रिवर्सिबल इकाइयों को वित्त प्रदान करने हेतु भारत सरकार और ओ॰ई॰सी॰एफ॰ के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) क्या मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन को ठेका प्रदान किया गया था और नमूने के तौर पर जांच हेतु भुगतान के लिए ओ॰ई॰सी॰एफ॰ से 2.85 बिलियन येन धनराशि का उपयोग किया गया था;

(ग) क्या भारत सरकार ने बाद में ओ॰ई॰सी॰एफ॰ से टर्बो जेनेरेटिंग उपस्कर प्राप्त करने हेतु 17.2 बिलियन येन की राशि हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना में विलम्ब हुआ है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य में तेजी लाने हेतु गतिरोध को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1986 में 2.85 बिलियन येन की पहली किस्त देने के बाद कुछ पर्यावरणीय कारणों से ऋण की अगली किश्त को रोकने के ओवरसीज इकॉनामिक कारपोरेशन फन्ड (ओ॰ई॰सी॰एफ॰) के एकतरफा निर्णय से इस संबंध में गतिरोध आया।

(ङ) इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राज्य में और इस मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर सभी संबंधितों के साथ कुछ बैठकें की गई थीं।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आर सी एन सी ए) की एक बैठक 13 नवम्बर, 1996 को हुई थी। तदनुसार, सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के लिए टी जी सेट्स के आपूर्तिकर्ता, मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन, जापान के साथ बातचीत करने के लिए इस मंत्रालय ने पहले ही वार्ताकार दल का गठन कर दिया है।

[हिन्दी]

दंत चिकित्सकों का सम्मेलन

2264. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष चंडीगढ़ में दंत चिकित्सकों का सम्मेलन हुआ था जिसमें विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत में बने किसी भी टूथपेस्ट में मसूड़ों की रक्षा करने की गुणवत्ता नहीं है और पेस्ट और जल में कोई अन्तर नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच की है अथवा जांच करायेगी; और

(म) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एक समाचार पत्र की रिपार्ट के अनुसार दन्त चिकित्सा विशेषज्ञों का सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न ब्रांडों के टूथपेस्ट के मुख्य विज्ञापनों और उनके बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावों का जिक्र किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को यह सलाह देने के उपाय किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां अपने लेबलों पर अपने उत्पादकों के संबंध में प्रभावकारिता से संबंधित गुमराह करने वाले और बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावों का उल्लेख न हो विशेष रूप से, यदि उनमें कोई कीटाणु नाशक एजेंट न हों अथवा उत्पादों को तैयार करने में फ्लोराइड की कमी अथवा मसूढों को मजबूत बनाने का ध्यान न रखा गया हो। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य लाइसेंसिंग (प्रवर्तन) प्राधिकारियों द्वारा उन चूककर्ताओं के विरूद्ध जो विज्ञापन/दावे के विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं। उपयुक्त कार्रवाई करनी होती है और बाद में विनिर्माता द्वारा दिए गए विज्ञापन में उल्लिखित वास्तविकता को जानने के लिए विभिन्न ब्रांडों के टूथपेस्टो के दावों की विज्ञानी जांच करनी होती है।

[अनुवाद]

कावेरी विवाद

2265. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी के तट पर बसे राज्य कावेरी विवाद से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में अपने-अपने आंकड़ों की सूचना एक-दूसरे को प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण को समाप्त करने का कोई विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

28.1.97 को अधिकरण की सुनवाई के दौरान पक्षकार राज्यों और संघ शामिल क्षेत्र पांडिचेरी की ओर से एक समान सुझाव यह दिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित विभिन्न राज्यों को आंकड़ों/सूचना का आदान-प्रदान करने तथा जहां तक अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के परियोजना क्षेत्र और बेसिन क्षेत्रों का संबंध है, एक राज्य के एडवोकेट, इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल, बेसिन क्षेत्रों (बेसिन-पार क्षेत्रों सहित) का निरीक्षण कराए जाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अंततः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की ओर से एक संयुक्त बयान ज्ञापन दिया गया है जिसमें निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया गया है :-

1. कि "समान फारमेट" के अंतर्गत सूचना वर्ष 1995-96 के अंत तक अद्यतन कर दी जाएगी।
2. कि पक्षकार राज्य निम्नलिखित पर आंकड़ों/सूचना का आदान-प्रदान करेंगे :

   (क) आपसी स्वीकृत केंद्रों के संबंध में दैनिक वर्षा;

(ख) बेसिन में सभी वृहद जलाशयों के संबंध में दैनिक इनफ्लो और आऊटफ्लो (स्तर और भंडारण सहित)

(ग) बेसिन में वृहद और मझौली जलाशय खोलने और बंद करने की तारीख;

(घ) वर्ष 1996-97 के मौसम के बाद से वृहद, मझौली और डायवरशन स्कीमों के अंतर्गत अयाकट को सिंचाई के लिए जाना;

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए ट्रान्स बेसिन डायवरशन पर सभी संबंधित पहलुओं, स्थान तथा मात्रा के संबंध में आंकड़ें;

3. कि पक्षकार राज्य किसी अन्य पक्षकार राज्य द्वारा अनुरोध करने पर प्रलेख, प्रकाशन आदि जो विवाद के निर्णय से संबंधित और आवश्यक हैं, उपयुक्त समय के भीतर उपलब्ध कराएगा।

4. कि किसी पक्षकार राज्य द्वारा पहले ही मांगे गए प्रलेख दो सप्ताह के भीतर भेज दिए जाएंगे।

5. कि पक्षकार राज्य, अनुरोध प्राप्त होने पर चार सप्ताह पूर्व सूचना पर किसी अन्य पक्षकार राज्य के एडवोकेट, इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों को परियोजना स्थल और बेसिन क्षेत्रों ट्रांस बेसिन क्षेत्रों के निरीक्षण की अनुमति देंगे।

[हिन्दी]

गंबियर के प्रयोग पर प्रतिबंध

2266. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पान मसाला में गंबियर का प्रयोग मुख कैंसर का कारण है चूंकि कानपुर में अनेक चमड़ा शोधक उद्योग होने के कारण कानपुर में ल्यूकोपलेकिया तथा सबम्यूकस फिबरोसिस के मामले देश के अन्य भागों की तुलना में पांच गुणा ज्यादा हैं तथा यह मसाला निर्माताओं को वहां आसानी से उपलब्ध हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) यह बताने के लिए कोई जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि पान मसाला में गंबियर के इस्तेमाल से कानपुर में मुख का कैंसर होता है अथवा इससे देश के अन्य भागों के मुकाबले कानपुर में ल्सूकोप्लाकिया और सबम्यूकस किबरोसिस में पांच गुना वृद्धि हुई है।

रोगियों का उपचार

2267. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाहर से आने वाले रोगियों का समुचित उपचार नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ये लोग शिकायतें लेकर संसद सदस्यों के पास जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने संसद सदस्यों ने इस संबंध में सरकार को शिकायतें भेजी हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी चिकित्सक या अधिकारी को दण्डित किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अस्पताल के प्राधिकारी रोगियों के निवास स्थान को ध्यान में न रखते हुए यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं कि सभी रोगियों को उचित उपचार प्रदान किया जाए।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से 5 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 4 शिकायतों पर फैसला लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

निजी अस्पतालों को मान्यता

2268. श्री प्रमोद महाजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 9 दिसम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी॰जी॰एच॰एस॰ लाभभोगियों, मुम्बई में किसी निजी अस्पताल और रोग निदान केन्द्रों को जो विशेष उपचार की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, के लाभ के लिए मान्यता दी है, यदि हां, तो प्रत्येक अस्पताल आदि में प्रक्रिया और प्रभारों सहित उनके नाम और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का मुम्बई तथा अन्य महानगरों में सी॰जी॰एच॰एस॰ लाभभोगियों के लिए ऐसे निजी अस्पतालों आदि को कब तक मान्यता देने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) इस समय मुम्बई में के॰स॰स्वा॰यो॰ लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित प्राईवेट अस्पतालों को मान्यता दी गई है :-

1. बम्बई अस्पताल
2. डा॰ बी॰ नानावती अस्पताल

3. एन॰ वाडिया अस्पताल
4. राधीबाई वाटूमूल वक्ष अस्पताल
5. बाल विकलांग अस्पताल
6. टाटा मेमोरियल अस्पताल

तथापि के॰स॰स्वा॰यो॰ बम्बई के अधीन और प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देने का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही आदेश जारी होने की संभावना है।

देश में महिलाओं की स्थिति

2269. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा प्रस्ताव लाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) चालू स्कीमों के अलावा भारत सरकार ने महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता हेतु राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। उसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति 1996

(प्रारूप)

प्रस्तावना

भारत के संविधान की प्रस्तावना; मौलिक अधिकारों; मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में महिला-पुरुष समानता के सिद्धांत निहित हैं।

प्रजातांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत हमारे कानूनों; विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रगति रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के बाद से महिलाओं के कल्याण से उनके विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में महिलाओं को शक्ति-सम्पन्नता को उनकी स्थिति के निर्धारण हेतु एक केन्द्रीय मुद्दा माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके की गई ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारत के संविधान में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन (1993) ने स्थानीय निकायों; पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला सदस्यों को सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराया है; जिससे स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने में उनको प्रतियोगिता के लिए एक मजबूत नींव रखी गयी है।

भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संशोधनों और मानवाधिकार दस्तावेजों की अभिपुष्टि की है जिनमें महिलाओं के बयान अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इनमें से सबसे प्रमुख है महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेशन की 1993 में अभिपुष्टि।

मैक्सिको कार्य योजना (1975); नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्टेटजोज (1985); बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई मंच (1995) पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भारत द्वारा उनका समर्थन किया गया है।

महिलाओं को शक्ति-सम्पन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति महिला आन्दोलन; जिसका महिलाओं के मामले से सम्बद्ध गहरी पैठ रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों का एक व्यापक तंत्र है; द्वारा महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं।

तथापि, एक तरफ संविधान में निरूपित लक्ष्यों; कानूनों; नीतियों, आयोजनाओं, कार्यक्रमों और संबंधित कार्यविधियों और दूसरी तरफ भारत में महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता में काफी अन्तर है। इस बात का भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट "समानता की ओर" (1974), में विशद विश्लेषण किया गया है और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980-2000) और श्रमशक्ति रिपोर्ट (1988) में इन पर प्रकाश डाला गया है।

महिला-पुरुष असमानता स्वयं स्वतः विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। सबसे प्रकमट रूप में इसका एक उदाहरण लगातार कुछ दशकों के जनसंख्या में महिला का गिरता हुआ अनुपात है। सामाजिक परम्पराएं और घरेलू तथा सामाजिक स्तर पर हिंसा जैसे कुछ अन्य प्रभाव है। बालिकाओं, किशोर लड़कियों, और महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी विद्यमान है।

फलस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों, अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और इनसे संबंधित निदेशों का लाभ उठाने के अवसर पुरुषों की तुलना में अपर्याप्त हैं। अब वे प्रायः सीमान्त स्थिति में, गरीब तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत रहती है।

इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए और संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, अनुसंधानकर्त्ताओं, और अन्य विशेषज्ञों से हुए विचार-विमर्शों के पश्चात् यह राष्ट्रीय नीति बनाई गई है।

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और शक्तिसम्पन्नता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सामाजिक रवैये में परिवर्तन करके और महिला पुरुष के बीच सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के द्वारा, महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करके, महिलाओं की सैद्धान्तिक

समानता को वास्तविक समानता में बदलकर और जहां आवश्यक हो, सकारात्मक कार्रवाई के जरिए की जानी है।

सामाजिक समन्वय स्थापित करने के प्रयासों के रूप में महिलाओं की गरिमा तथा सम्मान को पुनः स्थापित करने वाली भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं को सकारात्मक विशेषताओं को दोहराया, महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में अपने-अपने सामाजिक दायित्वों की जानकारी दी जायेगी। इन कार्यक्रमों से प्रगतिशील मूल्यों के संवर्द्धक के रूप में उनकी भूमिका और मानवता के प्रति सम्मान पर बल दिया जायेगा।

नीति का व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नागरिक समाज के सभी हिस्सों में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

2-मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं

महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का वास्तविक प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जायेगा। इस तथ्य के अनुरूप, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ नियम और व्यवहार में किसी भी प्रकार के भेदभाव को अनुमति नहीं दी जायेगी।

3-महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का उन्मूलन

महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा चाहे शारीरिक और मानसिक हो, चाहे घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर की जाती हो, विशेष रूप से उनका शोषण और हिंसा जिसमें रीति-रिवाजों, परम्पराओं और प्रथाओं के माध्यम से हिंसा भी शामिल है, का उन्मूलन किया जायेगा। हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास हेतु सहायता के लिए तंत्र तैयार/सुदृढ़ किये जायेंगे। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उन्मूलन और इस प्रकार की हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी संस्थाओं और तंत्रों को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

4-महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार देना

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि महिलाएं पुरुषों के समान मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता में सभी क्षेत्रों - राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक आदि में समानता की हकदार है, महिलाओं के साथ कानून में अथवा व्यवहार में किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए शिक्षा के सभी स्तरों, जीविका तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सार्वजनिक कार्यालय आदि में समान अधिकार सुनिश्चित किए जायेंगे।

5-महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन

बालिकाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन को कठोर उपाय जिनमें दण्डात्मक उपाय भी शामिल हैं, अपनाकर समाप्त किया जाएगा। इन उपायों में जन्म से पूर्व लिंग चयन तथा बालिका-भ्रूण-हत्या, बाल विवाह, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बाल वेश्याएं संबंधी कानूनों का कड़ाई से अनुपालन शामिल है। परिवार तथा परिवार के बाहर बालिका के साथ व्यवहार में समानता तथा बालिकाओं की सकारात्मक रुचि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। बालिकाओं की आवश्यकताओं जैसे भोजन तथा पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, पर विशेष बल दिया जायेगा एवं पर्याप्त निवेश किया जायेगा। बाल श्रम उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समय बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6-महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता

महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए सकारात्मक कार्रवाई और विचारात्मक उपाय साथ-साथ किये जायेंगे। महिलाओं को संपूर्ण रूप से पूरे समानाधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में शक्ति सम्पन्नता लाने वाले कारकों तक पहुंच और नियंत्रण को उपलब्ध कराया जायेगा, विशेषशकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना, आत्म विकास हेतु जीवन पर्यन्त शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, रोजगार, प्रयोत्पादन के अवसर, तकनीकी सेवा, भूमि तथा अन्य सम्पत्तियां, विरासत तथा विवाह संबंध से मिलने वाली सम्पत्तियों सहित, सामान्य सम्पत्ति संसाधन, ऋण प्रौद्योगिकी तथा विपणन आदि।

7-निर्णय लेने में महिलाएं

शक्तिसम्पन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों तथा सभी प्रक्रियाओं, जिनमें राजनैतिक निर्णय भी शामिल है, शक्तियों के समान उपयोग तथा निर्णय में महिलाओं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया जायेगा। सभी स्तरों पर निकायों में, निर्णय निर्माण में महिलाओं की पूरी प्रतिभागिता समान रूप से उपलब्ध कराये जाने की गारन्टी के लिए सभी कदम उठाए जायेंगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, विधान सभाओं, कार्यकारी, न्यायिक, स्थानीय निगमों, सांविधिक निकायों और परामर्शदात्री आयोगों समितियों, बोर्डों, न्यासों, आदि से सहभागिता होगी। सकारात्मक कार्रवाई, यथा उच्च विधायी निकायों में आरक्षण/कोटे पर जब भी आवश्यक हो, समय पर आधार पर विचार किया जाएगा।

8-महिलाएं तथा विकास प्रक्रिया

नीतियां, कार्यक्रम तथा पद्धतियां इस प्रकार बनाई जायेंगी जिनसे सभी विकास प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक, भागीदार तथा लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का समय-समय पर आकलन करने के लिए समन्वयन एवं प्रबोधन तन्त्र की स्थापना की जाएगी। परिणाम-स्वरूप महिलाओं में संबंधित मामलों तथा मुद्दों

को संबंधित नियमों, क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं तथा कार्यवाही कार्यक्रमों में परिलक्षित किया जाएगा।

9–महिलाओं से संबंधित मामलों के प्रति संचेतना

समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए तथा भली–भांति वित्तपोषित कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाएगा। सभी सरकारी और गैर–सरकारी विकास अभिकरणों में राज्य कार्यकारणी, विधायिका तथा न्यायिक स्कन्धों के कार्यकर्त्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यक्रम चरणबद्ध पद्धति के होंगे, जो कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में सभी चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समेकन के एक हिस्से के रूप में चलाए जायेंगे।

10–महिलाएं तथा जन–प्रचार

प्रचार–माध्यमों का उपयोग महिलाओं तथा लड़कियों की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा। यह महिलाओं की हीन, अप्रतिष्ठित, और नकारात्मक परम्परागत, रूढिगत छवि और महिलाओं पर अत्याचारों का उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। विधान, प्रचार नीतियों तथा नियतन तन्त्र, जिसमें आचरण संहिता आदि भी शामिल है, का इन पहलुओं को उजागर करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

11–निर्धनता उन्मूलन तथा महिलाओं को बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराना।

11.1 निर्धनता उन्मूलन

चूंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों में अधिकांश महिलाएं ही हैं तथा प्रायः वे अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में जीवन व्यतीत करती हैं, उन्हें कठोर घरेलू परिस्थितियां तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, अतः इस वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियां तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महिलाओं के लिए पहले से चलाए जा रहे अथवा महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्यों वाले कार्यक्रमों को और अधिक कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। नए कार्यक्रम इस बात को लक्ष्य करके बनाए जायेंगे कि वे निर्धन महिलाओं को आर्थिक विकल्प के साथ–साथ समर्थन सेवाएं प्रदान करके संगठित कर सकें ताकि उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके।

11.2 धोवन सुरक्षा

महिलाओं को पोषाहारीय तथा घरेलू आवश्यकताओं की सन्तोषजनक ढंग से पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। लड़कियों के साथ–साथ महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू भेदभाव को भी उपयुक्त पद्धतियों को अपना कर समाप्त किया जाएगा। पद्धति को आयोजना, पर्यवेक्षण तथा सुपुर्दगी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

11.3 आवास तथा प्रश्रय

ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियां, आवास कालोनियां तथा प्रश्रय उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं से संबंधित विषयों को शामिल किया जाएगा। एकल महिलाओं, परिवार की मुखिया महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षणार्थियों सहित महिलाओं के लिए पर्याप्त और सुरक्षित आवास प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह होस्टलों, शयनगारों, अल्पवास गृहों तथा आवास कालोनियों और कस्बों में आरक्षण के रूप में विशेष सुविधाओं के रूप में होगा।

11.4 शिक्षा

महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित किए जायेंगे। भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, निरक्षरता का उन्मूलन करने, लिंग संचेतना, शिक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उपाय किए जायेंगे। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना तथा बालिकाओं की शिक्षा जारी रखना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना, ताकि जीवन पर्यन्त शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं के व्यावसायिक/तकनीकी कौशल का विकास हो। मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त किए जायेंगे जिनमें लड़कियों तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

11.5 स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा उनके सम्पूर्ण जीवन एवं आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें पोषाहार, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रजनन काल और वृद्धावस्था में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं। बालिकाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय सामयिक लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।

11.6 महिलाएं तथा अर्थव्यवस्था

वृहत् आर्थिक और सामाजिक नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में महिलाओं की प्रतिभागिता को संस्थागत बनाकर उनके परिप्रेक्ष्यों को उसमें शामिल किया जाएगा।

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास में उत्पादकों तथा कर्मियों के रूप में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान की जाएगी और रोजगार तथा अन्य कार्य परिस्थितियों से संबंधित उपयुक्त नीतियां तैयार की जायेंगी।

उत्पादकों तथा कर्मियों के रूप में महिलाओं के योगदान को परिलक्षित करने के लिए, जहां आवश्यक होगा, जैसे कि गणना रिकार्डों में पारम्परिक संरचनाओं का पुनर्विवेचन और उन्हें पुनर्भारत किया जाएगा।

महिलाओं के कार्य को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय सेवाओं के अनुरूप सरकार द्वारा उपलेखे तैयार किए जाएंगे। यह कार्य उपयुक्त कार्यनिधि का विकास करके किया जायेगा।

11.7 समर्थन सेवाएं

महिलाओं के लिए समर्थन सेवाएं यथा-बाल देखभाल सुविधाएं जिनमें कार्यस्थलों तथा शैक्षिणिक संस्थानों में शिशुगृह बनाना तथा वृद्ध एवं विकलांगों के लिए गृह शामिल हैं, का विस्तार और सुधार किया जायेगा, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके अनुरूप कार्मिक नीतियां भी तैयार की जायेंगी ताकि महिलाएं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

11.8 पेयजल और स्वच्छता

घर के निकट सुरक्षित पेयजल, मल-जल निपटान शौचालयों की व्यवस्था के संबंध में महिलाओं के आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन सेवाओं को आयोजना, प्रदाय तथा अनुरक्षण में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

12- महिलाएं और पर्यावरण

पारि-प्रणाली प्रबन्धन के कार्यक्रमों और नीतियों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उनके परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जायेगा। महिलाओं की आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव तथा परिवार में श्रम वितरण तथा समय को ध्यान में रखते हुए चारा तथा ईंधन एकत्रित करने के संबंध में पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण अवक्रमण नियंत्रण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

13- महिलाएं तथा विज्ञान

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि विज्ञान तथा तकनीकी निवेश वाली विकास परियोजनाओं में महिलाओं को पूर्वरूपेण शामिल किया जाएगा। वैज्ञानिक रूचि, जागृति विकसित करने के प्रयास भी किये जायेंगे।

14- विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताएं

महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों तथा विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें विशेष सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपाय तथा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन ग्रुपों में अत्यधिक निर्धन, विषम परिस्थितियों में रहने वाली, कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाली, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा, वृद्ध महिलाएं, विकट परिस्थितियों में रहने वाली एकल महिलाएं, परिवार की मुखिया महिलाएं, रोजगार से हटा दी गई, प्रवासी तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत और वंश्याएं शामिल हैं।

15- संसाधन

महिलाओं के विकास एवं उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाने के लिए मौजूदा संस्थानों/तंत्रों को सुदृढ़ बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जायेंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला कार्यक्रमों के बजट में वृद्धि की जाएगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों के बजटों में महिलाओं के लिए अलग राशि रखी जाएगी।

बुनियादी स्तर पर बैंकिंग, वित्तीय संसाधनों, निगमित निकायों और सामुदायिक संगठनों से राशि का आबंटन तथा सम्बद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए संसाधन संग्रहण की सहक्रियात्मक कार्यविधि तैयार की जाएगी।

16- गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण, कार्यान्वयन, प्रबोधन और समीक्षा में स्वैच्छिक संगठनों, एसोसिएशनों, सघों, व्यापार संघों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों के साथ-साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें उपयुक्त संसाधन और क्षमता निर्माण सहायता मुहैया कराई जाएगी और महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने की सुविधा दी जायेगी। महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

17- जैण्डर विकास संसूचक

महिलाओं की दृष्टि से न्यायोचित कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबोधन, समीक्षा और कानूनों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सियों के साथ नेटवर्किंग करके जैण्डर विकास संसूचक तैयार किये जायेंगे जो विशेष रूप से तैयार मापदण्ड के आधार पर होंगे।

18- महिला-पुरुष पृथक-पृथक आंकड़े

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं के सभी मूल आंकड़ा संग्रहण अभिकरणों द्वारा महिलाओं और पुरुषों के संबंध में नियमित आधार पर अलग-अलग आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित किये जायेंगे। इन अभिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंकड़े और सूचना अन्तराल को भी भरा जाएगा, जिनमें महिलाओं की स्थिति परिलक्षित होती है।

सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/निगम तथा वित्तीय संस्थाएं महिलाओं तथा पुरुषों के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करेंगे, उनका अनुरक्षण और प्रकाशन करेंगी।

19- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अनुभवों, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, संस्थाओं और संगठनों के साथ्ा नेटवर्किंग तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए अन्तर्राष्ट्रय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन जारी रहेगा।

भाग-II

कार्यनीतियां और कार्यवाही बिन्दु

1. आधारभूत स्तर

आधारभूत स्तर पर, महिलाओं को सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों के जरिये आंगनवाडी, गांव/कस्बा स्तर पर स्वसहायता ग्रुपों में एकत्रित किया जाएगा। आधारभूत स्तर पर कार्यरत महिला ग्रुप तथा महिला संगठनों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। इन संक्षिप्त ग्रुपों को संस्थागत बनाने एवं पंजीकृत सोसाइटियों में परिवर्तित करने तथा पंचायत/निगम स्तर पर संगठित करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी। ये सोसाइटियां सभी सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी चैनलों, जिनमें बैंक तथा वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगी तथा पंचायतों, नगरपालिकाओं के साथ सहयोग स्थापित करेंगी।

2. जिला तथा उप-जिला स्तर

जिला तथा उप-जिला स्तरों पर, मौजूदा एजेन्सियों, जिला परिषदों/जिला ग्राम विकास एजेन्सियों/निगम निकायों की सेवाएं महिला विकास ग्रुपों को उपलब्ध कराई जायेंगी और महिलाओं के विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराने तथा समन्वय के लिए उनका उपयोग किया जायेगा।

3. राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर

3.1 महिलाओं को शक्ति-सम्पन्न बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्र तथा जिला स्तर पर परिषद होगी। ये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परिषदें व्यापक नीति परामर्श, निर्देश एवं दिशा-निर्देश देंगी तथा नीति के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से नजर रखेगी। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी होंगे तथा राज्य परिषदों के अध्यक्ष मुख्य मंत्री होंगे। इन परिषदों का गठन व्यापक आधार पर किया जाएगा, जिनमें संबंधित विभाग मंत्रालयों, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्डों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठन, नियमित क्षेत्र, व्यापार संघों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद, विशेषज्ञः तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि शामिल होंगे।

3.2 सभी केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें, केन्द्रीय/राज्य महिला एवं बाल विकास विभागों के परामर्श से नीति को ठोस कार्रवाई में परिवर्तित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करेंगे। इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे :-

3-2.1 शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार और आयोत्यापक, स्वास्थ्य, सभी संवर्धन सेवाओं, जैण्डर संचेतना कार्यक्रमों और सूचना प्रसार इत्यादि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता लघु अवधि तथा दीर्घावधि से संबंधित प्राथमिकताएं निर्धारित करने के पश्चात्।

3-2.2 नीति के अधिदेशों, कार्यनीतियों और कार्रवाई बिन्दुओं की प्राप्ति के लिए समय सीमा।

3-2.3 कार्रवाई बिन्दुओं के कार्यान्वयन हेतु दायित्व का निर्धारण।

3-2.4 कार्रवाई बिन्दुओं का कुशल कार्यान्वयन, प्रबोधन और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनाएं और तंत्र।

3-3 महिलाओं संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केन्द्र/राज्य का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने-अपने कार्यक्रमों/गतिविधियों में उत्प्रेरकों, भागीदारों और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की समान भागीदारी का प्रावधान करेगा।

3-4 राष्ट्रीय विकास परिषद महिलाओं और पुरुषों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ों के आधार पर सभी विकास कार्यक्रमों और लक्ष्यों की समीक्षा करेगी और योजना आयोग की सहायता से महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यक्रमों हेतु राशि सुनिश्चित करेगी।

3-5 योजना आयोग/राज्य योजना बोर्ड/आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र और राज्य सरकारें महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषाहार क्रिया, आवास, जल, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्रशिक्षण, कौशल विकास और कृषि उद्योगों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार/आयोत्पादक के सभी क्षेत्रों में अलग-अलग विशिष्ट वास्तविक और वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी।

3-6 केन्द्र/राज्य में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वायत्त संगठनों तथा उनके अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के माध्यम से निष्पादित उनकी अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं को, जिनमें महिलाओं के वंचित वर्ग भी शामिल हैं, वास्तविक और वित्तीय अर्थों में समान लाभ सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में हर वर्ष संसद/राज्य विधान सभाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3-7 सभी क्षेत्रों और सभी श्रेणियों में महिलाओं के अधिकार, संसाधनों पर समान नियंत्रण और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को पूरी और समान मांगों हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :-

3-7.1 सभी मौजूदा कानूनों, जिनमें वैयक्तिक, पारम्परिक और आदिवासी नियम, अधीनस्थ विधान, संबंधित नियम तथा कार्यकारी और प्रश्नबोधक विनियम भी शामिल हैं, की राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग से परामर्श के साथ समीक्षा की जाएगी।

3-7.2 सभी नए नियम, जिनमें अधीनस्थ विधान, संबंधित नियम तथा कार्यकारी और प्रशासनिक विनियम शामिल है, महिला परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जायेंगे।

3-7.3 सभी मौजूदा नीतियां, जिनमें क्षेत्रीय नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं, की समीक्षा की जायेगी।

3-7.4 सभी नई नीतियां, जिनमें क्षेत्रीय नीतिया, योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है, महिला परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनायी जायेंगी।

3-8 महिलाओं के विकास, उन्नति तथा शक्ति सम्पन्नता की सभी क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव की संसद तथा विधान सभाओं में उपयुक्त तंत्र और संरचना के सृजन द्वारा यहां समीक्षा की जाएगी।

महिलाओं के संबंध में क्षेत्रीय नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उनके प्रबोधन के लिए पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में उपयुक्त संरचनाओं और प्रक्रियाओं का सृजन किया जायेगा।

3-9 हिंसा और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी संबंधित कानूनी उपबंधों के कड़े अनुपालन और शिकायतों के शीघ्र निपटान द्वारा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जाएंगे।

3-10 महिलाओं के साथ अत्याचारों, घटनाओं, निवारण, जांच, पता लगाने और मुकदमा चलाने के संबंध में सभी अपराध समीक्षा मंचों तथा केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सम्मेलनों में तथा गृह मंत्रालय/विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

3-11 लड़कियों और महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचारों से संबंधित कानूनी कार्रवाई, मामलों के पंजीकरण और जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए मान्यता प्रापत स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को शिकायतें दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

3-12 महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अत्याचारों के उन्मूलन के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला शैलों, समस्त महिला पुलिस स्टेशनों, परिवार न्यायालयों, परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायता केन्द्रों और न्याय पंचायतों को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा।

3-13 विशेष रूप से तैयार किए गए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों और अधिकार सूचना कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य अधिकारों के सभी पहलुओं पर सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा। कानूनी साक्षरता को स्कूलों और कालेजों की शैक्षिक पाठ्यचर्या में शामिल किया जायेगा।

3-14 बाल अधिकार सम्मेलन तथा दक्षकीय राष्ट्रीय/राज्य बाल कार्य योजनाओं के अनुरूप बालिकाओं तथा किशोरियों के हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय किए जायेंगे।

3-15 सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के निकायों में, जिनमें विधि निर्माण निकाय भी शामिल है, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक भागीदारी एवं उनके द्वारा सक्रिय रूप से शक्तियों के उपयोग को कारगर बनाने के लिए आरक्षण तथा कोटा निर्धारित करके सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3-16 महिला संचेतना कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

3-16.1 नीति और कार्यक्रम बनाने वालों, कार्यान्वयन और विकास एजेंसियों, विधि प्रवर्तन तंत्र तथा न्यायपालिका, गैर-सरकारी संगठनों पर विशेष बल देते हुए राष्ट्र की कार्यकारिणी, विधायिका और न्याय पालिका के कार्मिकों का प्रशिक्षण।

3-16.2 महिलाओं के मानवाधिकारों और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में समाज को जानकारी।

3-16.3 महिलाओं के मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों को शैक्षिक सामग्री और पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए उनकी समीक्षा।

3-16.4 सभी सार्वजनिक दस्तावेजों और कानूनी किताबों में महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल संबंधों को हटाना।

3-16.5 महिलाओं की समानता और शक्ति सम्पन्नता से संबंधित सामाजिक संदेशों के प्रचार हेतु विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों का प्रयोग।

3-17 जन संचार माध्यमों द्वारा महिलाओं को सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले कानूनों और संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, ताकि महिलाओं को उपयोग को वस्तु बनाने तथा उनकी हीन छवि प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर कारगर ढंग से रोक लगाई जा सके। महिलाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त उपयों पर विचार किया जाएगा।

3-18 यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सभी समर्थन सेवाएं, पेयजल तथा साफ-सफाई उपलब्ध कराई जाएगी, क्षेत्रीय नीतियों की समीक्षा की जाएगी तथा उनमें उपयुक्त संशोधन किए जायेंगे।

3-19 बालिकाओं तथा महिलाओं के पोषाहारीय स्तर में सुधार करने के लिए तथा उन्हें भोजन मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए संचेतना जागृति तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा।

3-20 महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के कार्य तथा ईंधन और चारा एकत्र करने से संबंधित सामान्य सम्पत्ति संसाधनों के प्रबन्धन कार्य में सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाएगा ताकि उन संसाधनों का अधिकतम एवं उपयुक्त उपयोग किया जा सके।

3-21 महिला कर्मियों के लिए संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। समान पारिश्रमिक अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे संबंधित कानूनों का कड़ाई से

अनुपालन किया जाएगा। महिलाओं के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए उनके कार्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा सभी श्रमिक कानूनों की महिलाओं के हित में समीक्षा की जाएगी।

3-22 प्रौद्योगिकी प्रबंधन से संबंधित कीमतों का ज्ञान महिलाओं को उपयुक्त कार्यक्रमों, सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमों से दिया जाएगा ताकि वे विकास परियोजनाओं के मार्फत उपलब्ध कराई जाने वाली संरचना/सेवाएं, जैसे पेयजल, सिंचाई, गैर-पारम्परिक ऊर्जा-स्रोतों के प्रावधान आदि का कारगर रूप से उपयोग कर सकें।

3-23 महिलाओं की स्थिति में हुई प्रगति की हर पांच वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी। ये समीक्षाएं एक वस्तु-परक मापदण्ड तथा अण्डर विकास संसूचक के आधार पर की जायेगी तथा इनमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर महिलाओं को स्थिति के संबंध में रूपरेखाएं होंगी। ये समीक्षाएं पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ की जायेगी। समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर पांच वर्ष से पहले भी मूल्यांकन किया जा सकता है।

3-24 संबंधित महिला विकास संसूचकों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए एक परीक्षा और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किये जायेंगे तथा उनसे सूचना का व्यापक प्रसार किया जायेगा।

3-25 राष्ट्रीय और राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिन्हें सृजन संग्रहण, प्रचार, अनुसंधान कार्य करने, सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण देने तथा जागरूकता विकास कार्यक्रमों आदि का कार्य सौपा जायेगा। उपयुक्त सूचना तंत्र प्रणालियों के माध्यम से इन केन्द्रों को महिला अध्ययन केन्द्र तथा अन्य अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा।

3-26 महिलाओं की उन्नति के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर मौजूदा संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। सुदृढ़ीकरण का यह कार्य महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता की प्राप्ति हेतु अन्य चीजों के साथ-साथ पर्याप्त संसाधनों, कर्मचारी प्रशिक्षण और समर्थन कौशल के प्रावधान से संबंधित उपयुक्त उपायों के माध्यम से किया जायेगा, जिससे वृहत नीतियों, विधानों और कार्यक्रमों आदि को कारगार तरीके से प्रभावित किया जा सकेगा।

विकलांग व्यक्ति

2270. श्री किशन लाल दिलेर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन व्यक्तियों के पुनर्वास, आधारभूत सुविधाओं शिक्षा, रोजगार प्रदान कराने और इनमें जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय के बजट से कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) प्रति व्यक्ति दी गई राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राष्ट्रीय नमूना : सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में दृष्टि, वाक, श्रवण और लोकोमोटर अपंगता से ग्रस्त 16.15 मिलियन अपंग व्यक्ति हैं। इस सर्वेक्षण में मानसिक विकलांगता को शामिल नहीं किया गया। तथापि, देश में मानसिक विकलांगता वाली जनसंख्या का जायजा लेने हेतु किए गए अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त हैं।

(ख) कल्याण मंत्रालय (जो इस संबंध में नोडल मंत्रालय है) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अपंग व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अधीन चालू वित्तीय वर्ष के लिए 65.11 करोड़ रुपये (प्लान के अधीन 45.90 करोड़ रुपये और नॉन प्लान के अधीन 19.21 करोड़ रुपये) की रकम प्रदान की गई है।

(ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या के सही अनुमान न होने के कारण प्रति व्यक्ति रकम का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन को सहायता

2271. प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य को अब तक उपलब्ध कराई गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए धनराशि

2272. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के आयोजन से राज्य अथवा देश को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रतियोगिता की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है; और

(घ) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) 23 नवम्बर, 1996 को बंगलौर में आयोजित विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता नहीं दी।

(ग) जी, हां। सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने अनेक कारणों से इस समारोह का विरोध किया था। उनका कहना था कि महिलाओं को पण्य वस्तु माना जा रहा है और इससे भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा।

(घ) सरकार समाज के सभी वर्गों के अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वीकार करती है।

चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र

2273. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन ने भारत के कुल कितने भूभाग पर कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को भारत का अंग नहीं मानता है; और

(ग) चीन से अपने भूभाग को वापस लेने के संबंध में भारत की क्या नीति है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जम्मू और कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि॰मी॰ का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के अन्तर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लगभग 5120 वर्ग कि॰मी॰ भारतीय क्षेत्र चीन के सुपुर्द कर दिया।

(ख) चीन की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र के एक बड़े भाग पर अपना दावा किया है। वे सिक्किम को भारत के एक अंग के रूप में औपचारिक मान्यता देने में भी परहेज करते रहे हैं।

(ग) दोनों पक्ष सीमा संबंधी प्रश्न के निष्पक्ष औचित्यपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों देश सीमा प्रश्न पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल और भारत-चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा के भीतर बातचीत कर रहे हैं। 1993 में हस्ताक्षरित सीमा शांति तथा अमन अनुरक्षण करार और नवम्बर 1996 में हस्ताक्षरित विश्वासोत्पादक उपाय सीमाक्षेत्र में शांति और अमन बनाए रखने में योगदान देंगे।

समन्वित बाल विकास योजना

2274. श्री के॰ सी॰ कोंड्डया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कर्नाटक में समन्वित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में उपरोक्त योजना के अंतर्गत क्रय के मामले में बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग किए जाने की बात आई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और,

(घ) क्या सरकार का विचार इसे जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 2874.87 लाख रुपये, 4153.54 लाख रुपये और 1400.73 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की।

(क) और (ग) जी, नहीं। समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार सिर्फ समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत ही राज्यों को धनराशि निर्मुक्त करती है। इसमें मुख्य रूप से परियोजना के कर्मचारियों का वेतन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को मानदेय, पैट्रोल, तेल और स्नेहकों तथा आंगनवाड़ी/बाल विकास परियोजना अधिकारी भवनों के किराये पर होने वाले व्यय शामिल होते हैं। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत केन्द्र सरकार की निधीयन पद्धति ही इस प्रकार की है कि खरीद आदि के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि का राज्यों द्वारा दुरुपयोग किये जाने की गुंजाइश ही शेष नहीं रहती।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यापकों के लिए कार्य दशा

2275. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की कार्य दशा का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कैसे हुआ तथा इसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित सदस्यों का एक कार्यदल गठित किया है :

1. प्रो॰ ए॰के॰ शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद — अध्यक्ष
2. प्रो॰ बी॰के॰ पस्सी, उपाध्यक्ष-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई) — सदस्य
3. प्रो॰ बी॰ पी॰ खण्डेलवाल अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (सी॰बी॰एस॰ई॰) — सदस्य
4. प्रो॰ जी॰एल॰ अरोड़ा प्रधान, शिक्षा विभाग, एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ — सदस्य-सचिव
5. प्रो॰ पी॰एच॰एस॰ राव, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय — विशेष आमंत्रित

कार्यदल निजी स्कूलों के कार्यकरण का अध्ययन करेगा और निम्नलिखित विकसित करेगा :—

1. माडल कोड
   (क) शिक्षकों की सेवा शर्तों और अन्य संबद्ध मामलों के लिए
   (ख) निजी स्कूलों के प्रशासन एवं दाखिला नीति में पारदर्शिता के लिए
2. शिकायतों के निपटान एवं संभावित दंडात्मक तरीके से संबद्ध तंत्र का विकास कार्यदल अपनी रिपोर्ट मार्च, 1997 के अंत तक प्रस्तुत कर देने की योजना बना रहा है।

नई रक्षा नीति

2276. डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गोआ में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें उपस्थित भारतीय रक्षा सेवा के पूर्व सदस्यों ने देश में रक्षा संबंधी तैयारी पर चिन्ता प्रकट की है और एक नई रक्षा नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन-किन लोगों ने भाग लिया:

(ग) इस गोष्ठी के क्या निष्कर्ष रहे और क्या सरकार को इसकी सूचना भेजी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) सरकार ने नीति अनुसंधान केन्द्र, जो एक स्वायत्त निकाय है, द्वारा जनवरी, 1997 के मध्य में गोवा में आयोजित एक संगोष्ठी के संबंध में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को देखा है। सरकार को संगोष्ठी के निष्कर्षों से अवगत नहीं कराया गया है।

[हिन्दी]

गरीबी के कारण हुई मौत/बीमारी

2277. श्री काशी राम राणा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी, बीमारी तथा मौत का एक महत्वपूर्ण कारक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गरीबी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या कदम सुझाये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) ब्रिजिंग-द-गैप्स विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1995 के अनुसार गरीबी स्वास्थ्य समेत मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। गरीबी उन्मूलन करने हेतु सरकार ने सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अलावा आय अर्जन स्कीम, गरीबों आदि को खाद्यान्न की आर्थिक सहायता जैसे बहुतेरे उपाय किए हैं।

(ग) गरीबी के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम करने हेतु विश्व-स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :-

उपलब्ध साधनों का दक्षतापूर्वक और इष्टतम उपयोग करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक आसानी से पहुंच, स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश करना तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में आपात राहत की राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

(घ) बहुतेरे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जो कुष्ठ, क्षयरोग, मलेरिया, दृष्टिहीनता, आयोडीन अल्पता विकार आदि जैसे रोगों से पीड़ित गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्य रूप से केन्द्रित हैं। बुनियादी सुविधा बढ़ाने और ज्यादातर लोगों तक कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए विश्व बैंक तथा बाह्य अभिकरणों से बाहरी सहायता का लाभ उठाया गया है। योजना की उत्तरोत्तर अवधियों के दौरान योजना आवंटनों में वृद्धि होती रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

2278. श्री अंचल दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1996 के दौरान कदाचार के विभिन्न कार्यों के लिए केन्द्रीय विद्यलाय संगठन के आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है। आरोप सभी मामलों में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं के संबंध में हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

पेस मेकर की कमी

2279. श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेस मेकर की कमी के कारण प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों की मौत हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आयात किये गये पेस मेकरों की ऊंची कीमतों, को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण आम व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता, देश में पेस मेकर का उत्पादन करने का है, ताकि वह देश में कम कीमत पर उपलब्ध हो सके और हजारों व्यक्तियों की जान बचायी जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना कब से शुरू की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं। देश में पेसमेकरों की कमी होने के कारण कोई मौत सूचित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) पेसमेकरों का पहले ही भारत में निर्माण किया जाता है। जैव चिकित्साय प्रौद्योगिकी सोसायटी निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से एक देशी पेसमेकर तैयार कर रही है। इंदौर स्थित कम्पनी पेसट्रानिक्स भी इनका निर्माण कर रही है। पेसमेकर की कीमत इसकी किस्म के आधार पर 25,000/- रुपये से लेकर 1,25,000/- रुपये तक भिन्न-भिन्न है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

2280. श्री पी॰सी॰ थामस :
श्री अनंत कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एशियाई विकास बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) इनमें से राज्यवार अब तक कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं तथा उनकी राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में एशिया विकास बैंक अथवा इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड सहायता से शुरू की गई सिंचाई या पेयजल क्षेत्र में कोई चल रही परियोजना नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहायता से शुरू की गई सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न अनुसार सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	राज्य	राशि/ वर्तमान मूल्य	हस्ताक्षर करने की तिथि/ प्रभावी समापन	संचयी निकासी तक 31.3.96	31.1.97	जोड़	1.2.97 को बकाया शेष
(क)	**सिंचाई 1994–95**							
1.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना (क्रेडिट सं॰ 2592–आई एन)	हरियाणा	294.29	6.4.94 24.6.94 31.12.00	32.26	16.46	48.72	245.57
1995–96								
2.	उड़ीसा जल संसाधन परियोजना (क्रेडिट सं॰ 2801–आई एन)	उड़ीसा	290.90	5.1.96 30.1.96 30.9.02	14.21	9.37	23.37	267.32
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	282.90	22.9.95 14.12.95 31.3.02	12.44	2.29	14.73	268.17
	बहु–राज्य परियोजना							
4.	हाइड्रोलॉजी परियोजना (क्रेडिट सं॰ 2774–आई एन)	आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश	142.00	22.9.95 20.12.95 31.3.02	4.00	0.37	4.37	137.63
(ख)	**जल आपूर्ति**							
5.	मुम्बई सीवेज परियोजना (एल एन 3923–आई एन/ क्रेडिट 2763–आई एन)	महाराष्ट्र	192.00	28.12.95 22.3.96 30.12.02	5.00	13.40	18.40	173.60
6.	दूसरी मद्रास जल आपूर्ति परियोजना (एल एन सं॰ 3907 आई एन)	तमिलनाडु	275.80	20.22.95	5.99	00.00	5.99	269.81
	1996–97							
7.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (एल एन सं॰ 4956)	उत्तर प्रदेश	59.6	22.7.96	0.00	2.18	2.18	57.42

बंगलादेश में भारतीय

2281. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह सिफारिश की है कि बंगलादेश स्थित में भारतीय एन्क्लेव में रहने वाले भारतीयों को भारतीय नागरिकों के रूप में रहने दिया जाए और भारत सरकार द्वारा उनके हितों का ध्यान रखा जाए; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा ऐसी सिफारिश कब की गई और भारत सरकार द्वारा अब तक इन भारतीय नागरिकों के किन हितों का ध्यान रखा जा रहा हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 मार्च, 1996 को अपनी कार्यवाही में यह विचार व्यक्त किया था कि बंगला देश के भारतीय एनक्लेवों में रह रहे लोग भारतीय नागरिक ही हैं और उनके हितों की देख-रेख भारत सरकार द्वारा की जानी है। बंगला देश में अपने एनक्लेवों पर भारत का कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है। इसलिए बंगलादेश के भारतीय एनक्लेवों में रह रहे लोगों के हितों की देखभाल करना सरकार के लिए संभव नहीं रहा है। एनक्लेवों का आदान-प्रदान भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के निर्धारण के साथ सीधा-सीधा जुड़ा है और इस सीमा निर्धारण का अनिवार्यतः अनुपालन करना होगा। भारत बंगला देश की लगभग 41 कि॰मी॰ भू-सीमा का निर्धारण कार्य अभी पूरा किया जाना है। 28 से 31 जनवरी, 1997 तक दिल्ली में आयोजित भारत-बंगला देश संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक के दौरान दोनों पक्ष भू-सीमा के निर्धारण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सर्वेक्षण दलों की संख्या को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

जमुई (बिहार) में जलाशय योजनाएं

2282. श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के अमनी जिले के बरनार, नागो और कोंल जलाशय योजनाओं की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए अब तक परियोजनावार और वर्षवार कितनी राशि मंजूर और जारी की है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा/चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा आज तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच कराई है या कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) लोअर कियूल और नागी परियोजनाएं दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की गई थी। बरनार और ऊपरी कियूल परियोजनाओं के संबंध में मार्च, 1994 तक क्रमशः 32.60 करोड़ रुपए और 62.97 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। बरनार परियोजना पर अभी तक कोई क्षमता सृजित नहीं की गई है जबकि 1994-95 तक ऊपरी कियूल परियोजना में 13,5000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(ख) से (छ) जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ऊपरी कियूल परियोजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और पहली किश्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपए जारी किए। सिंचाई राज्य का विषय है। सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है और परियोजनाओं को पूरा करना इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्यों द्वारा उनको फिर भी प्राथमिकता दी गई है।

भारत और रूस के बीच संयुक्त नौवहन सेवा

2283. कुमारी उमा भारती :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच संयुक्त नौवहन सेवा प्रारंभ करने संबंधी किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस करार के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) काला सागर (नोवोरोसिस्क) के बन्दरगाह तथा भारत के बन्दरगाहों के बीच संयुक्त जहाज सेवा की स्थापना से सम्बद्ध करार 11 फरवरी, 1997 को मास्को में सम्पन्न हुआ।

(ख) इस करार में नोवोरोसिस्क और मुम्बई के प्रमुख बन्दरगाहों तथा काला सागर में कोस्टांजा, वर्ना, बोर्गास, एलिचेव्स्क, ओडेसा और उस्त-दुनैस्क तथा भारत में चेन्नई, कोची तथा कलकत्ता के विकल्पी बन्दरगाहों के बीच संयुक्त जहाज सेवा की स्थापना करने की व्यवस्था है। इस करार द्वारा भारत और रूस परम्परागत कार्गो और कन्टेनरों की ढुलाई के लिए एक अथवा दो जलयान तैनात करेंगे, और ये दोनों एक-दूसरे की दिशा में हर महीने समुद्री यात्रा की व्यवस्था करने पर भी अनन्तिम रूप से सहमत हुए हैं। इस करार में भारत और रूस में बन्दरगाह सेवाओं सहित नोवोरोसिस्क शिपिंग कम्पनी तथा

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया दोनों को अदला-बदली करने के विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है।

(ग) यह करार 11 फरवरी, 1997 को इस पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद प्रभावी हो गया है, संयुक्त जहाज सेवा का प्रचालन जून, 1997 से आरंभ हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित किले

2284. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित किलों के विकासार्थ कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है; तथा इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ङ) राजस्थान में केन्द्रीय संरक्षित किलों का रखरखाव, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास पुरातत्वीय मानदण्डों और धन की उपलब्धता पर आधारित उनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

राष्ट्रीय खेल नीति

2285. श्री सिद्दया कोटा :
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई राष्ट्रीय खेल नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोड़ी आदित्यन) : (क) से (ग) नयी राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। यह सभी संबंधित संगठनों को उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए परिचालित कर दिया गया है और इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. खेलों को विस्तृत आधार देना।
2. खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं का सृजन।
3. देश में खेल संस्कृति आरंभ करने हेतु व्यापक साधन जुटाना।
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
5. खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना।
6. प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, जजों, रेफरियों तथा अम्पायरों का प्रशिक्षण और विकास।
7. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।
8. खेलों के लिए संसाधन जुटाना और
9. अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों तक आसानी से पहुंच।

राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता

2286. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री तरित बरण तोपदार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता को सम्पूर्ण वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि उचित परिरक्षण और संरक्षण के लिए पूरे भवन को वातानुकूलित बनाना आवश्यक है;

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय संग्रहालय के उचित रख-रखाव तथा देखभाल के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (घ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भारतीय संग्रहालय के पूरे भवन को वातानुकूलन सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में भारतीय संग्रहालय से न तो कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और न ही उच्चाधिकार प्राप्त भवन समिति, जिसे भारतीय संग्रहालय के वर्तमान भवन के समुचित रख-रखाव/अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य सौंपा गया है, के विशेषज्ञों द्वारा ऐसा कोई सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के दोनों विद्यमान भवन काफी पुराने मंडपयुक्त, भित्ति-स्तंभ युक्त और रमणीय संरचना में गुम्बज-प्रकार के हैं, और इसलिए भवन की अधिसंरचना पूर्ण वातानुकूलन के अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद, उच्च रूप से

संवेदनशील वस्तुओं के समुचित संरक्षण और परिरक्षण के लिए विभक्त किस्म/झरोखा किस्म की वातानुकूलन सुविधाएं स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय संग्रहालय का भवन एक नया भवन है और यह संग्रहालय के संग्रहों की समुचित देखभाल और अनुरक्षण के लिए पूर्ण रूप से वातानुकूलित है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय संग्रहालय संरक्षण प्रयोगशाला नियमित रूप से इसी उद्देश्य के लिए तापक्रम और आर्द्रता पर नियंत्रण का अनुवीक्षण कर रही है।

सड़क संबंधी गोष्ठी

2287. **श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :**
श्री वी॰एम॰ सुधीरन :
श्री येल्लैया नन्दी :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली में सड़कों पर प्राकृतिक दुर्घटनाओं में कमी, (नेचुरल डिसास्टर्स रिडक्शन आन रोड्स) संबंधी विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से देशों ने गोष्ठी में भाग लिया;

(घ) विशेषज्ञों द्वारा क्या सुझाव दिये गये;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन सुझावों को लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) यह सेमिनार 29-31 जनवरी, 1997 के दौरान हुआ था, जो केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विश्व सड़क कांग्रेस (पी आई ए आर सी), जी-2 ग्रुप की तरफ से तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सेमिनार से एशियाई विशेषज्ञों को अपने-अपने देश में जोखिम का मूल्यांकन और उसका अनुमान लगाने, विधि और विनियम, दुर्घटना पूर्व उपाय, दुर्घटना से निपटने के लिए तैयार रहने, आपात स्थिति संबंधी योजना और प्रबंधन, अवसंरचना की मरम्मत, दुर्घटना-पश्चात् उपायों के मामलों में जानकारी प्रस्तुत करने तथा उनका आदान-प्रदान तथा इस संबंध में अपनाई जा रही पद्धतियों पर जानकारी आदान-प्रदान करने का अवसर मिला।

(ग) इस सेमिनार में 150 से भी अधिक जाने-माने प्रतिनिधियों, जिसमें 15 देशों से आए 33 विदेशी प्रतिनिधि, भी शामिल थे, ने भाग लिया। इनमें मलेशिया के निर्माण कार्य मंत्री, माननीय डेटो सेरी एस॰ सामी वेल्ली भी शामिल थे।

(घ) विशेषज्ञों की सिफारिशों में मुख्य सिफारिश इस प्रकार हैं :—

1. विभिन्न देशों में राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा-प्रशमन आयोग का विकास।
2. प्राकृतिक जोखिम प्रशमन के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहायोग को बढ़ावा देना।
3. सड़कों पर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में राष्ट्रीय आकड़ा आधार का गठन और भविष्य में इन आपदाओं में कमी लाने के लिए उचित मार्ग निदेश तैयार करना तथा क्षेत्रीय आधार पर आंकड़ों का आदान-प्रदान।
4. प्राकृतिक जोखिमों के घटित होने के बारे में पूर्वानुमान लगाने अथवा भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप को सुदृढ़ करना।
5. पूरी जानकारी का प्रचार-प्रसार और जन जागरण कार्यक्रम।
6. सड़कों पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न आपात स्थिति का सामना करने के लिए बजटगत प्रावधान।

(ङ) और (च) विशेषज्ञों की सिफारिशें सामान्य प्रकार की हैं। जब भी विशिष्ट प्रस्ताव होते होंगे, उन पर यथोचित विचार किया जाएगा।

गुजरात और महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना

2288. **श्री हरिन पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र में सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) महाराष्ट्र और गुजरात में उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है और जो, इसके कारणों सहित, अभी भी अधूरी हैं; और

(घ) सरकार का विचार इन परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गुजरात और महाराष्ट्र के आकलित चरम सिंचाई क्षमता क्रमशः 4.75 मिलियन हेक्टेयर और 7.30 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में, वर्ष 1995-96 के अंत तक इन राज्यों में क्रमशः 3.34 मिलियन

हेक्टेयर और 4.83 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है। चरम सिंचाई क्षमता और अब तक सृजित सिंचाई क्षमता के बीच अंतर होने का मुख्य कारण सिंचाई परियोजनाओं के लिए कम धनराशि प्राप्त होना है जिससे चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो जाती है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों पर बल दिया है—(i) चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, (ii) सिंचाई परियोजनाओं में अधिक प्रयोक्त भागीदारी (iii) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना (iv) सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग और (v) अनुसंधान संगठनों के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) घटक।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के अंत तक योजनावधि के दौरान गुजरात की 10 वृहद, 88 मझौली और एक विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं और महाराष्ट्र की 18 वृहद, 153 मझौली तथा एक विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी की गयीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान, गुजरात की 9 वृहद, 25 मझौली और 12 विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं और महाराष्ट्र की 32 वृहद, 70 मध्यम और 6 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को क्रमशः 101.72 करोड़ रु॰ और 28.00 करोड़ रु॰ की केंद्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता

2289. **श्री शरत पटनायक :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा परिषद् के उन स्थायी तथा अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिये भारत के दावे को अपने समर्थन का संकेत दिया है;

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(ग) आर्थिक और सामाजिक आयोग की सदस्यता, विशेषकर इसके विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की पुनर्संरचना पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओपन खण्ड वर्किंग ग्रुप में चर्चा चल रही है। विस्तार के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों अथवा मानदण्डों पर अभी तक कोई मतैक्य नहीं बना है। मारिशस, भूटान, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य और लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य ने स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र में वक्तव्य दिए हैं। सरकार संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र दोनों स्तरों पर सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद् के विस्तार का कोई भी प्रस्ताव हो, उसका स्वरूप व्यापक और भेदभाव रहित होना चाहिए।

(ग) भारत इस समय आर्थिक और सामाजिक परिषद् का सदस्य है। आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सदस्यता की संख्या पिछली बार 1973 में बढ़ी थी जो अब 54 है। इस समय संयुक्त राष्ट्र में अथवा ओपन एंडिड वर्किंग ग्रुपों में आर्थिक और सामाजिक परिषद् का और विस्तार किए जाने की किसी नए विशिष्ट प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2290. **श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से विशेषकर मध्य प्रदेश से उनकी कार्य दशाओं में सुधार करने, मानदेय की दरों में संशोधन करने, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने और अन्य मुद्दों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्जे और परिलब्धियों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विभिन्न संगठनों से, जिनमें मध्य प्रदेश के संगठन भी शामिल है, अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर विचार करने का सरकार को अनुरोध किया गया है :—

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और नियमित वेतनमानों में उनकी सेवाओं को नियमित करना।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करना और सरकारी कर्मचारियों को यथाअनुमेय भत्ते देना।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पर्यवेक्षकों के रूप में पदोन्नति।

(ग) विभिन्न आंगनवाड़ी ऐसोसियेशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सरकार द्वारा जांच की गयी है और यथा-स्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

गुवाहाटी मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाना

2291. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में गुवाहाटी मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित निवेश और समय-सारणी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना की पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रस्तावित परियोजना को केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है अथवा यह कार्य राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) असम सरकार से गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी के उन्नयन हेतु 72.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तदनंतर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की विशेषज्ञ दल के सुझाव पर राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि जब 9वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए परियोजना का अनुमोदन हो तब रकम का एक हिस्सा 1996-97 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपचार प्रदान करने हेतु अनुमोदित कर दिया जाए। तदनुसार योजना आयोग वार्षिक योजना 1996-97 या 1997-98 में इस प्रयोजन के लिए 9.50 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सिद्धांततः सहमत हो गया है। योजना आयोग ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि वह वार्षिक योजना के दस्तावेज सहित उन्नयन कार्य पर विचार संबंधी विस्तृत प्रस्ताव भेज दे।

नेहरू युवक केन्द्रों में परियोजनाएं

2292. **श्री कचरू भाऊ राउत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के नेहरू युवक केन्द्रों में अब तक शुरू की गई तथा पूरी हुई विभिन्न परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति परियोजना के लिए वर्ष-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा महाराष्ट्र में प्रत्येक जिले में इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1997 से 2000 के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में किन योजनाओं/परियोजनाओं के शुरू किये जाने की संभावना है;

(घ) नहेरू युवक केन्द्रों की गतिविधियों हेतु अपेक्षित आय साधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता दिये जाने वाले आधारों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तकनीकी/इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धी नीति

2293. **श्री नामदेव दिवाथे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं में तकनीकी/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित किसी व्यापक राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) संपूर्ण देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त आयोजना और समन्वित विकास के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए विनियम निर्धारित किए हैं जो मई, 1994 में राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिक

2294. **श्री अमर पाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए मंजूर राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) 31 दिसंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में कुल 2,39,455 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे।

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तीन स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को ऋण/वित्तीय सहायता नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रदान की गई :—

वर्ष	राशि
	(लाख रुपए में)
1993-94	65.51
1994-95	134.32
1995-96	175.31

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में पेक्सेम योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण पर 9,60,931 रुपए का व्यय हुआ है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण संबंधी केन्द्र सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों पर लागू हैं। ये पुनर्वास योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के निम्नलिखित प्रतिशत की व्यवस्था की हुई है :—

	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक
समूह "ग" पद	10%	14.5%
समूह "घ" पद	20%	24.5%

2. इसके अलावा, अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के पदों में भी 10 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था की हुई है। रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित की गई है।
3. सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं में छूट।
4. सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी नौकरियों में नियोज्यता बेहतर बनाने या उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सेमफेक्स-1, सेमफेक्स-2 और सेमफेक्स-3 के अंतर्गत ऋण सुविधाएं।
6. मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं/आश्रितों, युद्ध में निशक्त हुए, युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों को पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का 7.5 प्रतिशत आबंटन आरक्षित है।

(घ) से (च) सरकारी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण, आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों/युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों आदि के लिए पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का आरक्षण संबंधी योजनाओं में धनराशि के विशेष आबंटन की आवश्यकता नहीं होती। ये यौजनाएं भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध रियायतों/वरीयताओं के स्वरूप में आती हैं। किसी वित्त वर्ष विशेष में भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किए जाने वाले ऋण/वित्तीय सहायता की राशि वित्तीय सहायता/ऋण के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और उसके लिए शर्तें पूरी करने वालों की संख्या पर निर्भर करती है।

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें

2295. डॉ॰ ए॰के॰ पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा उनके परिवारों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की भाँति उन्हें भी उक्त सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों, सैन्य कार्मिकों की विधवाओं तथा उनके परिवारों को दी जा रही महत्वपूर्ण सुविधाओं का ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है :—

पुनर्वास योजनाएं

1. केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" पदों का 10 प्रतिशत तथा समूह "घ" पदों का 20 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है। अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंट के 10 प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक भूतपूर्व सैनिकों को समूह "ग" में 14.5 प्रतिशत और समूह "घ" के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराते हैं।
2. लघु उद्योग, सेवा-उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग लगाए जाने के लिए तीन स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ऋण/वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं को सेमफेक्स-1, सेमफेक्स-2, सेमफेक्स-3, के रूप में जाना जाता है।
3. सरकार ने मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं/आश्रितों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों,

युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों और शांतिकाल के दौरान 50 प्रतिशत और उससे अधिक की निशक्तता वाले निशक्त हुए कार्मिकों को तेल उत्पाद एजेन्सियों अर्थात् एल पी जी, मिट्टी के तेल की एजेंसियों और पेट्रोल पंप का 7.5 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है।

कल्याण सुविधाएं

1. भूतपूर्व सैनिक नजदीकी सी एस डी कैन्टीनों से कैन्टीन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
2. सैन्य कार्रवाई में मारे गए अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों को उस संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है।
3. सैन्य कार्रवाई अथवा शांतिकाल के दौरान सेवा संबंधी कारणों से मारे गए अथवा निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को एम बी बी एस में 25 सीटें और बी डी एस में एक सीट आरक्षित की गई है।
4. सैन्य कार्रवाई में मारे गए अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा/अर्द्ध सैन्य बलों के कार्मिकों के बच्चों को 6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से, प्रत्येक में दो सीटें आरक्षित की गई हैं।
5. सेवारत और सेवा-निवृत्त सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के बच्चों को सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हुई हैं।
6. परम वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं; स्थाई रूप से निशक्त हुए अफसरों और उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों तथा स्वतंत्रता पश्चात् के युद्धों में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को इंडियन एयर लाइन की घरेलू उड़ानों में यात्रा करने के लिए हवाई किराये में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को रेल मंत्रालय द्वारा रेल यात्रा रियायत भी दी जा रही है।
7. युद्ध में दिवंगत सैनिकों और निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 35 वार मेमोरिल होस्टल बनाए गए हैं ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। इन होस्टलों में रह रहे बच्चों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड शिक्षा अनुदान भी देता है।
8. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा वृद्ध और अशक्त भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता दी जाती है। जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा उपचार, पुत्री के विवाह, मकान की मरम्मत आदि के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

चिकित्सा सुविधाएं

रक्षा कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद व्यापक पैकेज के तहत पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इस पैकेज में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं/रियायतें शामिल हैं :—

1. भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क बहिरंग रोगी उपचार की व्यवस्था है। उन्हें सैन्य अस्पतालों में मनोरोग उपचार, कैंसर उपचार, गुर्दा प्रत्यारोपण तथा कोरोनरी बाइपास सर्जरी को छोड़कर अंतरंग रोगी उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है।
2. जिन बीमारियों का इलाज सैन्य अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है उनके लिए सशस्त्र सेना की सामूहिक बीमा योजनाओं के तहत चिकित्सा व्यवस्था का प्रावधान है। सामूहिक बीमा योजना के तहत हृदय के उपचार के लिए 1.00 लाख रुपए, कैंसर के उपचार के वास्ते 75,000/- रुपए, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 1.00 लाख रुपए और कूल्हे तथा घुटनों के जोड़ बदलने के लिए 75,000/- रुपए दिए जाते हैं।
3. जो भूतपूर्व सैनिक चिकित्सा बीमा योजनाओं के तहत नहीं आते हैं उन्हें बाइपास सर्जरी, ऐंजियोग्राफी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी सर्जरी आदि जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले कुल खर्च के 60 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है।
4. भूतपूर्व सैनिक राज्य सरकार के सिविल अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5. केवल भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 24 चिकित्सा जांच कक्ष तथा 12 दंत चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
6. जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा उपचार के लिए रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से अधिकतम 15,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

सरकार ने केवल सशस्त्र सेनाओं के सेवारत कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के वास्ते 127 सैन्य अस्पताल स्थापित किए हैं। ये अस्पताल हैल्थ केअर डिलीवरी सिस्टम के क्षेत्रीय तरीके पर आधारित हैं और इन्हें बड़े कमान अस्पतालों, आंचलिक अस्पतालों, मध्यम अस्पतालों तथा छोटे अस्पतालों में समूहबद्ध किया गया है।

इस समय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने के संबंध में कोई योजना नहीं है क्योंकि उन्हें रक्षा मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं के तहत पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर

2296. श्री अनन्त कुमार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर के पास कितने पासपोर्ट आवेदन लम्बित थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यालय द्वारा 31 दिसम्बर, 1996 को वर्ष-वार कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) क्या इस कार्यालय में काम को निपटाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार कर्नाटक में हुबली/बेलगाम/मंगलौर जैसे अन्य शहरों में पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेशी मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 6600 पासपोर्ट आवेदन लम्बित पड़े थे। इनमें से 703 आवेदन एक महीने से अधिक समय से लम्बित थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :—

1994	1995	1996
77646	95672	105905

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार के पास कर्नाटक में कोई और पासपोर्ट कार्यालय खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि मौजूदा पासपोर्ट कार्यालय राज्य के पासपोर्ट आवेदकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उपयुक्त समयावधि में पासपोर्ट जारी करने में समर्थ है। मंगलौर में एक पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल

2297. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन महाविद्यालयों और अस्पतालों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) क्या देश में नये आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल खोलने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उपलब्ध सूचनानुसार देश में 118 आयुर्वेदिक कालेज और 2136 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के स्नातकोत्तर विभाग के उन्नयन तथा मौजूदा स्नातकपूर्व कालेजों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त कुल द्वितीय सहायता विगत दो वर्षों के दौरान निम्न रूप में हैं :—

1994-95	–	114.94 लाख रुपये
1995-96	–	236.17 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वायु क्षेत्र का उल्लंघन

2298. श्री पी॰एस॰ गढ़वी :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान दूसरे देशों के विमानों विशेषकर पाकिस्तान के विमानों ने भारतीय वायु क्षेत्र का कितनी बार उल्लंघन किया;

(ख) घुसपैठ को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था तथा रक्षा क्षमता को कड़ा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन उल्लंघनों को संबंधित देशों की जानकारी में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान दूसरे देशों के वायुयानों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघनों की संख्या क्रमशः 22 और 12 थी। इनमें से पाकिस्तान द्वारा 1995 में 16 बार और 1996 में 9 बार उल्लंघन किए गए।

(ख) इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए समुचित वायु रक्षा उपाय मौजूद हैं। इनकी समय-समय पर पुनरीक्षा भी की जाती है।

(ग) और (घ) इन उल्लंघनों के संबंध में, जब भी उपयुक्त समझा जाता है, मामले संबंधित देश के साथ उठाए जाते हैं।

राजमार्ग एम्बूलेंस परियोजना

2299. **श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी :**
श्री संदीपान थोरात :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजमार्ग एम्बूलेंस परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं तथा चालू वर्ष के लिए विस्तार योजनाओं आदि हेतु धन प्रबंधन, उद्देश्य, परियोजना में शामिल किये जाने वाले क्षेत्र और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों हेतु बनायी गयी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार्ग पार्श्व सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के दुर्घटना-बहुल क्षेत्रों के लिए अलग से कोई सड़क सुरक्षा योजना नहीं है। तथापि, विभिन्न सुधार-कार्य, जिनका सड़क सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, अन्य विकास कार्यों के साथ सतत् आधार पर शुरू किए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्कीम के तहत महाराष्ट्र में रा॰रा॰-8 पर 439.0 कि॰मी॰ में यात्रीपरक मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चालू वर्ष के दौरान 62.50 लाख रु॰ की लागत का एक अनुमान स्वीकृत किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

2300. **श्री एन॰एन॰ कृष्णादास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 19 क्षेत्रीय कार्यालय इस समय देश में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालयों को केरल में केन्द्रीय विद्यालयों का कारगर प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त पाया गया है।

[हिन्दी]

मधुमेह रोग

2301. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुमेह के संबंध में जानकारी तथा सूचना देने हेतु कैम्प आयोजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खेल नियंत्रण बोर्ड

2302. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के॰वी॰एस॰) में खेल नियंत्रण बोर्ड है;

(ख) यदि हां, तो कब से और किस संकल्प/निर्णय से यह गठित किया गया है;

(ग) इसके गठन के समय से ही इसकी आय के स्रोत्र क्या रहे हैं तथा वर्ष-वार इस पर कितनी राशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त की गयी तथा खर्च की गयी राशि का सी॰ए॰जी॰ के द्वारा अथवा उसके कहने पर वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर के॰वी॰एस॰ खेल नियंत्रण बोर्डों का स्थापित करने के लिए सितम्बर, 1975 में निर्णय लिया था।

(ग) के॰वी॰एस॰ खेल नियंत्रण बोर्ड की आय के स्रोत्र केन्द्रीय विद्यालयों से अंशदान और बैंक्रों में जमा धन पर ब्याज है। उसकी आय और खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) लेखा-परीक्षा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आन्तरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग द्वारा की जाती है।

विवरण

वर्ष	प्राप्तियां	भुगतान
1979-80	3,34,690.17	2,85,692.34
1980-81	3,71,855.71	2,82,491.30
1981-82	4,68,042.05	3,00,878.37
1982-83	1,84,993.12	2,77,894.67
1983-84	5,44,066.58	4,10,669.85
1984-85	2,65,291.49	2,69,475.95
1985-86	33,557.66	3,63,924.80
1986-87	1,66,735.35	1,68,436.75
1987-88	1,29,576.90	3,46,720.00
1988-89	2,08,585.60	1,00,000.00
1989-90	2,21,205.50	5,49,680.00
1990-91	42,591.00	2,48,892.00
1991-92	82,451.00	-
1992-93	कोई संग्रह और व्यय नहीं किया गया	
1993-94	30,709.00	-
1994-95	29,374.00	200.00
1995-96	7,26,370.65	8,31,581.00

उत्तर प्रदेश में स्मारक स्थल

2303. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विशेषकर आगरा स्थित स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्मारक स्थलों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा स्थित केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नियमित रखरखाव एवं देखभाल की दृष्टि से परिरक्षण की अच्छी दशा में हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर इन स्मारकों की आवश्यकतानुसार उनकी संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण एवं पर्यावरण विकास संबंधी कार्य सम्पन्न किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं

2304. श्री भेरू लाल मीणा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने शहरों में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई-पास न होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या क्या है;

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं;

(ग) क्या ये उपाय पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में बेहतर और प्रभावकारी उपायों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) दुर्घटना संबंधी आंकड़े राज्यवार एकत्र किए जाते हैं न कि शहर वार। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों की कमी के कारण दुर्घटना संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सामान्यतः दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों में इकहरी लेन वाले खंडों को दो लेन का बनाना, कमजोर और संकरे पुलों और पुलियों का पुनः निर्माण, लेविल क्रासिंग के स्थान पर पुलों का निर्माण, पूर्व-परावर्तक सड़क संकेतों की व्यवस्था, थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकन, विश्राम स्थल की व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट योजनाएं

2305. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बड़ी तथा छोटी योजनाओं में देरी होने के कारण कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को गत वर्षों में करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा तैयार किए गए अद्यतन स्थितिगत तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले मंजूर की गई अधिकांश योजनाएं आठवीं योजना के आगे चली गईं जिसके कारण कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को भारी धनराशि की हानि उठानी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) समय सीमा तथा लागत में वृद्धि को रोकने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं लेकर व्यापक रणनीति पत्र तैयार करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन न्यास की केवल कुछ ही स्कीमों में अधिक समय लगा है। किसी भी बड़ी स्कीम में अधिक समय लगने की वजह से अधिक लागत के कारण कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ा।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होने का मुख्य कारण आपूर्तिकर्ताओं की धीमी प्रगति है। अधिक समय/लागत को रोकने के लिए विलम्ब/चूकों को सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के ध्यान में लाया गया है, जिन्हें कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा ठेके दिए गए हैं।

आपातकालीन सेवा में सुधार

2306. श्री रामसागर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "विद अ बुलेट स्टिल इन हिज बैंक हास्पिटल डिस्चार्जेज हिम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सफदरजंग अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि गोली लगने से जख्मी एक व्यक्ति जिसे सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया था, गोली निकालने का कोई प्रयास किए बिना कुछ एन्टीबायोटिक देने के बाद 4.2.1997 को छुट्टी दे दी गई थी।

(ग) डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ तथा विभागाध्यक्ष (आर्थो) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मामले की छानबीन की गई थी। समिति के निष्कर्षों की जांच की जा रही है।

(घ) जब भी आवश्यक होता है आपात सेवाओं में सुधार करने संबंधी कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

नेशनल ओपन स्कूल

2307. श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ओपन स्कूल ने 1995 के लिए माध्यमिक शिक्षा पाठयक्रम में टी॰एम॰ए॰ के लिए 20 अंक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1995 में आयोजित की गई माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में टी॰एम॰ए॰ अंक शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली स्थित नेशनल आपेन स्कूल के अध्ययन केन्द्र 2746 भारतीय पब्लिक स्कूल द्वारा 1995 में परीक्षा नियंत्रक को टी॰एम॰ए॰ अंक भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या नेशनल ओपन स्कूल ने उक्त टी॰एम॰ए॰ द्वारा प्रभावित छात्रों को रियायत देने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कावेरी जल विवाद

2308. डा॰ रमेश चन्द तोमर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ख) विभिन्न संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न्यायाधिकरण/सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायाधिकरण ने कावेरी जल विवाद को सुलझाने के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विवाद को यथाशीघ्र सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण/केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकरण में बेसिन राज्यों द्वारा दावा किए गए जल का वास्तविक हिस्सा इस प्रकार है :—

(1) कर्नाटक – 465 टी एम सी

(2) तमिलनाडु – 1892 तथा 1924 के समझौते की शर्तों के अनुसार प्रवाहों को सुनिश्चित किया जाए।

(3) केरल – 99.8 टी एम सी

(4) पाण्डिचेरी – 9.3 टी एम सी

(ग) से (ङ) अधिकरण ने 28.2.97 तक 104 सुनवाई की है तथा बेसिन राज्य अधिकरण की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं।

अधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद ही केन्द्र सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में भारतीय कामगार

2309. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं अथवा अन्य विपत्तियों के कारण खाड़ी देशों में दुख झेल रहे भारतीय कामगारों की मदद के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारतीय मिशनों ने दुर्घटनाओं और अन्य विपत्तियों के कारण कष्ट भोग रहे भारतीय कामगारों की दशा सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अन्य के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(i) मृत्यु हो जाने के मामले में नियोक्ताओं, स्थानीय पुलिस अधिकारियों और सगे-सम्बंधियों के साथ समन्वय करके स्थानीय कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार शव को भारत भेज कर अथवा अन्य किसी रूप में निपटान करने की व्यवस्था करती है;

(ii) दुर्घटना अथवा अन्य विपत्ति के कारण आई गंभीर चोटों के मामलें में भारतीय मिशन नियोक्ता के द्वारा अपेक्षित स्थानीय चिकित्सा की व्यवस्था करती है अथवा यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति को उपचार के लिए भारत भेजने की व्यवस्था करती है।

(iii) मृत अथवा घायल व्यक्तियों को देय मुआवजों सेवा लाभों, बकाया वेतन आदि के मामलों में भारतीय मिशन प्रत्येक मामला शीघ्र निपटान के लिए प्रायोजकों के साथ उठाते हैं। ऐसे मामलों को आवश्यकतानुसार विदेशी सरकारों के संबद्ध अधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि कामगार की बकाया राशि के उचित निपटान के लिए नियोक्ता के साथ वे हस्तक्षेप कर सकें। वसूल की गई बकाया राशि को भारत में कामगारों/कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरण के लिए संबंधित जिला अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

(iv) यदि भारतीय कामगार विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा किए गए प्रयासों से असन्तुष्ट रहते हैं तो विदेश मंत्रालय का कौंसुली, पासपोर्ट और वीजा प्रभाव अनुवर्ती कार्यवाही करता है।

[हिन्दी]

परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होना

2310. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्टों की वार्षिक प्राप्ति में काफी कमी हुई है जबकि इस कार्य में लगे निदेशालयों की संख्या में पांच गुनी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निदेशालयों की संख्या कम करके सार्वजनिक धन के दुरूपयोग को रोकने हेतु तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय, ए॰जी॰सी॰आर॰ दिल्ली

2311. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय, ए॰जी॰सी॰आर॰ दिल्ली में छात्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या यह संख्या स्वीकृत संख्या से ऊपर पहुंच गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के निपटने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार छात्रों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त वित्त प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय, ए॰जी॰सी॰आर॰ में 28.2.1997 की स्थिति के अनुसार छात्रों की कुल संख्या 3325 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समस्या का सामना करने के लिए विद्यालय दो पारियों में काम कर रहा है।

(घ) और (ङ) निधियों की आवश्यकताओं और सामान्य उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवंटन किए जाते हैं।

तम्बाकू से होने वाले रोग

2312. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तम्बाकू का उपयोग करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) तम्बाकू द्वारा होने वाली बीमारी से निबटने के लिए वार्षिक रूप से सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ग) तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अनुमान है कि भारत में लगभग 14.2 करोड़ पुरूष और 7.2 करोड़ महिलाएं तम्बाकू का सेवन करती हैं।

(ख) फिलहाल ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू उपयोग की आर्थिक लागत का अध्ययन करेगा।

(ग) सरकार तम्बाकू के उपयोग के बारे में प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं करती। तथापि, तम्बाकू के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए उपाए किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारत-मारीशस समझौता

2313. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मॉरीशस ने किसी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) 5 फरवरी, 1997 को सम्पन्न करार में मारीशस सरकार के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था है ताकि वह भारत से पूंजीगत वस्तुएं, परामर्शी सेवाएं तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का आयात कर सके। इस ऋण में भारत से आयातित माल के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 90 प्रतिशत भाग आएगा। इस ऋण करार के जरिए भारत से मारीशस के लिए वस्तुओं के निर्यात और परामर्शी सेवाओं में वृद्धि के संबंधित होने की आशा है।

[हिन्दी]

क्षतिग्रस्त पुलों और नहरों की मरम्मत

2314. **डा॰ बलिराम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में विभिन्न नहरों पर बने पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) क्या सिंचाई विभाग इन पुलों की मरम्मत नहीं कर रहा हैं जिसके परिणामस्वरूप वहां किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है;

(ग) क्या धेकमा बाजार, जामूवानवा और महुआरी गांवों में पुलों की मरम्मत के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद वहां अब तक मरम्मत कार्य नहीं किया गया है; और

(घ) क्षति ग्रस्त पुलों की मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रहीं है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेश में भारतीय मिशन

2315. **श्री एन॰एस॰वी॰ चित्यन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों में भारतीय मिशन नहीं है;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन देशों में भारतीय मिशन खोले जायेंगे; और

(ग) जिन देशों में मिशन नहीं है उनके साथ राजनीतिक समझौते की क्या विधि है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जहां आवासी भारतीय मिशन नहीं है, उन देशों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) कुछ देशों में नये आवासी मिशन खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही हमारा मूल्यांकन और तैयारी पूर्ण हो जाती है, औपचारिक घोषणाएं की जाएंगी।

(ग) जिन देशों में हमारे आवासी मिशन नहीं हैं, उनके साथ हमारा संबंध सह-प्रत्यायन विशेष दूतों अवैतनिक प्रधान कोंसलों/कौंसलों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर संपर्कों जैसी चैनलों के जरिए संचालित किया जाता है।

विवरण

(संयुक्त राष्ट्र के सदस्य) जहां आवासी मिशन नहीं है।

अफगानिस्तान (अस्थायी रूप से बंद)
अल्बानियां
अंडोरा
एंटीगुआ और बरबूडा
आरमेनिया
अजरबेजान
बहामास
बरबाडोस
बेलिज
बेनिन
बोलीविया
बोस्निया हरजेगोविना
बुरूंडी
कैमेरून
केप वर्डे
मध्य अफ्रीकन गणराज्य
चाड
कोमोरोस
कांगो
कोस्टारिका
डिजिबूती
डोमीनिका
डोमिनिकन गणराज्य
इक्वाडोर
अल सल्वाडोर
इक्वाटोरियल गियाना
एरिट्रिया
इस्तोनियां
फीजी
भूतपूर्व युगोस्लाव मैसेडोनियां गणराज्य
गैबोन
गाम्बिया
जार्जिया
ग्रेनाडा
गुआटेमाला
गयाना
गिनी विसाउ
हैती
हांडुरास
आइसलैंड
लाटविया
लेसोथो
लाइवेरिया
लिचटेन्सटेन
लिथुअनिया
लक्जमवर्ग
मलावी
माली
मार्शल द्वीप समूह
मारीतानियां
माइक्रोनेशिया
माल्दोवा
मोनाको
निकारागुआ
नाइजर
पलाउ
पराग्वे
रवान्डा
सनमारिनो
साओ टोम और प्रिसिंप
सिपरा लिओन
स्लोवेनियां
सोलोमन द्वीप समूह
सोमालिया
सेंटकिट्स एण्ड नेविस
सेंट लूसिया
सेंट विसेंट और दी ग्रेनाडिन्स
स्वाजीलैंड
टोगो
उरूग्वे
बनुआत
जायरे

आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेज

2316. **श्री एल॰ रमना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए आंध्र प्रदेश से प्राप्त कुछ प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी संस्थाओं और कार्यक्रमों को अनुमोदन देना एक सतत् प्रक्रिया है। इस परिषद ने ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया और समय निर्धारण करने के संबंध में विनियम बनाए हैं। इस समय इस परिषद के पास आंध्र प्रदेश के 87 प्रस्ताव हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए देशी/विदेशी सहायता

2317. **श्री दत्ता मेघे : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में देशी तथा विदेशी स्रोतों द्वारा वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाएं को पूरा करने तथा नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं तथा कार्यक्रम लागू किये गये हैं;

(ग) क्या जनजातीय तथा अकाल प्रवण क्षेत्रों में मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान, महाराष्ट्र में 33 वृहद, 49 मझौली और 6 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 5 वृहद और एक मझौली परियोजना को बाह्य सहायता प्राप्त है। चल रही चुनिंदा वृहद और मझौली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र की तीन परियोजनाओं अर्थात् गोतीखुर्द, वाधूर और सूर्या को 28.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में आदिवासी और सूखा प्रवण क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में 22 मझौली परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों और 16 मझौली परियोजनाएं सूखा प्रवण क्षेत्रों में चल रही हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार स्तर पर नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक विद्यालय खोलना

2318. **डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) मध्य प्रदेश के 15 जिलों अर्थात् भिंड, मुरैना, सिओन, मंडला, शिवपुरी, झाबुआ, बस्तर, शजापुर, खुरगोन, दतिया, देवास, विदिशा, दोमाह, रायपुर, खण्डवा को विश्व बैंक की सहायता से चलने वाले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए चुन लिया गया है। कार्यक्रम घटक में नए प्राथमिक विद्यालय खोलना शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मारकोनी अग्नि नियंत्रण प्रणाली

2319. **डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स तोपों के साथ "मारकोनी अग्नि नियंत्रण प्रणाली" कंप्यूटर खरीदा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कंप्यूटर प्रणाली का कभी उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू) : (क) से (घ) 155 मि॰मी॰ एफ एच-77 बी तोप-प्रणाली, जिसके लिए मैसर्स बोफोर्स के साथ संविदा की गई थी, में मार्कोनी फायर नियंत्रण प्रणाली शामिल थी। इस प्रणाली में बैटरी कंप्यूटर मॉड्यूल, आब्जर्वर डाटा कंप्यूटर और तोप कंप्यूटर प्रणाली शामिल है। यह प्रणाली तोप-प्रणाली में पिछले 10 वर्ष से प्रयोग में है और इसका कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

कम्पोजिट सोनार तथा टेक्टिकल वीपन कंट्रोल सिस्टम

2320. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित किया गया तथा एक पनडुब्बी पर लगाया जाने वाला कम्पोजिट सोनार तथा टेक्टिकल वीपन कंट्रोल सिस्टम पिछले कई वर्षों से बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सिस्टम को वर्ष 1993 में लगा दिया जाना था; और

(घ) यदि हां, तो इसे अभी तक नहीं लगाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रणाली विकसित करके पनडुब्बी पर लगाई जानी थी और इसके प्रयोक्ता परीक्षण नवंबर, 1993 तक पूरे किए जाने थे। परंतु विदेशी मुद्रा की कमी और कुछ महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों के आयात पर 1991 में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सरकार ने उपर्युक्त कार्यों को पूरा किए जाने की तारीख दिसंबर, 1997 तक बढ़ा दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तीर्थयात्रा के लिए सहायता

2321. श्री सोहन बीर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को कोई अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उन तीर्थयात्रियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिन्होंने धार्मिक स्थलों ननकाना (पाकिस्तान) तथा मानसरोवर (चीन) की यात्रा की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) प्रत्यक्ष रूप से हाजियों के लिए कोई राज सहायता नहीं दी जाती है।

2. उन हाजियों के लिए जो केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में हज करते हैं, सरकार उनके लिए ऐसा हज यात्री किराया निर्धारित करती है जो सामान्य रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर गणना किए गए किराए से कम होता है। बाकी रकम हज परिवहन इंतजामात के कारण राज सहायता के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा जिसका भुगतान सीधे वायुयान चार्टर कम्पनी को किया जाता है। इसके अलावा सरकार सऊदी अरब के लिए प्रशासनिक और मेडिकल दस्तों (डाक्टर तथा अर्ध-चिकित्सकीय) को भेजती है और हज यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दवाओं की सप्लाई तथा एम्बूलेंस, कैम्प डिस्पेंसरियां इत्यादि जैसी चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करती है। यह उल्लेखनीय है कि सालाना हज एक अभूतपूर्व महत्व की तीर्थयात्रा है, जिसमें मुस्लिम जगत के हजारों तीर्थयात्री एक ही स्थान पर निर्धारित तारीखों में एकत्र होते हैं, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उमरा, मक्का और मदीना की पूरे वर्ष चलने वाली तीर्थयात्रा के लिए इस किस्म की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

3. भारत से पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले सिक्ख/सहजधारी और हिन्दू जत्थों के मामले में, सरकार सभी उपेक्षित सहायता प्रदान करती है, प्रत्येक जत्थे की यात्रा के सिलसिले में पाकिस्तान की सरकार से अनुमति प्राप्त करना, विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों/प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना तथा यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए वीजा के वास्ते नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन को सूची भेजना, रेलवे मंत्रालय से यात्रियों के लिए आने और जाने की यात्रा के लिए विशेष रेल गाड़ियों की व्यवस्था करना, इस तथ्य के मद्देनजर कि जत्थे के लिए अल्प सूचना पर अनुमति दी गई तथा जत्थों के प्रस्थान के ठीक एक अथवा दो दिन पूर्व यात्रियों के पासपोर्टों पर वीजा मोहरें लगाई गई हैं, एक विशेष मामले के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से यथाशीघ्र विदेशी मुद्रा जारी कराना, यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की मदद के लिए सम्पर्क किए जाने पर सहायता प्रदान करने के लिए इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करना इत्यादि।

4. कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार ने 1996 में तीर्थ यात्रियों द्वारा 5000/- रुपये प्रति तीर्थ यात्री की दर से देय राशि कुमायुं मण्डल विकास निगम (के एम वी एन) को देने का निर्णय लिया था। के एम वी एन 8250/- रुपए प्रति तीर्थ यात्री लागत वसूलता था। सरकार दोनों राशियों का अन्तर सहायता के रूप में के॰एम॰वी॰एन॰ को अदा करती थी। सरकार तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं प्रदान कर रही है उनमें चिकित्सा सहायता, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा और अंगरक्षक, दिल्ली और भारतीय पक्ष और चीन में पड़ने वाले क्षेत्रों के बीच संचार सम्पर्क तथा तीर्थयात्रियों के प्रत्येक दल के साथ सरकारी खर्च पर एक सम्पर्क अधिकारी शामिल हैं।

भारत और रूस के बीच संयुक्त पोत सेवा

2322. श्री राजकेशर सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच संयुक्त पोत सेवा आरंभ करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह समझौता किस तारीख से लागू होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। नोवोरोसिस्क, रूस के पत्तनों और भारत के पत्तनों के बीच एक संयुक्त लाइनर सेवा के प्रचालन संबंधी एक करार पर भारतीय नौवहन निगम और रूस के नोवोशिप के बीच 11 फरवरी, 1997 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(1) संयुक्त लाइनर सेवा रूस और भारत के पत्तनों के बीच प्रचालित की जाएंगी जिसके लिए मुख्य पत्तन नोवोरोसिस्क और मुम्बई होंगे तथा प्रचालन पत्तन काला सागर में कांस्टेंटजा, वरना, बोर्गस, इलयीचेवस्क, ओडेसा, अस्ट-डुनाइस्क और भारत में चेन्नई, कोची, कलकत्ता हैं।

(2) पक्षकार प्रत्येक दिशा में अनन्तिम रूप से मासिक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए हैं।

(3) प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार पारम्परिक कार्गो और कंटेनरों की ढुलाई के लिए उपयुक्त 10/15000 डी डब्ल्यू टी के पोत नियुक्त करेगा।

(4) संयुक्त नौचालन आयोग लाइनर सेवा के प्रचालन का समन्वय करेगा।

(ग) यह करार उस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू हो गया।

[अनुवाद]

निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क ढांचा

2323. श्री ए॰सी॰ जोस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निजी गैर सहायता-प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में शुल्क ढांचे के निर्धारण के संबंध में नीति संबंधी मार्गनिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) उन्नीकृष्णन मामले के लागू होने के कारण दिनांक 9 अगस्त, 1996 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करके निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कालेजों में शुल्क पद्धति के संबंध में दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है। अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

भारतीय माताओं के दूध में विषाक्त तत्व

2324. श्री एस॰ पी॰ जायसवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों, फलों और खाद्यान्नों के उपयोग से भारतीय माताओं के दूध में 21 प्रतिशत विषाक्त तत्व पाए गए हैं क्योंकि इनके उत्पादन में रसायनिक खादों और कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) कुछ अध्ययनों के अनुसार मानव दुग्ध नमूनों में कृमिनाशी अवशिष्ट होने की सूचना मिली है। यह एक विश्वव्यापी परिघटना है और यह भारत तक सीमित नहीं है क्योंकि अवशिष्ट मिट्टी तक बने रहते हैं और मिट्टी से भोजन के माध्यम से माताओं के दूध में चले जाते हैं।

(ख) खेती में डी॰डी॰टी॰ का उपयोग करने पर पहले से ही प्रतिबंध है और सुरक्षित कृमिनाशियों का पता लगाया गया है। कृमिनाशियों के आयात, निर्माण तथा उपयोग का विनियमन कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है जिसमें विषाक्तता के विभिन्न पैरामीटरों पर लोगों में उनकी सुरक्षा के बाद उपयोग के लिए कृमिनाशियों के पंजीकरण की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

कश्मीर मुद्दा

2325. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पाक अधिकृत कश्मीर संबंधी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डा॰ फारूख अब्दुल्ला के इस वक्तव्य पर गौर किया है कि कश्मीर में वर्तमान सीमा की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है जिस मसले का अभी समाधान निकाला जाना है उसमें जम्मू तथा कश्मीर के उस क्षेत्र को खाली करना है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध एवं बल पूर्वक तरीके से जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। भारत, भारत-पाकिस्तान संबंधी सभी मसलों को शिमला समझौते के अंतर्गत सुलझाने के लिए वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

गोघरा जैवरसन परियोजना का सर्वेक्षण

2326. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोघरा जैवरसर परियोजना का सर्वेक्षण कितनी बार किया गया और उस पर अब कितना व्यय किया गया है; और

(ख) उपरोक्त सर्वेक्षण के बावजूद इस परियोजना को स्वीकृत न दिए जाने के क्या कारण हैं और इसके कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अन्वेषण, उन्हें तैयार करना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को केवल वृहत और मध्यम परियोजनाओं के संबंध में योजना आयोग के निवेश स्वीकृति लेनी होती है। राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के संबंध में केन्द्र में कोई सूचना नहीं रखी जाती।

कोशी द्वारा मिट्टी का कटाव

2327. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विशेषकर सुपौल, सहरसा और खगड़िया जिलों में कोशी नदी के तट पर मिट्टी के कटाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण लोगों को बेघर होने से बचाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(ग) क्या इसे रोकने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को क्या वित्त सहायता दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कटावरोधी कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी योजना निधियों में से उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों ने कटाव को रोकने के लिए तट सुरक्षा करने, पलस्तर करने, स्पर/स्टड, नदी तट रोधक आदि के रूप में विभिन्न कटावरोधी उपाय प्रारंभ किए हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने कोसी, कमला, बलान, अधवारा समूह की नदियां जो सुपौल, सहरसा और खगाड़िया जिलों में बाढ़ों और कटावों के लिए उत्तरदायी है, के बाढ़ प्रबंध के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ग) और (घ) बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ प्रूफिंग स्कीमों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, नेपाल भूक्षेत्र में कोसी तटबंध के अनुरक्षण, जिसका रखरखाव बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, के लिए 11.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

प्रदूषण से होने वाली बीमारियां

2328. श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण केवल दिल्ली में अनुमानतः 7500 व्यक्तियों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वायु प्रदूषण से देश में कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) प्रदूषण से हुई मौतों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, रोगियों की स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के अलावा, सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के अनेक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा का विकास

2329. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के निवेश तथा तकनीकी शिक्षा के विकास में उसकी भागीदारी और देश की शैक्षिक संस्थाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों तथा मानकों के अनुरूप वित्तीय तौर पर व्यावहारिक तथा शैक्षिक तौर पर सुदृढ़ गैर व्यावसायिक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करने में निजी क्षेत्र के निवेश तथा उनकी भागीदारी का हमेशा स्वागत किया जाता है। 60 प्रतिशत से अधिक मौजूदा तकनीकी संस्थाएं निजी क्षेत्र में ही हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य

2330. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन पर जनवरी, 1995 से अब तक चौड़ा करने, विस्तार करने तथा मरम्मत कार्य शुरू किया गया है और राज्य के शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कार्य के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अब तक किए गए अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है तथा रा॰रा॰-2, 3, 7, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 56 और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले रा॰रा॰-19 सहित देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य, निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं।

(ख) निधियों का आबंटन समग्र रूप से राज्य के लिए किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आबंटित निधियां और उन पर किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :—

	विकास		रख-रखाव	
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
			(लाख रु॰)	
1995-96	8842.00	8789.00	2529.94	2767.00
1996-97	8565.00	5439.00	2793.40	2117.00
		(जनवरी, 97 तक)		(जनवरी, 97 तक)

[अनुवाद]

प्राइवेट संस्थाओं में विशेष शुल्क लगाना

2331. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्राइवेट संस्थाओं में विशेष शुल्क लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

2332. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1996 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों के निर्माण के संबंध में सरकार के पास कुछ योजनाएं मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पासपोर्ट की चोरी

2333. श्री थावरचन्द्र गेहलोत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट की चोरी के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो चोरी किए गये पासपोर्टों की पासपोर्ट कार्यालय-वार और तिथि-वार संख्या क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या चोरी हो गये पासपोर्टों का पता लग गया है और उन्हें जब्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो जब्त किये गये पासपोर्टों की संख्या क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) गुम हुए पासपोर्टों के मामले की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई थी और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें रद्द करने के परिपत्र जारी किए गए थे।

(घ) और (ङ) गुम हुए कुछ पासपोर्ट पुलिस ने जब्त किए हैं। पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर से पासपोर्टों की चोरी होने की ताजा घटना

में पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ऐसे पासपोर्टों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों में अल्पसंख्यकों का दाखिला

2334. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को दाखिला देने का प्रावधान करने हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों के आधार संबंधी अन्य विवरण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) चिकित्सा और दंत चिकित्सा/इंजीनियरी कालेजों, चाहे वे अल्पसंख्यक कालेज हों या अन्य हों, में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों सहित सभी छात्रों का दाखिला क्रमशः भारतीय चिकित्सा परिषद तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों द्वारा अभिशासित होता है।

अन्य कालेजों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के दाखिला के मामले में कोई सामान्य दिशानिर्देश नहीं हैं। सामान्य दिशानिर्देश अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू विश्वविद्यालय अध्यादेशों के रूप में ही है जिनकी घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है।

नामीबिया के साथ संबंध

2335. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नामीबिया के साथ संबंधों में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नामीबिया सरकार ने अपने देश में तकनीकी और आद्योगिक विकास के लिए भारत से मदद मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) सरकार दक्षिण-दक्षिण सहयोग की सच्ची भावना से नामीबिया के साथ अपने परम्परागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक विकसित करने तथा उन्हें मजबूत करने के प्रति वचनबद्ध है। नामीबिया के राष्ट्रपति, डा॰ साम नुजोमा की 13 से 18 फरवरी, 1997 तक की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान के परिहार और आयकरों तथा पूंजीगत लाभों के संबध में राजकोषीय अपवंचन को रोकने से संबद्ध एक अभिसमय संपन्न किया गया। नामीबिया ने सूखारोधी कृषि के विकास तथा मानव संसाधनों के सतत् विकास में भारतीय सहायता की इच्छा व्यक्त की है। नामीबिया के राष्ट्रपति ने नामीबिया में व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाने के सिलसिले में भारतीय व्यवसायियों को भी आमंत्रित किया।

पासपोर्ट कार्यालय

2336. श्री चंमन लाल गुप्त : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के अंत तक प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने के कितने मामले लम्बित हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) जम्मू पासपोर्ट कार्यालय कब से शुरू हुआ है और जनवरी, 1997 के अंत तक इसमें कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में जाली पासपोर्ट जारी किये जाने के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) एक तालिकाबद्ध विवरण संलग्न है।

आमतौर पर पासपोर्ट को जारी करने में लम्बित पड़े रहने के कारण हैं-संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक या अधूरी रिपोर्ट प्राप्त होना, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, विशेष तौर पर डाक से प्राप्त आवेदनों में विसंगतियां होना, जिन आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है उनसे उत्तर न मिलना।

(ख) जम्मू स्थित पासपोर्ट कार्यालय ने 31.3.94 से कार्य करना शुरू कर दिया है। जनवरी 1997 के अन्त तक यहां पर 12978 आवेदन लम्बित पड़े थे।

(ग) पिछले वर्ष के दौरान मंत्रालय में किसी भी राज्य से जाली पासपोर्ट जारी होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰सं॰	कार्यालय	कुल लम्बित आवेदन
1	2	3
1.	अहमदाबाद	16049
2.	बंगलौर	6600

1	2	3
3.	बरेली	5497
4.	भोपाल	3185
5.	भुवनेश्वर	3725
6.	बम्बई	13217
7.	कलकत्ता	11578
8.	चण्डीगढ़	10923
9.	कोचीन	7914
10.	दिल्ली	19455
11.	गोवा	713
12.	गुवाहाटी	3128
13.	हैदराबाद	30156
14.	जयपुर	8600
15.	जालंधर	11069
16.	कोजिकोड	22368
17.	लखनऊ	24311
18.	मद्रास	18233
19.	नागपुर	1457
20.	पटना	9245
21.	त्रिचि	22769
22.	त्रिवेन्द्रम	11590
23.	जम्मू	13131
		274913

राजनयिकों का निष्कासन

2337. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में दो भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रबल विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) अमरीकी प्राधिकारियों ने अमरीका में तैनात दो भारतीय राजनयिकों को, उनके कौंसली ओहदे के विरूद्ध तथाकथित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में वापस बुलाने का अनुरोध किया है। यह घटना भारत सरकार के उस निर्णय के बाद हुई जिसमें उसने नई दिल्ली में तैनात उन संबंधित अमरीकी राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला किया जिनके विरूद्ध यह खबर थी कि उनके गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के साथ अनधिकृत सम्पर्क थे।

(ग) और (घ) सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों के इस निर्णय के प्रति गहरा खेद व्यक्त किया है। संबंधित भारतीय राजनयिक कौंसली अधिकारियों के रूप में अपना सामान्य उत्तरदायित्व निभा रहे थे। सरकार ने इसके विपरीत किसी भी तात्पर्य से साफतौर पर इन्कार किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक संबंध

2338. **डा॰ कृपासिंधु भोई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाक संबंधों में सुधार करने का है;

(ख) क्या कुछ देशों ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थों का कार्य करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार पाकिस्तान के साथ विश्वास, मैत्रीपूर्ण और सहयोग के संबंध स्थापित करने के प्रति कृतसंकल्प है। इस प्रयोजन से सरकार पाकिस्तान के साथ आपसी हित-चिन्ता के सभी मसलों पर उपयुक्त स्तर पर व्यापक और विस्तृत बातचीत करने की इच्छुक है।

(ख) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने की पेशकश की है, यदि दोनों देश ऐसी इच्छा रखते हों। तथापि भारत की यह सुसंगति नीति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मसलों को द्विपक्षीय तौर पर शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। सरकार पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में द्विपक्षीयवाद के सिद्धान्त के प्रति सुसंगति प्रतिबद्धता को कायम कर रखते हुए किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इन्कार करती है।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां

2339. **श्री के॰ प्रधानी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान करने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन कमियों को दूर करने और इस योजना की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिये कौन से उपचारात्मक उपाय करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति देने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित करने के संबंध में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के चुने हुए क्षेत्रों में नमूना आधार पर स्वतंत्र अनुसंधान अभिकरणों द्वारा अनुसंधान अध्ययन किये गये हैं। कार्यात्मक पहलुओं के संबंध में अध्ययनों में कतिपय कमियों को दूर करने की सिफारिश की गयी है, जैसे आय की सीमा को समाप्त करना, क्योंकि अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अधिकांश परिवारों की आय कम होती है, पूरी छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण समुदाय में जानकारी पैदा करने के लिये स्कीम का प्रचार तथा इसे सीधे समुदाय तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर निदेशालय को प्रचालन स्तर पर सक्रिय बनाना और यदि आवश्यक हो, तो संगठन को अधिक कारगर और कुशल बनाने के लिये उसका पुनर्गठन करना।

(ग) स्कीम के अंतर्गत आय की सीमा 25.2.1994 से हटा दी गयी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान करने के लिये उपयुक्त कदम उठायें। इस बात पर भी बल दिया गया है कि अस्वच्छ कार्य प्रथा के उन्मूलन हेतु जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है, चूंकि यह स्कीम महत्वपूर्ण उपाय है, इसलिए इस स्कीम का कारगर तरीके से कार्यान्वयन करने का उनसे अनुरोध किया गया है। स्कीम के विनियमों में भी कहा गया है कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें प्रमुख समाचार पत्रों, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों तथा अन्य उपयुक्त प्रचार माध्यमों के जरिये स्कीम की समय पर घोषणा करें।

[हिन्दी]

इलाज हेतु विदेश यात्रा

2340. श्री ललित उरांव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न रोगों के इलाज हेतु विदेश यात्रा पर जाने वाले केन्द्रीय मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्यपालों और राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उनके इलाज हेतु धन सरकारी कोष से जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो जारी की गयी धनराशि क्या है; और

(घ) क्या जिन रोगों के इलाज हेतु विदेश यात्राएं की गई, उनके इलाज की सुविधा देश में उपलब्ध नहीं हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष में तीन केन्द्रीय मंत्रियों को विदेश में इलाज कराने के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। राज्यों और राज्य सरकारों के मंत्रियों के लिए विदेश में इलाज कराने की अनुमति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय राजकोष से 75,90,759 रुपए की राशि भारतीय रुपए में और 54855.88 डालर की राशि विदेशी मुद्रा में रिलीज की गई थी।

(घ) विदेश में इलाज कराने के लिए पात्रता प्रमाणपत्र एक स्थाई समिति की सिफारिशों पर प्रदान किया जाता है जो भारत में प्रमुख अस्पतालों के संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के विचारों पर गौर करती है और प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखकर इस बात की संतुष्टि कर लेती है कि विदेश में इलाज कराना आवश्यक है।

नदियों को जोड़ना

2341. श्री जयसिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई के अतिरिक्त विद्युत निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिये जल का उपयोग करने हेतु नदियों को दूसरी नदियों से जोड़ने तथा नदियों पर बांध बनाने हेतु विशेषज्ञों का एक दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दल का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.9.1996 के कार्यालय ज्ञापन तथा इसके तुरंत बाद 25.10.1996, 22.11.1996 तथा 14.2.1997 के संशोधन के तहत एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। डा॰ एस॰आर॰ हाशिम, सदस्य, योजना आयोग, इस आयोग के अध्यक्ष हैं।

आयोग के के विचारार्थ विषय निम्न हैं :

(1) पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल संसाधन विकास संबंधी एकीकृत जल योजना तैयार करना;

(2) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नदियों को आपस में जोड़कर अधिक जल वाले बेसिन से कम जल वाले बेसिन में जल अंतरण के तौर तरीकों पर सुझाव देना;

(3) नई परियोजनाओं तथा चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करना जिसे चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए;

(4) जल क्षेत्र में और अधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इससे संबंधित एक प्रौद्योगिकीय तथा अन्तर अनुशासनात्मक योजना का पता लगाना;

(5) जल क्षेत्र के लिए वास्तविक तथा वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने संबंधी कार्य नीति का सुझाव देना;

(6) अन्य कोई संबंधित मामला।

(ग) दो वर्षों की समयावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।

[अनुवाद]

चकमा शरणार्थी

2342. श्री तारीक अनवर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री के हाल के ढाका दौरे के दौरान चकमा शरणार्थियों के मामले पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में रह रहे चकमा शरणार्थियों को वापस लेने पर बंगलादेश सरकार ने सहमति व्यक्त की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री की 6 से 7 जनवरी, 1997 तक की ढाका यात्रा के दौरान चकमा शरणार्थियों की वापसी के मुद्दे पर चर्चा की गई। भारत के एक प्रस्ताव के उत्तर में, बंगला देश की सरकार ने यह संकेत दिया था कि बंगलादेश में चटगांव पहाड़ी प्रदेशों के क्षेत्र के संसद सदस्यों सहित एक शिष्टमंडल त्रिपुरा स्थित चकमा शरणार्थी शिविरों के दौरे पर जाकर इन शरणार्थियों को बंगलादेश लौटाने के लिए प्रेरित करेगा। तदनुसार, बंगलादेश की संसद के प्रधान सचेतक के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय बंगलादेशी शिष्टमण्डल ने 27 फरवरी से 2 मार्च, 1997 तक त्रिपुरा का दौरा किया। इस शिष्टमण्डल ने त्रिपुरा स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और उसने त्रिपुरा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा चकमा शरणार्थी नेताओं के साथ बैठकें की।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर पुल

2343. श्री महेन्द्र कर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 16 पर पुलों/पुलियों का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर निर्माण किए जाने वाले/निर्माणाधीन पुलों और पुलियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क॰ पुल राज्य	कि॰मी॰ में नाम	कार्य का स्तर	स्वीकृत लागत (लाख रु॰)	पूरा होने की नियत तारीख
मध्य प्रदेश	178/8	-	21.68	6/97
मध्य प्रदेश	288 इंद्रावती पुल	सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	10.468	3/98
महाराष्ट्र	प्रणहिता और अन्य छोटे पुल	महाराष्ट्र की ओर से संरेखण और अवस्थिति पर अंतिम निर्णय लिया जाना है	-	संरेखण और अवस्थिति पर अंतिम निर्णय लेने के बाद लगभग पांच वर्ष
आंध्र प्रदेश	100/0 कि॰मी॰ से 115/0	-	46.04	3/97
आंध्र प्रदेश	115/0 कि॰मी॰ से 135/0	-	48.95	9/97
आंध्र प्रदेश	171.3 से 205.8	-	24.99	3/97
मध्य प्रदेश	493 कि॰मी॰ से 504 (सं॰ 8)	-	14.77	3/97
मध्य प्रदेश	289 कि॰मी॰ से 443 कि॰मी॰ (सं॰ 30)	-	25.45	3/97

आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान

2344. श्री रामसजीवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नीमसार में आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्र सरकार को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में स्वदेशी दवाइयों के विनिर्माण और इलाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त संस्थान की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि इस संस्थान के लिए 21 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) नीमसर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए भारत सरकार से 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई है।

(ग) प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और राज्य सरकार को सूचित किया गया कि चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बजट में आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है और भारत सरकार आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के प्रयोजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान नहीं करती है, इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबन्धन संस्थान

2345. श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं। अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ में स्थित चार भारतीय प्रबंध संस्थान हैं तथा अभी हाल ही में सरकार ने कालीकट तथा इन्दौर में दो नए भारतीय प्रबंध संस्थान खोलने का अनुमोदन किया है।

सिंचाई क्षमता में लोगों की भागीदारी

2346. श्री दिनशा पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जूनागढ़ जिले में सिंचाई क्षमता की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लोगों की भागीदारी से कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इन योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात सरकार ने राज्य में भागीदारी सिंचाई प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए नीति अपनाई है। इस नीति पर कार्रवाई करने के लिए राज्य के विभिन्न कृष्य जलवायु क्षेत्रों में कई प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में चंदरावाडी लघु सिंचाई स्कीम ऐसी ही एक प्रायोगिक परियोजना है।

(ग) जी हां।

(घ) 1974-75 से प्रारंभ किए गए केंद्रीय प्रवर्तित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं में किसान संघों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान गुजरात सरकार को इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

मुम्बई पत्तन में सुविधाएं

2347. श्री सुरेश कलमाडी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन के प्राधिकारियों ने व्यापार तथा पत्तन की यातायात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कतिपय सुविधाओं के निजीकरण का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 20.00 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से अम्बापाड़ा में भू-खंड पर तरल रसायनों के भंडारण के लिए टैंक फार्म का निर्माण।

खिलाड़ियों का कोटा

2348. डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में खिलाड़ियों के कोटे से कितने व्यक्तियों की भर्ती की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान असम सर्किल में ऐसी कितनी भर्ती हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार खिलाड़ियों के रोजगार के लिए कोई भी खेल-कोटा संचालित नहीं करती है। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया/नियमों में छूट देकर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों में समूह "ग" और "घ" के पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा 5 प्रतिशत तक रिक्त स्थानों को भरा जा सकता है। ऐसे सभी संगठनों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं।

लेखा परीक्षा पैरा

2349. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय और उसके अधीन दिल्ली में स्थित विभाग के बारे में मंत्रालय को भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से गत वर्ष के दौरान कितने लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन लेखा परीक्षा पैरा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लेखा परीक्षा पैरा के संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) आगे ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय में पिछले एक वर्ष में रक्षा सेवाओं/विभागों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल 116 लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं।

लेखापरीक्षा पैरा मुख्यतः वित्तीय लेन-देनों के परीक्षण लेखा परीक्षा से उभरे अन्य मुद्दों सहित रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखाओं से उभरे मामलों से संबंधित होते हैं। संक्षेप में ये पैरा सतत् बचतों/अधिकताओं, बकाया दावों/देयों, समुचित स्वीकृति के बिना व्यय, नकद हानियों, उपस्करों/सामानों की हानियों, अधिप्राप्त की गई स्वदेशी/आयातित मदों में खराबियों, विकास/विनिर्माण/निर्माण में विलंब, कार्मिकों, उपस्करों आदि के अकुशल/अविवेकसंगत उपयोग से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय में लेखापरीक्षा पैराओं की समीक्षा, समय पर उपचारात्मक कार्रवाई तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए स्थापित प्रणालियां बनी हुई हैं। समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और समय-समय पर अनुदेश/नीति संबंधी निदेश जारी किए जाते हैं।

अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए संबद्ध वित्त व लेखा परीक्षा के परामर्श से सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

गुंटूर-कुर्नूल सड़क के लिए विश्व बैंक की सहायता

2350. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर-कुर्नूल सड़क को चौड़ा करने संबंधी विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना "प्रोजेक्ट टाइगर" नामक अन्य परियोजना के कारण उपेक्षित हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 7 को जोड़ने वाले गुंटूर और कुर्नूल के बीच के 320 किलोमीटर सड़क मार्ग को विद्यमान सड़क के दोनों और के स्थान को चौड़ा करके इसे दो लेनों वाला राजमार्ग बनाने की योजना तैयार की है;

(ग) क्या इस योजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी गई थी और इस बैंक ने राज्य में सड़कों को मजबूत बनाने की योजना में सहायता करना स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की सहायता से इस सड़क का कार्य अब तक आरंभ किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने ऋण प्रदान करने से पहले कुछ शर्तें रखी हैं; और

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा लगायी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) गुन्टूर-करनूल सड़क को चौड़ा बनाने के लिए पर्यावरणीय अनुमति में करनूल-थोकापल्ली खंड का एक भाग शामिल नहीं है, क्योंकि सड़क का यह भाग दो टाइगर अभ्यारण्यों के बीच से गुजरता है।

(ख) पर्यावर्णीय अनुमति की शर्तों का अनुपालन करने के लिए रा॰रा॰-18 के करनूल-नान्दयाल खंड का उपयोग करते हुए नान्दयाल-गिद्दनौर-थोकापल्ली सड़क में सुधार करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिली है।

(ङ) और (च) इससे पहले कि विश्व बैंक इस परियोजना के लिए ऋण देने पर सहमत हो, पर्यावरणीय अनुमति लेना आवश्यक है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ

2351. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आतंकवादी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर सीमा में देश में सामान्य रूप से जगधक के उत्तर में अवस्थित बोगीना, मैन्धार के कृष्णा घाटी तथा राजौरी तथा पुंछ से घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों में उठाया है अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर तथा नियंत्रण रेखा पर हर संभव सतर्कता बरत रही है। सरकार देश की सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने सीमा पार से भारत के विरूद्ध संचालित आतंकवाद के प्रति पाकिस्तानी समर्थन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उपयुक्त तरीके से अवगत कराया है और इस मसले की दूर-दूर तक सभी को जानकारी है। इस संबंध में हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

"सैफ" खेलकूद

2352. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैफ" खेलकूद 1995 पर कितना व्यय किया गया;

(ख) हिरोशिमा 1994, वार्सिलोना 1993 तथा अटलांटा, 1996 में भारतीय दल में कितने व्यक्ति थे तथा इन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त खेलों में भेजे गए अधिकारियों पर कितना व्यय हुआ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सैफ खेल, 1995 के लिए भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा 43.00 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी थी।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

	खेल का नाम	भारतीय दल का आकार	उस पर हुआ व्यय
1.	एशियाई खेल, हिरोशिमा, 1994	204 व्यक्ति	128.00 लाख रुपये
2.	ओलंपिक खेल, बार्सिलोना, 1992**	82 व्यक्ति	52.62 लाख रुपये
3.	ओलंपिक खेल, अटलांटा, 1996	53 व्यक्ति	22.32 लाख रुपये

** ये खेल 1992 में बार्सिलोना में आयोजित किए गए थे न कि 1993 में, जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ग) उपर्युक्त खेलों में अधिकारियों को भेजने पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. सैफ खेल, 1995, मद्रास 10,836.00 रुपये
2. एशियाई खेल, 1994, हिरोशिमा 8.94 लाख रुपये
3. बार्सिलोना ओलंपिक्स, 1992 2.40 लाख रुपये
4. अटलांटा ओलंपिक्स, 1996 37.06 लाख रुपये

कैंसर शल्य चिकित्सक

2353. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में कोई नियमित कैंसर शल्य चिकित्सक नहीं हैं और विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या महिला रोगियों की देखभाल करते समय पुरुष कर्मचारियों द्वारा रेडियो चिकित्सा की जाती है न कि महिला कर्मचारियों द्वारा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अस्पताल प्राधिकारियों ने कैंसर सर्जन के पदों को भरे जाने तक सर्जरी विभाग में कैंसर से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए वैकल्पिक प्रबंध कर दिए हैं।

(ख) अस्पताल प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विकिरण चिकित्सा विभाग में महिला रोगियों को चिकित्सा प्रदान करते समय एक महिला परिचर उपस्थित होती है।

(ग) कैंसर सर्जन के पदों को भरने के लिए भरती प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्यूटोरियल कक्षाएं

2354. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्यूटोरियल कक्षाओं हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कक्षाएं सभी महाविद्यालयों में होती हैं और यदि हां, तो इसका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश महाविद्यालयों में व्याख्याताओं द्वारा आधी ट्यूटोरियल कक्षाएं नहीं ली जा रही हैं जबकि ये कक्षाएं महाविद्यालय की समय सारणी में दर्शायी जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शेरशाह सूरी का मकबरा

2355. श्रीमती मीरा कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रोहतास जिले में सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा उचित देखभाल और रखरखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र का घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने पर विचार किया है अथवा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह स्मारक केन्द्र द्वारा संरक्षित है तथा इसका नियमित रखरखाव एवं संरक्षण निर्धारित पुरातत्वीय मानकों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक परिसर का भ्रमण करने वाली जनता की सुविधा के लिए स्मारक में पीने के पानी की आपूर्ति, शौचालय सुविधा, स्मारक तक पहुंचने के लिए उचित मार्ग एवं पर्यावरण संबंधी विकास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि

2356. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्तिशाली कांग्रेसियों ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के संबंध में भारत के रूख का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का जनमत भारत के अनुकूल है;

(घ) क्या लगभग सभी देशों ने भारत के रूख का समर्थन किया है;

(ङ) कितने देशों ने भारत के रूख का समर्थन किया है; और

(च) इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जी हां। सरकार को कुछ अमरीकी कांग्रेस सदस्यों द्वारा व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में भारत के दृष्टिकोण पर समर्थनकारी रूख अपनाए जाने की जानकारी है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संबंध समिति के अध्यक्ष श्री बैंजमिन गिलमेन का विचार शामिल है। अमरीका के समाचार पत्रों और बुद्धिजीवी समुदाय में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत के दृष्टिकोण के प्रति पर्याप्त समझदारी है।

(घ) से (च) नाम देशों में भारत के दृष्टिकोण में व्यापक समर्थन है और यह बात 1995 में सम्पन्न नाम शिखर सम्मेलन में पारित कार्टेजेना घोषणा में परिलक्षित होती है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में भारत का दृष्टिकोण सिद्धान्तगत और सुसंगत है। भारत का मानना है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि नाभिकीय निरस्त्रीकरण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए जिसका उद्देश्य समयबद्ध रूपरेखा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों को समाप्त करना हो।

छावनी क्षेत्र में भूमि का आवंटन

2357. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी सैन्य नियुक्तियों के बिलकुल समीप अपने कार्यालय तथा आवास बनाने के लिए मजदूर संघ को भूखण्डों के आवंटन के संबंध में छावनी के प्राधिकारियों द्वारा अनुपालित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन आवासीय क्षेत्रों के पड़ोस में अथवा खुली भूमि पर, जहां सार्वजनिक मनोरंजन अथवा असमुदाय समारोह होते रहते हैं ऐसे भवन परिसर स्थापित करने से संबंधित नियम कौन से हैं;

(ग) क्या यह सच है कि छावनी के कतिपय प्राधिकारियों को कतिपय मामलों में सरकार की मंजूरी की इन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न न्यायालयों में किये गये कतिपय सार्वजनिक मुकदमों के मद्देनजर अब अपने आधार की समीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन-वी-एन- सोमू) : (क) और (ख) मौजूदा भूमि नीति के अनुसार छावनी क्षेत्र में ट्रेड यूनियन संगठनों के कार्यालय स्थापित किए जाने के वास्ते रक्षा भूमि आबंटित किए जाने तथा कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रयोजन के वास्ते रक्षा भूमि के आबंटन संबंधी अनुरोधों पर सरकार मामले के औचित्य के आधार पर निर्णय लेती है। सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई इस प्रकार की भूमि पर निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्णतः छावनी बोर्ड द्वारा उस छावनी के निर्माण संबंधी उप विधियों के अनुसार ही दी जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार ने एक विशेष आबंटन के रूप में कानपुर छावनी क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कामगार संघ को उनके भवन निर्माण कार्य के लिए और रूड़की छावनी क्षेत्र में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ को सभागार ओर पुस्तकालय के लिए वार्षिक किराए एवं किस्त के भुगतान के आधार पर रक्षा भूमि पट्टे पर दी है।

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कामगार संघ के विरूद्ध एक याचिका सिविल जज के न्यायालय में दायर की गई है जिसमें इस संघ को पट्टे पर दी गई भूमि की खुदाई करने और उस पर कोई निर्माण कार्य करने से उन्हें रोकने के लिए व्यादेश के जरिए रिलीफ की मांग की गई है। परंतु न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य मेले

2358. श्री भक्त चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के तथा छोटा परिवार नीति को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक तथा ताल्लुक स्तर पर स्वास्थ्य मेला आयोजित करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए 1995-97 के दौरान उड़ीसा को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य के कितने ब्लाक/ताल्लुक शामिल किए गए;

(घ) प्रत्येक ब्लाक में क्या उपलब्धि हासिल हुई; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा के लिए 1996-97 हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) दो स्तरों पर स्वास्थ्य मेले आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही थी :

(I) राज्य सरकारें

(II) गैर-सरकारी संगठन

(ख) (I) राज्य सरकार को - 31,00,000/- रुपये

(II) गैर-सरकारी संगठन को - 2,80,730/- रुपये

(ग) और (घ) उड़ीसा में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के अलावा, उड़ीसा राज्य सरकार को 1000 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य मेले आयोजित करने के लिए 31,00,000/- रुपये की राशि जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य कम उपयोग की गई स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करना तथा लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना था।

इन मेलों से लोगों में स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी बढ़ी है तथा मेला स्थल पर आवश्यक रोगहरक उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) योजना के अन्तर्गत किसी भी राज्य को कोई विशिष्ट राशि आबंटित नहीं की जा रही है।

जनजातीय इलाकों में बच्चों की मौत

2359. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 12 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) 2.12.1996 को पूछे गए प्रश्न संख्या 1301 के संबंध में अन्यों के साथ-साथ उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सूचना मांगी गई है जहां आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है। सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद में बंद पड़े अस्पताल

2360. डा- अमृत लाल भारती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद के मौजहानपुर तहसील के वैंसकंटो गांव में वर्ष 1974 और 1984 में क्रमशः एक सामान्य अस्पताल एवं एक महिला अस्पताल खोले गए परन्तु ये दोनों अस्पताल समुचित भवन और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों के न होने के कारण बंद पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं तत्काल प्रदान करके इन्हें चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि एक सरकार. अस्पताल (अब इसे नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम दिया गया) 1974 में और एक महिलाओं का अस्पताल 1984 में स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना से ही ये अस्पताल किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश छात्रों को छात्रवृत्ति

2361. श्री संदीपान थोरात : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से नए प्रयास आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई और हाल ही में लागू की गई नई रणनितियों और विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विकासशील देशों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पहले से ही उपलब्ध ऐसी सुविधाओं तथा निकट भविष्य में विदेशी छात्रों को इस प्रकार दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने/उनमें सुधार करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। परिवर्तनशील विश्व में विदेशों में भारत के हितों के संवर्द्धन की दिशा में सरकार विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान संवधित करने से सम्बन्धित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों की क्षमता की निरन्तर समीक्षा करती रहती है, ताकि इन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को अधिक से अधिक किया जा सके। बजट संबंधी संसाधनों की उपलब्धता, द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई वचनबद्धताओं और प्राथमिकताओं की समग्र नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष क्रियाकलापों का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। दक्षिण-दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया हमारी गतिविधियों का विशेष केन्द्र है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित भारतीय संस्कृति के प्रमुख कार्यक्रमों में रूस, विएतनाम और बंगला देश में भारतीय संस्कृति के दिन कार्यक्रम शामिल है।

(ग) सरकार अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी छात्रों को प्रति वर्ष 1000 से अधिक छात्रवृत्तियां देती है। यह छात्रवृतियां भारतीय विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए दी जाती है। इन पाठ्यक्रमों में चिकित्सा के अतिरिक्त तकनीकी और व्यावसायिक विषय शामिल हैं।

(घ) विदेश मंत्रालय विकासशील देशों के विदेशी छात्रों को भारत में इंजीनियरी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य मंत्राालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गई सीटों के निर्धारित कोटे पर स्व वित्तपोषण आधार पर सुविधाएं भी उपलब्ध कराता रहा।

इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अल्पावधि प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है।

जुलाई 1995 से विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के छात्रों के लिए वजीफों में वृद्धि की गई है। शिक्षा शुल्क और वजीफों के अलावा छात्रों को मकान किराए में रियायत, वार्षिक आनुषंगिक अनुदान, चिकित्सा और अन्य लाभ भी दिए जाते हैं।

मझगांव गोदी लिमिटेड

2362. श्री राम नाईक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव गोदी लिमिटेड की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नहावा शेवा में विकसित सुविधाएं भी बेकार पड़ी हैं;

(घ) क्या पनडुब्बी निर्माण इकाई में कोई कार्य भी नहीं हो रहा है और यदि हां, तो इस इकाई में कब से काम नहीं हो रहा है;

(ङ) क्या भारतीय नौसेना की पनडुब्बी का निर्माण करने की कोई भावी योजना है;

(च) यदि हां, तो 31 मार्च, 1996 की अवधि के अनुसार मझगांव गोदी लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ; और

(छ) मझगांव गोदी लिमिटेड संगठन की पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने और इसके संचित घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (छ) यह सही है कि माझगांव डाक लिमिटेड की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, कई वर्षों से माझगांव डाक लिमिटेड की कोई भी यूनिट बंद नहीं पड़ी है। आर्डर न मिलने के कारण वर्ष 1995-96 से न्हावा में स्थापित सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पनडुब्बी निर्माण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भारतीय नौसेना से कोई आर्डर न मिलने के कारण वर्ष 1993-94 के बाद से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने दो पनडुब्बियों का निर्माण किए जाने के वास्ते माझगांव डाक लिमिटेड को एक आशय पत्र दिया है। 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार मांझगांव डाक लिमिटेड की संचित हानियां 41.12 करोड़ रुपये की थीं। माझगांव डाक लिमिटेड ने अपनी संचित हानियों को समाप्त करने के लिए, ब्याज के बोझ को कम करने के वास्ते एक उपाय के रूप में अपने पूंजीगत आधार को फिर से नया बनाने का प्रस्ताव किया है। माझगांव डाक लिमिटेड ने विविधिकरण के एक भाग के रूप में विंडमिल टावर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। माझगांव डाक लिमिटेड स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना लागू करके अपने कार्य बल को युक्तिसंगत भी बना रहा है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश

2363. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं/किन-किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(ख) कितने देशों ने इस संधि की पुष्टि की है; और

(ग) इस संधि में परमाणु हथियार रहित देशों के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं और परमाणु हथियार वाले देशों पर क्या विनियम और नियंत्रण लागू किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जिन देशों ने व्यापक नाभकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी सूची विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) फिजी ही केवल ऐसा देश है जिसे अभी संधि का अनुसमर्थन करना है।

(ग) इस संधि से सभी राज्य पक्षकार, नाभकीय हथियार रखने वाले राज्य और नाभकीय हथियार न रखने वाले राज्य समान रूप से अपने अधिकार क्षेत्र अथवा नियंत्रणाधीन क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कोई भी नाभकीय हथियार परीक्षण विस्फोट अथवा कोई अन्य नाभकीय विस्फोट न करने और ऐसे किसी भी नाभकीय विस्फोट पर प्रतिबन्ध लगाने और रोकने के लिए बाध्य होते हैं। यह राज्य पक्षकारों को कोई भी नाभकीय हथियार परीक्षण विस्फोट अथवा कोई अन्य नाभिकीय विस्फोट करने का कारण बनने, प्रोत्साहन देने और किसी भी रूप में भाग लेने से दूर रहने की अपेक्षा करती है।

विवरण

देश का नाम	हस्ताक्षर की तारीख
1	2
अलवानिया	27 सितम्बर, 1996
अल्जीरिया	15 अक्तूबर, 1996
एन्डोरा	24 सितम्बर, 1996
अंगोला	27 सितम्बर, 1996
अर्जेन्टीना	24 सितम्बर, 1996
अर्मेनिया	1 अक्तूबर, 1996
आस्ट्रेलिया	24 सितम्बर, 1996
आस्ट्रिया	24 सितम्बर, 1996
बहरीन	24 सितम्बर, 1996
बंगलादेश	24 सितम्बर, 1996
बेलारूस	24 सितम्बर, 1996
बेल्जियम	24 सितम्बर, 1996
बेनिन	27 सितम्बर, 1996
बोस्निया	24 सितम्बर, 1996
बोस्निया और हरजेगोवीना	24 सितम्बर, 1996
ब्राजील	24 सितम्बर, 1996
ब्रुनी दारेस्लाम	22 जनवरी, 1997
बुल्गारिया	24 सितम्बर, 1996
बुरकीनाफासो	27 सितम्बर, 1996
बुरून्डी	24 सितम्बर, 1996
कम्बोडिया	26 सितम्बर, 1996
कनाडा	24 सितम्बर, 1996
केप वरडे	1 अक्तूबर, 1996
चाड	8 अक्तूबर, 1996
चिली	24 सितम्बर, 1996
चीन	24 सितम्बर, 1996
कोलम्बिया	24 सितम्बर, 1996
कोमोरोस	12 दिसम्बर, 1996
कांगो	11 फरवरी, 1997
कोस्टारिका	24 सितम्बर, 1996
कोट डी आइवरी	25 सितम्बर, 1996
क्रोएशिया	24 सितम्बर, 1996

1	2
साइप्रस	24 सितम्बर, 1996
चैक रिपब्लिक	12 नवम्बर, 1996
डेनमार्क	24 सितम्बर, 1996
जीबूती	21 अक्तूबर, 1996
डोमेनिकन रिपब्लिक	3 अक्तूबर, 1996
इक्वाडोर	24 सितम्बर, 1996
मिस्र	14 अक्तूबर, 1996
एल-सल्वाडोर	24 सितम्बर, 1996
इक्वाटोरियल गिनी	9 अक्तूबर, 1996
एस्टोनिया	20 नवम्बर, 1996
इथोपिया	25 सितम्बर, 1996
फिजी	24 सितम्बर, 1996, 10 अक्तूबर, 1996 (अनुसमर्थन की तारीख)
फिनलैंड	24 सितम्बर, 1996
फ्रांस	24 सितम्बर, 1996
गैबोन	7 अक्तूबर, 1996
जार्जिया	24 सितम्बर, 1996
जर्मनी	24 सितम्बर, 1996
घाना	3 अक्तूबर, 1996
ग्रीस	24 सितम्बर, 1996
ग्रेनाडा	10 अक्तूबर, 1996
गिनी	3 अक्तूबर, 1996
हैती	24 सितम्बर, 1996
होली सी	24 सितम्बर, 1996
हान्डूरास	25 सितम्बर, 1996
हंगरी	25 सितम्बर, 1996
आईलैंड	24 सितम्बर, 1996
इंडोनेशिया	24 सितम्बर, 1996
इरान (इस्लामिक गणराज्य)	24 सितम्बर, 1996
आयरलैंड	24 सितम्बर, 1996
इज़रायल	25 सितम्बर, 1996
इटली	24 सितम्बर, 1996
जमैका	11 नवम्बर, 1996

1	2
जापान	24 सितम्बर, 1996
जोर्डन	26 सितम्बर, 1996
कज़ाकस्तान	30 सितम्बर, 1996
कीनिया	14 नवम्बर, 1996
कुवैत	24 सितम्बर, 1996
किर्गीस्तान	8 अक्तूबर, 1996
लाटविया	24 सितम्बर, 1996
लेसोथो	30 सितम्बर, 1996
लाइबेरिया	1 अक्तूबर, 1996
लीचटेनस्टीन	27 सितम्बर, 1996
लिथुवानिया	7 अक्तूबर, 1996
लक्समबर्ग	24 सितम्बर, 1996
मेडागास्कर	9 अक्तूबर, 1996
मलावी	9 अक्तूबर, 1996
माली	18 फरवरी, 1996
माल्टा	24 सितम्बर, 1996
मार्सल द्वीप	24 सितम्बर, 1996
मोरीटानिया	24 सितम्बर, 1996
मेक्सिको	24 सितम्बर, 1996
संघीय राज्य माइक्रोनेशिया	24 सितम्बर, 1996
मोनाका	1 अक्तूबर, 1996
मंगोलिया	1 अक्तूबर, 1996
मोरक्को	24 सितम्बर, 1996
मौजाम्बिक	26 सितम्बर, 1996
म्यांमा	25 नवम्बर, 1996
नामिबिया	24 सितम्बर, 1996
नेपाल	8 अक्तूबर, 1996
नीदरलैंड	24 सितम्बर, 1996
न्यूजीलैंड	27 सितम्बर, 1996
निकारागुआ	24 सितम्बर, 1996
नाइज़र	3 अक्तूबर, 1996
नार्वे	24 सितम्बर, 1996
पनामा	24 सितम्बर, 1996
पापुआ न्यू गिनी	25 सितम्बर, 1996

1	2
पराग्वे	25 सितम्बर, 1996
पेरू	25 सितम्बर, 1996
फिलीपीन्स	24 सितम्बर, 1996
पोलैंड	24 सितम्बर, 1996
पुर्तगाल	24 सितम्बर, 1996
कतर	24 सितम्बर, 1996
कोरिया गणराज्य	24 सितम्बर, 1996
रोमानिया	24 सितम्बर, 1996
रूसी परिसंघ	24 सितम्बर, 1996
सेंट ल्युसिया	4 अक्तूबर, 1996
सामोआ	9 अक्तूबर, 1996
सानमारिनो	7 अक्तूबर, 1996
साओ टोमे एंड प्रिंसिघे	26 सितम्बर, 1996
सेनेगल	26 सितम्बर, 1996
सेसेल्श	24 सितम्बर, 1996
स्लोवाकिया	30 सितम्बर, 1996
स्लोवेनिया	24 सितम्बर, 1996
सोलोमन द्वीप समूह	3 अक्तूबर, 1996
दक्षिण अफ्रीका	24 सितम्बर, 1996
स्पेन	24 सितम्बर, 1996
श्रीलंका	24 अक्तूबर, 1996
सूरीनाम	14 जनवरी, 1996
स्वाजीलैंड	24 सितम्बर, 1996
स्वीडन	24 सितम्बर, 1996
स्वीट्जरलैंड	24 सितम्बर, 1996
ताजिकस्तान	7 अक्तूबर, 1996
थाईलैंड	12 नवम्बर, 1996
टोगो	2 अक्तूबर, 1996
ट्यूनिशिया	16 अक्तूबर, 1996
तुर्की	24 सितम्बर, 1996
तुर्कमेनिस्तान	24 सितम्बर, 1996
उगांडा	7 नवम्बर, 1996
उक्रेन	27 सितम्बर, 1996
संयुक्त अरब अमीरात	25 सितम्बर, 1996
युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड उत्तरी आयर लैंड	24 सितम्बर, 1996
संयुक्त राज्य अमरीका	24 सितम्बर, 1996
उरुग्वे	24 सितम्बर, 1996
उज़बेकिस्तान	3 अक्तूबर, 1996
वनोतु	24 सितम्बर, 1996
वेनेजुएला	3 अक्तूबर, 1996
वियतनाम	24 सितम्बर, 1996
यमन	30 सितम्बर, 1996
जाम्बिया	3 दिसम्बर, 1996
जैरे	4 अक्तूबर, 1996

अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

2364. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल द्वारा भेजी गई जिला अस्पतालों के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान संबंधी योजना के कार्यान्वयन हेतु केरल सरकार की 3.56 करोड़ रुपए की किसी परियोजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में जनरल/जिला अस्पतालों के अपशिष्ट के निपटान के बारे में एक प्रस्ताव योजना आयोग को अगस्त, 1995 में भेजा गया था। योजना आयोग ने सितम्बर, 1995 में केरल सरकार से प्रस्ताव में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया था। योजना आयोग ने सूचित किया है कि संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत

2365. श्री समीक लहिरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा हेतु केन्द्र और राज्य के आवंटन में वृद्धि करने के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) डा॰ डी॰एस॰ कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1964-66) में यह सिफारिश थी कि देश में शैक्षिक व्यय कुल मिलाकर बढ़कर 1985-86 तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत तक हो जाना चाहिए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से तथा इसके आगे शिक्षा पर परिव्यय कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यह प्रतिबद्धता जाहिर की है कि राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा पर बजटीय व्यय 1967-68 में जो 1.9 प्रतिशत था वह 1994-95 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया है।

असम में पासपोर्ट कार्यालय

2366. **श्री केशव महन्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उपरोक्त कार्यालय में प्रत्येक महीने में औसतन कितने आवेदनों की जांच की जाती है;

(ग) क्या उक्त कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) असम में एक पासपोर्ट कार्यालय है जो गुवाहाटी में स्थित है।

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी द्वारा प्रति माह संसाधित आवेदन-पत्रों की औसत संख्या 694 है।

(ग) जी, नहीं। आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 35 से 40 दिनों के अन्दर पासपोर्ट जारी किये जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स के इलाज हेतु आबंटन

2367. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स और एच॰आई॰वी॰ रोगियों के नवीनतम इलाज संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन रोगों के इलाज हेतु दवाइयां विकसित करने हेतु आयुर्वेद महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा कोई अनुसंधान और अध्ययन किया गया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे कार्यकलापों को चलाये जाने हेतु मंत्रालय में कोई विशेष वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उद्देश्य हेतु कोई विशेष आबंटन हेतु विचार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एड्स तथा एच आई वी पॉजीटिव के नवीनतम उपचार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आयुर्वेद उपचार में एड्स के लिए परीक्षण क्षयरोग अस्पताल, ताम्बारम चेन्नई तथा जे॰जे॰ ग्रुप आफ अस्पताल, मुम्बई में चल रहा है। चेन्नई और मुम्बई में होम्योपैथी औषधियों में भी परीक्षण चल रहे हैं और परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अनुसंधान अध्ययन करने के लिए अब तक 3.39 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विवरण

एड्स तथा एच आई वी पॉजिटिव रोगियों के नवीनतम उपचार

जैसे ही एच आई वी पाजीटिव रोगी का पता चलता है तो रोगी के नैदानिक प्रस्तुति के आधार पर उपचार शुरू किया जा सकता है। इन रोगों के होने पर अवसरवादी संक्रमण का उपचार करना पड़ता है। यह उपचार पश्चविषाणुज रोधी औषधों के साथ शुरू किया जा सकता है। एफ डी ए (यू एस ए) द्वारा अनुमोदित पश्च विषाणुज रोधी औषधों के दो ग्रुप हैं।

(I) रिवर्स टांसक्रिप्टेज इनहिबिटर

औषधों के ये ग्रुप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एन्जाइम को प्रभावित करके विषाणुओं की प्रक्रिया को रोक देती हैं।

(क) ए जेड टी - एजीडोथाइमिडीन

(ख) डी डी टी (डाई-आयोडीनोसीन-लेमीवुडीन)

(ग) डी डी सी (आई-आयोडोसाइटिन-स्टैन्वुडीन)

(II) प्रोटीज इनहिबीटर्स

ये औषधों के ऐसे ग्रुप हैं जो प्रोटीज एन्जाइम को रोकते हैं और इस तरह एच आई वी के नए विरिओन्स बनने से रोकते हैं। ये औषधें है :—

(i) सैकिनोविर

(ii) इंडिनाविर

(iii) रिटोनाविर

शुरू में ए॰जेड॰टी॰ (एजीडोथिमिडीन) का उपयोग किया गया लेकिन यह पता चला कि केवल इन्हीं औषधों का उपयोग एच॰आई॰वी॰ का प्रतिरोधी दबाव होगा, इसलिए संयोजन चिकित्सा पश्चिमी विकसित देशों में शुरू की गई है जो अधिक प्रभावी है और संयोजन चिकित्सा के अन्य लाभ ये हैं कि इसके गौण प्रभाव कम हैं और इसका प्रतिरोधी दबाव नहीं होता। 1996 में प्रोटीज इनहिबिटर की खोज की गई और शुरू के परीक्षणों से पता चला कि प्रोटीज इनहिबिटर वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के संयोजन के विषाणुज भार की कमी के संबंध में अच्छे परिणाम निकल रहे थे। अतः यह निष्कर्ष निकला है कि इस रेटरोवाइलरोधी के संयोजन के साथ विषाणु पर शीघ्र काबू पाना एच॰आई॰वी॰ पॉजीटिव/एड्स रोगियों के जीवन को जारी रखने के लिए अधिक प्रभावी उपचार है।

लेकिन ऐसे उपचार की लागत बहुत अधिक है और अवसंरचना सुविधाएं, उदाहरणार्थ विषाणुज भार तथा पी॰सी॰आर॰ का मूल्यांकन, इन रोगियों के उपचार की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए आवश्यक हैं।

महाविद्यालयों की स्थापना

2368. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य शिक्षा के साथ पारंपरिक विषयों के लिए महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी किसी "मोरेटोरियम" के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च शिक्षा के सतर में निरन्तर गिरावट आती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। इसको साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के अनुरक्षण और स्तरोन्नयन के लिए समय-समय पर कदम उठा रही है। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित अनुसार हैं :—

- 1.1.1986 से कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन। अध्यापकों के प्रशिक्षण और कैरियर प्रोन्नति के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- अध्यापन व्यवसाय में उत्कृष्ट व्यक्तियों को लाने के लिए अखिल भारतीय अर्हता परीक्षा आरंभ की गई है।
- नए नियुक्त विश्वविद्यालय और कालेज अध्यपाकों के अभिविन्यास के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।
- पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और मानविकी में 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में 27 विषयों के लिए आधुनिक पाठयचर्या तैयार की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत अध्यापन और अनुसंधान के सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान की प्रोन्नति हेतु मुख्य सुविधाएं व सेवायें प्रदान करने के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए।
- कुछ चुने हुए कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश वितरित किए गए। इन दिशा निर्देशों मे विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिवसों के अनुपालन पर बल दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री, न्यूनतम कार्य दिवस आदि देने हेतु न्यूनतम स्तरों के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक विरासत हेतु धनराशि

2369. श्रीमती कमल रानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत की ओर जागरूकता पैदा करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या सांस्कृतिक विरासत हेतु कानपुर देहात और कानपुर शहर के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 में सांस्कृतिक विरासत की ओर जागरूकता पैदा करने हेतु कानपुर देहात और कानपुर शहर में कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) वृंदावन शोध संस्थान, वृन्दावन को वर्ष 1989-1995 के लिए वेतन एवं रख-रखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के समानुपाती अंश के आधार पर 4.17 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान प्रदान किया गया। यह संस्थान

उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है। इस वर्ष अनुदान को प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

2370. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापन के स्तर/प्रशासन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में असंतोषजनक कार्य निष्पादन के बारे में विद्यालय प्रबंध समितियों तथा अभिभावकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यालयों में शैक्षिक कार्यकलापों का बेहतर निरीक्षण, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा कारगर बनाने तथा सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने जैसे शैक्षिक कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेकों उपाय किए हैं।

आई॰आई॰टी॰ में एमरेट्स फेलोशिप

2371. **श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने तथा कितनी राशि की भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) की एमरेट्स फेलोशिप विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों को प्रदान की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान कुल कितने तथा कितनी राशि की ए॰आई॰टी॰ई॰ एमरेट्स फेलोशिप विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को दी गई;

(ग) क्या अपनी कार्यवधि के दौरान समस्त भारत के इंजीनियरिंग कालेजों के संकाय सदस्यों की तुलना में आई॰आई॰टी॰ के संकाय सदस्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से विभिन्न अनुदान लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति की समीक्षा करेगी तथ आई॰आई॰टी॰ को ऐसी फेलो[illegible] करेगी और यह फेलोशिप अन्य इंजीनियरिंग कालेजों को देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय सदस्यों के साथ हो रहे वर्तमान अन्याय को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एमरेट्स फेलोशिय की योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा के अनुसंधान तथा अध्यापन में सक्रिय रूप से कार्यरत संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/कालेजों के उच्च अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (व्यक्तियों) को यह फेलोशिप प्रदान की जाती है। यह योजना उनके विशेषता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान को सक्रिय बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत आवेदक द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय/कालेज से यह कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है, अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अध्येता (फेलो) को अनुमति प्रदान करें। फेलोशिप की अवधि फेलोशिप ज्वाइन करने की तारीख से केवल दो वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की अवधि इनमें जो भी पहले हो, के लिए होती है। फेलोशिप में 5000/- रु॰ प्रतिमाह का पारिश्रमिक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त एमरेट्स फेलो को भविष्य निधि/पेंशन दी जाती है और उन्हें 20,000/- रु॰ का प्रतिवर्ष आकस्मिक अनुदान भी दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 54 एमरेट्स फेलोशिप प्रदान की गई है। इनमें से 16 फेलो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कार्य कर रहे हैं तथा शेष 38 एमरेट्स फेलो देश की अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं।

आयुध कारखानों के लिए सहायक इकाइयां

2372. **श्री के॰ कुंडासामी :**

श्री सी॰ नरसिम्हन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आयुध कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देश में विशेषतः दक्षिण में इसकी एक सहायक इकाई स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है तथा क्या इस उद्देश्य हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोन्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्विलोन बाई पास

2373. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 8550 मी॰ से 9875 मी॰ वाले क्विलोन बाई पास प्लान-II पर निर्माण करने से संबंधित केरल से संशोधित तकनीकी प्रस्ताव और अनुमान प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त कार्य के निष्पादन के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (घ) क्विलोन बाईपास चरण-II के लिए दिसम्बर, 1996 में प्राप्त प्राक्कलनों पर कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और उसके लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन नौवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा सकता है।

आयुर्वेद संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट

2374. श्री मुखतार अनीस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 15 दिसम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 354 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा देने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों में कुल प्रवेश क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार उक्त संस्थानों से उत्तीर्ण हुए स्नातकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कुल कितना आबंटन किया गया तथा कितना व्यय हुआ; और

(घ) इस क्षेत्र में कितने स्वैच्छिक संगठन और निजी संस्थान कार्यरत हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को पढ़ा रहे मान्यताप्राप्त संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता का ब्यौरा और पाठ्यक्रम पूरा करने वाले स्नातकों की गत तीन वर्षों की वर्ष-वार और राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I(i), I(ii), I(iii), में दी गयी है।

(ग) केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया कुल आवंटन और इस पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) इस क्षेत्र में 224 स्वैच्छिक संगठन और निजी संस्थाएं कार्य कर रहे हैं।

विवरण-I(i)

पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों का राज्यवार विवरण, उनकी क्षमता और वर्षवार पास हुए छात्र

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य का नाम	सरकारी		अन्य		कुल		फाइनल वर्ष परीक्षा में पास हुए छात्र		
		कालेजों की की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की की संख्या	प्रवेश क्षमता	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3	109	1	20	4	129	115(4)	106(4)	62(3)
2.	असम	1	30	–	–	1	30	30(1)	33(1)	29(1)
3.	बिहार	3	78	6	178	9	256	85(3)	15(1)	112(4)
4.	गोवा	–	–	1	40	1	40	*	*	*
5.	गुजरात	5	154	4	134	9	288	253(9)	228(8)	230(8)
6.	हरियाणा	1	50	3	150	4	200	267(4)	164(2)	140(3)
7.	हिमाचल प्रदेश	1	20	–	–	1	20	33(1)	12(1)	+
8.	कर्नाटक	3	135	10	450	13	585	129(8)	154(8)	144(8)
9.	केरल	3	126	2	60	5	186	53(3)	68(3)	54(3)
10.	मध्य प्रदेश	7	210	–	–	7	210	128(7)	109(6)	135(6)
11.	महाराष्ट्र*	4	185	32	1677	36	1862	939(19)	889(19)	851(17)
12.	उड़ीसा	2	60	2	60	4	120	106(4)	106(4)	53(2)
13.	पंजाब	1	30	2	101	3	131	172(3)	112(3)	45(1)
14.	राजस्थान*	2	120	3	50	5	170	256(5)	143(4)	157(4)
15.	तमिलनाडु*	–	–	3	40	3	40	19(1)	13(1)	23(1)
16.	उत्तर प्रदेश	10	435	–	–	10	435	243(9)	215(10)	164(7)
17.	पश्चिम बंगाल	1	60	–	–	1	60	40(1)	32(1)	+
18.	चण्डीगढ़	–	–	1	50	1	50	47(1)	47(1)	44(1)
19.	दिल्ली	–	–	1	41	1	41	27(1)	26(1)	+
	भारत	47	1802	71	3051	118	4853	2942(84)	2472(78)	2248(69)

पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों का राज्यवार विवरण, उनकी क्षमता तथा वर्षवार पास हुए छात्र

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य	सरकारी				अन्य				योग			
		विश्वविद्यालय		बोर्ड		विश्वविद्यालय		बोर्ड		विश्वविद्यालय		बोर्ड	
		कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1	50	–	–	1	50	–	–	2	100	–	–
2.	बिहार	1	60	–	–	3	100	–	–	4	160	–	–
3.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	2	60	–	–	2	60	–	–
4.	कर्नाटक	2	50	–	–	–	–	–	–	2	50	–	–
5.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	1	50	–	–	1	50	–	–
6.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	6	175	–	–	6	175	–	–
7.	राजस्थान	–	–	–	–	2	70	–	–	2	70	–	–
8.	तमिलनाडु	1	16	–	–	–	–	–	–	1	16	–	–
9.	उत्तर प्रदेश	3	110	1	(50)	3	100	–	–	6	210	1	(50)
10.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	1	60	–	–	1	60	–	–
11.	दिल्ली	–	–	–	–	2	70	–	–	2	70	–	–
	योग	8	286	1	(50)	21	735	–	–	29	1021	1	(50)

टिप्पणी :—

\- = शून्य सूचना।

* = महाराष्ट्र के एक कालेज, राजस्थान के दो कालेजों तथा तमिलनाडु के एक कालेज ने प्रवेश क्षमती की सूचना नहीं दी है। सभी कालेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं×

× = देय नहीं

\+ = सूचना अनुपब्ध

(ब्रैकेट में दिए गए आंकड सूचित किए गए संस्थानों की संख्या को बतलाते हैं)

विवरण–I(ii)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इस पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या					
		1990–91		1991–92		1992–93	
		डिग्री	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा
		15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	109(2)	–	66(2)	–	+	–
2.	बिहार	14(1)	–	32(1)	–	84(3)	–
3.	जम्मू व कश्मीर	×	–	×	–	×	–
4.	कर्नाटक	22(1)	–	24(1)	–	22(1)	–
5.	मध्य प्रदेश	13(1)	–	25(1)	–	25(1)	–
6.	महाराष्ट्र	47(2)	–	38(2)	–	128(3)	–
7.	राजस्थान	30(1)	–	+	–	37(2)	–
8.	तमिलनाडु	16(1)	–	14(1)	–	15(1)	–
9.	उत्तर प्रदेश	14(1)	43(1)	27(1)	38(1)	+	12(1)
10.	पश्चिम बंगाल	*	–	*	–	×	–
11.	दिल्ली	76(2)	–	89(2)	–	36(1)	–
	योग	341(12)	43(1)	315(11)	38(1)	347(12)	12(1)

टिप्पणी :–

– = शून्य सूचना (कालम सं॰ 6 व 14 के कोष्ठकों के अन्दर के आंकड़े डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता को दर्शाते हैं जबकि कालम 4, 8, 10, 12 में कोष्ठकों के अन्दर कवर नहीं किए गए आंकड़े डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता को दर्शाते हैं।

= सूचना अनुपलब्ध (कालम सं॰ 15, 17, 18, 19 और 20 में अन्दर के आंकड़े सूचना देने वाली संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं)

डिग्री = डिग्री पाठ्यक्रम

डिप्लोमा = डिप्लोमा पाठ्यक्रम

= देय नहीं।

विवरण–I(iii)

पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त होमियोपैथी शिक्षण संस्थानों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण, उनकी प्रवेश क्षमता तथा संबंद्धता स्थिति तथा वर्षवार पास हुए छात्र

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी				अन्य				योग			
		विश्वविद्यालय		बोर्ड		विश्वविद्यालय		बोर्ड		विश्वविद्यालय		बोर्ड	
		कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	155	–	–	–	–	–	–	4	155	–	–
2.	असम	1	N.A.	2	(70)	–	–	–	–	1	–	2	(70)
3.	अरुणाचल प्रदेश **	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
4.	बिहार**	1	N.F.	–	–	19	775+ 75$ (150)	–	–	20	775+ 75$ (150)	–	–
5.	गुजरात	–	–	–	–	2	100	8	(250)	2	100	8	(250)
6.	कर्नाटक	1	30	–	–	7	345	–	–	8	375	–	–
7.	केरल	2	100+ 50$	–	–	2	50+40$	1	N.F.	4	150+ 100$	1	N.A.
8.	मध्य प्रदेश**	–	–	–	–	1	N.A.	7	(350)	1	N.A.	7	(350)
9.	महाराष्ट्र**	–	–	–	–	31	1512	7	(650)	31	1512	7	(650)
10.	उड़ीसा	4	100	–	–	1	25	–	–	5	125	–	–
11.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	5	(200)	–	–	5	(200)
12.	राजस्थान	–	–	–	–	3	145	–	–	3	145	–	–
13.	तमिलनाडु	1	22	–	–	2	100	–	–	3	122	–	–
14.	उत्तर प्रदेश	10	295	–	–	–	–	–	–	10	295	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	पश्चिम बंगाल	5	250	1	(60)	1	–	6	(440)	6	250	7	(500)
16.	दिल्ली	1	50	–	–	–	–	1@	40	1	50	1	40
17.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	1	(50)	–	–	1	(50)
		30	1002+ 50$	3	(130)	70	3052+ 125$ (150)	36	40+ (1940)	100	4054+ 175$ (150)	39	40+(2010)

अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	98	111	62(32)
2.	असम	(41)	(74)	18)
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	बिहार	114(28) 35$	42(13) 25$	88(69)
5.	गुजरात	42(166)	41(151)	34(208)
6.	कर्नाटक	129(21)	215(32)	226
7.	केरल	83(119)	44(105)	110
8.	मध्य प्रदेश	(110)	(175)	(116)
9.	महाराष्ट्र	281(99) 23$	369(137) 20$	335(365)
10.	उड़ीसा	85	106	140
11.	पंजाब	(28)	(25)	(56)
12.	राजस्थान	32	10	3
13.	तमिलनाडु	9	23	33

1	2	15	16	17
14.	उत्तर प्रदेश	115	113	74
15.	पश्चिम बंगाल	85(163) 25 $$	101(185) 24 $$	135 (210)
16.	दिल्ली	33	38	35
17.	चण्डीगढ़	(27)	(27)	(32)
	भारत	6(802)58$ 25$$	1213(924) 45$ 24$$	1327(1106)

नोट : 5 = शून्य सूचना। एन॰ए॰ = अनुलब्ध। एन॰एफ॰ = निश्चित नहीं। = ग्रेडेड डिग्री पाठ्यक्रम

= रा॰हो॰सं॰ द्वारा प्रदान डिप्लोमा। = बोर्ड से सम्बद्ध लेकिन डिग्री पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

= कालेज विश्वविद्यालय और बोर्ड दोनों से सम्बद्ध हैं और डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

प्रवेश सूचना नहीं दी गई –

अरुणा प्रदेश	–	1	(डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए)
बिहार	–	6	(डिग्री पाठ्यक्रम के लिए)
गुजरात	–	3	(डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए)
कर्नाटक	–	1	–तदेव–
केरल	–	1	–तदेव–
महाराष्ट्र	–	8	–तदेव–
पंजाब	–	1	(डिप्लोमा पाठ्यक्रम)
पश्चिम बंगाल	–	1	(डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाप्त)

कालम 15, 16 और 17 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सूचित करते हैं जबकि कोष्ठक में नहीं दिए गए आंकड़े डिग्री पाठ्यक्रम में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सूचित करते हैं।

विवरण–II

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 8वीं योजना के दौरान किए गए कुल आवंटन का विवरण

वर्ष	धन का आवंटन (लाख रुपए में)
1	2
1992–93	215.00
1993–94	355.00
1994–95	325.00
1995–96	420.00
1996–97	405.00

टिप्पणी : मौजूदा योजना के अनुसार राज्यवार तथा विषयवार धन के आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण–III

8वीं योजना के दौरान विमुक्त सहायतानुदान

(लाख रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	60.79	13.00	–	56.50	130.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
3.	असम	30.00	–	–	50.00	80.00
4.	बिहार	4.20	14.00	–	–	18.20
5.	गोवा	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	69.49	–	–	14.20	83.69
7.	हरियाणा	28.70	–	–	–	28.70
8.	हिमाचल प्रदेश	30.00	–	–	–	30.00
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	106.00	–	–	99.09	205.09
11.	केरल	59.75	–	–	41.58	101.33
12.	मध्य प्रदेश	26.77	10.00	–	9.50	46.27
13.	महाराष्ट्र	410.09	40.00	–	55.00	505.09
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	49.00	–	–	24.25	73.25
19.	पंजाब	5.00	–	–	–	5.00
20.	राजस्थान	28.00	–	–	43.40	71.40
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	14.00	10.00	13.20	21.68	58.88
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	18.45	–	57.25	75.70

1	2	3	4	5	6	7
25.	पश्चिम बंगाल	12.00	10.00	–	66.00	88.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	10.00	–	–	–	10.00
28.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–
29.	दमण एवं दीव	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	25.62	18.00	–	–	43.62
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–
	योग :	969.41	133.45	13.20	538.45	1654.51

सी॰ए॰डी॰पी॰ के अंतर्गत कर्नाटक के लिए धनराशि

2375. श्री विजय संकेश्वर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक के लिए गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए इस योजना हेतु बेलगाम मंडल के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को नीचे दिए गए अनुसार वर्षवार केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई :—

वर्ष	राशि (लाख रु॰ में)
1993-94	538.91
1994-95	279.03
1995-96	681.80

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बेलगांव मंडल में परियोजना के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	बेलगांव मंडल के लाभान्वित जिले	परियोजना का कार्यक्रम		
		मुख्य मदें	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
मालाप्रभा और घाटप्रभा	बेलगांव	लागत (लाख रु॰)	688.00	602.00
	बीजापुर	फील्ड चैनल (हैक्टेयर)	9277	2334
		फील्ड जलनिकास (हैक्टेयर)	3000	4000
		बाराबन्दी (हैक्टेयर)	4100	6000
		भूमि समतलन (हैक्टेयर)	8000	8000

1	2	3	4	5
ऊपरी कृष्णा परियोजना	बीजापुर	लागत (लाख रु॰)	705.80	653.00
		फील्ड चैनल (हैक्टेयर)	6178	9880
		फील्ड जलनिकास (हैक्टेयर)	1500	2000
		भूमि समतलन (हैक्टेयर)	1000	1667

वर्ष 1997-98 के लिए अभी तक कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्यक्रम 2001 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी लेबल

2376. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी तम्बाकू उत्पादों के लेबलों पर चेतावनी छापना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ तम्बाकू उत्पादों को छूट दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे तम्बाकू उत्पादों के नाम क्या हैं और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी तम्बाकू उत्पादों को लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का नियमन) अधिनियम 1975 के अनुसार सिगरेट के सभी डिब्बों/पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी देना अनिवार्य है। यह अधिनियम अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लागू नहीं होता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अन्तर्गत "तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" चेतावनी देनी अनिवार्य है।

(घ) और (ङ) एक व्यापक विधान बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के पैकेजों पर सांविधिक चेतावनियों के बारे में विशिष्ट उपबंध शामिल होंगे।

जहरीले आटे का सेवन करने की वजह से मृत्यु

2377. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में जहरीले आटे का सेवन करने की वजह से 14 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में उपयोग में लाए गए गेहूं के आटे और सब्जियों के कारण भोजन में विषाक्तता की सम्भावना से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 35 रोगियों को भर्ती किया गया। यह आटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भावल खेड़ा के अन्तर्गत ग्राम हथौरा बुजुर्ग में दो दुकानों से खरीदा गया था। जिला प्रशासन द्वारा 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के भी आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

गवर्नमेण्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी हेतु विश्व बैंक सहायता

2378. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी के नये भवन के निर्माण हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता की धनराशि क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उपस्करों की खरीद के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गयी है; और

(ङ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) 358.90 लाख रु०। सहायता की शर्तों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) 75.00 लाख रु०।

(ङ) यह संस्थान इस परियोजना तथा विश्व बैंक के अन्तर्गत विश्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए पहले से ही सहायता प्राप्त कर रहा है।

लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियां

2379. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री आई०डी० स्वामी :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण विभाग द्वारा मियाद समाप्त हो चुके सामानों की खरीद के संबंध में गम्भीर आपत्तियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग ने ऐसी सामग्री की खरीद नहीं की है जिसकी उपयोग की अवधि समाप्त हो गई हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने खरीद संबंधी फाइलें देखी हैं तथा कुछ टिप्पणियां की हैं। परिवार कल्याण विभाग इन टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियों को अंतिम रूप दे रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सी०टी० स्केन मशीनें

2380. **श्री आई०डी० स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग एक वर्ष पहले बड़े-बड़े अस्पतालों की सी०टी० स्केन मशीनों को जानबूझ कर खराब रखने तथा सिर सम्बंधी चोट के मामलों को प्राइवेट रोग निदान केन्द्रों में भेजने संबंधी मामलों के एक घपले का पता लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत उस जांच प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट रोग निदान केन्द्रों को काम देने के लिए सी०टी० स्केनर्ज तथा अल्ट्रा साउंड उपकरण जानबूझ कर खराब रखे गये तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 2 जून, 1995 को इस मंत्रालय को इस आरोप के बारे में एक नोट भेजा गया था किया प्रमुख अस्पतालों के उपस्कर जानबूझ कर खराब रखे जा रहे हैं ताकि प्राइवेट नैदानिक सुविधओं को काम दिया जा सके। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी, 1992 से अगस्त, 1993 की अवधि में दिल्ली के कुछ प्रमुख अस्पतालों में अल्ट्रा साउंड और सीटी स्केन यूनिटों के कार्यकरण का एक तुलनात्मक चार्ट भेजा था जिसमें उपस्करों के कार्य न करने की तिथियां और सेवा संविदाओं में भिन्नता दर्शाई गई थी। इस मामले की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/मंत्रालय में समीक्षा गई और सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को जारी किए गए अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ उपस्करों के उपयोग न होने की ऐसी अवधि में काम न करने और इससे हुई हानि पर रोक लगाने को कहा गया और उपस्करों के रख-रखाव की प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाने को कहा गया। राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली की सरकार को भी ऐसी ही सलाह दी गई।

रेल व सड़क पुल

2381. **श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क पुल जोकि गंडक नदी पर छितौनी और बगहा के बीच रेल व सड़क मार्ग पुल का एक हिस्सा था, के कार्य को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय को अपेक्षित राशि उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस पुल के निर्माण के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय और बिहार सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई करार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने चितौनी-बगहा रेल एवं सड़क पुल के नदी नियंत्रण कार्यों के निर्माण की लागत के लिए 1982 में 5 करोड़ रुपए और 1992 के दौरान 2.1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि योजना आयोग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार नदी नियंत्रण कार्यों की लागत के बांट के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के मध्य 5:3:2 के अनुपात में जारी की गई थी।

जैसा कि रेल मंत्रालय ने मांग की है उपर्युक्त कार्यों के लिए 1996-97 के दौरान रेल मंत्रालय को पूरा भुगतान करने के लिए इस मंत्रालय के संशोधित बजट प्राक्कलन में 22.53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय को जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स एजेंसी द्वारा बच्चों को गोद लेना

2382. श्रीमती शीला गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स ऐजेंसी कब से कार्य कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस ऐजेंसी द्वारा राज्य-वार कितने बच्चों को गोद लिया गया;

(ग) क्या देश में बच्चों को गोद लेने को प्रोत्साहन देने के लिये किसी केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना को कार्यान्वित करने का तरीका तय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान इस योजना हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालनार्थ कल्याण मंत्रालय ने 28.6.1990 को सैण्ट्रल एडोपशन रिसोर्स एजेन्सी की स्थापना की।

(ख) सैन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994, 1995 और 1996 के दौरान दत्तक ग्रहण हेतु दिये गये बच्चों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय 1992-93 से देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिये शिशु गृहों को सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की पूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत खर्च स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाता है और 10 प्रतिशत व्यय संगठन को स्वयं अपने संसाधनों से पूरा करना होता है।

गृह की स्थापना 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के 10 बच्चों के एकक के लिये की जा सकती है। इस स्कीम के अन्तर्गत देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने की दृष्टि से बाल-कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों अथवा भारतीय समाज/बाल कल्याण अभिकरणों को सहायता अनुदान दिया जा सकता है। एक गृह को चलाने का अनुमानित परिव्यय 2,95,200/- रुपये हैं (3,28,000/- रुपये की कुल लागत में से 32,8000/- रुपये अर्थात 10 प्रतिशत संगठन द्वारा वहन किया जाता है।)

राज्य सरकार की सिफारिश पर अनुदान वार्षिक आधार पर दो किश्तों में दिया जाता है।

(च) स्कीम के लिये चालू वर्ष में योजना परिव्यय 100 लाख रुपये हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1994		1995		1996	
		भारतीय दत्तकग्रहण	विदेशी दत्तकग्रहण	भारतीय दत्तकग्रहण	विदेशी दत्तकग्रहण	भारतीय दत्तकग्रहण	विदेशी दत्तकग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	48	44	35	41	99	87
2.	दिल्ली	289	244	231	353	241	161
3.	गोवा	15	6	7	2	5	3
4.	गुजरात	46	21	34	18	40	26
5.	हरियाणा	-	-	3	-	5	3
6.	कर्नाटक	115	105	134	82	107	36

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	केरल	49	43	87	36	154	71
8.	महाराष्ट्र	566	308	557	290	590	180
9.	उड़ीसा	13	19	29	33	30	30
10.	पांडिचेरी	6	3	4	5	12	2
11.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
12.	तमिलनाडु	89	67	100	78	81	73
13.	उत्तर प्रदेश	5	–	2	9	4	–
14.	प॰ बंगाल	267	268	201	288	255	319
15.	बिहार	1	त्र	–	–	–	–
	कुल योग :	1409	1128	1424	1236	1623	991

गंगा द्वारा कटाव

2383. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी द्वारा मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकने हेतु कोई मास्टर योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने की योजना तथा इसकी वर्तमान स्थिति के विषय में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गंगा कार्य योजना पूरी नहीं हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे अभी तक किन-किन स्थानों पर पूरा नहीं किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा नदी की सभी 23 उप बेसिनों के लिए बाढ़ प्रबंधन की 23 व्यापक योजनाएं तैयार की हैं जिसमें दीर्घकालीन और लघु कालीन उपायों का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 30.9.96 को पांच क्षेत्रीय कार्यबल भी गठित किए हैं जिसमें केंद्र और राज्यों के उस क्षेत्र विशेष के बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि क्षेत्रीय बाढ़ समस्याओं की जांच की जा सके, विद्यमान सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की जा सके और समाधान करने के सुझाव दिये जा सकें।

(ग) भारत सरकार ने देश के जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। इसमें दो घटक शामिल हैं : हिमालयी घटक जिसमें मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा और महानदी जैसी नदियों को जोड़ने की परिकल्पना है और प्रायद्वीपीय घटक जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी को जोड़ने की परिकल्पना है। इस प्रकार योजना में अंततः गंगा को कावेरी के साथ जोड़ा जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण इस संबंध में विस्तृत अध्ययन कर रहा है। आठवीं योजना के अंत तक प्रारंभिक अध्ययन पूरे कर लिए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) गंगा कार्रवाई योजना के फेज-I के तहत स्वीकृत 261 स्कीमों में से अब तक 248 स्कीमें पूरी हो गई हैं। जबकि गंगा कार्रवाई योजना के फेज-I को 31.3.97 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है, फिर भी कुछ स्कीमें वर्ष 1997-98 में आगे लाए जाने की संभावना है।

गंगा कार्रवाई योजना के फेज-I के तहत कार्यक्रम में निम्नलिखित कारणों से देरी हुई है :-

(1) बहुत से मामलों में प्रारंभिक अवधि में मुकदमेबाजी और कोर्ट मामले।

(2) मल निकासी उपचार संयंत्र और पम्पिंग केंद्रों के लिए निर्धारित कुछ स्थलों में अप्राधिकृत प्रवेश।

(3) अधिकांश मल निकासी उपचार संयंत्रों के टेंडर बार-बार देना।

(4) राज्यों द्वारा निधियां दूसरे कार्यों में लगाना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

2384. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला कल्याणोमुखी योजनाएं

2385. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1996 में कितनी महिला कल्याणोमुखी योजनाएं क्रियान्वित की गयी है;

(ख) वर्ष 1996 में इन योजनाओं से कितनी महिलाएं योजनावार लाभान्वित हुई हैं; और

(ग) इनमें से महिला तथा बाल विकास द्वारा कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2387. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल सिंग सराय से बछवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और बलिया से साहिबपुर कमाल तथा पसराहा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 39 बुरी हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य कब तक शुरू करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। बलिया से साहिबपुर कमाल खंड और पसराहा क्षेत्र रा॰रा॰ 31 पर है न कि रा॰रा॰ 39 पर।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है तथा सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण और मानसून से हुई क्षति की मरम्मत जब भी आवश्यक होती है, राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी संस्वीकृत किए गए हैं :-

(i) पसराहा में रा॰रा॰ 31 पर 2 कि॰मी॰ के खंड में सुधार कार्य। यह कार्य निविदाएं आमंत्रित करने के स्तर पर हैं।

(ii) बछवाड़ा के समीप एक नई पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

शिक्षा संबंधी मूलभूत ढांचे का विकास

2388. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विशेषकर सम्भल क्षेत्र में अलपसंख्यकों हेतु शिक्षा संबंधी मूलभूत ढांचे के विकास के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) संभावित परिणामों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी मूलभूत ढांचे के विकास के लिए "शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम" नामक योजना शुरू की है। इस प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान कर ली है और उत्तर प्रदेश में सम्भल की भी ऐसे अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक के रूप में पहचान की गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 167.875 लाख रु॰ और 127.36 लाख रु॰ की अनुदान राशि उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना के तहत जारी की गई थी।

(ग) पिछले दो वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हेतु अनुमोदित प्रस्तावों में अमल में लाने से 172 प्राथमिक स्कूल और 71 उच्च प्राथमिक स्कूल मौजूदा मूलभूत ढांचे में जोड़े जाएंगे।

[अनुवाद]

कश्मीर में जनमत संग्रह

2389. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री वी॰वी॰ राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
चौधरी रामचन्द्र बेंदा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के सम्बन्ध में ब्रिटिश लेबर पार्टी के कथित बयान की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी स्टेडियम

2390. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 दिसम्बर, 1996 के "जनसत्ता" में "अब बारात घर बना दिया गया इंदिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए कई स्टेडियम का अब अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्टेडियम में खेल कूद के अलावा अन्य कार्यों को आयोजित किए जाने की अनुमति दी गयी है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोड़ी आदित्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी स्टेडियमों का मुख्यतः खेल संबंधी गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाता है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा महसूस की जा रही संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, खेल कूद से भिन्न गतिविधियों अर्थात् कला, संस्कृति और अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तालकटोरा तरण ताल परिसर में बहुत ही सीमित रूप में अनुमति प्रदान की गई है।

संस्कृति के विकास हेतु धनराशि

2391. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री अनन्त कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संस्कृति के विकास के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक कोष बनाया गया है;

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए अन्य किन-किन स्रोतों से धनराशि एकत्रित की जाएगी;

(घ) इस कोष से राशि वितरित किए जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस कोष से किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि दी गई; और

(च) यह राशि किन-किन विशेष प्रयोजनों के लिए प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) भारत सरकार ने दिनांक 28.11.96 के भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की है।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृति निधि में भारत सरकार, संस्कृति विभाग का अंशदान वर्ष 1996-97 के दौरान 2 करोड़ रु॰ तथा वर्ष 1997-98 के दौरान अन्य 2 करोड़ रु॰ होने की आशा है।

(ग) राष्ट्रीय संस्कृति निधि राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार से आवर्ती व अनावर्ती दोनों प्रकार के अंशदान व अनुदान तथा किसी अन्य स्रोत से स्वैच्छिक चन्दे व दान स्वीकार करेगी। राष्ट्रीय संस्कृति निधि संसद अथवा राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अंतर्गत गठित सांविधिक निकायों, संयुक्त राष्ट्र व इसके संबद्ध निकायों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी एवं सार्वजनिक निगमित क्षेत्रों, न्यासों, सोसायटियों एवं व्यक्तियों से भी अंशदान स्वीकार कर सकती है।

(घ) अधिसूचना, जिसके तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गयी है, में राष्ट्रीय संस्कृति निधि से वित्तीय सहायता या ऋण प्राप्त करने संबंधी आवेदनों पर विचारार्थ प्रक्रिया को दर्शाया गया है। अधिसूचना की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) अभी तक राष्ट्रीय संस्कृति निधि से कोई भी धन प्रदान नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में बाईपास

2392. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कटनी और रीवा शहरों तथा मेहर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बाईपास के निर्माण के लिए स्वीकृति आठवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में (I) 11.00 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से रीवा बाइपास के निर्माण (II) 3.00 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से कटनी बाइपास के लिए भूमि के अधिग्रहण (III) मध्य प्रदेश में रा॰रा॰ 7 पर 1.5 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर मेहर कस्बे के निकट पुलोपरि सड़क (आर ओ बी) के निर्माण की व्यवस्था है।

(ख) (i) रीवा बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा होने वाला है। (ii) कटनी बाइपास के संबंध में भूमि अधिग्रहण के लिए 214.03 लाख रु॰ का प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है। (iii) अभी राज्य के॰लो॰नि॰वि॰ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की देख-रेख

2393. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे यातायात भार वहन करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की क्षमता पूरी तरह अपर्याप्त है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के पुल उपेक्षित अवस्था में है तथा सड़क का उपयोग करने वालों के लिए सुविधाएं कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो परिस्थिति में सुधार लाने तथा राजमार्गों की देख-रेख को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले भारी यातायात की दृष्टि से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता अपर्याप्त है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों के भीतर कमजोर और पुराने पुलों के प्रतिस्थापन की स्कीमें भी तैयार की जा रही हैं। जहां तक मार्गस्थ सुविधाओं का संबंध है, सरकारी और निजी क्षेत्र की स्कीमों के जरिए अधिक सुविधाएं सुलभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार शरीफ में केन्द्रीय विद्यालय

2394. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस शैक्षिक सत्र में बिहार शरीफ जिला मुख्यालय नालंदा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) प्रायोजक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए गए कुछ मानदण्डों से सन्तुष्ट होने पर ही केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के नालन्दा जिले में स्थित बिहार शरीफ में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से चलाए जा रहे विद्यालय

2395. श्री पंकज चौधरी :

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता से चलाए जा रहे विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विदेशी सहायता से स्थापित स्कूलों की संख्या संबंधी आंकड़े शिक्षा विभाग में नहीं रखे जाते हैं क्योंकि स्कूल शिक्षा की देख रेख सामान्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन स्टेडियम

2396. श्री मोहन रावले :क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने गोष्ठियों, सम्मेलनों, फैशन प्रदर्शनों तथा वैवाहिक समारोहों के लिए अपने स्टेडियम जनता के लिए खोल दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें निजी समारोहों के लिए उपलब्ध कराने के कारण तथा औचित्य क्या हैं;

(घ) इसके द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अब तक कितनी आय अर्जित की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय खेल प्राधिकरण के उक्त निर्णय की समीक्षा करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोड़ी आदित्यन) : (क) से (ग) सभी स्टेडियमों का मुख्यतः खेल संबंधी गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाता है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा महसूस की जा

रही संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, खेलकूद से भिन्न गतिविधियों अर्थात् कला, संस्कृति और अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए इन्दिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तालकटोरा तरणताल परिसर में बहुत ही सीमित रूप में अलग-अलग मामले के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, इन गतिविधियों को किसी भी स्थिति में खेल से संबंधित सामान्य कार्यकलापों के आड़े आने की अनुमति नहीं दी जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण को स्टेडियमों के रखरखाव पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए धनराशि जुटानी पड़ती है। धनराशि जुटाने के प्रमुख स्त्रोतों में से एक स्त्रोत खेल-भिन्न गतिविधियों के लिए स्टेडियमों के उपयोग के वास्ते अनुमति देना है।

(घ) 1995-96 और 1996-97 के वर्षों के दौरान, ऐसी गतिविधियों से क्रमशः 68.20 लाख रु॰ तथा 91.07 लाख रु॰ की धनराशि जुटाई गयी थी।

(ङ) जी, नहीं।

के॰स॰स्वा॰से॰ योजना को यूनानी स्टोर में स्थानीय रूप से खरीदारी करने हेतु धनराशि

2397. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा यूनानी स्टोर प्रभारी, नई दिल्ली के पास स्थानीय रूप से खरीदारी करने हेतु उपलब्ध कुल कितनी धनराशि होती है;

(ख) क्या यह धनराशि सी॰जी॰एच॰एस॰ के लाभार्थियों के लिये पर्याप्त नहीं है क्योंकि उन्हें औषधियों के लिये महीनों इंतजार करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो स्थानीय खरीद हेतु धनराशि नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने मामले हैं जहां स्थानीय खरीद के मांग-पत्र (इन्डैक्टस) के अनुसार संबद्ध डिस्पैंसरी/इकाई को पखवाड़ों/महीनों तक औषधियां नहीं भेजी जा सकीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) यूनानी औषधियों की स्थानीय खरीद के लिए अलग से कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, यदि कोई औषधि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्टोर पर इंडेंट दिया जाता है जो बदले में उस औषधि को खुले बाजार से प्राप्त करते हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल के पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुपोषण के कारण मौत

2398. **श्री एन॰जे॰ राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में, विशेषकर जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, तो कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) औ (ग) 1993 में लागू की गई राष्ट्रीय पोषण नीति में, कुपोषण में कमी लाने के लिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरक्षेत्रीय तथा सतत् कार्यवाही करना प्रस्तावित है। कुपोषण के कारण शिशुओं की होने वाली मौतों पर एकीकृत बाल विकास सेवा, बाल वाड़ी पोषण कार्यक्रम तथा चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन और बाल सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों के जरिए नजर रखी जाएगी। लौह, आयोडीन तथा विटामिन "ए" संबंधी सूक्ष्म पोषक विकार, जिनकी रोकथाम तथा उपचार आयोडीकृत नमक, आयरन तथा फालिक एसिड की गोलियों और विटामिन "ए" घोल की सप्लाई के माध्यम से किया जा रहा है, से भी कुपोषण संबंधी मौतों में कमी आएगी।

कैंसर चिकित्सा संबंधी सम्मेलन

2399. **कुमारी उमा भारती** :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ग्वालियर में हुए हाल में कैंसर चिकित्सा संबंधी सम्मेलन तथा अनुसंधान संस्थान में भाग ले रहे चिकित्सकों ने यह विचार प्रकट किया कि जब कैंसर असाध्य हो जाये तब अफीम असरदार हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अफीम पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करना चाहेगी ताकि यह जरूरतमंद रोगियों के लिए उपलब्ध हो सके;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना

2400. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया;

(ग) राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित महाराष्ट्र सरकार के अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार के प्रस्ताव कब से लम्बित हैं और इन्हें कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली सड़कों, पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कों, राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कों, महापत्तनों, महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों, अत्यधिक महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कों, ऐसी सड़कों जिन पर पर्याप्त दूरी तक यातायात सघनता अधिक हो, और ऐसी सड़कों जिनसे यात्रा दूरी काफी कम हो जाती हो और जिससे काफी आर्थिक बचत हो सकती हो, को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार किया जाता है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

(ख) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा नहीं की गई।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4841 कि॰मी॰ लम्बी सड़कों के बारे में 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, निधियों के निरन्तर अभाव के कारण किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकी।

बहु-उद्देशीय जल संसाधन परियोजनाएं

2401. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का बहु-उद्देशीय जल संसाधन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इस प्रयोजनार्थ ऐसी कितनी परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने इसमें भागीदारी में कोई उत्सुकता दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवहार्यता और कार्यक्षेत्र की जांच करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 1995 को प्रस्तुत की थी। समिति ने यह निर्णय दिया कि जबकि सभी सिंचाई (सतही और भूजल) और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की भागीदारी व्यवहार्य है, फिर भी इसे चुनिंदा परियाजनाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू करना वांछनीय होगा। रिपोर्ट की प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है।

(ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भ्रूण परीक्षण

2402. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने भ्रूण परीक्षण किए गए;

(ख) इन भ्रूण परीक्षणों में से भ्रूण हत्या (बालिका) के कितने मामले देखने में आए;

(ग) क्या सरकार ने भ्रूण परीक्षणों को रोकने तथा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा यह सूचना मानीटर नहीं की जाती।

(ग) और (घ) प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994, जो 1.1.96 से लागू हो गया है, में प्रसवपूर्व निदान तकनीक के उपयोग के विनियमन और प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसी तकनीकों के दुरूपयोग की रोकथाम की व्यवस्था है जिससे कन्याभ्रूण हत्या हो सकती है।

[अनुवाद]

दक्षेस बैठक

2403. श्री हरिन पाठक :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में हुई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) की बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी;

(ख) इस शिखर बैठक के अंत में पारित प्रस्तावों अथवा की गयी घोषणा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षेस देशों ने अपने बीच वीसा प्रतिबंधों को सरल बनाने और अपने-अपने यहां पर्यटन को बढ़ावा के मामले पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्गुट आंदोलन हेतु इसकी क्या भावी भूमिका है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) दिसम्बर, 1996 की सार्क मंत्रियों की परिषद् की बैठक में जिन विषयों पर बातचीत की गई उनमें अन्य के साथ साथ समेकित कार्रवाई कार्यक्रम, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं और बच्चों जैसे सामाजिक मसलों में सहयोग, आतंकवाद को समाप्त करने और स्वापी औषधियों के दुर्व्यापार को रोकने संबंधी सार्क अभिसमयों का अनुपालन और लोगों से लागों के बीच संपर्क बढ़ाना शामिल हैं।

(ख) सार्क मंत्रियों की परिषद की बैठक के अन्त में स्वीकार की गई रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर सार्क निवेशों के क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संवर्धन, दोहरे कराधान के परिहार, तटकर सहयोग और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सामाजिक मसलों पर साप्टा प्रक्रिया तेज करना, सार्क सूचना मंत्रियों और पर्यावरण मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रा में और अधिक सहयोग, संवर्धन तथा लोगों से लोगों के बीच बहुत से क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निणयों को शामिल किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। परिषद् में अन्तर-सार्क पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत से कदमों पर विचार-विमर्श किया गया। परिषद वायुयान सम्पर्क के संवर्धन की संभावनाओं की जांच करने, इस क्षेत्र के पर्यटकों के लिए मुद्रा अंतरण प्रबंध शुरू करने पर सहमत हुई और परिषद ने सार्क वीसा छूट योजना के प्रसार का सुझाव दिया है।

(ङ) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी और इसके सदस्य देशों के बीच उनसे संबंधी महत्वपूर्ण मसलों/चिन्ताओं पर सामूहिक निर्णय लेने में अपनी उपयोगी भूमिका निभाता रहेगा।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजना

2404. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार में जल संसाधनों का पूरा-पूरा प्रयोग हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वर्ण रेखा परियोजना सहित बिहार की अनेक सिंचाई परियोजना का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में हिमपात सहित 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक वृष्टिपात होता है। तथापि, देश में कुल उपयोज्य जल संसाधन केवल 1142 बिलियन क्यूबिक मीटर आंके गए हैं। इसमें से वर्तमान उपयोग लगभग 606 बिलियन क्यूबिक मीटर है। विभिन्न कमियों के कारण जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। जैसे कि भंडारण स्थलों का सीमित होना, वाष्पीकरण और वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन हानियां तथा नदियों में न्यूनतम जल प्रवाहित करके नदी संपदा बनाए रखने की आवश्यकता।

(ग) और (घ) बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17 वृहद (सुवर्णरेखा परियोजना सहित), 24 मझौली और 5 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं चल रही हैं। चल रही चुनिंदा वृहद और मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से बिहार की तीन वृहद परियोजनाओं अर्थात अपर क्यूल, दुर्गावती और कोसी परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान 27.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

महाराष्ट्र में नहरें

2405. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नहरों की खुदाई तथा सफाई संबंधित कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र की नहरों में कुछ छोटे-छोटे पौधे उग आए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) केन्द्र में नहरों की खुदाई तथा सफाई संबंधी कोई भी सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

2406. डा॰ नामदेव दिवाथे :
श्री संतोष मोहन देव :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास संबंधी आवश्यकताओं और निरंतर बढ़ती हुई सड़क यातायात की आवश्यकता पूरा करने हेतु राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के विकास की क्या नीति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण तथा रख-रखाव पर हुए निवेश का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कितनी उपलब्धि हुई है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सड़क परियोजनाओं तथा पुलों के निर्माण हेतु निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में होने वाले राज्य-वार निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) सड़क क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश करने हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेज संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर तथा अन्य राज्यों में सड़कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) यह मंत्रालय सांविधानिक तौर पर केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। नौवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मुख्य जोर दिल्ली-कलकत्ता-मुम्बई-मद्रास को जोड़ने वाले अत्यधिक भीड़ वाले मार्गों और महापत्तनों को जाने वाली सड़कों को चार लेन का बनाने पर रहेगा।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) सड़क क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए हाल ही में दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया है। कर-लाभ से संबंधित राजकोषीय रियायत भी दी गई हैं।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों में उप-मार्गों और पुलोपरि सड़क से संबंधित तीन परियोजनाओं को बी ओ टी आधार पर शुरू किया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए रख-रखाव एवं मरम्मत और विकास के लिए निधियों का आबंटन

(लाख रु॰)

		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
		रख-रखाव एवं मरम्मत			विकास		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2146.64	2842.89	3215.34	4590.50	4010.00	3700.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	67.24	-	-	130.00	-	-
3.	असम	1678.23	1443.95	1616.87	1485.00	1650.00	1700.00
4.	बिहार	1472.53	1763.95	2134.95	1875.00	1750.00	1500.00
5.	चंडीगढ़	21.00	26.00	42.00	25.00	25.00	24.00
6.	दिल्ली	143.25	146.55	193.00	150.00	400.00	400.00
7.	गोवा	385.65	205.03	260.36	375.00	500.00	700.00
8.	गुजरात	1316.64	1745.20	1866.50	5650.00	4398.00	*2800.00
9.	हरियाणा	560.43	756.70	740.24	5160.00	5535.00	7900.00
10.	हिमाचल प्रदेश	894.80	1366.41	1151.80	1350.00	1600.00	1200.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	75.60	193.11	100.37	45.00	50.00	100.00
12.	कर्नाटक	1506.78	1768.40	2047.80	2425.00	2600.00	3300.00

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	924.10	863.88	857.27	2750.00	3980.00	5000.00
14.	मध्य प्रदेश	1696.01	1971.52	2450.72	1534.50	2020.00	1020.00
15.	महाराष्ट्र	2150.45	2579.33	2897.04	2675.00	2899.00	*1920.00
16.	मणिपुर	115.20	184.64	208.00	325.00	500.00	360.00
17.	मेघालय	270.06	426.54	469.70	500.00	600.00	900.00
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	4.00	8.00	13.00	40.00	50.00	10.00
20.	उड़ीसा	1186.50	1447.83	1641.73	3390.00	3304.00	5510.00
21.	पांडिचेरी	18.73	21.38	29.88	50.00	50.00	50.00
22.	पंजाब	736.97	770.72	1047.13	3500.00	5860.00	5800.00
23.	राजस्थान	1810.83	1860.72	2173.08	4350.00	6070.00	*4200.00
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	1702.86	1789.94	2122.66	2503.50	1100.00	1905.00
26.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	2065.48	2529.94	2937.40	6264.00	7670.00	7610.00
28.	पश्चिम बंगाल	1744.02	1731.33	1532.68	3987.00	3810.00	3410.00
29.	बीआरडीबी	–	–	–	4800.00	5100.00	5300.00
30.	जोगीघोष	–	–	–	3160.00	2000.00	2790.00
31.	मंत्रालय	–	–	–	214.00	1218.00	4455.00
32.	एन एच ए आई	–	–	–	–	2000.00	2400.00
	जोड़ :	24690.00	28443.96	31749.52	63303.50	70749.00	75964.00

* इसके अतिरिक्त, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में उपमार्गों और पुलोपरि सड़क से संबंधित परियोजनाएं निजी क्षेत्र के तहत निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर लगभग 51.00 करोड़ रु॰ की लागत पर शुरू की गई है। देश की उपलब्धियों के ब्यौरे समग्र रूप में विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई उपलब्धियां

क्र॰स॰	स्कीम	यूनिट	वर्ष		
			1993-94	1994-95	1995-96
1.	दो-लेन तक चौड़ा करना	(कि॰मी॰)	196	130	210
2.	चार लेन तक चौड़ा करना	(कि॰मी॰)	45	28	105
3.	कमजोर 2-लेन को मजबूत करना	(कि॰मी॰)	945	647	675
4.	उपमार्ग (बाईपास)	सं॰	1	–	2
5.	बड़े पुल	सं॰	7	8	8
6.	छोटें पुल	सं॰	70	38	75

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान

2407. श्री अमर पाल सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों की संख्या देश की विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले ऐसे शारीरिक प्रशिक्षण सस्थानों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर• धनुषकोड़ी आदित्यन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में रक्षा संबंधी व्यय

2408. श्री प्रमोद महाजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा कुछ अन्य पडोसी राज्यों में रक्षा संबंधी व्यय सरकारी व्यय का 25 प्रतिशत है जबकि भारत में यह केवल 9 प्रतिशत ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) पड़ोसी राष्ट्रों की तुलना में रक्षा संबंधी तैयारी वित्तीय अड़चनों के कारण कहां तक प्रभावित हुई है; और

(घ) रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा देश की सुरक्षा के हित में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन-वी-एन• सोमू) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अपेक्षित स्तर की रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिए सरकार सशस्त्र सेनाओं की शस्त्र प्रणालियों का निरंतर सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण करती रहती है। हालांकि शस्त्र प्रणालियों के निरंतर सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी ये कार्यक्रम इस प्रयोजनार्थ किए गए बजटीय आबंटन तक सीमित रखे जाते हैं। तथापि जहां तक संभव हो मितव्ययिता के उपाय अपनाकर संसाधनों में वृद्धि करने तथा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर अनिवार्य रक्षा तैयारी बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

1. प्रकाशित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत, पाकिस्तान और चीन में केन्द्र सरकार के व्यय के अनुपात में रक्षा व्यय इस प्रकार है :-

देश	केन्द्र सरकार के व्यय का अनुपात		
	1993-94	1994-95	1995-96
पाकिस्तान	34.31%	34.52%	34.43%
भारत	15.58%	15.15	14.69%
चीन	16.20	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

(* स्रोत : एशियन स्ट्रैटेजिक रिव्यू - 1994-95)

2. तथापि विभिन्न देशों द्वारा रक्षा संबंधी व्यय के वर्गीकरण और श्रेणीकरण के लिए प्रयुक्त मानदंडों में अंतर के कारण इन तुलनाओं में सहज कमी है। इस प्रकार किसी भी देश के रक्षा व्यय या रक्षा बजट की धनराशि संभवतः वास्तविक रक्षा प्रयासों को नहीं दर्शा सकती तथा दूसरे राष्ट्रों के समान ही उसी आधार पर तुलना के लिए आधार नहीं दे सकती। उदाहरणार्थ, कुछ देश पूंजीगत कार्यों तथा रक्षा संबंधी उद्योगों पर खर्च को रक्षा मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों/विभागों के बजटीय आबंटन के अंतर्गत दर्शाते हैं। इसी प्रकार यह भी जरूरी नहीं कि सांख्यिकीय मानदंड सही अर्थों में सशस्त्र सेनाओं की युद्धक विशेषज्ञता या रक्षा तैयारी के स्तर का सही पैमाना हो।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2409. श्री अनंत कुमार : क्या **जल- भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्वीकृत,परियोजनाओं में से किसी परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) :

(क)

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या
1994-95	48
1995-96	35
1996-97	19

(ख)

वर्ष	अनुमोदित	अननुमोदित/ अभी अनुमोदित किए जाने वाले	संस्वीकृत राशि (लाख रु॰)
1994-95	45	3	2668.61
1995-96	20	15	2427.48
1996-97	4	15	4293.87

(ग) शेष प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए क्योंकि निधियों के अभाव के कारण उन्हें संबंधित वार्षिक योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका था।

(घ) और (ङ) दक्षिण कनारा जिले में रा॰रा॰-48 पर 330.525 से 332.50 कि॰मी॰ तक ज्यामितीय सुधार कार्य में विलम्ब हुआ है। उपर्युक्त कार्य के लिए संशोधित अनुमान के संबंध में राज्य लो॰नि॰वि॰ के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

संस्कृत का विकास

2410. श्री शिवराज सिंह :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में अनेक संगोष्ठियां आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संगोष्ठियों के आधार पर तैयार किए गए मसौदे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने पिछले वर्ष इस प्रयोजनार्थ कोई सेमिनार आयोजित नहीं किया था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰-44

2411. श्री बाजू बन रियान :

श्री बादल चौधरी :

क्या जल- भूतल परिवहन मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम-अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच-44) को दोहरी लेन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच-44) को अगरतला से सबरूम तक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अगरतला-सबरूम सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक पर लाने के लिए इसका सुधार-कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना में चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी हां। भूमि-अधिग्रहण के ब्यौरे सर्वेक्षण के बाद मालूम होंगे।

प्राचीन अवशेष

2412. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 183 वर्ष पुराने भारतीय संग्रहालय में बहुमूल्य चित्रकारिता, प्राचीन अवशेष और सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुओं सहित अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन चित्रों, प्राचीन अवशेषों और ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी नहीं। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय स्वयं से ही संग्रहालय के संग्रहों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण और परिरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता दे रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उच्च दरों पर औषधियों की आपूर्ति

2413. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अस्पतालों में नकली औषधियां और वह भी उच्च दरों पर आपूर्ति करने वाले किसी गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय में श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों की पदोन्नति

2414. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को अवर श्रेणी लिपिक पद पर आंतरिक पदोन्नति दिए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक श्रेणी 'घ' के कितने कर्मचारियों की केन्द्रीय विद्यालय-वार पदोन्नति दी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत 'घ' श्रेणी के कमचारियों को पदोन्नति के माध्यम से (12.1.1992 के पश्चात) सृजित किए गए/रिक्त हुए स्थान पर अवर श्रेणी लिपिक के 10 प्रतिशत रिक्त स्थानों को भरे जाने का प्रावधान है।

(ग) 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति विद्यालयवार नहीं की जाती है, किन्तु यह पदोन्नति क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यरत 'घ' श्रेणी के 21 कर्मचारियों को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 की यातायात क्षमता

2415. श्री भेरू लाल मीणा : क्या जल- **भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर उसके यातायात क्षमता से अधिक संख्या में वाहन चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाए जा रहे वाहनों और इसकी यातायात क्षमता का अनुपात क्या है; और

(ग) उपरोक्त अनुपात में असन्तुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) वाहनों और राष्ट्रीय राजमार्गों की यातायात वहन क्षमता के बीच ऐसा कोई अनुपात नहीं है। तथापि, पेवमेंट का डिजाइन अनुमेय धुरी भार, उनका पुनरावर्तन, मिट्टी की स्थिति, वर्षा आदि पर आधारित होती है। रा॰रा॰ 8 के कुछ खंडों को तदनुसार मजबूत बनाया गया है कुछ पर अभी कार्य किया जाना है।

(ग) इस सड़क को मजबूत बनाने और चौड़ा करने का कार्य नौवीं योजना में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

भारत-भूटान नदी परियोजना

2416. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी 1997 के "वीक एण्ड आब्जर्वर आफॅ बिजनेस एण्ड पोलिटिक्स" में भारत-भूटान रीवर प्रोजेक्ट में स्पेल डूम फारॅ नार्थ बेंगाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की सूचना के अनुसार इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समय संकोष परियोजना किस अवस्था में है तथा क्या इसका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 4060 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए संकोष नदी पर बांध के निर्माण के लिए विचार किया गया है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए

नियमित रूप से पानी छोड़ने का भी प्रस्ताव है। जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाओं द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए और पर्यावरण प्रभाव अध्ययन से सम्बद्ध अंतिम रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। भारतीय क्षेत्र में स्थित परियोजना के नहर घटक को निवेश स्वीकृति देने के पहले इसकी जांच के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

परमाणु अस्त्र विहीन क्षेत्र

2417. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की दिसम्बर, 1996 में हुई पहली बैठक में दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र विहीन क्षेत्र बनाने संबंधी संकल्प को अंगीकृत किया गया था जिसका 130 सदस्यों ने समर्थन और केवल 3 ने विरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प की संक्षिप्त विषय वस्तु क्या है और इस संबंध में भारत, पाकिस्तान और इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों द्वारा क्या रूख अपनाया गया?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी हां। 11 नवम्बर, 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति के "दक्षिण एशिया में नाभिकीय हथियार रहित क्षेत्र की स्थापना" नामक संकल्प पारित किया जिसके पक्ष में 130 वोट, विपक्ष में 3 वोट पडे तथा 8 अनुपस्थित रहे। इस संकल्प को पाकिस्तान ने प्रस्तुत किया था तथा बंगलादेश ने इसका सह-प्रायोजन किया था। श्री लंका, नेपाल और मालदीव ने इस संकल्प के पक्ष में वोट दिया। भारत और भूटान ने इस संकल्प के विरूद्ध वोट दिया था। भारत ने मतदान के समय अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि वह निरस्त्रीकरण और सुरक्षा के प्रयोजनों से दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र या जोन के रूप में नहीं मानता क्योंकि इसके सामरिक और राजनीतिक हित और चिन्ताएं इसके तत्काल भौगोलिक पड़ोसी देशों के परे है। भारत ने यह भी कहा कि सह संकल्प संयुक्त राष्ट्र की उस मान्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करता जिसमें यह कहा गया है कि नाभिकीय हथियार रहित क्षेत्रों की स्थापना उस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं तथा उस क्षेत्र के राज्यों की समग्र सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों की स्थापना संबंधित राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए प्रबंधों के आधार पर की जानी चाहिए।

गुजरात में नेहरू युवक केन्द्र

2418. श्री सनत मेहता : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय गुजरात में अनेक नेहरू युवक केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरज्य में और अधिक नेहरू युवक केन्द्र खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक केन्द्र पर औसतन कितना व्यय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोड़ी आदित्यन) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में 19 नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं जो भड़ौच, नादियाड, कच्छ (भुज), गोधरा, साबरकंठा, जूनागढ़, मेहसाना, सुरेन्द्र नगर, जाम नगर, भाव नगर, वलसाड़, सूरत, गांधी नगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, डांग्स, अमरेली, पालमपुर और राजकोट में स्थित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठत।

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक केन्द्र पर अनुमानतः 3,45,250/-रु॰ व्यय हुआ है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

2419. श्रीमती छबीला अरविन्द नेताम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को स्वीकृत हेतु मध्य प्रदेश से सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव अब भी केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से मार्च, 1979 से प्राप्त की गई 26 वृहद और 7 मझौली सिंचाई परियोजनाओं में से 11 वृहद और 3 मझौली परियोजनाएं केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। शेष परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई।

शिकायतों संबंधी सलाहकार बोर्ड

2420. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना अध्यक्ष के कार्यालय में शिकायतों संबंधी सलाहकार बोर्ड के गठन के पश्चात् शिकायतों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बोर्ड के कार्यकरण में वांछित निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) सेवारत कार्मिकों की शिकायतों, मुख्य रूप से अधिक्रमण और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों आदि प्रतिकूल अथवा कम ग्रेडिंग/अभ्युक्तियों जैसे कैरियर संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए फरवरी, 1986 में सेनाध्यक्ष के कार्यालय में एक शिकायत सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड के गठन का प्रयोजन शिकायतों की समुचित रूप से गहन जांच करना और उन शिकायतों के निपटान के लिए सेनाध्यक्ष को उपयुक्त सलाह दिया जाना सुनिश्चित करना था।

2. शिकायत सलाहकार बोर्ड के गठन के बाद प्राप्त शिकायतों की संख्या में कोई खास अंतर नहीं आया है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ की मांग

2421. श्री मुरलीधर जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए केन्द्रीय लोक संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की भांति खुली परीक्षा शुरू कराये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए खुली परीक्षा शुरू करने हेतु अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ से एक मांग प्राप्त हुई है। यह मामला संगठन की प्रदत्त शक्तियों के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

2422. डा॰ एम॰ जगन्नाथ :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि लम्बे समय से परिषद और बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को सक्रिया बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य प्रयास राजनीतिक, सैन्य तथा आर्थिक क्षेत्रों में पनप रही बाहरी स्थिति और हमारी घरेलू स्थिति के बीच के संपर्कों को ध्यान में रखते हुए नीति-निर्माण, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की कार्य-प्रणाली के संबंध में विचारों का व्यापक रूप से आदान-प्रदान करने के लिए विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के 35 सदस्यों वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक 5 अक्तूबर, 1990 को एक बार हो गई है। परंतु सलाहकार बोर्ड की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जिन उद्देश्यों के लिए गठन किया गया था उन्हें हासिल करने के लिए इसे और अधिक प्रभावी निकाय बनाने की दृष्टि से इसका पुनर्गठन किए जाने के वास्ते प्रस्तावों और सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं

2423. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री राजकेशर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या क्या है;

(ख) इन संस्थाओं में पंजीकृत छात्रों की संख्या क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 810 स्कूलों में 1865 व्यावसायिक अनुभाग शुरू किए गए हैं।

(ख) उपलब्ध सूचनानुसार इन संस्थाओं में 43077 छात्र नामांकित थे।

(ग) निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं होता है। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उपर्युक्त योजना के तहत राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निधियां जारी की गई हैं :-

वर्ष	(राशि लाख में)
1993-94	258.42
1994-95	265.39
1995-96	502.40
	1026.21

(घ) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस समय व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के समेकन और गुणात्मक सुधार पर बल दिया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को विभिन्न स्तरों पर प्रबंध ढांचा सृजित करने, आवश्यकता आधारित पाठयक्रम शुरू करने तथा उद्योगों के साथ उपयुक्त सहलग्नता स्थापित करने की सलाह दी गई है।

निजी पोत

2424. डा॰ बलिराम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न पत्तनों में सरकारी और निजी पोतों की इस समय अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) निजी मालवाहक पोतों का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी पोतों द्वारा माल की ढुलाई में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी पोतों की संख्या कम करने तथा सरकारी पोतों द्वारा माल की अधिक ढुलाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) पत्तन-वार सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, 1.2.97 की स्थिति के अनुसार सरकार/सा॰क्षे॰उ॰ के स्वामित्व में तथा निजी क्षेत्र के पास समुद्र गामी जलयानों की संख्या इस प्रकार है :

	सकल टन भार	
	जलयान	(मिलियन टन)
सरकार/सा॰क्षे॰उ॰	196	3.40
निजी	289	3.65
	485	7.05

(ख) सरकार/निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध जलयान देश के समुद्री व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए गैर-सरकारी जलयानों को विदेशी व्यापार में लगाना पड़ता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ढोए गए कुल कार्गो के प्रतिशत में कमी आई है क्योंकि समुद्री व्यापार में बढ़ोतरी की तुलना में सरकारी/सा॰क्षे॰उ॰ के टन भार में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ङ) सरकार की यह नीति है कि सरकारी कार्गो की ढुलाई के मामले में विदेशी ध्वज वाले जलयानों की बजाय भारतीय ध्वज वाले जलयानों को वरीयता दी जाए। निजी क्षेत्र द्वारा जहाज अधिग्रहण करने पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पालिटेक्कनीकों में प्रयोगशालाएं

2425. श्री हरिवंश सहाय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरकारी पोलिटेक्कनीकों में कितनी प्रयोग-शालाओं को विश्व बैंक की मदद से आधुनिकीकृत किया गया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी विश्व बैंक सहायता राशि व्यय की गई है;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किए गए शैक्षिक अनुसंधान केन्द्रों की संख्या क्या है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान कितना धन खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में जिन राजकीय पालिटेक्निकों की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनकी संख्या 362 है। इस प्रयोजनार्थ 31 दिसम्बर, 1996 तक इन पर 135.90 मिलियन राशि खर्च की गई है।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से शैक्षिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में निजाम सागर परियोजना

2426. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में निजाम सागर, जिससे कि सम्पूर्ण निजामाबाद क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, में गाद जम गई है और इसकी क्षमता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजाम सागर को गादरहित बनाने और सिंचाई क्षमता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या निजाम सागर को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई विश्व बैंक/ए॰डी॰बी॰ सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा निजामाबाद के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए निजाम सागर को पुनः चालू करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने निज़ाम सागर से गाद निकालने और सिंचाई क्षमता को सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकार निज़ाम सागर योजना में सुधार ला रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पुल

2427. श्री दत्ता मेघे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सन् 1994 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुलों की संख्या क्या है;

(ख) उनके निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) 1994 से 17.00 करोड़ रु॰ की लागत के 17 पुल पूरे किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) चालू (1996-97) योजना में 4 कार्यों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। तथापि, दो कार्यों की संवीक्षा की जा रही है।

मध्य प्रदेश में स्कूल भवन का निर्माण

2428. डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों में राजीव गाधी फाउंडेशन ने स्कूल भवनों का निर्माण तथा मरम्मत संबंधी कार्य हाथ में लिया है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ जिला-वार कितनी राशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए राजीव गांधी प्रतिष्ठान को कोई निधि प्रदान नहीं की है।

[अनुवाद]

जापानी बुखार

2429. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में "जापानी बुखार" नामक बुखार फैलने की वजह से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बुखार को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी हां। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार केरल के पांच जिलों में जापानी मास्तिकशोथ की सम्भावना से 1 जनवरी 1997 से 1 मार्च, 1997 की अवधि में 91 रोगियों और 15 के मृत्यु होने की सूचना मिली है।

(ग) रोग को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं -

- रोगाणु नियंत्रण उपायों में तेजी लाना, कीटविज्ञान मानीटरिंग और सामुदायिक जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप
- राज्य में रोग नियंत्रण के लिए कार्य योजना के रूप में दिशा निर्देश और कार्यकलापों का कलेंडर।
- फॉगिंग मशीनों की पर्याप्त संख्या और रोगाणु नियंत्रण के लिए राज्य को प्रदान किए गए कीटनाशक।
- राज्य को आपाती आधार पर आकस्मिक व्यय को वहन करने के लिए निधियां अवमक्त की गई हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों को मान्यता

2430. श्री एस॰पी॰ जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कई निजी अस्पतालों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बनारस सहित कई शहरों के निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन अस्पतालों को कब तक मान्यता प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में निजी अस्पतालों/डायगनोस्टिक केन्द्रों की मान्यता के लिए अस्पतालों/डायगनोस्टिक केन्द्रों से दर कोटेशन्स मांगी गई हैं। पांच सदस्यीय समिति द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसने उपलब्ध भौतिक अवसंरचना तथा विभिन्न विशिष्टताओं के लिए सुविज्ञता के स्तर की जांच की।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता के लिए उत्तर प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों से कुल 60 आवेदन (इलाहाबाद–11, कानपुर–18, लखनऊ–12 और मेरठ–19) प्राप्त हुए हैं और इनको मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है।

चूंकि वाराणसी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाता है इसलिए उस शहर में प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

2431. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कालेजों में कुछ नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रथम डिग्री स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष 1994 में एक योजना शुरू की है। इस योजना के नियम और शर्तों के अनुसार पात्र विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा शुरू किये जा सकने वाले व्यावसायिक विषयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

व्यावसायिक विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिन्हें विश्वविद्यालय/कालेज शुरू कर सकते हैं।

1.	कार्यात्मक हिन्दी
2.	कार्यात्मक संस्कृत
3.	संप्रेषण अंग्रेजी
4.	पुरातत्व विज्ञान और संग्रह विज्ञान
5.	बीमा के सिद्धान्त और व्यवहार
6.	बीमांकक विज्ञान
7.	कार्यालय प्रबन्ध और सचिवालय व्यवहार
8.	शुल्क प्रक्रियाएं और व्यवहार
9.	विदेशी व्यापार व्यवहार और प्रक्रियाएं
10.	पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध
11.	विज्ञापन, बिक्री प्रोन्नति (बिक्री प्रबन्ध)
12.	संगणक प्रयोग
13.	औद्योगिक रसायन (सात विषय)
14.	खाद्य विज्ञान और कोटि नियंत्रण
15.	नैदानिक पोषण आहार
16.	औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान
17.	जैव–प्रौद्योगिकी
18.	जैव प्रौद्योगिकी और नमूना तैयार करना।
19.	बीज प्रौद्योगिकी
20.	रेशम उत्पादन
21.	औद्योगिक मत्स्य और मत्स्य उद्योग
22.	यान्त्रिकी
23.	प्रकाशिक यांन्त्रिकी (आप्टिकल इन्स्ट्रूमेंटेशन)
24.	भू–अन्वेषण एवं खुदाई प्रौद्योगिकी
25.	जन संचार दृश्य उत्पाद
26.	फोटो दृश्य उत्पाद
27.	इलैक्ट्रानिक उपस्कर रख रखाव

28. कम्प्यूटर रख रखाव
29. इलैक्ट्रिकल उपस्कर रख रखाव
30. पर्यावरण और जल प्रबन्ध
31. ग्रामीण प्रौद्योगिकी
32. आटोमोबाइल रख रखाव
33. रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलित यन्त्रों का रख रखाव
34. निर्माण प्रौद्योगिकी प्रबन्ध
35. मेनूफेक्चरिंग प्रक्रिया
36. कृषि सेवा
37. गैर-परंपरागत ऊर्जा
38. ड्राई फार्मिंग
39. मृदा संरक्षण और जल प्रबन्ध
40. वन और वन्य जीवन प्रबन्ध
41. ग्रामीण हस्तकला
42. वन उत्पाद का उत्पादन और प्रक्रिया
43. पालतू जानवर
44. पर्वतीय कृषि
45. वन चरागाह (सिल्वीपेस्चर)
46. शिशु परिचर्या और शिक्षा।

[हिन्दी]

बिहार में बाँढ़ के कारण विनाश

2432. **श्री दिनेश चंद्र यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कुछ भागों में विशेषकर सहरसा, सुपौल और खगड़िया जिलों में बाढ़ के कारण होने वाली तबाही आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिये कोई बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बाढ़ प्रबंध, राज्य का विषय है। अतः ऐसी स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा ब्लॉक ऋणों और ब्लॉक अनुदानों के रूप में योजना आयोग द्वारा आवंटित राज्य योजना निधियों से किया जाता है। तथापि, बिहार समेत गंगा बेसिन राज्यों की गंभीर बाढ़ समस्याओं पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया है। इस आयोग ने कोसी, बुड़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह की नदियां और कमला बलान जो सहरसा, सुपौल और खगड़िया जिलों के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, समेत पूर्ण गंगा बेसिन के लिए बाढ़ प्रबंध की व्यापक योजना तैयार की थी। ये राज्यों को विस्तृत योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं। हाल ही में, जल संसाधन मंत्रालय ने पांच क्षेत्रीय कार्य बलों का गठन किया है, जिसमें क्षेत्रीय बाढ़ समस्याओं की जांच करने, मौजूदा सुधारात्मक उपायों की समीक्षा करने और समाधान की सिफारिश करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यबल बिहार की बाढ़ समस्याओं की जांच कर रहा है।

उत्तरी बिहार की गंभीर बाढ़ समस्याओं को दूर करने के लिए, जल संसाधन मंत्रालय ने आठवीं योजना के दौरान 40 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्तरी बिहार के लिए बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 98 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं और फरवरी, 96 के दौरान राज्य सरकार को कार्य प्रारंभ करने के लिए 1.5 करोड; रुपए जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम को नौवीं योजना में आगे ले जाया जाएगा जिसमें प्लेटफार्म को ऊंचा करने, तेजी से जल निकास सुविधाओं का प्रावधान, संचार सम्पर्क आदि शामिल हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

2433. **श्री के-सी- कोंडय्या** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत घाट प्रभा, करंज और हिम्पारगी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की मदद मांगी गई है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने घाटप्रभा-III, के लिए 10.00 करोड़ रुपए, करंज के लिए 20.00 करोड़ रुपए और हिम्पारगी परियोजनाओं के लिए 3.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता का अनुरोध किया था। तथापि, इन परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता का अनुमोदन नहीं किया गया क्योंकि ये निधियां संबद्ध वर्ग के अंतर्गत उपलब्ध नहीं थी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का क्षतिग्रस्त होना

2434. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बाढ़, वर्षा और अन्य आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है; और

(ख) उनकी मरम्मत तथा उनका समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर कुछ स्थानों पर सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो गई/बारिस से सड़क टूट गई थी।

(ख) 1995-96 में 276.29 लाख रु॰ के कुल 25 प्राक्कलन स्वीकृत किए गए। तथापि, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 1996-97 में उत्तर प्रदेश राज्य को 350.00 लाख रु॰ की राशि अनुमोदित किए जाने की संभावना है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

प्राइवेट संस्थाओं में प्रवेश के लिए मानदंड

2435. श्री जितेन्द्र नाथ दास :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में स्व-वित्त पोषण पाठ्यक्रमों में प्रवेश और शुल्क ढ़ांचे के लिए एक नए विनियम का प्रारूप तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

कर्नाटक के अस्पतालों को वित्तीय सहायता

2436. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को कई सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और अन्य आवश्यक उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए इनके खरीदे जाने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या उक्त राशि का समुचित रूप से एवं पूर्णतया उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, विश्व बैंक ने 546 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कर्नाटक में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना जून, 1996 में स्वीकृत की है। राज्य में मध्यम स्तरीय स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ किया जा सके और सामुदायिक स्तर से जिला स्तरीय अस्पतालों के बीच आवश्यक सम्बद्धता प्रदान की जा सके। परियोजना के अन्तर्गत अन्य सहायता में कुछ औषधियां, उपस्कर और सामग्री चुने हुए अस्पतालों को प्रदान की जाएगी।

लघु बांध योजना

2437. श्री एन॰ डेनिस : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बांधों का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने सरकार से राज्य की नदियों को जोड़ने हेतु लघु बांध योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पुनर्वास और पर्यावरणीय समस्याओं के आधार पर भारत में बड़े बांधों के निर्माण के विरूद्ध कुछ मामले हैं। तथापि, देश में जल संसाधन विकास की वर्तमान नीति कई विकल्पों पर आधारित है। इसमें बड़े, मध्यम और लघु सतही जल भण्डारण, व्यपवर्तन और लिफ्ट स्कीमें, गहरे/उथले नलकूपों और खुले कुओं और माइक्रो वाटरशेड विकास स्कीमों के द्वारा भू जल विकास, शामिल किए गए हैं। उपरोक्त विकल्पों में से प्रत्येक का अपना महत्व है और देश में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इन सभी विकल्पों को विवेकपूर्ण ढंग से मिलाना आवश्यक है।

महिला समृद्धि योजना

2438. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत आज तक राज्य-वार कितनी महिलाओं ने खाते खोले हैं और उन्होंने कुल कितनी धनराशि जमा की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से स्वावलम्बी और समृद्ध बनाने हेतु कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह योजना किस प्रकार लागू की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) इस प्रकार की कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

विवरण

31.1.1997 की स्थिति के अनुसार

रैक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खोले गये खातों की संख्या (लाखों में)	जमा राशि (करोड़ों में)
1	2	3	4
	(क) राज्य		
1.	असम	14.73	10.53
2.	मध्य प्रदेश	34.04	17.28
3.	तमिलनाडु	23.71	18.23
4.	मिजारम	0.21	0.43
5.	गोवा	0.39	0.67
6.	आन्ध्र प्रदेश	26.16	30.64
7.	हरियाणा	6.39	9.73
8.	कर्नाटक	14.52	21.60
9.	पंजाब	6.16	7.59
10.	गुजरात	10.18	18.67
11.	हिमाचल प्रदेश	1.75	4.54
12.	उत्तर प्रदेश	35.65	36.85
13.	सिक्किम	0.12	0.13
14.	उड़ीसा	8.32	10.64
15.	राजस्थान	9.36	12.92
16.	केरल	5.12	6.63
17.	प॰ बंगाल	10.00	13.69
18.	मणिपुर	0.24	0.17
19.	महाराष्ट्र	8.41	15.32
20.	त्रिपुरा	0.34	0.38
21.	बिहार	9.78	6.57
22.	जम्मू और कश्मीर	0.69	0.56
23.	अरूणाचल प्रदेश	0.04	0.06
24.	नागालैण्ड	0.04	0.10
25.	दिल्ली	0.04	0.09
26.	मेघालय	0.05	0.03
	(ख) संघ राज्य क्षेत्र		
1.	चण्डीगढ़	0.12	0.09
2.	लक्षद्वीप	0.02	0.02
3.	पॉडिचेरी	0.20	0.16
4.	दमन और दीव	0.02	0.06
5.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.09
6.	दादर और नगर हवेली	0.03	0.04
		226.88	244.54

[हिन्दी]

किसानों के लिये नई सिंचाई याजनाएं

2439. श्री रामशकल :

श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे और सीमांत किसानों के लिये नई सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 के लिये इन नयी सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की जसौली परियोजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जोकि वर्षों से लम्बित पड़ी है; और

(ङ) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है। सिंचाई योजनाओं की आयोजना, निष्पादन और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले को लाभान्वित करने वाली जसौली परियोजना का प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नौसेना कारावास और निरोध गृह विनियम

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना कारावास और निरोध गृह विनियम, 1996, जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 212 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰–1497/97]

[अनुवाद]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी॰ वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी जल–भूतल परिवहन मंत्रालय (वरिष्ठ ग्रंथालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1996 जो दिनांक 9 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 491 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰–1498/97]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) दिनांक 22 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा॰का॰नि॰ 535 (अ) जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) प्रथम संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) दिनांक 28 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा॰का॰नि॰ 547 (अ) जिनके द्वारा मुरमुगाओ पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन लिनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰–1499/97]

(3) (एक) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰–1500/97]

(5) (एक) कोचीन गोदी श्रम बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन गोदी श्रम बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰–1501/97]

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995–96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰–1502/97]

(3) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल•टी•-1503/97]

(5) (क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल•टी•-1504/97]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल•टी•-1505/97]

(9) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल•टी•-1506/97]

अपराह्न 12.1 $^{1}/_{4}$ बजे

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राष्ट्रपति से 5 मार्च, 1997 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"20 फरवरी, 1997 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।

अपराह्न 12.01 $^{1}/_{2}$ बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे दिल्ली के पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बी•एल• शर्मा 'प्रेम' का 3 मार्च, 1997 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने उनका त्यागपत्र 6 मार्च, 1997 से स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कब होगी?

अध्यक्ष महोदय : कल तीन बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं सविनय यह निवेदन करता हूं कि बजट पर चर्चा तब तक शुरू नहीं होनी चाहिए जब तक नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा समाप्त नहीं हो जाती ताकि सामान्य बजट पर चर्चा के समय कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अपराह्न 12.02 बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्न प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) से संबंधित पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(दो) दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) से संबंधित दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(तीन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) से संबंधित तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.2 $^{1}/_{2}$ बजे

उत्तर प्रदेश बजट - 1997-98

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें- (उत्तर प्रदेश) - 1996-97

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में वर्ष 1996-97 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 $^{1}/_{2}$ बजे

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन निरूद्ध किए गए व्यक्तियों के बारे में

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार ने टाडा कानून को खत्म कर दिया है। जो कानून इस समय मौजूद नहीं है, उसके अंदर हजारों लोग आज भी जेलों में बंद हैं और 37000 लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं। लोग अपने घर और परिवार से जुदा हैं। यह एक मानवीय मुद्दा है। मैनपुरी, जो कि मुलायम सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि टाडा बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। हमारी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई संसद के अंदर गांधी जी की मूर्ति के सामने हमारे सभी सांसदों समेत धरने पर बैठी है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि टाडा कानून के ऊपर कोई सरकारी बयान आना चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो। मेरे सवाल के जवाब में गृह मंत्री जी ने कहा था कि ढाई हजार लोग इस कानून के तहत बंदी हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई, यह मैं जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष जी, टाडा के बारे में पहले सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा...*(व्यवधान)* मुझे इस संबंध में बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जी॰एम॰ बनातवाल (पोन्नानी) : "टाडा" के कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस सिलसिले के अंदर तमाम वादे तो किए गए। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया गया है। यूनाईटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने अपने मिनिमम प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है।...*(व्यवधान)* लेकिन इसके बावजूद इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब कानून ही नहीं है तो उसके अंतर्गत मुकदमा कैसे चलेगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कानून खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री राजेश पायलट की बात सुन लीजिए। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। आप थोड़ा धैर्य रखिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अधिनियम रद्द कर दिया गया है। बहुत समय पहले से हर राज्य में पुनरीक्षा समितियां हैं। वह सही कह रहे हैं। गृह मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों से संबंधित मामले लेकर उन पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए क्योंकि अब अधिनियम रद्द कर दिया गया है। यदि राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षा की जा चुकी है तो संबंधित विवरण गृह मंत्रालय को भेज दिया जाए ताकि सबको पता चल जाए और यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बेगुनाह को बंदी बनाया गया हो तो उसे छोड़ा जा सके। देश को यह बताया जा सकता है कि टाडा के अन्तर्गत जो व्यक्ति जेल गए थे तथा जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वे अब इसमें शामिल नहीं हैं। हम यह नहीं कह रहे कि आप मुकदमा वापस ले लें। परन्तु जो बेगुनाह लोग इसमें फंसाए गए हैं उनके बारे में गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनीस आप अपनी बात कह चुके हैं। अब श्री बनातवाला को बोलने दीजिए।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने टाडा तथा इसके अंतर्गत जेल में बन्द व्यक्तियों का मामला बार-बार सभा में उठाया है। महोदय, यह हमारे भाग्य की विडम्बना है तथा यह बहुत अलोकतांत्रिक है कि कानून व्यपगत हो गया है और फिर भी लोग जेलों में बन्द हैं। कानून रद्द कर दिया गया है। टाडा कानून व्यपगत हो गया क्योंकि यह बहुत अलोकतांत्रिक कानून था जिसका अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा था। अब उसी व्यपगत कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाना एक असंगति है तथा राष्ट्र के साथ एक धोखा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अविलंब टाडा अधिनियम के अन्तर्गत चलाए जा रहे सभी मुकदमे वापस ले लेने चाहिए। इस देश में ऐसे पर्याप्त कानून हैं जिनके अन्तर्गत सरकार कार्यवाही कर सकती है। अतएव समय गंवाए बिना जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामसागर : अध्यक्ष जी, "टाडा" कानून के अन्तर्गत लोग हजारों की तादाद में बंद हैं और मुकदमे चल रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने टाडा बंदियों का रिहा किया था। पूरे देश में अभी तक टाडा बंदियों को रिहा नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने निर्दोष टाडा बंदियों को रिहा किया था, उन पर चल रहे मुकदमों को वापस लिया था, ठीक उसी प्रकार से सरकार द्वारा जो अध्यादेश कानून वापस ले लिया गया है, पूरे देश में टाडा बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए और जो उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैंने हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई है। मुझे बहुत कुछ मालूम है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भगवती देवी (गया) : अध्यक्ष महोदय, करीब दस-पन्द्रह दिन से चिड़ियां पालने वाले धरने पर बैठे हुए हैं। एक आदमी 7 तारीख को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा बाद में बोलिएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती भगवती देवी : अध्यक्ष जी, जरा देखा जाए, वह आदमी मर गया है। सुबह-सुबह हर घर में लोग चिड़ियां पालते हैं। फिर भी पालने वाले व्यक्तियों के ऊपर दो हजार जुर्माना है और सात साल की सजा है। सारे देश में गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी के लिए या तो सरकार रोजगार की कुछ व्यवस्था करें और अगर कुछ नहीं करती तो प्रतिबंध हटाया जाए। यहा कहा गया है कि जो चिड़ियां पकड़ेंगे, उन पर एक लाख रुपया जुर्माना होगा। इस तरह से गरीबों को तंग किया जा रहा है।

अपराह्न 12.10 बजे

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन निरूद्ध किए गए व्यक्तियों के बारे में—जारी

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कितनी देर तक यहां टाडा पर विचार विमर्श कर सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, टाडा कानून...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : जो लोग मारे जा रहे हैं... *(व्यवधान)* उन पर चर्चा नहीं हो रही है। जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, अपराध किए हैं, वे जेलों के अन्दर बन्द हैं।...*(व्यवधान)* जो लोग मारे जा रहे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही हैं।...*(व्यवधान)* सदन का कीमती समय बरबाद हो रहा है।...*(व्यवधान)* उस कानून को पुनः वापस लिया जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया था।...*(व्यवधान)* महोदय मुझे बोलने दिया जाये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुद्दा यह है कि टाडा कानून अब नहीं है परन्तु समस्या तो पुराने विधेयक के खंड (2) में है। चूंकि अभी खंड(2) रद्द नहीं हुआ है अतएव सरकार टाडा के अन्तर्गत बन्द किए गए कैदियों को रिहा नहीं कर सकती। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि पुराने कानून ...*(व्यवधान)*

श्री ए॰सी॰ जोस (इदुक्की) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : वह तकनीकी मुद्दे उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मित्रों की मदद क्यों नहीं करते? बोलिए बोलिए जितना बोल सकते हैं, उतना बोलिए। एक साथ बोलिए। सभी एक साथ बोल रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि टाडा कानून अब रद्द हो गया है परन्तु पुराने कानून के खंड(2) के विद्यमान रहने से कैदियों के लिए टाडा अभी भी लागू है। इसलिए मैं पुनरीक्षा समिति के नाम पर मंत्री महोदय से यह निवेदन करती हूं कि सरकार पुनरीक्षा प्रणाली की निगरानी नहीं कह रही है तथा न ही राज्य सरकारों से यह कह रही है कि निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएं। परन्तु जब तक सांविधिक पुस्तिका से खंड(2) नहीं हटाया जाता तब तक ऐसा किया जाना बहुत कठिन है। अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुराने खंड को रद्द किया जाए ताकि टाडा बंदियों को छोड़ा जा सके?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आप उनसे कैसे बहस कर रहीं हैं? आप उनसे बात मत कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, टाडा बंदियों के लिए पुराने कानून का खंड 2 अभी भी मौजूद है। इसलिए जब तक सांविधिक पुस्तिका से खंड(2) नहीं हटाया जाता उन्हें रिहा करना संभव नहीं है।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कार्यवाही वृत्तान्त में क्या सम्मिलित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : अतएव सरकार को खंड (2) की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा निर्दोष व्यक्तियों की रिहाई की व्यवस्था करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी आप उनसे बहस न करें। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैंने आपको बताया कि टाडा व्यपगत हो चुका है परन्तु...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप चुपचाप बैठिए तो आपको बालने के लिए समय दूंगा।

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : महोदय, यह वोटों की राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आज़मी, आपकी बारी भी आएगी परन्तु आप चुप तो बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, यह मामला काफी दिनों से, जब से सरकार बनी है तब से चल रहा है। यह मामला बहुत गंभीर है। महोदय, जो लोग सामने वाली कुर्सियों पर बैठे हैं, ...*(व्यवधान)* महोदय, जब ऐसे संवेदनशील मामले आते हैं तो ये लोग उस पर चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। उसमें भी ये लोग हिन्दू और मुस्लिम का सवाल उठाते हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी सब लोग धरने पर बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, सारे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद बाहर धरने पर बैठे हैं। टाडा कानून वापस होने के बाद आज जो लोग बंद हैं उन निर्दोष लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* इस सरकार ने टाडा के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया, मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने के बाद इसको वापस किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वाद विवाद नहीं है। मैं वाद विवाद की अनुमति नहीं दे रहा। बहुत हो गया। कृपया बैठ जाइए। आप इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय श्री राजेश पायलट ने एक बहुत महत्तवपूर्ण सुझाव दिया है। गृह मंत्री कृपया इस मामले की जांच करे तथा सभा को बताएं ताकि उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही विचार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही बेहतर होगा। यहां कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। गृह मंत्रालय को मामले की जांच करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : अध्यक्ष जी, उनकी रिहाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि यह गंभीर मामला है लेकिन यह डिबेट नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह डिबेट नहीं है हम लोग डिबेट नहीं कर सकते। जीरो आवर में डिबेट नहीं होगी।

कुंवर सर्वराज सिंह : मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए उद्गारों को नोट कर लिया है। मैं सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार पूरी स्थिति की पुनरीक्षा करना चाहती है। मैं गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री तक माननीय सदस्यों की भावनाएं पहुंचा दूंगा तथा सरकार इस मुद्दे पर एक विस्तृत वक्तव्य देगी...*(व्यवधान)* सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक विस्तृत वक्तव्य देगी...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चव्हाण को बुलाया है। यह मामला यहीं समाप्त होता है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने अगले सदस्य का नाम पुकारा है। सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद आप और क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय पता नहीं किस पाप की सजा भुगत रहा है कि एक रेल दुर्घटना की स्याही अभी सूख भी नहीं पाती कि दूसरी रेल दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से एक रेल डकैती की बात समाप्त नहीं हो पाती कि दूसरी डकैती हो जाती है। कल माननीय रेल मंत्री जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के गुना में गुना-शिवपुरी एक्सप्रेस एक बस से टकरा गयी। यह टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि पूरी बस चकनाचूर हो गयी और जो बस में यात्री सवार थे उनके भी चीथड़े-चीथड़े उड़ गये। बीस लोग मारे गये। दस लोग तो तत्काल मारे गये और दस ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया तथा 60 लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस दुर्घटना का दुखःद पहलू यह है कि कोई भी रेल विभाग का अधिकारी दो घंटे तक वहां नहीं पहुंचा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब और नहीं, अब कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी कल भोपाल में थे। सारा रेल विभाग का अमला उनकी सेवा में लगा था। दो घंटे तक कोई भी रेल अधिकारी दुर्घटना-स्थल पर नहीं पहुंचा। मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे क्रॉसिंग पर जब गेट था, चौकीदार था तो क्या उसे रेल के आने का संकेत नहीं मिला। मेरी मांग है कि सरकार मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा दे तथा घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था कराए।...*(व्यवधान)* मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, 30 लोग मरे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। उन्होंने आपकी बात समझ ली है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, यह एक दुखद घटना है। मैं भोपाल में हबीब गंज में रेलवे के रिजर्वेशन तथा और दूसरे कार्य थे उसके उद्घाटन के लिए गया हुआ था। वहां से आने के बाद मुझे जानकारी मिली। अध्यक्ष जी, यह मामला गुना और एक जगह है तनवटा, उसके बीच में है और निर्जन जगह पर है। वहां सिग्नलिंग की व्यवस्था भी नहीं है। जब गाड़ी को गेटमैन देखता है तो वह गेट को बंद करने का काम करता है। लेकिन यहां स्थिति दूसरी है। यहां गेटमैन भी था और फाटक बंद किया गया। वहां रोड-ब्रेकर भी है और उस रोड-ब्रेकर को पार करते हुए वह बस टकरा गयी। जो लोग उसमें सवार थे वह कह रहे थे कि गाड़ी आ रही है, रोको लेकिन उसके बाद भी अंधाधुंध गाड़ी को चलाना जारी रखा जिसमें गेटमैन भी मारा गया और उसने गाड़ी को टक्कर मारी। इसमें ट्रेन वाला क्या करे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी,... *(व्यवधान)* सामूहिक हत्या की गयी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको दो-तीन बार मौका दिया गया है, हर बार आपको मैं मौका दे नहीं सकता।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण तो है।

[अनुवाद]

आप मेरी बात सुनिए। यदि आप कोई राहत चाहते हैं तो आप किसी नियम के तहत मामला उठा सकते हैं। आपने तीन बार यह मामला उठाया है तथा सरकार ने उसका उत्तर दिया है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह तो मालूम है। आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा। आप तीन बार यह मैटर रेज कर चुके हैं लेकिन सरकार से जवाब अभी तक नहीं मिला है क्योंकि जीरा-आवर में जो रेज होता है उसका जवाब देना सरकार के लिए कम्पलसरी नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पिछली बार भी यह निर्देश दिए थे। श्री वाजपेयी आप भी उस मौके पर बोले थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपका कहना ठीक है कि एक बार मामला उठाना पर्याप्त होना चाहिए। उसे बार-बार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए लेकिन स्थिति ऐसी है कि 23 दिन हो गए, ट्रक सहित परिवार के सब बच्चे गायब हो गए, लापता हो गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना, कृपया सुनिए। माननीय सदस्य के परिवार के तीन सदस्य पिछले 21 दिनों से लापता हैं। उन्होंने सभा में यह मामला उठाया था। मैंने उस दिन कहा था कि सरकार कृपया इस मामले की जांच कर। इसलिए कृपया यह पता करें कि यह लोग कहां हैं। कृपया उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहें तथा माननीय सदस्य को तदनुसार सूचित करें। आपको जो भी सूचना मिले, कृपया माननीय सदस्य को अवश्य सूचित करें।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में हरिजनों की सामूहिक हत्या की गई। उसके लिए मैंने नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* सामूहिक हरिजनों की हत्या का मामला है लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आपने 15 लोगों को बोलने का मौका दे दिया लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।

अपराह्न 12.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आलू का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष आलू की फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभी कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो लिख कर दिया है, उसे ही पढ़िए। यहां भाषण नहीं दें।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : इस कारण से आलू की कीमत 260 रुपये प्रति क्विंटल से गिर कर 140-150 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है जिससे आलू उत्पादकों के सामने घोर संकट व्याप्त हो गया है। यदि स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में आलू का उत्पादन गिर जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के संबंध में जो लिखा है, उसे ही आपको पढ़ना चाहिए। उसी सीमा में रहें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आलू उत्पादकों के व्यापक हित में आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर आलू की सरकारी खरीद शुरू की जाए तथा कृषि उत्पादन एक्सपोर्ट डेवलपमैंट अथारिटी के द्वारा आलू का निर्यात अविलम्ब शुरू किया जाए।

(दो) कोटा, राजस्थान में उद्योगों को बन्द होने से रोकने के लिए निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा में उद्योग लगातार योजनाबद्ध आधार पर बंद होते चले जा रहे हैं। गत दिनों कोटो में सुदर्शन टैक्सटाइल, औरियन्टल पावर केबल्स, ऊन फैक्ट्री आदि तो बंद हुई है परन्तु अब कोटा के मजदूरों की रीढ़ की हड्डी पदम सिंह स्टैटिक्स, जे॰के॰ टायर कोर्ड, जे॰के॰ एकेलिक भी योजनाबद्ध तरीके से बंद होने जा रही है। इससे जहां एक ओर औद्योगिक शांति भंग होगी, वहीं कोटा का विकास एवं जन जीवन भी प्रभावित होगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मजदूरों के व्यापक हित में कोटा में उद्योगों के बंद न होने देने के लिए उपयुक्त कदम शीघ्र उठाए।

(तीन) मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले—बालाघाट के विकास के लिए वहां उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

अपराह्न 12.27 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला उद्योगविहीन जिला है। जिले में प्रचुर मात्रा में मैंगनीज और ताम्बे का एक तिहाई भाग उपलब्ध है। इसके साथ ही इस जिले में ग्रेनाइट, चूना, पत्थर, डोनामाइट आदि खनिज पदार्थ, सागौन और सागवान की लकड़ी तथा अच्छे किस्म का बांस उपलब्ध है। उपरोक्त चीजें होते हुए यहां पर कोई उद्योग नहीं है जिसके कारण वहां बेरोजगारी काफी है, लोग दूसरे क्षेत्रों में रोजगार हेतु पलायन करते हैं और इसी कारण देश में विकास संबंधी असंतुलन है। यहां पर इन कच्चे माल के आधार पर पेपर मिल, शूगर मिल और अन्य मिनरल आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाए और केन्द्र तथा राज्य की सहायता से उद्योगों की स्थापना कर इस पिछड़े क्षेत्र का विकास करने में सहयोग प्रदान करें।

(चार) शीतल पेय निर्माताओं द्वारा शीतल पेयों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा॰ कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं देश-वासियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक गम्भीर मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंटर प्रैस सर्विस, वाशिंगटन के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमरीका से पैप्सी की बोतलें भार में इकट्ठी कर ली जाती हैं और असुरक्षित स्थितियों में उनकी सफाई की जाती है। कोका कोला और दूसरे शीतल पेयों की खाली बोतलें कैलीफोर्निया से लाकर दक्षिण भारत में तिरूवेल्युवर में जमा कर दी जाती है। कम्पनी इस रद्दी बोतलों को धोती है, उनके चिप्स बनाती है और फिर इसे मनाली के समीप स्थित कारखाने में भेज देती है जहां बहुत से मजदूर काम करते हैं। वे मजदूर प्लास्टिक की उन बोतलों से उन्हें पहुंचने वाले नुकसान की शिकायत कर रहे हैं। विशेषकर इन प्लास्टिक की बोतलों को गर्म पानी में डालना उन मजदूरों के स्वास्थ्य

के लिए खतरनाक है, क्योंकि उन्हें हाथ और चेहरा ढ़कने वाले दस्तावेज नहीं दिए जाते। उस क्षेत्र में ऐसे लगभग दो दर्जन कारखाने हैं। बोतलों के शुद्धिकरण में प्रयुक्त प्रक्रिया घातक हो सकती है क्योंकि इन प्लास्टिक बोतलों को जब ताप में रखा जाता है तो उससे जहरीले वाष्प बनते हैं जिससे चमड़ी पर जलन, सांस के रोग और आंखों में जलन हो सकती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए, जो इन कारखानों में जमा कर दी गई हैं।

(पांच) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित उपक्रमों के कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए कारगर तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णानगर) : केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उन्नीस एकक विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ऐसे एकक जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के पास भेजे गए हैं, अनिश्चितता के घेरे में हैं और उनका भविष्य बहुत ही अन्धकारमय है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-उद्योग, रसायन, उर्वरक और वस्त्र मंत्रालयों के अधीन हैं। केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के इन एककों में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों की संख्या लगभग सत्तर हजार है। यह देखा गया है कि अधिकांशतः ऐसे सार्वजनिक एककों विशेष रूप से एन॰टी॰सी॰, एन॰जे॰एन॰सी॰, जैस्सोप, एम॰ए॰एम॰सी॰, बी॰ओ॰जी॰एल॰, भारतीय साईकल निगम, बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी के परावर्तक (रिफ्रैक्ट्री) एककों आदि में सरकार द्वारा गैर-योजनागत सहायता का प्रावधान न करने के कारण 1996 में वेतन की अदायगी बहुत अनियमित रही। कामचलाऊ पूंजी और गैर-योजनागत समर्थन राशि के अभाव में ऐसे अधिकांश मामलों में उत्पादन भी प्रभावित हुआ। वेतन के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा ग्रेच्युइटी जैसे अन्य सांविधिक देयों का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है।

आशंका है कि यदि एक व्यापक योजना नहीं बनाई गई तो पूरी स्थिति इस वर्ष और भी बिगड़ सकती है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कामगारों और कर्मचारियों को वेतन और अन्य सांविधिक बकायों के नियमित भुगतान की समस्या पर निगरानी हेतु प्रभावशाली तंत्र गठित करें और गैर-योजनागत समर्थन राशि का पर्याप्त प्रावधान करके केन्द्र सरकार के इन रुग्ण सार्वजनिक एकेकों में उत्पादन को प्रभावित न होने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं उनसे इस मामले पर वस्तुतः विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इस मामले पर कोई सामान्य और बंधा-बंधाया दृष्टिकोण न अपनाए यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसका संबंध लाखों मजदूरों और उनके परिवारों से है। अतः मैं सरकार से कृपया इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सांविधिक बकायों की अदायगी भी नहीं की जा रही है।

(छः) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान राशि में वृद्धि किए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शौचालय की निर्माण लागत 1992 में 2500 रुपये निर्धारित की गयी थी। यह निर्णय किया गया था कि निर्माण लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् 1000 रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिया जायेगा। पिछले पांच वर्षों में श्रम सहित निर्माण सामग्री की लागत में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रति शौचालय की निर्माण लागत बढ़ाकर 4000 रुपये हो गई है। अतः महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 40 प्रतिशत अनुदान को भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये करने का अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिवर्ष 5 लाख शौचालयों के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। तदनुसार आगामी चार वर्षों में बीस लाख शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह शौचालयों के निर्माण की बढ़ी हुई लागत को स्वीकार करे और अब तक बनाये गये शौचालयों के लिये अनुदान राशि जो राज्य सरकार के अनुसार 27.78 करोड़ रुपये हैं, जारी करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कांशीराम जी, आपको कल मौका मिलेगा क्योंकि एक बार आपका नाम बुलाया गया था तो आप मौजूद नहीं थे।

(सात) तमिल को प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तिरूची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : महोदय लम्बे समय से यह मांग की जाती रही है कि ग्रीक, अरबी और पारसी भाषाओं के समान प्राचीन तमिल भाषा को भारत सरकार प्राचीन (क्लासिक) भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करे।

तमिल की प्राचीन (क्लासिक) भाषा घोषित करने के प्रयास 1920 में ही शुरू हो गए थे जब "करनथई तमिल संगम" तथा

तत्कालीन अविभक्त मद्रास विद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में संकल्प पारित किये गए। मांग किए जाते हुए काफी समय व्यतीत हो गया है और तमिल भाषा में बहुत सी अनुपम विशेषताएं विद्यमान हैं, तथापि केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को अब तक पूरा नहीं किया है।

जिस प्रकार ग्रीक और लैटिन भाषा यूरोपीय समुदाय की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती हैं, उसी प्रकार भारतीय समुदाय की प्राचीन परम्पराओं, संस्कृति, धर्म, मूलभूत तथा नैतिक मूल्यों और दर्शन को समझने के लिए तमिल भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।

विख्यात भाषाविद् श्री सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति विभिन्न समुदायों का सम्मिश्रण हूं जिसमें मुख्य योगदान द्रविड़ परिवार के समुदायों तथा विशेष रूप से तमिल संस्कृति का है।

अनेक गणमान्य और विशिष्ट तमिल और पाश्चात्य विद्वानों ने तमिल भाषा को एक प्राचीन (क्लासिक) भाषा के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

यह तो सही है कि हमारी विरासत और परंपरागत मूल्यों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उनका निर्वाह किया जाना चाहिए चूंकि जब चाहे तभी कोई राष्ट्र अथवा समुदाय इन्हें अर्जित नहीं कर सकता। यह केवल कई शताब्दियों में विकसित होकर विरासत के रूप में मिलती है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिल भाषा को प्राचीन (क्लासिक) भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

अपराह्न 12.37 बजे

रेल बजट—1997-98—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (रेल)—1997-98
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—1994-95
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—1996-97

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट 1997-98 पर आगे चर्चा करेंगे। इस चर्चा हेतु नौ घण्टे की समयावधि निर्धारित की गई है। एक घण्टा और 21 मिनट का समय बीत चुका है। अतः 7 घण्टे 39 मिनट की चर्चा शेष है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही अपना भाषण जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, रेल बजट पर संभवतः पूरी रात चर्चा चलती है। वह रात आज होगी या कल, इतना मालूम हो जाए तो वक्ताओं को बताना आसान होगा। यह सुझाव के तौर पर है कि कल रात हमेशा की तरह करें तो सदस्य बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस बात का फैसला आज करें तो अधिक अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह आपको बाद में बताऊंगा। मैं इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से विचार विनिमय करूंगा।

श्री राम नाईक : ठीक है, महोदय।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि रात में बहस जारी रखने की बजाय, इसे कल सुबह जारी रखा जा सकता है और फिर परसों भी। [हिन्दी] सारी रात चलता है यह ठीक नहीं है। तीन दिन चर्चा रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस पर डिस्कस कर लेंगे। [अनुवाद] बाद में मैं आपको निर्णय से अवगत करवा दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सदन में भी इस मुद्दे पर मैंने अध्यक्ष महोदय से चर्चा की थी। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। तेरह तारीख को नियम 184 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पर चर्चा प्रस्तावित है। यदि ऐसा है तो उससे पूर्व सामान्य बजट चर्चा शुरू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे बीच में व्यवधान हो जाएगा।

अतः अच्छा यह होगा कि सारी रात बजट पर बहस करने की बजाय इसे आज, कल और परसों, तीन दिनों में पूरा किया जाए; और चौदह तारीख को उत्तर-प्रदेश पर चर्चा के पश्चात् अगले सोमवार से सामान्य बजट पर चर्चा की जाएं। इसी बीच, यदि कुछ समय बचे, तो अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों को ध्यान में रख कर फैसला कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : पिछले गुरूवार जब मैं इस विषय पर बोल रहा था तो मैं बजट के मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले पहलू की चर्चा कर रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है मात्र आठ महीने के अन्तराल में 23.2 प्रतिशत की दर से माल भाड़े में वृद्धि हुई है। इसका हमारे आर्थिक तंत्र पर गहन प्रभाव पड़ा है। सामान्य बजट में माल के यातायात पर 5 प्रतिशत वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित सेवा कर और चुंगी, पेट्रोल उत्पादों के मूल्यों में संभावित वृद्धि के साथ मालभाड़े में इस वृद्धि से मुद्रास्फीति की दर में कम से कम 3.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी और वह दो अंकों में पहुंच जायेगी। यह लगभग 12 प्रतिशत हो जायेगी।

केवल कोयले के क्षेत्र में ही 45 रुपये प्रति टन की वृद्धि होगी। पेट्रोल की कीमतों में 8 पैसे प्रति लिटर की दर से, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में नौ पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की दर से वृद्धि और सीमेंट के मूल्य में 50 किलोग्राम के प्रत्येक बोरे पर 244 रुपये की दर से वृद्धि हुई है। 'सेल' के चेयरमैन ने बताया है कि इस्पात क्षेत्र पर इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इससे 'सेल' के लागत भार में 180 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी। इसका यह प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं वार्षिक योजना परिव्यय की चर्चा करूंगा। इस वर्ष बजट में 8300 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय रखा गया है। यह पिछले वर्ष के योजना खर्च जितना ही है। पिछले वर्ष यह लगभग 8.30 करोड़ रुपये था और 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस वित्त वर्ष में भी उतनी ही धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। स्वाभाविक है कि यह वास्तव में विगत वर्ष के योजना परिव्यय की तुलना में कम से कम 12 प्रतिशत कम होगा। यदि मुद्रा-स्फीति को ध्यान में रखा जाये तो पिछले वर्ष के बजट प्रावधानों की तुलना में यह 12 प्रतिशत कम हुआ। रेलवे क्षेत्र में हम इस स्थिति की ओर जा रहे हैं। कृपया मुझे कुछ आकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति दें जिससे यह पता चले कि यह बजट प्रगतिगामी है या प्रतिगामी है। बजट परिव्यय रेलवे राजस्व जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस वर्ष कम रखा गया है। नई लाईनों के निर्माण क्षेत्र में इस वर्ष के बजट में कुछ अधिक धनराशि अवश्य रखी गई है। विगत वर्ष यह परिव्यय 283.88 करोड़ रुपये रखा गया था। परन्तु इस वर्ष इसे बढ़ाकर 399.89 करोड़ अथवा लगभग 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। परन्तु कितनी धनराशि की आवश्यकता है। वर्तमान मूल्य संरचना के अनुसार पहले शुरू की गई लाईनों के निर्माण को पूरा करने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। हो सकता है इससे कहीं अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़े। कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 3000 करोड़ रुपयों का प्रावधान होना चाहिए और कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार 2000 करोड़ रुपयों के प्रावधान की आवश्यकता है। परन्तु यदि कम से कम सीमा भी देखी जाये, तो भी यह 2000 करोड़ रुपये ही बनती है।

हमें इन परियोजनाओं को पूरा करना है और यदि हम इसी गति से लगे रहे तो, हमें इन परियोजनाओं को पूरा करने में पूरी 21 वीं सदी लग जाएगी।

मेरा अगला विचार-बिंदु सर्वेक्षण के संबंध में है। माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में 39 सर्वेक्षणों का प्रस्ताव किया है। भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने एक बार कहा था "यदि चाहो तो गाड़ी चलती है, यदि न हो, तो सर्वेक्षण होते हैं।" यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से सर्वेक्षण तो माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने मात्र हेतु सुझाये गए हैं। वे रेलवे के समन्वित विकास की बात करते हैं। वे कहते हैं कि वे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर रहे हैं और इसीलिये उत्तर-पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए धन उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने गुरुवार को इस कदम का स्वागत किया था। इस वर्ष के बजट में क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाने वाला रुझान दिखाई पड़ता है। 39 सर्वेक्षणों में से आठ सर्वेक्षण तो उस राज्य से हैं जहां से प्रधानमंत्री आते हैं और अन्य आठ एक और राज्य से है। शेष 22-23 सर्वेक्षण पूरे देश के लिए है। बेशक संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में किसी स्थान पर कहा था कि रेल विभाग पूरे देश के साथ एक समान व्यवहार करता है। एक प्रश्न यह प्रधानमंत्री से पूछा गया कि बजट में कुछ राज्यों, विशेष रूप से उनके राज्य में उनके अपने जिले से सम्बन्धित प्रस्तावों की भरमार है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कर्नाटक में एक ही जिले के लिए 130 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है।

किसी राज्य को कुछ भी मिले, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है। परन्तु मेरा विषय सामाजिक न्याय है और मैं कहता हूं कि क्षेत्रीय असमानताएं नहीं होनी चाहिए। हमारा सिद्धांत यह है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक बराबर है और प्रधानमंत्री उनमें सर्वप्रथम हैं। शायद माननीय रेल मंत्री जी ने इसी को ध्यान में रखा होगा जब उन्होंने शेष सभी राज्यों को एक समान रखा और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री के राज्यों को इन राज्यों की तुलना में कहीं ऊपर रखा। क्या उन्होंने इस नये सिद्धान्त के साथ न्याय किया? क्या उन्होंने अन्य राज्यों की तुलना में अपने राज्यों के लिए बहुत अधिक आवंटन नहीं किया? मुझे कुछ नहीं पता? परन्तु इन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए और सभी राज्यों को समान रूप से संसाधनों का आवंटन होना चाहिए।

पिछड़े हुए राज्यों के लिए तो अच्छे प्रावधान किए गए हैं। छः राज्यों को पिछड़े राज्य का दर्जा दिया गया है। ये हैं : बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक अन्य राज्य। इन राज्यों के लिए आवंटन करते हुए उदारतापूर्वक धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिए तथा वहां नई रेलवे लाइनें बनाई जानी चाहिए। रेल मार्ग से स्थानों को जोड़ने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं। उदाहरणार्थ जखपुरा-बनसपानी रेल लाईन से उड़ीसा में खनन और वन कार्यों का मार्ग प्रशस्त होगा। उड़ीसा राज्य तो सचमुच एक पहेली है। वहां पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर हैं परन्तु वहां के लोग घोर दरिद्रता के शिकार हैं। जब किसी परियोजना की बात होती है तो सभी परियोजनाओं को एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि उस परियोजना से न केवल उड़ीसा का आर्थिक विकास होगा अपितु पूरे देश का आर्थिक विकास होगा। निश्चित रूप से कुछ रेल लाईनों को राष्ट्रीय परियोजना माना जाना चाहिए और इन्हें सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी किसी नई रेल लाईन का निर्माण कार्य शुरू हो, अच्छा होगा यदि हम यह तय कर लें कि कोई परियोजना कब पूरी होगी। मेरा सुझाव यह है कि नई शुरू की जाने वाली लाईनों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे लाईनों के निर्माण कार्य को शुरू किया जा सके और पूरा भी किया जा सके।

अब मैं आमान परिवर्तन के विषय पर चर्चा करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए 1201.01 करोड़ रुपये की राशि

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

आबंटित की गई थी। अब इसे कम करके 996 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब यह राशि 1,000 करोड़ रुपये से भी कम है।

जहां तक रेल लाईनों के दोहरीकरण का प्रश्न हैं पिछले वर्ष 206.36 करोड़ रुपये आबंटित किये गए थे अब इस राशि को कम करके 178.01 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब कम्प्यूटरीकरण की चर्चा की जाए। मुझे आजकल कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष इसके लिए 62.58 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था परन्तु इस वर्ष इसे घटा कर मात्र 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पचास प्रतिशत से भी कम है।

पिछले वर्ष रॉलिंग स्टाक हेतु 2020.91 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। इसे बिल्कुल ही घटा कर 1208.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 26 फरवरी को रेल बजट पेश किये जाने के पश्चात् दुर्घटनाओं, चोरियों, डकैतियों और हिंसक घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई है। यह सब दो हफ्तों के बीच ही हो गया है। इस पक्ष को नकारा नहीं जाना चाहिए और इसे हंसी में नहीं टाला जाना चाहिए। बातों को गम्भीरतापूर्वक नोट किया जाना चाहिए।

सिगनलीकरण और दूरसंचार के लिए भी इस वर्ष बहुत कम प्रावधान किया गया है। यात्री किरायों में चाहे वृद्धि होती चली जा रही है परन्तु यात्री सुविधाऐं कम होती चली जा रही हैं। विगत वर्ष यात्री सुविधाएं हेतु 103.59 करोड़ रुपये रखे गए थे परन्तु इस वर्ष इसे कम करके 80 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रावधानों को काफी कम कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है योजना परिव्यय कुछ भी हो, वास्तव में तो ये प्रावधान कम ही हुए हैं। विकास दर पर दृष्टिपात करें। हमने 7.2 प्रतिशत की विकास दर दिखाई है। मैं एक सचाचार पत्र पढ़ रहा था जिसमें यह रिपोर्ट छपी थी कि माननीय वित्त मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम् ने कहा है कि इस सदी के अन्त तक हमारे देश की विकास दर लगभग 8 प्रतिशत और औद्योगिक विकास दर 12 प्रतिशत हो जायेगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए क्या रेल विभाग को अपने कार्यक्रम इसी के अनुसार नहीं बनाने चाहिए। पहले ही आवश्यकता और वास्तविक दर में भारी अन्तर है। चूंकि विकास दर केवल छः से सात प्रतिशत है, अतः यह अन्तर तेजी के साथ बढ़ता जायेगा।

जहां तक माल की ढुलाई का संबंध है, दो वर्ष पूर्व 390 मिलियन टन माल की ढुलाई हुई थी, पिछले वर्ष 10 मिलियन टन माल की ढुलाई हुई थी और इस वर्ष 433 मिलियन टन माल की ढुलाई का प्रस्ताव है। इसकी वृद्धि दर मुश्किल से पाच प्रतिशत है जबकि वार्षिक औद्योगिक वृद्धि दर 12 प्रतिशत है तथा कुल आर्थिक वृद्धि की दर सात से आठ प्रतिशत है।

इसके अलावा कुल सवारी और माल डिब्बों में से 33 प्रतिशत बहुत पुरानी हो चुकी हैं। उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। रेलवे लाइन का केवल 19 प्रतिशत भाग का ही विद्युतीकरण हो पाया है। अतएव रेलवे के कार्यकरण के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हुए वर्तमान स्थिति बहुत शोचनीय है।

रेलवे परिवहन समिति ने यह सिफारिश की थी कि कुल माल ढुलाई तथा यात्री यातायात का 72 से 73 प्रतिशत भार रेलवे द्वारा वहन किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि 20 प्रतिशत यात्री यातायात तथा 60 प्रतिशत माल की ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा की जा रही है। परन्तु इसमें वृद्धि की संभावनाएं हैं। इस शताब्दी के अन्त तक 63 से 67 प्रतिशत माल ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा की जाएगी। यदि रेलवे 72 प्रतिशत माल ढुलाई कर सके तो 16000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। यदि मैं कहूं कि रेलवे कोल इंडिया लि॰ पूरे कोयले की ढुलाई कर सके तो वह अलग से 5000-6000 करोड़ रु॰ अर्जित कर सकते हैं। तो श्री बसुदेव आचार्य भी मुझसे सहमत होंगे। किसे दोषी ठहराया जाए? यदि आप इन दृष्टिकोणों से बजट को देखें तो मैं यह कहूंगा कि यह अव्यावहारिक और प्रेरणाविहीन बजट हैं यह वृद्धि के अनुरूप नहीं है तथा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

पिछले वर्षों में अनेक समितियां नियुक्त की गई थी जिन्होंने भावी आवश्यकताओं और आज रेलवे की क्या स्थिति है तथा इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस संबंध में गहन अध्ययन किया था। रेलवे ने 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1980 से 1995 के लिए एक निगमित योजना बनाई थी। रेलवे ने अनेक समितियां भी गठित की थी जैसे डा॰ एम॰एन॰ ननजनदय्या समिति, प्रकाश टंडन समिति तथा पाल समिति इत्यादि। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की भांति इन्होंने भी अपनी सिफारिशें की थीं। इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का क्या हुआ? वह सब दबी पड़ी हैं। ऐसे अध्ययनों की कमी नहीं है परन्तु उनकी सिफारिशों पर कार्य करने की इच्छा नहीं है। केवल आकर्षक उपायों द्वारा ही काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है जब हमारे परिवहन क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए।

मैं विश्व बैंक की 1995 की रिपोर्ट—'इंडिया-ट्रांसपोर्ट सैक्टर-लांग टर्म इश्यू' जिसके लेखक राबर्ट बरनेल हैं, से उद्धृत करना चाहता हूं जिसके अनुसार :—

> "परिवहन प्रणाली के साथ विद्युत क्षेत्र की क्षमता में कमी होने से देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास में कमी आ जाती है।"

यह चर्चा रेल बजट पर हो रही है इसलिए मैं बिजली की कमी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों में बिजली की कमी से दिल्लीवासियों का जो हाल था, वह आप सब जानते हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आप यह भूल रहे हैं कि यह समस्याएं पिछले कई वर्षों से जमा हो रही हैं न कि केवल पिछले सात महीनों से।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यह भी केवल एक रात का कमाल नहीं है। परन्तु मैंने तथ्य व आंकड़े

देखकर यह विश्लेषण किया कि यह सब कैसे बिगड़ रहा है। पिछले सात या आठ महीनों में रेलवे के कार्यकरण में काफी गिरावट आई है। सी पी आई (एम) के माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने देश का कार्यभार संभाला तब मुद्रा स्फीति की दर 4.4 प्रतिशत थी। आज यह क्या है? आज यह लगभग 8 प्रतिशत है। दो या तीन महीनों के बाद यह क्या होगी। यह 12 प्रतिशत होगी। आजकल रेल दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं।

जब सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ तब सी पी आई (एम) के हमारे मित्रों की क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने इसका स्वागत किया था। परन्तु आज उनके महासचिव, जो कि सबसे शक्तिशाली है श्री सुरजीत ने कहा कि यह बजट सम्भ्रांत वर्ग के लिए है। अभी बंगाल के मुख्य मंत्री और श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्यों ने इसकी प्रशंसा की थी।

श्री अनिल बसु : हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम सभी सकारात्मक उपायों का समर्थन करेंगे तथा नकारात्मक पहलुओं का विरोध करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं सभी सकारात्मक बातें आपको बताऊंगा।

मैं आपको यह भी सुझाव दूंगा कि रेलवे कैसे और अधिक संसाधन जुटा सकता है। जनता के कुछेक वर्गों को खुश करने के लिए हमें तदर्थ आधार पर कोई योजना नहीं बनानी चाहिए थी। हम आम यात्रियों की बात नहीं कर रहे हैं परन्तु मुद्रास्फीति की दर की बात कर रहे हैं। आम आदमी या आम यात्री भी इससे बचा नहीं रहेगा, यह तो सबको प्रभावित करेगा।

अतएव एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत हैं । मैं अनुदानों की मांगों पर भी आता हूं। यदि मैं अपने राज्य जो कि पिछड़ा क्षेत्र है तथा जिसका मैं संसद में प्रतिनिधित्व करता हूं, की वास्तविक मांगों का यहां जिक्र नहीं करता तथा सरकार से इन पर विचार करने का अनुरोध नहीं करता तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन उससे पहले हमें यह देखना चाहिए कि निधियां जुटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं यह आंकड़े नहीं बताने जा रहा कि हमें कितने माल डिब्बों और कितने सवारी डिब्बों आदि की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस संबंध में कई अध्ययन किए जा चुके हैं तथा चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रु॰ की आवश्यकता है तथा लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रु॰ विद्युतीकरण, लाईन परिवर्तन तथा अन्य कामों के लिए आवश्यक होंगे।

मैं माननीय मंत्री को एक बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयत्नों से इस वर्ष बजटीय सहायता में वृद्धि हुई है। एक समय यह 75 प्रतिशत थी। अगली बार यह कम होकर मात्र 16 प्रतिशत ही रह गयी और इस वर्ष इसे बढ़ा कर 21 प्रतिशत कर दिया गया है। नवीं योजना के बारे में भी मैंने एक समाचार भी पढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, आप भोजनावकाश के बाद अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.09 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे पुनः समवेत हुई।

उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*

रेल बजट—1997-98 सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (रेल)—1997-98
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—1994-95
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—1996-97

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, रेलवे का विकास यातायात की मात्रा में वृद्धि तथा नई आर्थिक नीति के अनुरूप होना चाहिए। मैंने यह भी जिक्र किया था कि माल यातायात में केवल 5 प्रतिशत विकास हुआ है। इस वर्ष यह 410 मिलियन टन होगा। एक अध्ययन के अनुसार अगले दस वर्षों में माल यातयात 200 से 2500 मिलियन टन होगा। अतएव देश की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए रेलों में सुधार की आवश्यकता है।

मुझे यह नहीं मालूम कि क्या प्रगति हुई है। एक प्रस्ताव यह भी था कि निजी पार्टियों द्वारा कुछ पर्यटन रेलगाड़ियां चलाई जाएं। मुझे नहीं मालूम कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इस क्षेत्र में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। रेलवे की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां कैसे जुटाई जा सकती हैं, इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंता।

बजटीय समर्थन, जिसमें 16 प्रतिशत से 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, को आने वाले वर्षों में और भी बढ़ाया जाना चाहिए। हमें यह ज्ञात हुआ है कि नवीं योजना के 'अप्रोच पेपर' में सरकारी क्षेत्र के लिए

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

लगभग 8 लाख करोड़ रु॰ का प्रावधान है। इसमें से 3.5 लाख करोड़ रु॰ बजटीय समर्थन के रूप में दिए जाएंगे। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मेरे विचार से रेलवे हमारे देश का सरकारी क्षेत्र का एक ऐसा उद्यम है जिसमें कई असाधारण बातें हैं। समयाभाव के कारण मैं यहां उन्हें दोहराना नहीं चाहता। रेलवे की आवश्यकताओं को देखते हुए नवीं योजनावधि में उन्हें पर्याप्त बजटीय सहायता दी जानी चाहिए।

दूसरे आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने में भी सुधार किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंत्रालय अथवा बोर्ड द्वारा रेलवे के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रेलवे में लगभग 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही कहा गया है कि रेल कामगारों की उत्पादकता में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। साथ ही मितव्ययता भी बरतनी चाहिए। व्यय को न्यूनतम करने के लिए इस दिशा में अनेक कदम उठाए जाने चाहिए। इस समय कार्य लागत अनुपात 91 प्रतिशत है जोकि संसार में सबसे अधिक है। रेक अनुपात भी सबसे अधिक है सात महीने पहले यह 85 प्रतिशत था और अब यह बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया है। अवएव हमें रेलवे के कार्यनिष्पादन में सुधार करना है। हमें कार्य लागत को कम करना है।

तीसरे, रेलवे में दो ऐसी स्कीमें हैं जिनके अन्तर्गत कार्य चल रहा है एक है वैगन का निर्माण, स्वामित्व, लीज़ हस्तांतरण योजना (जो बी॰ओ॰एल॰टी॰ के नाम से लोकप्रिय है) तथा दूसरा है 'अपने वैगन के स्वयं मालिक' योजना इन स्कीमों को बहुत कम सफलता मिली है। इन स्कीमों को शुरू करते समय जिस सफलता की आशा थी वह अब कहीं नजर नहीं आती। इसमें क्या कमियां हैं। अपनी वैगन के स्वयं मालिक योजना से हमें लगभग 576 करोड़ रु॰ प्राप्त हुए हैं। परन्तु इस की फिर से पुनरीक्षा की जानी चाहिए। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के उपाय भी खोजने चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि विभिन्न वित्तीय संस्थानों से और अधिक निधियां ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं।

इस संबंध में हम निजी पार्टियों, उद्योगपतियों इत्यादि के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। परन्तु हमें सावधानीपूर्वक चयन करना होगा। हमें बहुत सावधानीपूर्वक उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो उद्योगपतियों, बहु राष्ट्रीय कम्पनियों इत्यादि द्वारा संचालित किए जा सकते हैं ताकि रेलवे का महत्व व प्रमुखता बनी रहे तथा साथ ही जो वित्तीय सहायता चाहिए वह भी इन स्रोतों से मिलती रहे। जहां तक निजीकरण व अन्य बातों का संबंध है इस संबंध में राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। हमें विभिन्न राजनैतिक दलों को भी विश्वास में लेना होगा।

सामान्य बजट के संबंध में गोपनीयता रखी जाती है। परन्तु रेलवे बजट को गोपनीय रखने लायक कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किराया और माल भाड़ा बढ़ा भी दिया जाता है तो अगले दिन से तो यह लागू होने वाला नहीं है। कोई भी काला बाजारी के लिए आगे के टिकट नहीं खरीदता। रेल बजट के प्रस्तुत होने के दो या तीन महीने पहले विभिन्न राजनैतिक दलों, मजदूर संघों तथा व्यापारिक संगठनों इत्यादि से परामर्श लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

रेलवे की अतिरिक्त भूमि के उपयोग के संबंध में भी मुझे कुछ ठोस सुझाव देने हैं जिसका जिक्र श्री प्रमोद महाजन ने भी किया था। रेलवे के पास विभिन्न शहरों और नगरों में रेल पथ के आसपास तथा अन्य कई स्थानों पर पर्याप्त अतिरिक्त भूमि है। संसाधनों की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात अतिरिक्त भूमि का अनुमान लगाया जाना चाहिए जिससे कि रेलवे को भारी राशि मिल सकती है। इसके साथ-साथ रेलवे के पास एक और संसाधन भी है। यह अजीब तो लगेगा परन्तु यह एक व्यावहारिक सुझाव है। यह है महानगरों में रेल पथों के साथ खुली जगह का उपयोग। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। रेल पथों के ऊपर आठ या दस फुट जगह उपलब्ध है। यदि इस जगह का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए तो रेलवे राजस्व के रूप में हजारों करोड़ रुपए अर्जित कर सकता है। कुछ लोगों ने यह सुझाव भी दिया था परन्तु मैं नहीं जानता कि इस संबंध में क्या किया गया। इस संभावना की भी जांच की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश के अनुसार रेलवे की आवश्यकताएं कई गुना बढ़ रहीं हैं। आवश्यकताएं तो बढ़ रही है परन्तु रेलवे परिवहन क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। यात्री तथा माल का कम दूरी का यातायात सड़क क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि कम दूरी की रेलें नुकसान में चल रही हैं। रेलवे कम दूरी के क्षेत्र में हानि उठा रहा है। इसे सड़क क्षेत्र को सौंप दिया जाना चाहिए। रेलवे को लम्बी दूरी के क्षेत्र को संभालने में कार्यकुशलता बरतनी चाहिए। यह मेरा दूसरा सुझाव है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आप पहले ही 55 मिनट ले चुके हैं। आप कृपया अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जी हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बल रेलवे में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्णतया पारदर्शिता होनी चाहिए तथा रेल बजट भाषण तथा सामान्य बजट भाषण में भी यही वायदा किया गया था। जब तक प्रबंध में कामगारों का कारगर, अर्थपूर्ण और सक्रिय योगदान नहीं होगा तब तक यह पारदर्शिता संभव नहीं है। श्रमिकों और कामगारों के प्रबंध में सहयोग के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मेरे विचार से इससे रेलवे की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।

उड़ीसा की मांगों के संबंध में कुछ कहने से पहले मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब समय आ गया है कि माल भाड़े में की गई 12 प्रतिशत की वृद्धि पर पुनः विचार किया जाए। माल भाड़े में की गई वृद्धि को कम किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया कि इससे अर्थव्यवस्था पर धीरे-धीरे लगातार असर पड़ता है। छः या सात

महीने पहले इसका प्रतिशत क्या था। आम आदमी माल भाड़े पर 12 प्रतिशत का भार वहन नहीं कर सकता। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे को इस पर पुनर्विचार करके माल भाड़े की दर में कमी लानी चाहिए।

जहां तक यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं का संबंध है, इस संबंध में जितना कहा जाए उतना कम है। आज भी हावड़ा जाने वाली रेल में पटना के पास एक और डकैती की सूचना मिली है। इसलिए सभा में शून्य काल में शोर मचा था। पटना में, बिहार में क्या हो रहा है। हम पटना में कानून और व्यवस्था की स्थिति देख रहे हैं। वहां अक्सर चलती ट्रेनों में डकैती, हिंसक घटनाएं होती हैं, वह भी बिहार की राजधानी पटना के आसपास। यह क्या हो रहा है। यह हताशाजनक और चौंका देने वाली बात है।

एक अध्ययन के अनुसार 1977 में सिर्फ बिहार में लगभग 11000 रेलवे पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता थी। आज की स्थिति आप जानते हैं। मात्र 2500 कार्मिक हैं। इतने कम पुलिस कार्मिकों से क्या होगा।

[हिन्दी]

स्कंधम ना बाधते राजन, तब बाधति बाधते।

[अनुवाद]

यह संवाद उन दिनों विक्रमादित्य और कालिदास के बीच हुआ था।

रेल मंत्री सब जगह इस सभा में, पटना में, भोपाल में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। वह कहते हैं कि राज्य सरकार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। रेलवे पुलिस कार्मिक राज्य सरकार के अधीन होते हैं। वह कहते हैं कि प्रधान मंत्री एक बैठक बुलाएंगे ...*(व्यवधान)* इन सबके बावजूद इन घटनाओं की संख्या में फिर वृद्धि हो रही है। पटना में कानून और व्यवस्था की यह स्थिति है।

जहां तक वित्तीय अनुशासन का संबंध है जो न कहा जाए वह बेहतर है। हर कोई नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणियों से वाकिफ है जो उन्होंने विधान सभा में कहा था। वित्तीय अनियमितताएं भी हैं। वहां कानून नहीं है। प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : रेलवे पर बहस चल रही है। बिहार सरकार पर बहस नहीं हो रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका आएगा। आप अपने समय पर कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह रेलवे से संबंधित है। यह इससे सम्बद्ध है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए। उन्हें समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हिन्दुस्तान में कोई ऐसी स्टेट है जहां, भारत सरकार एडमिनिस्ट्रेशन देखती हो? हर स्टेट अपना ऐडमिनिस्ट्रेशन देखती है।...*(व्यवधान)* अगर इस तरह का वाकया होता तो हमें भी मालूम होता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त कर रहे हैं। उन्हें समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सच तो सच ही रहेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप रेल बजट पर ही बोलिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह रेल बजट का ही भाग है। यदि आप समझ नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : रेल को मुख्यतया सुरक्षा और समय की पाबन्दी पर ध्यान देना चाहिए। अब यात्री सुरक्षित महसूस नहीं करते। रेलवे पुलिस के रहते हुए भी लूट और डकैती की घटनाएं बराबर हो रही हैं। कानून में भी कुछ कमी हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

अब मैं उड़ीसा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं केवल दो या तीन मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। मेरे अपने राज्य अथवा अपने क्षेत्र की मांगों को बताए बिना रेल बजट का कोई भाषण पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय मुझे दो या तीन मिनट का समय और दें। उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

जैसा कि मैंने कहा कि उड़ीसा प्राकृतिक संसाधन बहुल राज्य है। यहां प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक हैं। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि यहां पर बहुत अधिक गरीबी है। रेलवे लाइनों के संबंध में उड़ीसा की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कम है। उड़ीसा में औसत किलोमीटर रूट राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भी उड़ीसा की औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। परन्तु प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह देश के संसाधन बहुल राज्यों में से एक है। अतएव

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

उड़ीसा की अवेहलना का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवहेलना। जनजातीय लोग भी वहां पर हैं।

कालाहांडी और बोलनगीर की चर्चा भी यहां अक्सर होती है। अतएव यहां के लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में भी आप जानते हैं। तलचर विम्बलगढ़ के लिए दो लाइनों का सर्वेक्षण किया गया था जिसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। बारगढ़-रायपुर और गुनुपुर-रायगढ़ लाइनों का भी सर्वेक्षण किया जाना है। रेल बजट में सम्बलपुर-तलचर लाइन को पूरा करने का भी वायदा किया गया था। परन्तु अपने अनुभव से हमें इस घोषणा पर संदेह है। क्योंकि, कई बार यह देखा गया है कि सभा पटल पर दिए गए आश्वासनों के बावजूद इन आश्वासनों पर कभी कार्यवाही नहीं की गई। खुर्दा-बोलनगीर लाइन के लिए भी और निधियों की आवश्यकता है। बोलनगीर और कालाहांडी ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां बहुत भयानक सूखा पड़ता है। जूनागढ़ और लांझीगढ़ कालाहांडी जिले में हैं। महोदय, यदि और अधिक धन उपलब्ध किया जाता है तो उससे यहां की जनता को और अधिक राहत मिल सकती है। इस कार्य को शुरू करने से राहत कार्य में सहायता मिलेगी। पिछले वर्ष के बजट में दो या तीन करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी परन्तु अभी तक इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया। वहां कोई कार्य नहीं किया गया न ही कोई कार्यालय अभी तक वहां खोला गया है। अतएव महोदय और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह धन वास्तव में वहीं व्यय किया जा रहा है तथा कार्य शुरू कर दिया गया है।

रूपसा-बंगरीपोसी लाइन एक और रेल लाइन है जो मयूरभंज के आदिवासी प्रमुख क्षेत्र में स्थित है जहां गेज परिवर्तन की आवश्यकता है। वहां भी खुर्दा-बोलनगीर और जूनागढ़-लांझीगढ़ लाइनों की तरह इसी प्रकार की समस्या है। गेज परिवर्तन यहां भी होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि जगपुरा-बनसपर्णी लाइन को राष्ट्रीय रेल मार्ग समझा जाना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

तलचर-सुकिन्दा लाइन का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है परन्तु अभी तक वहां कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। व्यय और लाभ के अनुपात की दृष्टि से भी यह देश में सबसे अधिक है। इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजना आयोग द्वारा भी इस पर विचार किया जा रहा है। तलचर-पारदीप लाइन, झारसीगुदा-तितलगढ़ लाइन और खुर्दा और पुरी लाइन के दोहरीकरण के कार्य की गति तीव्र किए जाने की आवश्यकता है।

बालासोर से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से वाल्टेयर के बीच विद्युतीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। उड़ीसा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की बारंबारता भी बढ़ाई जानी चाहिए। उड़ीसा के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री से मिला था। उस समय उन्होंने इसका वायदा भी किया था। माननीय मंत्री ने कुछ वायदे भी किए थे। मुझे विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष के बजट भाषण में यही सब बातें कही गई थीं तथा नये मंडल कार्यालय का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने भी कुछ घोषणाएं की थीं परन्तु उन्हें भी कार्यान्वित नहीं किया गया यह इस देश की दशा है।

सम्बलपुर निजामुद्दीन राजधानी ऐक्सप्रेस की बारंबारता बढ़ाई जानी चाहिए तथा दो नई रेलगाड़ियां राउरकेला और रायपुर के बीच बरास्ता सम्बलपुर तथा दूसरी डी एम यू बरहामपुर और भुवनेश्वर के बीच, जोकि दूसरा मंडल मुख्यालय है, शुरू की जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली से बरहामपुर के बीच एक सीधी रेल सेवा शुरू की जानी चाहिए। रेवले बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री भटनागर ने मुझसे यह वायदा भी किया था कि सप्ताह में दो बार चलने वाली कोचीन-छत्तीसगढ़ सुपरफास्ट गाड़ी को भी झारसीगुढा तक बढ़ाया जाएगा। परन्तु अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अब मैं उड़ीसा, विशेषकर उड़ीसा के पश्चिमी भाग में, रेलवे प्लेटफार्मों और यात्री सुविधाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। वहां स्थिति अत्यंत खराब है। वहां स्थित 7000 स्टेशनों में से लगभ 6,000 स्टेशनों में स्वतंत्रता के पश्चात सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया गया है। यह सभी रेलवे स्टेशन लाभ अर्जित कर रहे हैं। इनमें राजगंजपुर, राउरकेला, झारसीगुडा, बेलपहाड़, बजराजगंज और तलचर शामिल हैं जहां कोयला तथा अन्य क्षेत्रों से करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित किया जाता है। परन्तु वहां पेय जल भी उपलब्ध नहीं है। यहां तक की झारसीगुडा स्टेशन पर कच्चा पानी सप्लाई किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा भद्रक, बेलपाड, तनिपाल, चौकीपुडा और झारसीगुडा रेल लाइनों पर ऊपरि पुल बनाए जाने की मंजूरी दी जाए। अन्य कई बातें भी हैं परन्तु मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा माननीय रेल राज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह कृपया इन बातों पर ध्यान दें।

माननीय रेल राज्य मंत्री भी क्या कह सकते हैं। उनकी अपनी शिकायतें हैं। मंत्रियों के कार्यकरण में उन्हें कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। परन्तु जो भी हो, रेलवे तो सरकार के भीतर एक सरकार है। उसकी अपनी एक स्वायत्तता हैं इसलिए रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। पहले उसकी एक अलग महत्ता थी जोकि अब कम होती जा रही है। अतएव रेलवे का महत्त्व बना रहना चाहिए।

रेलवे को सही राह पर लाया जाना चाहिए। रेलवे का कार्यकरण सही नहीं चल रहा है। इसे उचित राह पर लाया जाना चाहिए ताकि रेलवे के कार्यकरण में सुधार हो सके। हम चाहते हैं कि रेलवे समृद्ध हो क्योंकि कोई अन्य यातायात प्रणाली रेलवे का स्थान नहीं ले सकती।

महोदय, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि रेल बजट आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। उसे सही दिशा प्रदान नहीं की गयी है। इसलिए मैंने कहा कि यह अव्यावहारिक है और प्रेरणादायी नहीं है। अतएव

भविष्य की ओर देखते हुए तथा देश की अर्थव्यवस्था पर इसके महत्त्व को तथा विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें सुधार करने तथा निधियां जुटाने आदि के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। इस प्रकार इसे पूर्णतया पारदर्शी बनाया जा सकता है तथा जनता, राजनैतिक दलों व उनके कार्यकर्त्ताओं को विश्वास में लेकर उनकी सार्थक भागीदारी प्राप्त की जा सकती है।

मैं चाहता हूं कि रेलवे समृद्ध हो, वह वास्तविकता के अधिक निकट आए, केवल लुभावने निर्णय ही न लिए जाएं क्योंकि कभी-कभी कठिन निर्णय लिए जाने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है ताकि रेलवे समृद्धि की राह की ओर अग्रसर हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह हमने नोट कर लिया है।...*(व्यवधान)* मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं है जो वह बता रहे हैं।...*(व्यवधान)* इनके सजेशन्स हम अमल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम देखते हैं कि कैसा फंक्शनिंग है इसलिए बोलते हैं।...*(व्यवधान)* आपको ज्यादा काम देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नवल किशोर राय को अपना वक्तव्य देने के लिए बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय रेल मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। रेल बजट एक महत्त्वपूर्ण बजट है। वह स्वयं यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह कुछ नहीं कर सकते। रेल मंत्री यहां क्यों उपस्थित नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं परन्तु वह कुछ नहीं कर रहे हैं। रेल मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिए तथा उसे सभी सदस्यों की शिकायतों को सुनना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बड़े मिनिस्टर को यह बता देंगे।

(व्यवधान)

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : बिहार को तो वैसे ही बहुत कुछ दे दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : हम अभी बता रहे हैं।...*(व्यवधान)* सभी आंकड़े हमारे पास हैं...*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज : हम आपकी सेवा करने के लिए यहां बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम चाहते हैं कि रेल मंत्री यहां उपस्थित हों। हमें रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री से कोई शिकायत नहीं हैं। परन्तु रेल मंत्री यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय रेल मंत्री को संदेश भेज दिया जाएगा। अब कृपया श्री राय को बोलने दें।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अगर आप इधर होते तो आप भी ऐसे ही बोलते।...*(व्यवधान)* यह महत्त्वपूर्ण बजट है कि नहीं है।...*(व्यवधान)* ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ये बेचारे नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम रेलवे मिनिस्टर को मैसेज भिजवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक नहीं है कि स्टेट मिनिस्टर यहां बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण लम्बा क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री मुख्य मुद्दे नोट कर रहे हैं। सब कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम लोगों की बात उनको सुननी है क्योंकि यह महत्वपूर्ण बजट है।...*(व्यवधान)* हमारे साथ ग्रीवेंस नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बड़े मंत्री जी आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह कांग्रेस की सरकार नहीं है। यह यूनाईटेड फ्रंट की सरकार है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : कांग्रेस की सरकार होने से मिनिस्टर जरूर रहता।...*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज : यह ज्वाइंट रिस्पोंसिबिलिटी का मामला है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी की जगह हम बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदेश लेकर गया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वही तो मैं बता रहा था।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : कमेटी ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग थी। ममता बनर्जी खुद मंत्री रह चुकी हैं। कमेटी ऑफ रिसर्च की मीटिंग पावर के ऊपर चल रही थी। मैं तो चेयर से अनुमति लेकर गया था।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री जी, किसी को पता नहीं था।... *(व्यवधान)* क्या हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं।...*(व्यवधान)* कहने में कोई एतराज तो नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय रेल मंत्री आ गए हैं तो यह मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए।

अब कृपया श्री नवल किशोर राय को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1997-98 के रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कई महत्वपूर्ण माननीय सदस्यों का यहां पर विचार आया है। अभी जिस रेल बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह रेल बजट संतुलित रेल बजट है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने वाला संतुलित बजट है। यह आजादी का पचासवां वर्ष है, स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में जो निर्णय रेल मंत्री जी ने लेने का काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाय, जितना भी स्वागत किया जाये, वह कम होगा। इनका मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की आरे से शानदार स्वागत करना चाहता हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी जिन माननीय सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किये, सभी की बातें गम्भीरता से हम लोगों ने सुनने का काम किया है। 1947 में आजाद होने के बाद से 50 वर्ष तक जम्मू-कश्मीर में रेलवे का विकास, पूर्वोत्तर राज्यों में, असम में, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में रेलवे का विकास, बिहार के सुदूर उत्तरी बिहार में रेलवे का विकास और त्रिपुरा राज्य में रेलवे का विकास, राजस्थान की मरू भूमि साइड में रेलवे का विकास उपेक्षित रहा है। पिछली लोक सभा में भी मैं सदस्य था और बार-बार हम लोग चारों तरफ से समस्याओं पर सवाल रखते रहे, रेल बजट पर भी चर्चा की, उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया, लेकिन इन क्षेत्रों में जो देश में 50 वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए हम इस बजट को सामाजिक न्याय का संतुलित बजट कहना चाहते हैं। पिछले बजट से भी उसको और आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोत्तम रेल मंत्री के रूप में माननीय राम विलास पासवान जी यहां प्रतिष्ठित हुए हैं। उन क्षेत्रों के लिए जो 50 वर्षों से उपेक्षित रहे हैं और वंचित रहे हैं, उनको न्याय देने का काम इस बजट में इन्होंने किया है।

पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कराया, जहां से दर्जनों टेलीग्राम और सैंकड़ों पत्र हम लोगों को संगठन में साथियों के बधाई के पत्र प्राप्त हो रहे हैं। पूर्वोत्तर के एक-एक राज्य में घूमकर, कश्मीर के राज्य में जाकर हमारे यूनाइटिड फ्रंट के रेल मंत्री माननीय राम विलास पासवान जी ने क्षेत्रीय असंतुलन को, जिसपर 50 वर्ष तक पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान देने का काम नहीं किया, जिस कारण से वहां बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं के निदान का एक बहुत बड़ा रास्ता यह रेलवे का विकास था, जिसको माननीय मंत्री जी ने रेल बजट में पूरा किया है।

साफ-साफ अपने रेल बजट पर भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संगठन के साथ लोक कल्याणकारी संगठन रेलवे को बनाना है, सामाजिक कल्याण के लिए इसको उस दिशा में ले जाकर वंचितों को भी इस ओर ले जाने का काम करना है। कम समय में जो यह रेल बजट पेश हुआ है, जिन परिस्थितियों में पेश हुआ है, उसका इजहार माननीय मंत्री जी ने अपने बोलने के क्रम में किया था।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भाड़े में बढ़ोत्तरी की बातें हुई हैं, वे भी गांव और गरीब, देहात और किसान, साधारण यात्रियों को नजर में रखकर की गई हैं। साधारण दर्जे में, जिसमें रेल यात्री इस देश में प्रत्येक दिन एक करोड़ 10 लाख की संख्या में यात्रा करते हैं, उसमें में 90 फीसदी गांव के गरीब होते हैं, छोटे लोग होते हैं, छोटे कारोबारी होते हैं, शहरों में भी ट्रेनों पर यहां से वहां शहर की रेलवे पर चलते हैं। फिर दूर तक एक से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, सीजन टिकटधारी होते हैं, सभी छोटी आय वाले लोग होते हैं। साधारण दर्जे में एक पैसे की वृद्धि न करके इन विपरीत परिस्थितियों में जहां बजटीय समर्थन कम है, जहां मुद्रास्फीति बढ़ी है, संसाधन की कमी है, उस परिस्थिति में साधारण दर्जे में कोई बढ़ोत्तरी नहीं करके इस बजट में रेल मंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया हैं। गांव और गरीबों के दिलों को छूने का काम किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सीजन टिकट में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, शयनयान में और ए-सी- क्लास में थोड़ी वृद्धि हुई है। देहात के साधारण आदमियों की पीड़ा को समझने का काम किया है। रेल मंत्री ने सही मानो में गांव की एक कहावत को चरितार्थ किया है—'जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने

पीर पराई।' जो जमीन से उठकर आता है, उपाध्यक्ष जी आप भी उसी पृष्ठभूमि से आए हैं, जो व्यक्ति गरीबी और जलालत को देखकर आगे बढ़ता है, वह समय आने पर गांव की पीड़ा को याद रखता है। उसी पीड़ा के अनुरूप गांव से निकलने वाले सामाजिक न्याय के प्रतीक रेल मंत्री जी ने गांव के साधारण लोगों की मांग पर ध्यान देने का काम किया है। इसलिए यह साधारण लोगों का संतुलित बजट है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे को लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में लाने का माननीय रेल मंत्री का वचन है, उसको पूरा करने की दिशा में पूरा प्रयास करने की कोशिश की गई है। मैं उसका भी स्वागत करना चाहूंगा। 1950-51 से लेकर 1995-96 वर्ष तक रेलवे की जो स्थिति रही है, उस पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। 1995-51 में हमारे देश में 53000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन थी। पचास वर्ष बीत गए हैं, इस समय जो रेल लाइन में बढ़ोत्तरी हुई है वह 1995-96 में 62000 किलोमीटर तक बढ़ गई है। रेल लाइन बिछाने का काम चाहे पर्वतीय इलाका हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, चाहे बिहार का उत्तरी इलाका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का इलाका हो या कश्मीर का इलाका हो, वहां पर नई रेल लाइन बिछाने का काम कम हुआ। रेल को व्यावसायिक दृष्टिकोण की ओर ले जाने का काम अधिक हुआ है। इस बार पूरी इच्छा शक्ति से माननीय मंत्री ने फैसला लिया और रेल से वंचितों के असंतुलन को समाप्त करके संतुलित व्यवस्था कायम करने का काम किया है। पचास साल में जो रेल लाइन बढ़ी, मैं उसके उदाहरण में आंकड़े देना चाहता हूं। 1990-91 में 300 किलोमीटर, 1991-92 में घटकर 242 किलोमीटर, 1992-93 में 319 किलोमीटर, 1993-94 में 204 किलोमीटर, 1994-95 में 145 किलोमीटर, 1995-96 में 137 किलोमीटर, फिर 1996-97 में भी लक्ष्य घट गया। इसके बाद इस वर्ष उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में विकसित करने का इस सदन को वचन दिया है और इसको बढ़ाकर 139 किलोमीटर का फिगर इस बजट में आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। यह भी कहना चाहते हैं कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जो उपेक्षित इलाका है, उसको भी इस लोक कल्याणकारी संस्था के साथ जोड़कर रेल सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। उपेक्षित इलाकों में निश्चितरूप से इसका विकास होना चाहिए।

कतिपय माननीय सदस्यों ने कई बातों की चर्चा की है। मैं आपके सामने इस बजट का स्वागत करता हूं और कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। रेलवे की एफिशेंसी को बढ़ाने का काम होना चाहिए। माननीय मंत्री ने अपने पिछले बजट में और इस बजट में इस पर बहुत ध्यान देने का काम किया है, कम्प्युरीकरण को बढ़ाया है। मैंने पहले भी अनुरोध किया था फिर करना चाहता हूं कि कम्प्युटरीकरण को और व्यापक बनाकर पारदर्शी बनाने का काम होना चाहिए।

एफिशिएंसी बढ़ाने के क्रम में जो काम वर्षों से लंबित था, रेलवे की कई समितियों ने रिपोर्ट दी थी और जोन बढ़ाने का काम होना चाहिए था। पांच जोन बढ़ाकर जो विकेन्द्रीकरण का काम किया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। विकेन्द्रीकरण को और बढ़ाकर पारदर्शित करने का सुझाव रखना चाहता हूं जिससे कि इसमें गति लाई जा सके, पारदर्शिता बढ़े और रेलवे की स्थिति में सुधार हो। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्र में जो रेलवे लाइन अभी तक देश में अलाभकारी के रूप में घोषित कर दी गई हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन अलाभकारी बताई जाने वाली रेलवे लाइनों को लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए ताकि उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। इन क्षेत्रों के विकास होने से हमारा यह देश और भी मजबूत होगा। इसके साथ ही जो रेलवे का औद्योगिक संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, उसको और आत्मनिर्भर बनाने का काम रेलवे को करना चाहिए ताकि आत्म निर्भर बनाने से वह मजबूत होगा। रेलवे के मजबूत होने से यह देश भी मजबूत होगा।

जहां तक भूमि का सवाल है, जो अभी यहां उठा, रेलवे के पास काफी बड़े पैमाने पर सरप्लस भूमि है। माननीय सदस्यों का जो सुझाव आया है, उससे मैं सहमत हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। एक समिति बनाकर रिपोर्ट लेनी चाहिए और व्यावसायिक दृष्टिकोण से रेलवे की जो सरप्लस जमीन है, उसका उपयोग करके धन अर्जित करके उसको बनाने का काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब से उन्होंने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार प्रारंभ किया है, यहां पर नियुक्तियों में गति आई है। रेलवे में जितने भी रिक्त स्थान थे, उनको भरने की प्रक्रिया में तेजी आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं पर इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत कार्रवाई की है। जब माननीय मंत्री जी का जवाब आएगा तो हम जानना चाहेंगे कि उसमें कितनी सफलता मिली है, कितने रिक्त स्थानों को भरने का काम हुआ है। यह सवाल आज हमारे सामने है तथा माननीय मंत्री जी जैसे नेता के रेल मंत्री के रूप में रहने से कम से कम रेलवे में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का बैकलॉग है, उसको पूरा करने का काम निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में हो सकेगा।

आज आपने जोन बढ़ाए हैं। मैं समझता हूं कि रेलवे का मंडल होगा। 15 जोन हो गए हैं और पचास से ऊपर मंडल रेलवे कार्यालय होगा। इस देश में सामाजिक न्याय के बदलाव के समय में किसी भी डी॰आर॰एम तथा जी॰एम॰ के पद पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति प्रतिस्थापित नहीं हुए हैं। हम आजादी के स्वर्णिम जयंती वर्ष में पहुंच गए हैं। पचास वर्ष में जो विरासत की समस्या थी, उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि डी॰आर॰एम॰ तथा जी॰एम॰ के पद पर कभी भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आपके समय में इन वर्गों के व्यक्तियों को न्याय मिलेगा जो योग्यता रखते हैं?

[श्री नवल किशोर राय]

सर्विस बुक में जो मार्किंग की जाती है, वह कुंठा, द्वेष-भाव से की जाती है। जान-बूझकर एस-सी• तथा एस-टी• के पदाधिकारी को मौका नहीं दिया जाता है।

मैं 13 तारीख के एक अखबार 'कुबेर-टाइम्स' ने जो लिखा है, उसको पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है—पदोन्नति को लेकर पासवान और काब में ठनी। इस प्रकार की बातें प्रतिदिन अखबारों में छप रही है। आपकी मांग है, आपकी नीयत है और आप मजबूती के साथ इस काम को करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति और जन-जाति के जो योग्य अधिकारी हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनकी सर्विस बुक में कोई गड़बड़ी न हो, उनको न्याय मिले, इस दिशा में आप कदम उठाना चाहते हैं। आज एक भी अनुसूचित जाति और जन-जाति का व्यक्ति बड़े पदों पर नहीं है। पालिसी मेकिंग पदों पर नहीं है। ये बातें तभी प्रकाश में आई हैं, क्योंकि आपकी नीयत है और आप इस काम को करना चाहते हैं। हम सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के अधिकारियों को उस पद पर जाने में जो भी कठिनाई है, प्रोसीजर का पालन करने में जो बेइमानी होती है, उसमें व्यापक चेंज ला कर इस काम को दुरूस्त करें। यही सवाल मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि इस बार आप इसमें कुछ क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे और इस वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में काम कर सकेंगे।

इसी प्रकार दैनिक मजदूरों को नियमित करने के बारे में जो फैसला लिया है और इस बारे में रेल बजट में आपने जो प्रावधान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दैनिक मजदूरों के लिए और जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, उनको उठायेंगे और दैनिक मजूदरों को नियमित करेंगे। इसके साथ-ही-साथ जो साल भर या छः महीने या दो महीने काम करके बैठा हुआ है, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर नियमित करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। यदि आप इस दिशा में कदम उठाते हैं, तो गरीब लोग जो रेल से जुड़े हुए हैं, उनका कल्याण हो जाएगा।

अपराह्न 2.57 बजे

[श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*]

जहां तक एफिशियेंसी को बढ़ाने की बात है, मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। रेलवे में एक जोन से दूसरे जोन में जो स्थानान्तरण की प्रक्रिया है, उसको चालू रखा जाए। तीन साल में जब एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरण होगा, तो निश्चित रूप से एफिशियेंसी बढ़ेगी और लोग काम अच्छे ढ़ग से कर पायेंगे। अभी माननीय सदस्य, पाणिग्रही जी रेल चर्चा पर अपने विचार रख रहे थे। इस सदन में जब किसी सदस्य को मौका मिलता है, तो वह रेलवे में बढ़ रह अपराधों की चर्चा करने में नहीं हिचकता है। मैं भी निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूं और मैं भी अपने आपको उसमें जोड़ता हूं। इसमें कोई स्थायी रास्ता और सुधार की बात होनी चाहिए। लेकिन जब रेलवे में कोई घटना घट जाती है, तो इस घटना को लेकर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने से पहले उनको तथ्यो को भी देख लेना चाहिए। जब माननीय सदस्य पाणिग्रही जी अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बिहार के बारे में जिक्र किया था। बिहार के बारे में उन्होंने बड़े जोर-शोर से कहने का काम किया। पूरे देश में रेलवे में अपराध हो रहे हैं, लेकिन इनको केवल बिहार की चिन्ता है। जब माननीय प्रमोद महाजन जी बोल रहे थे, तब भी हमें यही चीज सुनने को मिली। मैं उसका प्रतिवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक दैनिक अखबार 'नवभारत टाइम्स' है और 'भाषा' उसकी एक न्यूज एजेंसी है। मैं उसकी रिपोर्ट सदन में रखना चाहता हूं। उसमें लिखा है - रेलों में अपराध के मामले में महाराष्ट्र आगे है और पिछले साल सबसे ज्यादा 1920 संगीन अपराध महाराष्ट्र में हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1843 और पश्चिम बंगाल में 665 अपराध हुए। सरकारी सूत्रों के अनुसार बिहार चौथे नम्बर पर है। यहां रेलो में 584 संगीन अपराध हुए। इस प्रकार से और भी राज्यों की फीगर्स इसमें दी है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन तथ्यों को ध्यान में रख कर बिहार के बारे में बोलना चाहिए। यह सही है कि बिहार में निश्चित रूप से जनता दल की सरकार है।

अपराह्न 3.00 बजे

रेलवे मंत्री जी भी बिहार से आते हैं। मैं यहां पर शंका जाहिर करना चाहता हूं क्योंकि यह जो फीगर है इस पर लोग चर्चा नहीं करते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम-के• पाटिल (इरन्दोल) : महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत यात्री हैं। देश में 110 लाख यात्रियों में से 55 लाख महाराष्ट्र में हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : आपने ठीक कहा। महोदय, इस फीगर को हमने आपके सामने मेंशन किया है और मैं हक कहना चाहता हूं कि एक हफ्ते से बिहार में निश्चित रूप से दो-चार बार रेल में घटनाएं घटी हैं। राज्यों की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है। यहां पर जो चर्चा हुई है उसमें मैं कुछ आशंका व्यक्त करना चाहता हूं वहां लगातार योजनाबद्ध ढंग से प्रत्येक रोज एक सप्ताह में दो-चार घटनाएं घटी हैं। मुझे आशंका है कि इसमें कहीं न कहीं कुत्सित राजनीति है। रेल मंत्री जी भी बिहार से आते हैं और वहां जनता दल की सरकार है। माननीय मंत्री जी की पार्टी की सरकार है। हम इस आशंका के जरिए मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या राजनीति के लिए कोई इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं और आपको बधाई भी देना चाहते हैं कि ये जो अपराध की घटनाएं बढ़ने का काम हुआ है इस पर सदन

की और यात्रियों की पीड़ा को देखते हुए मंत्री जी ने फैसला लिया है और अखबारों में हमने पढ़ा है कि देश के सभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करके और इस पर गंभीरता से विचार करके कोई ठोस रास्ता निकालने वाले है। मैं इसका स्वागत करता हूं और सदन से भी अनुरोध करता हूं कि सदन भी इन बिन्दुओं पर एक स्पष्ट राय और सुझाव मंत्री जी को दे ताकि उस सम्मेलन में कुछ ठोस फैसला हो सके कि रेलवे में केवल राज्य के हाथ में जो कानून-व्यवस्था है उसमें कुछ तबदीलियां हों और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास उसमें कुछ शक्तियां हों ताकि रेलवे में इन कामों को मजबूती से किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य चर्चा करता है तो निश्चित रूप से यह चर्चा करता है कि बिहार के बारे में बहुत कुछ इस रेल बजट में हुआ है। अभी जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि केवल धन्यवाद दे दीजिए। आपके बिहार के लिए तो बहुत कुछ हुआ है। यह आजादी का 50वां साल है, स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। इस वर्ष पर गाड़ियों को चलाने का फैसला मंत्री जी ने लिया है। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। उसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर मरू भूमि राजस्थान के क्षेत्र में, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 50 साल आजादी में जो रेलवे लाईन को बिछाने में, दोहरीकरण में, विद्युतीकरण में पक्षपात हुए हैं, उपेक्षा हुई है और क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है, इसकी चर्चा इस सदन में बार-बार होती रही है लेकिन तब न्याय नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बिहार से स्वर्गीय ललित बाबू मंत्री थे उन्होंने बहुत सर्वे कराने का काम किया था। उन्होंने केवल एक योजना दरभंगा, समस्तीपुर बड़ी रेल लाईन की आधारशिला रखी थी लेकिन वह पूरी नहीं हुई। 1975 को दो अक्टूबर को वहां पर शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था, लेकिन 1975 से पिछले 1994-95 वर्ष तक वह पूरी नहीं हुई और कुछ भी काम नहीं हुआ था। इस प्रकार से उत्तर बिहार के उन 18 जिलों की उपेक्षा होती रही और कभी कोई न्याय नहीं मिला। तब कोई भी इस सदन में उस पीड़ा को उजागर करता था तो आश्वासनभर मिलता था। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस न्याय की धारा को मजबूत करते हुए, जहां पर 20-20 वर्षों से एक किलोमीटर भी दोहरीकरण, विद्युतीकरण नहीं हुआ, एक किलोमीटर नयी रेलवे लाईन नहीं बनी, वहां अब कुछ पैसे एक-आध योजना के लिए दिए गए हैं। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, जो हमारे क्षेत्र को छूने वाली हैं उस नयी रेलवे लाईन के लिए मंत्री जी ने दिया है। एक-आध ब्रोडगेज के लिए पैसे देने का काम किया है जो कुछ लोगों के दिल में जलन हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है।

महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि यह जो पूर्वोत्तर राज्य है। जैसे उत्तर बिहार है, कश्मीर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यह जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का इलाका है और जो 50 वर्षों से उपेक्षित रहा है। इन जगहों पर इस 50वें साल में माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट में और इस बजट में जो शानदार कदम उठाकर उन उपेक्षितों को, वंचितों को और उपेक्षित क्षेत्रों को ठीक करने के लिए संतुलित बजट पेश किया है और वहां पर जो काम करने का फैसला लिया है उसकी चारों तरफ प्रशंसा होनी चाहिए और भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए माननीय मंत्री जी का सहयोग करना चाहिए। हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जब माननीय मंत्री जी ने कुछ करने का मन बनाया है तो इस व्यावसायिक संगठन के साथ-साथ लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में रेलवे को विकसित करने की वचनबद्धता जो उन्होंने दोहराई है और फैसले भी उपेक्षित स्थानो के लिए किए हैं तो बजटरी सपोर्ट उनको निश्चित रूप से बढ़ानी चाहिए और उनको चारों तरफ से सहयोग मिलना चाहिए ताकि इस सिलसिले को और बढ़ाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। अपने राज्य के बारे में कुछ सुझाव रखकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बिहार में जो कुछ भी माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले बजट में और इस बजट में करने का काम किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उपेक्षित इलाकों के लिए माननीय मंत्री जी ने जो कुछ किया है उसके लिए आपको भी उनको बधाई देनी चाहिए, आपको भी हमारा सपोर्ट करते हुए कहना चाहिए कि वहां पर जो कमी रह गयी है उसको भी पूरा करने का काम कीजिए।

बिहार में जो भी रेल पुल देने का फैसला आपने दिया है, जो गंगा पर पुल देने का आपने कहा है वह जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए तभी बिहार में विकास की गति तेज होगी। जो भी योजनाएं बनाई गयी हैं उनका कार्यान्वयन होना चाहिए। मंत्री जी जब बिहार गये थे तो सीतामढ़ी में जनता के बीच में उन्होंने सीतामढ़ी, सोनवर्षा, भीठामोड़, मधुबनी को जोड़ने के लिए राशि देने का आश्वासन दिया था। हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। सीतामढ़ी से शिवहरी होते हुए मोतीहारी का भी सर्वे कराने का आश्वासन मंत्री जी का था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सीतामढ़ी के पूर्वी गुमटी पर ओवरब्रिज की मांग पहले से ही लम्बित है। उसके बारे में राज्य सरकार ने भी लिखा है। इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने जी॰एम॰ कार्यालय जो हाजीपुर में स्थापित किया है वहां रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को घंटों रूकना पड़ता है तथा वहां पर आगे एक और रेलवे क्रॉसिंग है वहां भी ओवरब्रिज की आवश्यकता है। खास करके मुजफ्फरपुर, दरभंगा के लिए भी पहले से ही पैसा दिया गया है। उसे भी पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : दक्षिण बिहार में, दुमका में आज कुछ नहीं हो रहा है, उस तरफ भी आइये, बिहार उधर भी है।

श्री नवल किशोर राय : मेरी बात पूरी नहीं हुई है। माननीय यादव जी ने दक्षिण बिहार में दुमका का सवाल उठाया है, मैं उनका समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : समय को ध्यान में रखते हुए आप बोलिये।

श्री नवल किशोर राय : बिहार में भारत वैगन उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। वह रेलवे के लिए वैगन बराबर बनाता रहा है। आज उसकी स्थिति खराब है और उसमें रेलवे वैगन का आर्डर नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रेल के वैगन का उनको पर्याप्त आर्डर दिया जाए ताकि उस उद्योग की स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसी प्रकार से किशनगंज में प्रधान मंत्री जी गये थे। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पर रेलवे की नयी लाइन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अररिया से गलगलिया तक नयी रेलवे लाइन का आश्वासन दिया था। सर्वे में शायद पैसे दिए गए हैं। मैंने उसकी तरफ भी ध्यान खींचा है। पिछले पचास वर्षों में बिहार के चारों तरफ कोई काम नहीं हुआ। आज वहां की एक-दो स्कीम्स ली जाती है तो उसकी बार-बार चर्चा होती है। पिछले पचास वर्षों में जो कमी रह गई, स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे होने तक, वह पूरी होने जा रही है। अब हम उस गरीब और पिछड़े राज्य की तरफ ध्यान देने जा रहे हैं। देश की आबादी के आधार पर दूसरे राज्यों की तुलना में साधारण लोग यहां अधिक यात्रा करते हैं। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

हमारे यहां से एक नई ट्रेन गंडक एक्सप्रेस पिछले बजट में माननीय मंत्री जी ने दी थी जो कि दरभंगा से चलकर गोरखपुर तक आती है। इस बजट में उसको जयनगर तक बढ़ाया गया। हम इसका स्वागत करना चाहते हैं लेकिन यह जयनगर से गोरखपुर तक मेल नहीं खाती और दिल्ली आने के लिए कोई मेल नहीं बैठता। माननीय मंत्री अपने जवाब के क्रम में इस पर विचार करें। वह गाड़ी जयनगर, दरभंगा से गोरखपुर होती हुई निजामुद्दीन स्टेशन तक बढ़ायी जाए जिससे नेपाल के सीमावर्ती सुदूर देहात के गरीब साधारण यात्रियों को दिल्ली और देश के अन्य कोने तक जाने के लिए मदद मिल सके। मैं ऐसा अनुरोध करते हुए बजट का एक बार फिर शानदार और जानदार स्वागत करता हूं। मैंने गलगलिया की चर्चा पहले ही कर दी। मैं बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, जब वर्तमान रेल मंत्री ने जुलाई में अपना पहला बजट पेश किया था, तब रेल प्रचालन की कार्य कुशलता में सुधार हेतु बहुत से सुझाव दिये थे क्योंकि भारतीय रेल देश का एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया यह मत समझना कि मैं आपको टोक रहा हूं। मेरा तो मात्र इतना ही कहना है कि आपकी पार्टी के पास बोलने के लिए कुल 29 मिनट है और आपकी पार्टी के बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं हमेशा एक घंटे के लिए बोलता हूं।

सभापति महोदय : मैं इस गिनती को इन्कार नहीं करता। आप अपना भाषण जारी रखें। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यह गिनती तो है।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु मैंने सदन में पिछली बार जो सुझाव दिये थे और जिन्हें रेल मंत्री ने स्वीकार कर लिया था, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। एक ही सकारात्मक पक्ष यह है कि बजट समर्थन बढ़ा दिया गया है। रेलवे की स्थाई समिति में हमने विचार किया था कि यदि बजट समर्थन की राशि में वृद्धि नहीं की जाती तो रेलवे नेटवर्क का विस्तार नहीं किया जा सकता। रेल नेटवर्क को देश के दुर्गम इलाकों सहित सभी क्षेत्रों में पहुंचना है। अब योजना आयोग ने हमारे निवेदन और सदन की सर्वसम्मत मांग को ध्यान में रखकर इस मामले पर विचार किया और फिर बजटीय समर्थन में 400 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। परन्तु 400 करोड़ रुपये की राशि भी पर्याप्त नहीं है। हम तो यह चाहते थे वर्ष 1951-52 में 75 प्रतिशत बजटीय समर्थन को पुनः लागू किया जाना चाहिए क्योंकि रेलवे केवल रेल विभाग के लिए ही नहीं है अपितु पूरे देश के लिए हैं। जब तक हमारे पास रेल सम्पर्क नहीं, हम औद्योगिकीकरण, कृषि, और अपनी हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं कर सकते।

यह भी है कि रेलवे मात्र एक वाणिज्यिक संगठन नहीं बन सकता। हम रेलवे को एक वाणिज्यिक संगठन नहीं मान सकते। हमारे जैसे देश में रेल विभाग का कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी है और इस कारण केन्द्रीय सरकार को रेलवे नेटवर्क के विस्तार का खर्चा उठाना चाहिए।

राजस्व में वृद्धि की संभावनाएं भी हैं। हमें यह देखना है कि रेल मंत्री ने बजट में यह प्रयास किया है अथवा नहीं। हमारे देश में माल-ढुलाई के लिए 12,000 अरब टन किलोमीटर की व्यवस्था है, जबकि रेलवे केवल 291 बिलियन टन किलोमीटर का परिवहन करता है। क्या रेल विभाग द्वारा देश के कुल परिवहन का 75 प्रतिशत परिवहन करे, यह सम्भावना तो है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : रोड से तो कम हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं उसी संदर्भ में आ रहा हूं। (अनुवाद) हमारा सुझाव है कि रेलवे को कम से कम उतना माल ढुलाई का काम तो करना चाहिए जितना यह विभाग वर्ष 1951-52 के दौरान करता था। 1951-52 में रेल-विभाग 78 प्रतिशत माल ढुलाई का काम करता था। धीरे-धीरे यह प्रतिशतता कम होकर 38 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच रह गई है।

श्री राम विलास पासवान : यात्री यातायात के आंकड़े क्या हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : यात्री यातायात का भी वही हाल है। यात्री यातायात में भी कमी आई है। अतः रेल विभाग को यात्री यातायात

और माल-ढुलाई में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। यदि रेल विभाग 72 प्रति माल ढुलाई करता है तो कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी? यह बचत लगभग 15,000 करोड़ रुपये की है। हम पेट्रोल उत्पादों का आयात कर रहे हैं। और एक बिलियन टन माल ढुलाई करने हेतु रेल विभाग को उच्च गति वाले 50 लाख लिटर डीजल की आवश्यकता पड़ेगी और सड़क के रास्ते से इतनी ही माल ढुलाई के लिए 35 मिलियन लिटर डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि रेल विभाग द्वारा अधिक माल-ढुलाई की जाती है, तो इससे यह विभाग राजस्व भी अर्जित कर सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया है। यद्यपि चीन 1,000 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष करता है तथापि कोल इंडिया कम्पनी 300 मिलियन टन कोयला प्रतिवर्ष उत्पादित करता है। रेल विभाग 135 मिलियन टन कोयले की ढुलाई करता है। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक मात्रा वाली भारवाहक वस्तु कोयला है। यदि रेलवे 100 मिलियन टन अधिक कोयले की ढुलाई करे तो वह 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर सकता है। क्यों? कोयला आसनसोल, धनबाद और तालचेर से चण्डीगढ़ या दिल्ली या पंजाब सड़क द्वारा ले जाया जाता है। यह कार्य रेलवे द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता। यह देखा जा सकता है कि इससे राजस्व में भी कमी होती है। विगत कई वर्षों से राजस्व में भी कमी आई है।

शुद्ध राजस्व वर्ष 1995-96 में 4136 करोड़ रुपये था जो घटकर 1996-97 में 3503 करोड़ रुपये हो गया जबकि वर्ष 1995-96 में प्रचालन अनुपात भी 88 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया। प्रश्न यह है कि क्या हम अधिक माल की ढुलाई कर सकते हैं?

महोदय हमारे देश में रेलवे नेटवर्क 5 प्रतिशत है। हमारा इस वर्ष का लक्ष्य 410 मिलियन टन हैं। रेल मंत्री ने अगले वर्ष के लिए 430 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। चीन जहां 6 प्रतिशत रेल नेटवर्क है, उसकी प्रतिदिन की मालढुलाई की मात्रा कितनी है? लगभग उतने प्रतिशत नेटवर्क के द्वारा चीन लगभग चौगुनी मालढुलाई कर रहा है। भारत में 62,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। चीन में 69,000 किलोमीटर रेलमार्ग है। 1947 में भारत में 53,000 किलोमीटर रेल पटरी थी। 53,000 किमी॰ रेल मार्ग से हमारी उपलब्धि केवल 62,00 किमी॰ की है। 1949 में चीन में केवल 11,000 किमी॰ रेल मार्ग था। अब यह 11,000 किमी॰ से 67,000 किमी॰ हो गया हैं परन्तु यह हमारे रेलवे से चौगुना अधिक मालढुलाई करता है। यह 1,000 मिलियन टन अधिक मालढुलाई करता है। हम भी यह कर सकते हैं।

हमें अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मैं छोटी लाईन के या छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तन पर आपत्ति नहीं कर रहा। क्या हम एक समान लाईन प्रणाली से देश को चला सकते हैं? हम यह नहीं कर सकते। जब एकसमान लाईन प्रणाली के बारे में विचार किया गया था, मैंने तत्कालीन रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ को बताया था कि उनका स्वप्न स्वप्न ही रहेगा और वह कभी साकार नहीं होगा। प्रश्न यह कि हमें बड़ी लाईन मध्य लाईन और छोटी लाईन तीनों को जारी रखना होगा।

हमने क्या किया है? क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से क्या छोटी लाईन प्रणाली बड़ी लाईन (ब्राडगेज) प्रणाली से कम कारगर है? छोटी लाईन प्रणाली बड़ी लाईन प्रणाली से कम कारगर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और पूर्व-यूरोपियन देश बहुत से ऐसे हैं जहां छोटी लाईन प्रणाली है। वहां छोटी लाईन प्रणाली है और वह प्रणाली हमारी बड़ी लाईन प्रणाली से अधिक कार्यकुशल साबित हो रही है। हमारी मालवाहक गाड़ियों की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर है। इन देशों में औसत रफ्तार 55 किलोमीटर है। यदि हम अपनी माल वाहक गाड़ियों की गति बढ़ा सकें, यदि हम अपनी रेलगाड़ियों की पटरियों को सुदृढ़ कर सके, हम कहीं अधिक परिवहन कार्य कर सकते हैं। परन्तु हमने अपनी मीटर गेज प्रणाली का नवीकरण नहीं किया है। पिछले वर्ष रेल बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने स्वीकार किया था कि रेल विभाग को छोटी लाईन प्रणाली का चल स्टाक भी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। परन्तु उन्होंने रेल डिब्बों, वैगनों तथा पुराने और घिसे हुए मीटर गेज पथ को बदलने के लिए कोई आदेश नहीं दिए, की उपेक्षा की जाती रही है। हमारी पटरी 50 से 60 वर्ष पुरानी है। महोदय आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय आद्रा मेदिनीपुर सेक्शन के पूरे रास्ते का नवीकरण कर रहा है।

परन्तु जो पथ अभी इस्तेमाल हो रहा है वह 60 वर्ष पुराना है। हमने रेलवे प्रचालन के सुरक्षा और कुशलता के लिए आवश्यक पटरी के नवीकरण हेतु आबंटन को तो हमने घटा दिया हैं यहां तक रेल सुधार समिति जैसी उच्चाधिकार समिति ने भी सिफारिश की है कि टूटी-फूटी रेल पटरियों को या तो बदल दिया जाना चाहिए, या हटा दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। टूटी हुई रेल-पटरियां इस शताब्दी के अन्त तक भी बनी रहेगी। हमने आमान परिवर्तन पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। उससे हमें क्या लाभ मिला। मैंने यही प्रश्न विगत वर्ष और उससे पिछले साल भी पूछा था और अभी तक मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला।

मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड इस बात की जांच करे अथवा कोई अध्ययन करे। करवायें कि आमान परिवर्तन पर 6,000 करोड़ रुपये क्यों खर्च किये गए। नियम तो यह है कि उससे 14 प्रतिशत का लाभ मिलना चाहिए। पहले यह 12 प्रतिशत था अब उसे 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है परन्तु हमें क्या लाभ मिला? हमारी क्षमता में क्या वृद्धि हुई? क्या हमारी क्षमता बढ़ी है? क्या इस विषय में कोई अध्ययन किया गया है? मुझे इस प्रश्न का कोई उत्तर अभी नहीं मिला।

मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह कोई अध्ययन करवायें कि आखिरकार 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किये गए? मैं जानना चाहता हूं कि उस आमान परिवर्तन से औद्योगीकरण पर कोई प्रभाव पड़ा है। जब यह तर्क दिया गया तो हमने इसकी

[श्री बसुदेव आचार्य]

आलोचना की। रेलवे सम्बन्धी स्थाई समिति ने भी यह कहते हुए इसकी आलोचना की है कि इतना अधिक आमान परिवर्तन युक्तिसंगत नहीं है और यह उचित नहीं है। 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया आमान परिवर्तन पर खर्च करने की बजाय, उस राशि को रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर लगाया जा सकता था। हम नई रेलवे लाईनें बिछाना चाहते हैं।

पिछली बार की तरह मैं माननीय रेलवे मंत्री को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े इलाकों को रेल यातायात से जोड़ने हेतु बधाई देता हूं। रेल मंत्रालय के पास जो धन उपलब्ध था उसे आमान परिवर्तन पर व्यय कर दिया गया। यदि वह धन इस रेलवे नेटवर्क कार्य पर खर्च किया गया होता तो ऐसे बहुत से इलाकों को रेल सम्पर्क से जोड़ दिया गया होता—यथा अभी भी पश्चिमी बंगाल और डुमका, दीनानपुर और उत्तर पूर्वी राज्यों के वे राज्य मुख्यालय, जो रेल लाईनों के जरिए नहीं जोड़े जा सके, उन्हें रेल-सम्पर्क से जोड़ दिया गया होता। हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? व्यापक आमान परिवर्तन हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी अन्य प्रणालियों की भांति ही छोटी-लाईन-प्रणाली को भी सुचारू करना होगा। 700 करोड़ रुपए खर्च करके उच्च शक्ति विद्युत रेल इंजनों का आयात करना भी हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। यह काम अब पूरा हो गया है। यह एक गलत निर्णय था। हमने सदन में भी इसकी आलोचना की थी।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आचार्य जी, आप विज्ञापनों के बारे में भी कुछ बोलिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उसे मैं आपके लिए छोड़ देता हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप इस बारे में हर बार बोलते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस बार मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। विज्ञापनों पर आप बोलिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपना समय नष्ट मत करें।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे आप इस बार छोड़ सकते हैं। महोदय, पहले भी हमने इंजनों का आयात किया है और अब भी कर रहे हैं। जब हमने सी॰एल॰डब्ल्यू॰ जाने का वायदा किया था तो स्वयं मैंने दूसरे ए॰वी॰वी॰ इंजन का शुभारंभ किया था जिसको सी॰एल॰डब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने जोड़ कर बनाया था। इंजन अच्छा है। तकनीक आधुनिक है इस मामले पर हम बहस नहीं करते।

मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या हम 36,000 के तीन चरणों वाले हार्स पावर वाले ऐसे इंजनों की तकनीकी का आयात करने की क्षमता रखते हैं या हमारी उत्पादन इकाईयां 5000 हार्स पावर वाले इंजन बना सकती है? चाहे हमारी प्रौद्योगिकी अत्याधुनिक न हो परन्तु 700 करोड़ रुपयों से तो हम देश के दुर्गम और पिछड़े इलाकों में नई रेलवे लाईनें बिछा सकते हैं।

अतः नेटवर्क का विस्तार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अतः इसी कारण माननीय रेल मंत्री ने इस राशि को 100 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है अर्थात पिछले वर्ष के 285 करोड़ रुपयों से इस वर्ष के रेल बजट में इसे 399 करोड़ रुपये कर दिया गया है। परन्तु 100 करोड़ रुपये की वृद्धि भी पर्याप्त नहीं होगी। माननीय रेल मंत्री बहस के दौरान आप पायेंगे कि नई लाईनों के लिए कितनी अधिक मांगें आती है।

जब मैं आसाम, बंगाल, और कूच बिहार के सीमावर्ती इलाकों में एक रैली में शामिल होने के लिए गया, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 60,000 लोग वहां केवल एक मांग करने के लिए आये कि नई मोयनगुरी-कूच-बिहार-डुबरी-बशीरहार-धुबरी-योगीगोप्पा मार्ग पर एक नई रेल लाईन बिछाई जाये। अमर दा भी मेरे साथ थे। मैंने उन 60,000 लोगों की मांग के बारे में माननीय रेल मंत्री से बात की और उनसे अनुरोध किया कि वे इस पर विचार करें। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर विचार किया। उन्होंने सर्वेक्षण हेतु इसे चुना है क्योंकि जब तक सर्वेक्षण नहीं होता, नई लाईन के निर्माण पर विचार नहीं किया जा सकता। न केवल कूच बिहार के सभी राजनीतिक दलों की अपितु उत्तरी बंगाल और पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों ने भी नई लाईन की मांग की है। केवल मात्र सर्वेक्षण से वे संतुष्ट नहीं होंगे। सर्वेक्षण के साथ-साथ कृपया इन लाईनों को मंजूरी दें। नई जलपाईगुरी-सिलीगुरी-अलिपुरहा और कूच बिहार की छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के अतिरिक्त एक नई लाईन भी बिछाई जाये।

हम गुवाहाटी भी गए। हमने अड़चनों की पहचान कर ली है। वहां पर 1984 में शुरू की गई केवल एक बड़ी लाईन है। 1984 से पहले ही नहीं इसके बाद भी कई रेल गाड़ियां शुरू की गई हैं। हर साल नई रेल-गाड़ियां शुरू की जाती है परन्तु हमारी क्षमता नहीं बढ़ती। अतः प्राथमिकता एक लाईन से दोहरी लाईन के निर्माण की होनी चाहिए। पिछले सारे बकाया काम को पूरा करना और सिगनल तथा दूरसंचार प्रणाली (रेलवे) के लिए आबंटन में वृद्धि करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिरोजाबाद में दुर्घटना के पश्चात् रेलवे सम्बन्धी स्थायी समिति ने इस पर विचार किया। वर्तमान रेल मंत्री ने भी इस चर्चा में भाग लिया था।

इस वर्ष उन्होंने एक संक्षिप्त पुस्तक निकाली है।

इसमें सूचना तो अच्छी है। मानवीय असफलता की दर 86 प्रतिशत है। क्या मानवीय असफलता को कम करने की कोई सम्भावनाएं हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है "सिगनल देना मानवीय त्रुटि की सीमा को निम्नतम करके और गाड़ी के प्रचालन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

सिगनल देना और दूर संचार बहुत आवश्यक तथा बहुत महत्वपूर्ण है और गाड़ियों के सुरक्षित प्रचालन में बहुत कारगर है। यदि इलाहाबाद प्रखण्ड में फिरोजाबाद स्टेशन पर ट्रैक सर्किट लगाया जाता, तो वह दुर्घटना नहीं घटती। मात्र इसलिए चूंकि ट्रैक सर्किट नहीं लगाया गया था अतः स्विचमैन श्री धीरे लाल को दण्ड दिया गया। अतः क्या मानवीय असफलता को कम से कम करने की संभावना है? आधुनिक तकनीक को सम्मिलित करने और सिगनल प्रणाली को सही करने के द्वारा मानवीय असफलता को कम करने की संभावना है।

हम अभी भी सालों पुरानी सिगनल प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। सिगनल प्रणाली तीन या चार प्रकार की है। हम एक समान सिगनल प्रणाली क्यों नहीं लागू कर सकते? हम सिगनल प्रणाली पर और धन क्यों नहीं खर्च कर सकते? परन्तु सिगनल और दूरसंचार प्रणाली पर और अधिक व्यय करने की बजाय उन्होंने इस मद में आंबटन कम कर दिया है। इस बहस के स्तर पर वे कहेंगे कि खर्चा कम दूरसंचार में किया गया है, सिगनल प्रणाली में नहीं। सिगनल और दूरसंचार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कार और उसके चालक में संचार, चालक और स्टेशन मास्टर तथा नियंत्रण कक्ष में आपसी संचार, इन सबकी आवश्यकता पड़ती है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मद के लिए आबंटन को कम न करके, सिगनल और दूरसंचार की मद के लिए आबंटन को बढ़ाएं। रेल मंत्री जी कहेंगे कि वे पैसा कहां से लाएं। वे आमान परिवर्तन पर आबंटन को कम कर सकते हैं। वे अधिक माल की ढुलाई करने का प्रयास कर सकते हैं और फिर यह पैसा मिल जायेगा। अतः राजस्व में वृद्धि करने की सम्भावनाएं हैं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : एक मिनट रूकिए।

सभापति महोदय : वे नहीं मान रहें। उनके पास बहुत कम समय रह गया है।

श्री कल्पनाथ राय : वह मुझे समय दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उनके द्वारा लिए गये समय को मेरे समय में शामिल नहीं किया जाये।

सभापति महोदय : आचार्य जी, क्या आप मान रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मान रहा हूं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, वे रेल मंत्री से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वे स्वयं तो रेल मंत्री नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आचार्य जी, एक मिनिस्टर की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं कि रिसोर्स कैसे मोबीलाईज किये जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारी स्पीच पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आचार्य जी, मैंने पहले ही आपको भी और सदन को भी सूचित कर दिया था कि आपकी पार्टी को 29 मिनट का समय दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं एक करोड़ साठ लाख व्यक्तियों से सम्बन्धित एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं असंगत बातें नहीं कह रहा। यह नीतिविषयक मामला है। इस पर चर्चा करने के पश्चात् मैं कुछ परियोजनाओं और मांगों के बारे में चर्चा करूंगा। सदस्य भी यह आशा कर रहे हैं कि मैं इन विषयों का उल्लेख करूं।

सभापति महोदय : मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं महोदय कि आप कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : मुझे आपके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं परन्तु जरा जल्दी कीजिए ताकि सब लोग भी बहस में भाग ले सकें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपनी बात कहता हूं। विशिष्ट मुद्दों की चर्चा मैं बाद में करूंगा, जिसमें आपके चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दा भी होगा।

सभापति महोदय : उसके लिए कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : लगभग 120 लाख यात्री रेल-सेवा का उपयोग करते हैं। रेल सम्बन्धी स्थायी समिति ने यात्री सुविधाओं के लिए आबंटन में वृद्धि करने की सिफारिश की है। रेल सम्बन्धी स्थायी समिति की इस सिफारिश के बाद 40 करोड़ के आबंटन को बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया गया। तत्पश्चात् इसे बढ़ाकर 103 करोड़ कर दिया गया परन्तु इस वर्ष इसे कम करके 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ऐसे अनेक स्टेशन हैं जहां न्यूनतम मूलभूत यात्री सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। यह सदन के सभी माननीय सदस्यों का अनुभव है। कई स्थानों पर तो रेल स्तर के प्लेटफार्म भी नहीं है।

मेरे जिले में पुरूलिया-कोटशिला छोटी लाईन को 15 करोड़ रुपये के व्यय से बड़ी लाईन में बदला गया है। वहां गुरहजयपुर नामक एक स्टेशन है, जहां आप स्वयं गये भी हैं और आपने बहुत सी चुनाव-सभाओं को भी सम्बोधित किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक भरे पूरे स्टेशन को एक हाल्ट स्टेशन में बदल दिया गया है। वहां एक रेल-स्तरीय प्लेटफार्म भी निर्मित नहीं किया गया है। ऐसे अनेक स्टेशन हैं जहां ऐसी सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि वे इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटन को कम न करें...*(व्यवधान)* आपको घड़ी की ओर नहीं देखना चाहिए। कृपया समय-सीमा की बात भूल जाईये। मुझे जल्दी-जल्दी अपनी बातें कहने दीजिए।

सभापति महोदय : आपके पास अभी समय है। परन्तु जल्दी-जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं कलकत्ता में उपनगरीय सेवाओं—सियालदाह और हावड़ा मण्डल पर चर्चा करता हूं। हावड़ा मण्डल तो आपके चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। आपने इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें दर्ज की हैं। आपने माननीय रेल मंत्री को कुछ पत्र भी लिखे हैं। आप सियालदाह और हावड़ा के आम नागरिकों की दयनीय हालत जानकर आश्चर्यचकित रह जायेंगे। ई॰एम॰यू॰ की 30 प्रतिशत डिब्बे टूटे-फूटे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यादव जी नहीं थे, वे गोवा चले गए थे, हम वहां थे।

[अनुवाद]

यह तो स्वीकार किया जा चुका है कि सियालदाह और हावड़ा मण्डल के 30 प्रतिशत ई॰एम॰यू॰ डिब्बे टूटे-फूटे और जीर्ण है परन्तु उनको बदलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि आपके पास केवल 200 ई॰एम॰यू॰ डिब्बे खरीदने की योजना है जो कि पर्याप्त नहीं हैं। आप इनका उत्पादन कर सकते हैं। आप उत्पादन इकाईयां से इसकी मांग रख सकते हैं। जैसोप एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह ई॰एम॰यू॰ डिब्बे बना सकता है। दोनों उत्पादन इकाईयों आर॰सी॰एफ और आई॰सी॰एफ॰ ई॰एम॰यू॰ डिब्बों का निर्माण कर सकती हैं। अतः आपको इनसे और अधिक ई॰एम॰यू॰ डिब्बे हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि पुराने ऐसे डिब्बों को बदला जा सके। कलकत्ता की उप-नगरीय सेवा में इन डिब्बों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता, यदि मुम्बई की उपनगरीय रेल सेवा में इनका उपयोग हो सकता है। कलकत्ता में यह डिब्बे क्यों नहीं है यदि इनसे क्षमता में वृद्धि होती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आ रहे हैं। हम जमालपुर में गए थे। इसके पहले किसी रेलवे की पार्लियामेंटरी कमेटी ने वहां विज़िट नहीं किया था, लेकिन हमने तीन घंटे तक विजिट किया। हम वहां गए थे।

[अनुवाद]

यह सबसे पुरानी कार्यशाला है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी अच्छी कार्यशाला की क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा। तीन वर्ष पहले मैंने सुझाव दिया था कि हमारी कार्यशालाएं भी रेल डिब्बों का निर्माण कर सकती हैं। हम विदेशों से ब्रेक-डाउन क्रेनें क्यों मंगवाएं? मैंने इस पर आपत्ति की थी। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर इन क्रेनों का आयात न करने को कहा है। 140 टन की क्षमता वाली यह क्रेन जमालपुर से ली जा सकती है। जगदम्बी प्रसाद यादव जी, आपके क्षेत्र जमालपुर स्थित कार्यशाला इनका उत्पादन कर सकता है। जैसोप भी ब्रेकडाउन क्रेनों का उत्पादन कर सकता है।

सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यशालाएं इनका उत्पादन कर सकती हैं। हम क्रेनों का आयात क्यों करें? हम क्रेनों, रेल डिब्बों तथा वैगनों के आयात पर करोडों रुपए क्यों खर्चें? संकट यहीं था। इन्होंने अगले वर्ष 26,000 वैगनों के लिए लेने की योजना बनाई है। वैगन उद्योग पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग है। 60,000 मजदूर प्रत्यक्ष रूप से और 60,000 अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हैं। उन्होंने नवीं पंचवर्षीय योजना पर एक दृष्टिपात किया है। उन्होंने कहा है कि रेल विभाग को नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 1,75,000 वैगनों की आवश्यकता होगी। यदि आप अगले वर्ष 26,000 वैगनों की खरीद की योजना बना रहे हैं तो अगले चार वर्षों के अन्दर-अन्दर आप 1,49,000 वैगनों की खरीद कैसे कर पायेंगे। और जब तक और अधिक वैगन नहीं होंगे तब तक और अधिक माल की ढुलाई नहीं हो सकेगी। जब तक और अधिक रेल डिब्बे नहीं होगें तब तक और अधिक यात्री रेल डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकेंगे।

महोदय, आपको स्थानीय गाड़ियों में यात्रा करने का अनुभव है। मुझे भी स्थानीय गाड़ियों में यात्रा करने का अनुभव है। कल भी मैं आगरा से एक स्थानीय रेल-गाड़ी द्वारा राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने हेतु आया।

सभापति महोदय : आपको समय-सीमा का भी ध्यान रखना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आप ई॰एम॰यू॰ में नहीं परन्तु स्थानीय रेल गाड़ियों में डिब्बों की हालत देखिए। वहां तो शटर भी नहीं है। रेल डिब्बे बुरी हालत में हैं पंखे काम नहीं करते। रात को वहां बिजली नहीं होती। हमारा भी अनुभव है। हम एक मण्डल का उद्घाटन करने के लिए रांची गए। सुबह-सुबह हम एक गाड़ी में घुसे। हमने देखा कि लोग शौचालय का किस तरह से उपयोग करते हैं। उसका कोई दरवाजा नहीं था। इन गाड़ियों का कैसे रख-रखाव किया जाता है।

यदि स्टाफ ही कम कर दिया जायेगा तो गाड़ियों का रखरखाव कैसे होगा? अनिवार्य पदों को भी नहीं भरा जाता। रेलवे में कर्मचारियों के दल को दो प्रतिशत कम करने का कोई निर्देश नहीं है। नियुक्ति पर प्रतिबंध है। पिछले वर्ष कर्मचारी संख्या 16 लाख थी जिसे घटा कर इस वर्ष 15 लाख कर दिया गया है। रेलवे सबसे बड़ा रोजगार-दाता है। हमारे देश के बेरोजगार नवयुवक रेलवे में रोजगार चाहते हैं। हजारों लोग, जिन्होंने रेलवे में प्रशिक्षण पाप्त किया है, रोज़गार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु रिक्तियां और पद भरे नहीं जाते इसके परिणामस्वरूप रेल डिब्बों का सही ढ़ंग से रखरखाव नहीं होता।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम आवश्यक पदों को तो भरें।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी आपकी बात का उत्तर देना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अर्थात् मुझे बोलने के लिए और समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आचार्य जी का मैं बहुत आभारी हूं। ये बहुत अच्छे और कीमती बिंदु रख रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक-एक बिंदु पर जाकर उसको पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। आपने पूछा कि पैसा कहां से आयेगा, इसका जवाब भी आपने दे दिया। मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरे पास यदि अर्थ की कमी नहीं रहती, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, दुर्भाग्य से हमारे ऊपर 4500 करोड़ रुपये को बोझ पे कमीशन का आ पड़ा है। पिछले साल हमने इसके लिए 1000 करोड़ रुपये रखे थे और इस साल 3500 करोड़ रखे हैं। इस साल हमने 1800 करोड़ रुपये के टैक्स लगाए हैं, इस तरह से हमें 1700 करोड़ रुपये और खर्च करने हैं। जैसा आपने कहा कि सरकार की तरफ से हमें बजटरी सपोर्ट करीब 450 करोड़ रुपये की मिली, आप स्टैंडिंग कमेंटी के चेयरमैन हैं, रोलिंग स्टाक का दबाव है।

इतना ही सिगलनिंग का है, इतना ही न्यू रेलवे लाइन का है और इतना ही ज्यादा गेज कनवर्जन का भी है। जिस इलाके में मीटर गेज है, उसके गेज कनवर्जन के लिए कितनी मार होती है, वह मैं जानता हूं। एक परम्परा यूनीगेज की बन गई और जिससे हम आज की तारीख में पीछे नहीं जा सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि जो मीटर गेज है, जिसको कहा गया था, दे विल बी विदरड अवे। अभी आपने कहा है, मैंने इसको नोट कर लिया है। जो हमारा मीटर गेज है, उसके लिए कोचेज की जरूरत है, ट्रैक की जरूरत है। उसका भी उत्पादन होना चाहिए, यह इन्होंने बहुत सही तौर से कहने का काम किया है।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रेलवे भारत सरकार का अंग है। भारत सरकार यदि एक्सपेंडीचर कट लगाती है और भारत सरकार कहती है कि दस प्रतिशत करना है, उस परिस्थिति में मैं आपसे सहमत हूं। रेलवे के पास 19 लाख कर्मचारी थे और अब चार साल में घटकर 16 लाख कर्मचारी रह गए हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी रिकमेडेशंस, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चूंकि हमारे अफसर जब स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं तो कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में हमारी खिंचाई होने लगती है, हम क्या करें? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने सिर्फ तीन हजार सफाई कर्मचारियों की बहाली की है। उसमें भी पैसा एक्सट्रा नहीं लगा। हमने कह दिया कि कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम पर काम नहीं होगा। उसमें जो पैसा लगता है, हम उसको परमानेंट करेंगे। आप रोज अखबार में देख रहे हैं कि रोज हमारी आलोचना हो रही है कि राम विलास पासवान ने पोस्ट्स कहां से सैक्शन कर दी? कैजुअल लैबर का सवाल है, 57000 कैजुअल लैबर को हमको एक्सट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन 57000 कैजुअल लैबर के लिए रोज हमको अखबार में आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन सर्वोपरि है। मैं इन सब पर विस्तार से जवाब दूंगा। लेकिन चूंकि आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं रेल मंत्री के नाते आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जब अपनी रिपोर्ट पेश करें तो जो बात आप यहां कहते हैं, उस बात को आप अपनी रिकमेंडेशंस में भी दीजिए और जो हमारे अफसर आपकी स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, वहां उनकी खिंचाई न करें और उनकी पीठ ठोंकने का काम कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ऐसा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन 56000 कैजुअल वर्कर्स को पहले ही नियमित किया जाना चाहिए था।

[अनुवाद]

1980 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने उस समय के दैनिक मजदूरों को आश्वासन दिया था।

सभापति महोदय : आपको कितना और समय चाहिए?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दस-बारह मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आपने अपनी पार्टी के लिए निर्धारित सारा समय ले लिया।

श्री बसुदेव आचार्य : 1980 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि सम्पूर्ण नैमित्तिक कामगारों को नियमित कर दिया जायेगा; जिनकी संख्या 2,75000 थी।

[हिन्दी]

यह तो पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो कदम लिया कि हम 56000 नैमित्तिक कामगारों को नियमित करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम पहले से मांग करते आ रहे हैं।

[अनुवाद]

इन 56,000 नैमित्तिक कामगारों को नियमित करने के साथ-साथ एक आश्वासन भी दिया था। यहां तक कि भूतपूर्व मंत्री श्री जाफर शरीफ ने भी सदन में आश्वासन दिया था कि लगभग 45,00 कोयला तथा राख मजदूरों को खपाया जायेगा। ताप इंजन को बन्द करने तथा भाप इंजन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण बर्खास्त किये गए, मजदूरों की सूची मैंने रेल मंत्री को दे दी थी। इंजनों को हटा देने के कारण मजदूर बेकार हो गए। मैंने उनके नामों की सूची रेल-मंत्री को भेज दी है, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सदन में दिये गए आश्वासन को पूरा करें ताकि नैमित्तक मजदूरों को नियमित किया जा सके।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मैं उनसे इस मामले पर विचार करने का निवेदन करता हूं ताकि सदन में दिया गया आश्वासन पूरा किया जा सके।

मैं कलकत्ता के उपनगरीय यात्रियों के विषय में बात कर रहा था। 1990 में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मुम्बई-उपनगर पर एक श्वेतपत्र निकाला था। माननीय रेल मंत्री ने एक गहन अध्ययन करवाया था। मैं अनुरोध करता हूं कि कलकत्ता उपनगर के सम्बन्ध में भी एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया जाए। रेल मंत्रालय को उपनगरीय यात्रियों की समस्याओं पर एक गहन अध्ययन करवाना चाहिए।

उन्होंने मेट्रो रेल और सर्कुलर रेल का उल्लेख किया है। मैंने सर्कुलर रेल में पूरे रास्ते का सफर किया है। मैंने सर्कुलर रेल के महत्व को भी जाना है और घरिया से बैरेकपुर तक मेट्रो रेल के विस्तार को भी अपनी आखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि बैरेकपुर तक का अध्ययन चल रहा है। परन्तु घरिया से मेट्रो के आगे विस्तार के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। अतः टालीरांज से घरिया तक मेट्रो के विस्तार का निर्माण करने में क्या अवरोध है? हमें बैरकपुर तक के सर्वेक्षण रिपोर्ट का इन्तजार करने की क्या आवश्यकता है।

बैरकपुर का मामला और नया घरिया का मामला एक दूसरे से पृथक है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चर्चा का उत्तर देते समय वह सदन को आश्वासन दें कि टालीगंज से घरिया तक मेट्रों के विस्तार के लिए कुछ धनराशि आबंटित की जायेगी क्योंकि इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि सर्कुलर रेल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण चल रहा है। मेरे पास 'राईटस' द्वारा की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट है। सर्कुलर रेल के सम्बन्ध में किये गए सर्वेक्षण की एक प्रति मेरे पास है, जिसमें प्रिंसपघाट से मेजरहाट तक की रेल लाईन को पूरा करने और अन्त-सर्कुलर गाड़ी के विद्युतीकरण और दोहरीकरण की बात की गई है। इसे सर्कुलर गाड़ी कहना गलत है।

यह तब तक सर्कुलर रेल मार्ग नहीं कहलाएगा जब तक पांच किलोमीटर का क्षेत्र पूरा नहीं कर लिया जाता है। कलकत्ता की समस्या भिन्न है। कलकत्ता में सड़कों के लिए 6 प्रतिशत स्थान उपलब्ध है जबकि मुम्बई में 18 प्रतिशत, दिल्ली में 22 प्रतिशत और चेन्नई में 14 पतिशत स्थान उपलब्ध है।

सभापति महोदय : कृपया दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप जानते हैं कि मेरा जिला पुरूलिया एक पिछड़ा जिला हैं बांकुरा भी पिछड़ा क्षेत्र है। माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि वह रेलमार्ग की बहाली के पश्चात रेल-बस शुरू करेंगे। मैं बांकुरा-दामोदर नदी रेल मार्ग की बहाली हेतु स्वीकृत धनराशि को 'पिंक शुल्क' में खोज रहा था लेकिन मुझे वह नहीं मिली। कल डी॰आर॰एम॰ (आद्रा) ने मुझे कल टेलीफोन पर बताया कि :

[हिन्दी]

पैसा नहीं है, तो रिस्टोरेशन कैसे होगा? हमने कहा है कि कुछ न कुछ तो जरूर होगा।

श्री राम विलास पासवान : रिस्टोरेशन में जो पैसा लगेगा, इसी साल दिया जाएगा। इसी साल, आगे नहीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : धन्यवाद। यह बहुत अच्छी बात है। एक रेलगाड़ी को बरौनी से टाटानगर तक बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही वह रेलगाड़ी बरौनी-आसनसोल, आद्रा-पुरुलिया टाटानगर से होकर जाएगी जो सबसे छोटा रास्ता है। यह अनुरोध मैं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तरी बंगाल से दक्षिण बंगाल या दक्षिणी बिहार के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है।

[हिन्दी]

कटिहार के बजाए न्यु जलपाईगुडी से आप शुरुआत करें, तो नॉर्थ बंगाल के साथ साउथ बंगाल का कनैक्शन हो जाएगा।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : मेरे विचार से आप उस रेल मार्ग को वैसा ही रखना चाहते हैं किंतु यह न्यु जलपाईगुड़ी से शुरू होना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : कटिहार के स्थान पर यह न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होना चाहिए।

[हिन्दी]

बरौनी से आसनसोल, आद्रा, पुरुलिया एंड टाटा...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : ये सारी बातें तो आपके चेम्बर में भी हो सकती हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ अन्य मांगें भी हैं। तार्केश्वर से आरामबाग तक का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। शिवराफूल्ली से तार्केश्वर के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बारसाट से हसनबाद रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य भी काफी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने राणाघाट को भी शामिल किया है...*(व्यवधान)* मैं भी तमिलनाडु के लिए चाहता हूं।

सभापति महोदय : सबके लिए।

एक माननीय सदस्य : वह विशेषरूप से पश्चिम बंगाल के बारे में चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं तमिलनाडु का जिक्र करूंगा। एक रेलगाड़ी आसनसोल-आद्रा-बांकुरा-खड़गपुर होते हुए सप्ताह में एक बार कोचीन जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलगाड़ी है क्योंकि इसमें, विशेषकर आसनसोल और आद्रा के रोगी, वेल्लोर और मद्रास इलाज के लिए जाते हैं। अतः, मेरा अनुरोध है कि इसे सप्ताह में एक दिन के स्थान पर तीन दिन चलाया जाए।

धनबाद से दक्षिण के लिए भी एक रेलगाड़ी की आवश्यकता है। मुझे धनबाद के 30,000 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मेरे सुझाव के मुताबिक बिहार के दो महत्वपूर्ण शहरों-अर्थात धनबाद और टाटानगर जो क्रमशः कोयले और इस्पात के लिए प्रसिद्ध हैं, जोड़ा गया है। स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को तीन वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। इस बजट में जैसाकि वह पहले कह चुके हैं कि इस रेलगाड़ी को छह दिन के स्थान पर सात दिन चलाया जाएगा।

सुबह के समय टाटानगर से धनबाद के लिए एक वापसी गाड़ी की भी आवश्यकता है।

पुरुलिया से हावड़ा के लिए भी एक तीव्र गति की रेलगाड़ी की आवश्यकता है। अब वहां एक मात्र तीव्र गति की रेलगाड़ी पुरुलिया एक्सप्रेस है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शाम के समय बोकारो से पुरुलिया-आद्रा होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता है। बोकारो से एक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी भी है। उत्तरी बंगाल के लिए भी एक शताब्दी एक्सप्रेस की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री को एक पत्र लिखें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सैंकड़ों पत्र लिख चुका हूं। माननीय मंत्री को सबसे ज्यादा पत्र मुझसे ही प्राप्त होते हैं।...*(व्यवधान)* मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वापसी के लिए भी एक रेलगाड़ी शुरू करें और माल तथा यात्री यातायात में भी वृद्धि करें। जो बकाया है उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे कि हमारे देश में रेलवे का विकास हो सके। जो क्षेत्र अभी तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। इससे देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा और देश समृद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, रेलवे बजट पर बोलते हुए मुझे यह कहना है कि पिछले एक साल में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि से जनता पर भारी बोझ पड़ा था, उसके साथ-साथ रेल भाड़े में भी बढ़ोत्तरी हो गई। पहले ही देश की जनता मूल्य वृद्धि से बड़ी मुसीबतों का सामना कर रही थी, उनको आज फिर इस रेल बजट से मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।

रेल मंत्री जी ने बड़ी मीठी बातों के साथ मूल्यवृद्धि को सदन के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि बड़ी अनिच्छा के साथ हम मूल्य-वृद्धि करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* जो भाड़े में वृद्धि हुई है उसमें भी शयन-यान के लिए पांच प्रतिशत, वातानुकूलित सभी गाड़ियों पर 10 प्रतिशत, सुपर-फास्ट गाड़ियां जिससे पार्सल या सामान ढोया जाता है, पर 20 प्रतिशत और माल भाड़े में 12 प्रतिशत की वृद्धि रेल मंत्री जी ने अपने बजट में प्रस्तावित की है। इसका असर देश की जनता पर जरूर होगा।

जो खाद्यान्न हैं, उनको इस वृद्धि से छूट दी गयी है। लेकिन खाने की चीजों पर ही तो आदमी जिंदा नहीं रहता है। माल भाड़े की वृद्धि से दवाइयों और कपड़ों के साथ-साथ सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे, यानि भविष्य में सब चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं जब 12 प्रतिशत माल भाड़ा बढ़ जाएगा तो हर चीज के दाम करीब-करीब 25 प्रतिशत से ज्यादा एक अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। इसक असन गरीब आदमी पर जो रेल से यात्रा करता है या नहीं भी करता है जरूर पड़ेगा।

सभापति महोदय, रेल एक सेवा है और इस सेवा को पूरे देश की जनता को उपलब्ध कराना यह रेल मंत्री जी का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाते हुए रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि रेल भी चलनी चाहिए और यात्रियों को सुविधा भी मिलनी चाहिए। इसलिए इन दोनों चीजों को नजर में रखते हुए यात्रियों पर भी भाड़ा बढ़ाना जरूरी हो रहा है और माल भाड़े में भी वृद्धि करना जरूरी हो रहा है। लेकिन सिर्फ माल भाड़ा बढ़ाने से या यात्रियों का भाड़ा बढ़ाने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए कोई ऐसे रास्ते हमें बनाने चाहिए जिससे रेल की सुविधा आम जनता के लिए सस्ते दामों में सुलभ हो सके। इस बारे में हमने कुछ सुझाव पिछले वर्ष दिए थे। इस साल के बजट में उन सुझावों के बारे में हमारे रेल मंत्री के भाषण में कुछ विचार हुआ हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। सभापति जी, हमारे देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें सबसे बड़ा रेल का उपक्रम है ऐसा हम गर्व के साथ कहते हैं।

उसी तरह से सबसे ज्यादा चोरी भी इस उपक्रम में होती है। मैंने रेल मंत्री जी के पूरे भाषण में कहीं इसका जिक्र या उसी का कोई उपाय या सुझाव नहीं देखा। यदि हम इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठा कर रोकने की कोशिश करते तो हम बहुत बड़ी धनराशि को बचा सकते थे।

सभापति जी, एक करोड़ दस लाख यात्री जो कि रोज रेल से सफर करते हैं, उसमें से करीबन पचास परसैंट से ज्यादा यात्री मुम्बई शहर के हैं। मैं महाराष्ट्र से चुन कर आया हूं। जब भी महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो सभी महाराष्ट्र को प्रगतिशील राज्य कहते हैं। आज महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है लेकिन रेल मंत्रालय शायद महाराष्ट्र की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता, ऐसा मुझे इस बजट से महसूस होता है। महाराष्ट्र से आए हुए सभी सांसदों को ऐसा महसूस होने लगा है कि रेल मंत्रालय महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करना चाहता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हों, बिहार हों, मैं किसी भी राज्य में रेल की सुविधा देने के खिलाफ नहीं हूं। देश के हर कोने के लोगों को रेल की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं कोंकण प्रान्त का प्रतिनिधित्व करता हूं।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

आजादी के बाद पहली बार कोंकण में रेल गई है। महाराष्ट्र चाहे प्रगतिशील राज्य हो लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे कई जिले हैं जहां आज तक रेल दिखायी नहीं देती जबकि रेल मंत्रालय को 50 परसैंट से ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। ऐसे में रेल बजट में महाराष्ट्र का कोई जिक्र न हो, कोई नई रेल लाइन, न ही कोई दोहरीकरण का प्रस्ताव हो और न कोई सुविधा का प्रस्ताव हो तो उसे देखकर अफसोस होता है।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र में बी॰जे॰पी॰-शिव सेना की सरकार है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार किसकी है, मैं ऐसा समझता हूं कि इसका रेल मंत्रालय से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : यह ऐसी सरकारों के साथ भेदभाव करते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद भेदभाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र से पचास परसैंट से ज्यादा जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसके माध्यम से वह बजट में कुछ कर देते तो अच्छा होता। आप इस बजट के बारे में थोड़ा सोचें तो आपको पता चलेगा।

श्री राम विलास पासवान : जिस राज्य में पचास परसैंट लोग सफर करते हैं, वहां एक पैसा भी किराये का नहीं बढ़ाया।

श्री अनंत गंगाराम गीते : किराया न बढ़ाने के लिए हम रेल मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जहां पचास परसैंट लोग यात्रा करते हैं, वहां एक पैसा भी किराये का नहीं बढ़ाया लेकिन वे कैसे और किस तरह सफर करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुम्बई शहर के यात्री मजबूरन रेल से सफर करते हैं। अगर भाड़ा बढ़ाते तो पूरे मुम्बई की जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता। आपने भाड़ा तो नहीं बढ़ाया लेकिन यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थीं।

हम रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुम्बई शहर के जितने रेलवे स्टेशन हैं, वे उन्होंने साफ कराए। वे आज साफ हैं। हम चाहते हैं कि वे भविष्य में भी साफ रहें।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम धन्यवाद दे रहे हैं। जो अच्छा हुआ, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। जहां रेलवे के ब्रिज हैं, जहां से आपने हॉकर्स को हटाया, हम चाहते हैं कि यह बीज हमेशा के लिए साफ रहे। जब रेल से यात्री उतरते हैं तो किसी को चलना नहीं पड़ता। वे एक दूसरे को धक्का देकर चलते हैं।

तो ऐसे हालात मुम्बई शहर के हैं। इसलिये सुविधाओं की तरफ ध्यान देना जरूरी है। अब कोंकण रेलवे शुरू होने जा रही है। आपने अपने भाषण में निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम् राजधानी गाड़ी को गोआ के रास्ते चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह राजधानी गोआ के नजदीक होगी लेकिन उसका असर कोंकण पर न हो। जब से सावंतवाड़ी-कुर्ला से गाड़ी निकलने लगी है, कभी समय पर नहीं पहुंचती। मेरा आग्रह है कि इस बारे में जरूर सोचें कि जब इतनी गाड़ियां इस रास्ते से होकर जायेंगी तो सभी समय पर पहुंचनी चाहिये। मैं एक मांग के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे मुम्बई और कोंकण के कई सांसदों ने एक पत्र दिया है कि कुर्ला-सावंतवाड़ी का रास्ता शुरू हुआ है उसे दादर से शुरू किया जाये। इस कोंकण रेलवे को बनाने में कोंकण की जनता ने भारी सहयोग दिया है। जितने अल्प समय में कोंकण रेलवे तैयार हुई है, उतने कम समय में कहीं भी तैयार नहीं हुई। महाराष्ट्र की जितनी सीमायें हैं उसमें रोहा और सावंतवाड़ी एवं कोंकण की जनता की मांग है कि यह कुर्ला के बजाय दादर तक जानी चाहिये। हमने इस बारे में आपके कार्यालय में आकर बात की थी तो आपने बताया था कि अधिकारियों से चर्चा करके जल्दी ही कोई निर्णय लेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोंकण की जनता के लिये एक सुविधापूर्ण कार्य होना चाहिए।

सभापति महोदय, रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में 56 हजार कैजुअल लेबर को रैगुलर करने का जिक्र किया है। कोंकण रेलवे कार्पोरेशन में कांट्रैक्ट लेबर हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिये। इन लेबर का कोंकण रेलवे निर्माण में भारी योगदान रहा है और सभी लेबर इसी विभाग से हैं। जब निर्माण कार्य समाप्त हो जायेगा तो इनको भी कहीं न कहीं रैगुलर करने की बात सोचें।

सभापति महोदय, हमने गत साल रेल बजट भाषण में कहा था कि मुम्बई स्टेशन का जो एअर स्पेस है, उसका कमर्शियल उपयोग किये जाने पर ज्यादा धनराशि जुटा सकते हैं लेकिन इस बार रेल मंत्री के भाषण में इस सुझाव पर कोई कारगर कार्यवाही होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरा पुनः आग्रह है कि मुम्बई रेलवे स्टेशन का एअर स्पेस प्रयोग में लाकर कामर्शियली धनराशि जुटा सकते हैं। आपने मुम्बई उपनगरीय रेल में यात्री किराया भाड़ा न बढ़ाकर अच्छा काम किया है लेकिन दूर तक जाने वाले स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक भाड़ा देना पड़ेगा। आपने माल भाड़े में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसका असर भी होगा। यदि यात्रियों को कुछ और सुविधायें दे सकें तो इस मूल्य वृद्धि को यात्री बर्दाश्त कर सकेंगे।

इसलिए आज मैं रेल बजट पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सुविधाएं रेलवे यात्रियों को दे रही है, यात्री उससे संतुष्ट नहीं हैं। सफर करते समय उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ अच्छी सुविधाएं रेल यात्रियों को मिलें, यही हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति जी, मुझे सिर्फ पांच-सात मिनट ही बोलना है क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से श्री प्रमोद महाजन इस बारे में जो प्रारंभिक वक्तव्य दे चुके हैं, उसके बाद खास बोलने की गुंजाइश नहीं रह गई है।

सबसे पहले मैं ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की घोषणा के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उस समय मेरा खजुराहो लोक सभा क्षेत्र विन्ध्य प्रदेश में आता था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने निर्णय लिया कि विन्ध्य क्षेत्र को किस प्रदेश में मिलाया जाए, उस समय जो टीम उस क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में एक कमण्ट लिखा। उन्होंने लिखा था कि 'यह क्षेत्र गरीबी और भुखमरी से त्रस्त है जबकि खनिज संपदाओं से भरपूर है। इस क्षेत्र का उद्धार अगर कभी होगा तो रेलवे लाइन के द्वारा ही होगा।' 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय पर लक्ष्मीनारायण नायक सांसद होकर आए थे। उस समय मधु दंडवते जी रेल मंत्री थे। उस समय ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के सर्वे की बात हुई थी। दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया और जैसे ही कांग्रेस सरकार की वापसी हुई, ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का मामला रैजैक्ट करके और यह कहकर कि यह लाभदायक नहीं है, उस फाइल को ही बंद कर दिया गया। उसके बाद 1989 में जब मुझे सांसद बनने का अवसर मिला और जार्ज फर्नान्डीज जी रेल मंत्री बने, उस समय मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की। वह इस काम को शुरू करने ही वाले थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार का पतन हुआ और उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार की अकाल मृत्यु हुई। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, तो फिर ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का काम रुका, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष बने थे, उन्होंने मुझे ले जाकर जाफर शरीफ जी से बात की। उन्होंने थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत करनी चाही, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उनके हाथ में वह बात नहीं रही। हमारे क्षेत्र के लोग लगातार 20 साल से इस रेलवे लाइन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब इस नयी सरकार का गठन हुआ तो हमने रेल भवन के सामने बैठकर धरना दिया। रेल मंत्री जी उस समय सदन में थे। वह ऐतिहासिक क्षण था जब सतपाल महाराज जी हमारे पास से रेल मंत्री जी की चिट्ठी लेकर गए और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसका सर्वे पूरा करा लेंगे और निश्चित रूप से इस रेल लाइन को लाने का प्रयास करेंगे। सतपाल जी धार्मिक क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। मैंने उसी समय सतपाल महाराज जी को कहा था कि आप एक संत हैं और मैं भी संन्यासी हूं। आप मुझे वचन दीजिए कि समय पर ही इसको पूरा करवाएंगे और उन्होंने समय पर ही इस सर्वे को पूरा करवाया और माननीय रेल मंत्री जी ने मुझे इसी सदन में इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं फिर मधु दंडवते जी से बात करूं। मैंने माननीय दंडवते जी से जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनसे रैक्वैस्ट की कि जब वे रेल मंत्री थे, तो उन्हीं के समय पर इसकी चर्चा शुरू हुई थी और कुल मिलाकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयास से, मधु दंडवते जी के प्रयास से ऐसी स्थिति बनी कि 26 फरवरी को हमारे रेल मंत्री जी ने सदन में ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की घोषणा की। सभापति जी, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूं कि हमारे क्षेत्र के लाखों लोग उस दिन टीवी खोलकर बैठे थे और वह यह सुनना चाहते थे कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि यह स्वीकृत हो गई है तो उन्होंने टीवी बंद कर दिया और बाजारों में निकल गए। लोग पटाखे चलाने लगे।

सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहती हूं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोंकण रेलवे का काम स्वीकृत हुआ था और ऐसा लगा कि उसका काम पूरा होने की स्थिति में है। आपने सौ करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर के रेल विस्तार के लिए दिया है, तीन सौ करोड़ रुपया पूर्वोत्तर राज्यों में रेल विस्तार के लिए दिया है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि-

> "या तो झोली भर दे दाता, या फिर खाली रहने दो।
> किसी और के आगे दामन फैलाना, मेरे बस की बात नहीं।"

हमारे इस रेल विस्तार को आप रैकार्ड टाइम में पूरा करिये। इसलिए मेरा कहना है कि आप जब उत्तर दें तो ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिकतम बजट की घोषणा करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय सभापति जी, जब भी कोई बजट और खास तौर से रेलवे बजट सदन में प्रस्तुत होता है तो सबकी नजर एक ही बात पर होती है कि रेल किराया कितना बढ़ाया गया, बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया जबकि किराया बढ़ना उतना लाभकारी या हानिकारक नहीं होता जितना अन्य चीजों का किराया बढ़ना हानिकारक होता है लेकिन हमारी पोलिटिक्स सुपरफीशियल हो गई है, अनसर्टेन्टी ऑफ पौलिटिक्स, इनस्टेबिलिटी इन सैंटर के कारण सतही हो गई है और यही कारण है कि हमारा ध्यान सुपरफीशियल बातों की तरफ ही जाता है। अनसर्टेन्टी से हर गवर्नमेंट ग्रस्त रहती है। उसका परिणाम यह निकलता है कि हर बजट पोलिटिकल आधार पर बनने लगा है, जैसे जनरल बजट है और वर्तमान रेल बजट है।

इस बार दूसरे दर्जे के रेल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है, किराये नहीं बढ़ाए गए हैं, सबकी नजर मुख्य रूप से इसी बात पर जाती कि किराए बढ़ाए नहीं गए लेकिन तरह मालभाड़े में वृद्धि की गई है, असल में माननीय रेल मंत्री जी ने सात महीनों में 22 परसेंट मालभाड़े में वृद्धि की है क्योंकि इससे पूर्व के रेल बजट में 12 प्रतिशत मालभाड़े में वृद्धि की गई थी और इस बार 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रेल बजट में बासी मिठाई पर चांदी का वर्क चढ़ा दिया गया है जिसमें लगता है कि किराये तो नहीं बढ़ाए गए हैं लेकिन ए॰सी॰ क्लास में सफर करने वाले यात्रियों का किराया ही बढ़ाया गया है। हमारा देश गरीब है। यहां लोगों के दिल में अमीर लोगों के प्रति सहानुभूति बहुत कम है, बल्कि इसे लेकर उल्टे लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ, पैसे वालों का किराया बढ़ा है, गरीब लोगों पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला गया है और वे अब आराम से रेलों में यात्रा कर सकेंगे लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो अमीर लोग ए॰सी॰ क्लास में या ए॰सी॰ प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं वे किसी न किसी कम्पनी में अधिकारी होते हैं, जिसका कहीं

[कुमारी उमा भारती]

न कहीं उस कम्पनी के ऊपर असर पड़ता है और उस कम्पनी में जो गरीब लोग काम करते हैं, अन्ततः उन पर भी इसका असर पड़ता है। यह ठीक बात है कि रेल मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनका मालभाड़े पर हुई वृद्धि पर असर पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अगर हम उसे नहीं बढ़ाते, 10 परसेंट से नीचे रखते, फूडग्रेन्स पर अगर हम कन्सेशन नहीं देते फिर 8-9 परसेंट पर जाकर रुक सकते थे लेकिन वह भी जरूरी था क्योंकि उसमें गरीबों को पी॰डी॰एस॰ के अंतर्गत राहत देनी थी।

कुमारी उमा भारती : माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि रेलवे अपने आपमें एक देश है, अपने आपमें एक संस्कृति है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह हमारे देश के अंदर एक देश है। हमारी रेलवे में एक करोड़ दस लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं और 16 लाख अधिकारी तथा कर्मचारी रेल विभाग में कार्यरत हैं। इतनी बड़ी दैनिक यात्रियों की संख्या तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए, ऐसा लगता है कि अगर इसके नेटवर्क में ठीक ढंग से कसाव किया जाए तो उससे जितनी द्विविधाएं आज हैं, वे सब खत्म की जा सकती हैं। लेकिन परेशानी यह है कि जो भी रेल मंत्री बनते हैं, अगर वे राजनीति करने की बजाए रेल मंत्रालय के कामों में ज्यादा समय लगाएं तो निश्चित रूप से इसके नेटवर्क में कसाव आएगा और जो द्विविधा बारबार रेलवे के सामने खड़ी होती है कि रेलवे सेवा है या प्रोफैशन है, हम चाहते हैं कि रेलवे सेवा भी हो और व्यवसाय भी हो, इन दोनों के बीच में अगर संतुलन बनाना है तो इतने बड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या और इसके स्वतंत्र अस्तित्व के बीच पूरे नैटवर्क में एक कसाव पैदा करना पड़ेगा तभी व्यवसाय और सेवा के बीच में संतुलन बन पाएगा।

इसके साथ साथ मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह है कि अचानक बिहार में रेलों में डकैती, हत्याएं और अपहरण की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, इससे पहले जनता दल के जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनका कहना ठीक है कि हमें इस मामले में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्होंने महाराष्ट्र आदि के आंकड़े भी दिए, लेकिन वे कितने दिनों के आंकड़े थे। फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि बिहार में अचानक रेल डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आज के अखबार में एक घटना आई है। हमारी परेशानी यह है कि ये लोग बोलते हैं कि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वे लोग बोलते हैं कि ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये घटनाएं इसी तरह बढ़ती गईं और बिहार में आज जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कल यह छूत की बीमारी कहीं उत्तर प्रदेश को लग गई तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं कि जिस तरह बसों में लिखा होता है-'यात्री अपने सामान की खुद हिफाजत करें', उसी तरह जो भी यात्री टिकट लेने जाए, रेलों से यात्रा करने जाए, उसकी छाती पर आप एक मुहर लगा दीजिए कि 'यात्री अपनी जिन्दगी की हिफाजत खुद करे' या हर यात्री को आप एक गनर प्रोवाइड करा दीजिए, जो भी रेलों में यात्रा करने के लिए एलिजिबिल होने वाला हो, उसे आप बन्दूक का लाइसेंस दे दीजिए ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके।

अन्यथा रेल मंत्री अगर चाहें, तो बहुत जल्दी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाकरके इसके बारे में विचार कर सकते हैं रेल यात्रा में चलने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए किस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही शर्म और कलंक की बात है कि जीरो आवर में शोर-शराबे में यह बात डूब जाती है, लेकिन जिस प्रकार से रेल में से महिलाओं को उतार करके, जंगलों में ले जाकर के उनकी इज्जत लूटने की जो घटना हुई है, वह बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई सदस्य कहे कि उन घटनाओं का जिक्र यहां करके उनको लेकर हम पालिटिक्स कर रहे हैं, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। अगर उन घटनाओं को हम यहां नहीं उठाऐंगे, तो और कहां उठाएंगे? उनको लेकर हम कोई पालिटिक्स नहीं कर रहे हैं और जो ऐसा सोचते हैं, वे खुद कल्पना करें कि किस प्रकार से थर-थर कांपती हुई उन अबलाओं को रेल के डिब्बों में से खींचकर अपने भाई, अपने पिता और अपने पुत्रों के सामने जंगल में ले जाया गया होगा और उनमें अगर अपनी कोई बहन या बेटी होती और वह इस दुर्दशा को प्राप्त होती, तो मनःस्थिति कैसी बनेगी? इसलिए रेल यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि रेल मंत्रालय और जितने भी प्रदेशों से रेल गुजरनी होती है, उनके जो मुख्य मंत्री होते हैं, वहां की राज्य सरकारें होती हैं, उनका आपस में ठीक से बैलेंस हो, तो यह कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले साल रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक करोड़ 10 लाख रुपए रखे गए थे, लेकिन इस साल केवल 80 लाख रुपए रखे गए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें कोई सुविधा नहीं क्योंकि सुविधा की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ए॰सी॰ में जो लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ए॰सी॰ में बैठने वालों की प्रति बहुत सहानुभूति रखती हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ए॰सी॰ में बैठने वाले कोई बड़े भारी अपराधी हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूं कि अधिकतर वहां बिस्तर नहीं होते हैं। खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं होती है। जो साधारण आदमी, साधारण क्लास में, दूसरे दर्जे में खाना खाता है वह भी ठीक नहीं है। वहां भी भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इसलिए मुझे महसूस होता है कि जब हमें ऐसा लगे कि यात्री बहुत सुविधा के साथ यात्रा कर पा रहे हैं, तब सुविधा के लिए रखे जाने वाले धन को कम किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, तो इस धन को कम करने के बजाय और बढ़ाया जाना चाहिए था, घटाया नहीं जाना चाहिए था।

सभापति महोदय, मेरा ज्यादातर समय रेल में गुजरता है। मैं घर पर बहुत कम बैठती हूं। जो काम मुझे पार्टी ने दिया है उसके कारण मेरा अधिकांश समय कार में, जहाज में और रेल में ही गुजरता है। इसिलए मुझे मालूम है कि रेल में यात्रा करने वालों की असुविधाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। भोजन का स्तर भी गिरता चला जा रहा है। ऐसे समय में उनकी सुविधा के लिए जो बजट है उसको और कम करना, ठीक नहीं है। यह सुविधा की बात नहीं है बल्कि यात्रियों के लिए और असुविधा और उलझन बढ़ाने वाली बात है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। वैसे तो उन्होंने कई बार छापे मारने का काम किया है ताकि व्यवस्था ठीक रहे, लेकिन मंत्री जी यह काम राजाओं के जमाने में होता था कि वे वेश बदल कर प्रजा की सुविधा के लिए शासकीय व्यवस्था का जायजा लेते थे कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, लेकिन यह तो कलियुग है, इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को खींच कर रखा जाए, तो निश्चितरूप से इस मामले में थोड़ा सुधार हो सकता है। मेरा आग्रह है कि बजट भी बढ़ना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक शिकायत भी करना चाहती हूं। सबेरे राजधानी एक्सप्रेस में मीठे-मीठे और मधुर भजनों का गान गूंजता रहता था और जब मैं राजधानी एक्सप्रैस में बैठती हूं तो बड़ा आनंद आता था क्योंकि सुबह मैं तो भजन गाती हूं और ट्रेन में मधुर-मधुर भजनों की गूंज को सुनकर इतना आनंद आता था और मन शान्त हो जाता था, जिसका वर्णन मैं यहां नहीं कर सकती।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : हम तो समझ रहे थे आप भोजन की बात कहेंगी।

कुमारी उमा भारती : भोजन तो रात में होता है। तुम लोग तो पेटू हो भैया। खाने के लिए इकट्ठे हुए हो। इसलिए तुम्हारा ध्यान तो भोजन में ही जाता है। मैं तो भजन की बात कर रही हूं।

अचानक एक दिन में बड़ौदा जाने के लिए राजधानी में बैठी और जब सुबह हुआ तो कुछ बजा ही नहीं। टूं-टूं, टां-टां, खाली वाद्य यंत्र ही बजे। मैंने ट्रेन सुपरिंटेंडेंट को बुलाया और उनसे कहा कि हमें सबेरे भजन सुनने को मिलते थे, वे अब क्यों नहीं बज रहे सिर्फ वाद्य यंत्रों की ही आवाज आ रही है। उन्होंने कहा कि भजन बजने तो बंद हो गए हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों और किस के आदेश से हुआ तो उन्होंने बताया कि माननीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के कहने से ऐसा हुआ क्योंकि भजन में राम और कृष्ण का नाम आता है और रेल को पूरी तरह सैकुलर होना चाहिए।

माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से राम विलास पासवान जी से कहना चाहती हूं कि आपके नाम के तो आगे यानी प्रथम शब्द ही "राम" के नाम पर है, तो क्या आप अपना नाम राम विलास पासवान से बदलकर धर्मनिरपेक्ष पासवान रख लेंगे?

श्री राम विलास पासवान : मैं तैयार हूं, अगर आप श्री मुरली मनोहर जोशी जी के नाम के आगे "राम" लिखवा दें और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के आगे "राम" लगवा दें।

कुमारी उमा भारती : भारतीय जनता पार्टी ने तो राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। हम नाम लगाएं या न लगाएं लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप सीरियल होकर कुछ करें या न करें लेकिन कम से कम नाम के लिए तो करें। हम तो असली काम करते हैं।

सभापति जी, आप जहां बैठे हैं वहां उसके ऊपर धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है। यह संस्कृत में लिखा है और संस्कृत देव भाषा है। वह हिन्दुओं के देवताओं की भाषा है। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आप प्रधानमंत्री जी से बात करें कि हिंदुओं की देव भाषा यहां क्यों लिखी हुई है। यह मामला तो कम्युनल हो जायेगा। महात्मा गांधी जी की समाधि पर राम का नाम क्यों लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इस प्रकार की विकृत धर्मनिरपेक्षता में न पड़े और जितनी भी रेलगाड़ियों में, राजधानी या दूसरी गाड़ियों में भजन सुनायें जाते थे, उनमें भजन सुनाने की व्यवस्था करें। इस प्रकार की बातों में सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। इससे कोई साम्प्रदायिक सद्भाव का मैसेज नहीं जाता है बल्कि उल्टा मैसेज जाता है।

अंत में मैं माननीय सभापति जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ताज एक्सप्रेस जो है।

[अनुवाद]

मैं कहने मात्र के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है और रेल को लाभ उठाना है तो इसमें दोनों को लाभ होगा। मंत्री जी, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूं।

राम विलास पासवान : हम ताज के बारे में सुन रहे हैं।

कुमारी उमा भारती : मैं एक आग्रह आपसे करना चाहती हूं। ताज एक्सप्रेस जो दिल्ली से ग्वालियर तक के लिए चलती है उसको आप महोबा तक बढ़ायेंगे तो खजुराहो जाने वाले यात्रियों को आसानी हो सकेगी। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र होते हुए भी वहां यात्रियों की संख्या बहुत कम जाती है। इसका कारण यह है कि सभी लोग हवाई जहाज से उड़कर नहीं जा सकते। उनको झांसी तक ट्रेन में जाना पड़ता है फिर उसके बाद वहां से बस पकड़कर जाना पड़ता है। इससे उनका बहुत समय नष्ट होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप ताज एक्सप्रेस का आखिरी स्टापेज झांसी की बजाए महोबा तक कर दें और उससे पहले एक स्टाप ओरछा कर दें क्योंकि ओरछा भी एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान होने के कारण बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बनता जा रहा है। यदि आप ताज एक्सप्रेस को महोबा

[कुमारी उमा भारती]

तक बढ़ा देंगे तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जायेगी और रेल के मुनाफे में भी हम अपने गरीब क्षेत्र की तरफ से वृद्धि कर पायेंगे।

अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हैं। जबलपुर से गौंदिया तक जो रेलवे लाइन है, उसको ब्राडगेज तक परिवर्तित किया है। इसी प्रकार नैनपुर से नागपुर तक जो रेलवे लाइन है, उसको भी ब्राडगेज में परिवर्तित करने की मांग हो रही है। दल्ली राजहरा रेलवे लाइन का काम रुका पड़ा है। मुरैना एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक बहुत प्रसिद्ध रेलवे लाइन पर है। वहां से बड़ी-बड़ी रेल गाड़ियां निकलती हैं लेकिन साउथ की तरफ जाने वाली एक भी गाड़ी मुरैना पर नहीं रुकती है। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि साउदर्न एक्सप्रेस या जी॰टी॰ एक्सप्रेस की जो गाड़ियां हैं, अगर उनका एक स्टापेज मुरैना में हो जाये तो अच्छा रहेगा।

इसके साथ-साथ एक बात बहुत कम्युनल लगेगी। माननीय मंत्री जी को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उस जगह से मिलेगा। हमारे यहां मध्य प्रदेश में दतिया में पीताम्बर माई, बगुलामुखी देवी का मंदिर है जहां बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक पीताम्बर माई के यहां बहुत बड़ा मेला लगता है लेकिन दतिया में कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं रुकती है। अगर 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, शताब्दी और राजधानी को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियां वहां रुकनी लग जायें तो वहां भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगेगी। दतिया में पीताम्बर माई का बहुत बड़ा मंदिर है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, वह झांसी से 23 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो यात्री झांसी से उतरकर फिर बस पकड़कर दतिया पहुंचते हैं उनको इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वहां शताब्दी और राजधानी को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियां रुकने लगेंगी तो यह भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन जायेगा। दतिया एक धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान भी है।

सभापति जी, मुझे एक लाइन और बोलनी है। मैं आपकी तरह धीमे-धीमे नहीं बोलती हूं। मैं तो बहुत जल्दी बोलकर अपनी बात खत्म कर देती हूं। इसी दतिया में झेलम एक्सप्रेस, पंजाब मेल जैसी गाड़ियों की अगर रुकने की व्यवस्था हो जाये तो प्रतिदिन वहां पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। अंत में मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं रेल मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहती हूं कि मैं अपने खजुराहो लोक सभा क्षेत्र की कृतज्ञ जनता, भुखमरी से ग्रस्त, शोषित और पीड़ित, सामंती जुल्म के अत्याचार से ग्रस्त दलितों, पीड़ितों व गरीबों की जितनी संख्या वहां है, उन सबकी तरफ से मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देती हूं कि आप वहां पर बहुत जल्दी शिलान्यास करके ललितपुर-सिंगरौली को प्रारम्भ कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे यह कहते हुए वास्तव में दुःख हो रहा है कि रेल बजट का समर्थन करने के स्थान पर मैं इसका जोरदार विरोध कर रही हूं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है...*(व्यवधान)* जहां तक मतदान का संबंध है तो माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल के लिए यदि कुछ घोषणायें नहीं करते तो मैं इस बजट के लिए मतदान भी नहीं करूंगी। मैं यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल किए जाने के लिए स्पष्ट तौर पर कह रही हूं। ऐसा इसलिए कि हम पर संसद सदस्य, जिसमें से 9 कांग्रेस के हैं तथा बाकी वामपंथी दल के सदस्य हैं, इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से तथा कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस वर्ष पश्चिम बंगाल को कोई भी नई परियोजना नहीं दी जा रही हैं।

जैसा कि प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि सुरक्षा बचाव समय पाबन्दी और भावी सुविधाओं की दृष्टि से इस बजट में क्षेत्रीय सन्तुलन का अभाव है। यहां तक कि इस दिशा में रेलवे विभाग के पास अब तक कोई कार्य योजना नहीं है। माननीय रेल मंत्री कुछ सदस्यों को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन देश की प्रगति के बारे में उनका ख्याल है? क्या रेल मंत्रालय द्वारा इस दिशा में कोई आधुनिकीकरण की योजना है? क्या रेल मंत्री के पास कोई कार्य योजना है? भारतीय रेल सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम होने के बावजूद भी माननीय मंत्री ने अब तक किसी कार्य योजना या किसी आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम या कोई मास्टर योजना की घोषणा नहीं की है। भारतीय रेल विश्व में सबसे बड़ी रेल है। आप परिचालन अनुपात को देख सकते हैं। यदि आप इसे देखेंगे तो इसकी वित्तीय स्थिति स्पष्ट होगी। 1995-96 में यह 82.5 था। 1996-97 में पुनरीक्षित आंकलन 86.3 था और 1997-98 का आंकलन 91.4 है। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1995-96 में रेलवे ने 100 रुपए अर्जित करने के लिए 82.5 रुपए व्यय किए। साथ ही मैं एक अन्य आंकड़े भी दर्शा सकता हूं लेकिन मैं उसे दर्शाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती। उन आंकड़ों या महत्वपूर्ण मुद्दे को दर्शाकर समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको वस्तुतः कुछ कहना चाहती हूं।

आप यह मानेंगे कि मैं बिहार के विरूद्ध नहीं हूं। मुझे इस बात से खुशी है कि माननीय मंत्री ने बिहार के लिए कुछ स्वीकृत किया है क्योंकि बिहार एक वंचित क्षेत्र है। लेकिन साथ ही, आपको यह याद रखना चाहिए कि इस बड़े बजट में कोई क्षेत्रीय सन्तुलन नहीं है। पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा बहुत ही वंचित रहे हैं। आंध्र प्रदेश और मुम्बई के लोग भी अब कह रहे हैं कि वे वंचित रहे हैं। तब यह बजट किस काम का? यह बजट देखकर मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है।

आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि-मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूं-भारत की स्वतंत्रता के स्वर्णजयंति वर्ष के दौरान आप कुछ नई परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं। मुझे इससे खुशी

हुई। लेकिन क्या आपने मिदनापुर जिले के महिशादल नामक स्थान का नाम सुना है? इस परियोजना को पूरा न करने के कारण तामलूक और दीघा रेलवे परियोजना लम्बित हैं। यह विगत 20 वर्षों से लम्बित हैं। प्रत्येक वर्ष आप एक करोड़ या पच्चास लाख या दस लाख या दो करोड़ रुपए देते हैं। यह क्या है? मेरा विनम्र निवेदन है कि—यदि आप इसे विनम्र निवेदन मानते हैं—तो यह विनम्र निवेदन हैं। यदि आप इसे मेरी मांग समझते हैं तो यह एक मांग है। यदि आप इसे शिकायत समझते हैं तो यह एक शिकायत है।

श्री राम विलास पासवान : बीस वर्षों से यह लम्बित क्यों पड़ी है? मुझे बतायें।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं भी आपसे यही पूछ रही हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैं पिछले नौ महीनों से मंत्री हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : तो क्या हुआ? अब आप मंत्री हैं। इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है।

कुमारी ममता बनर्जी : हर व्यक्ति यही कहता है कि मुझे इसका अध्ययन करना होगा। मुझे हर्ष है कि आप विगत नौ महीने से मंत्री है। यदि मैं बोलूं तो यह एक भारत का रेल बजट न होकर राम विलास पासवान का बजट न होकर राम विलास पासवान का बजट है जो केवल सहारनपुर या एक मात्र संसदीय क्षेत्र पटना के लिए है। यह सब कहने के लिए मुझे मजबूर न करें। भगवान के लिए, अपने हाजीपुर क्षेत्र में कोई पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय न खोलें।

मैं वे सभी चीज जानती हूं। माननीय मंत्री ने सब कहने के लिए मुझे न उकसायें...*(व्यवधान)* मैं केवल बंगाल की बातें नहीं कर रही हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं कोशिश कर रहा हूं और मैंने कोशिश की भी है। मैंने पश्चिम बंगाल के सभी दलों के सांसदों के साथ बात की थी। हिमाचल प्रदेश के साथियों से भी कहा था, वे नाराज हो गए थे। उस दिन खुश हो गए, गुजरात के साथी सुरेन्द्र नगर वाले और भावनगर वाले भी, जब मैंने कहा कि आपकी बातें बजट में पास हो गई हैं, लेकिन सी॰सी॰ए॰ ने मंजूरी नहीं दी, हम उनकी मंजूरी के इंतजार में हैं। मैं दिल से कहता हूं मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी चीज पर पार्टी लाइन से या पर्सनल लाइन से सोचूं। जितना आप हमसे लड़ते हैं, उतना हम बोर्ड से लड़ते हैं। आप सुझाव दें कि यह काम करें। मैं उस काम के बारे में जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो संसाधन हैं, उनके मुताबिक आपको संतुष्ट कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पास सुझाव आएं। मैं आपकी जानकारी के लिए सब कुछ यहां लेकर बैठा हुआ हूं। जो भी सुझाव होगा, हम उसके अनुरूप जो भी सम्भव होगा, वह करने का काम करेंगे। इसलिए मैं हर सुझाव का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है।

[हिन्दी]

मैं यही तो बोल रही हूं। आपने जवाब दिया, मैं उससे खुश हूं। हम लोगों की नाराजगी तब जाएगी जब आप अपने जवाब में जिन-जिन राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको दूर करने की बात कहेंगे। हम आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में आपने काफी दिया है, लेकिन जो तीन स्थान मैंने बताए, जो सबसे पहले आजाद हुए थे, मैसादल का मामला भी है, वह बीस वर्ष से लम्बित है। आपने जो इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए कह रही हूं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जानते हैं कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली थी। मैंने इस बारे में उनसे पूछा था। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं है। हमें धन की कमी का भी ज्ञान है; हम वे सभी चीज जानते हैं। लेकिन उन्हें टौलीगंज से गरिमा तक मेट्रो रेल के विस्तार की आवश्यकता को भी समझना चाहिए। मैं पिछले पांच वर्षों से इस बारे में कहती आ रही हूं। न केवल मैं, बल्कि हर व्यक्ति इस बारे में कहता आ रहा है और मैं मंत्री और अन्य माननीय मित्रों को, इस मामले में एक जुट रहने के कारण, धन्यवाद देती हूं। यदि इस बारे में कोई विकास संबंधी प्रक्रिया होती है तो इस बात पर हम सभी एकजुट हैं।

इस परियोजना के संबंध में मैं खुद योजना आयोग के सदस्यों से तीन या चार बार मिल चुकी हूं। योजना आयोग ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि वे नैतिक रूप से इससे सहमत हैं। तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने सर्वेक्षण के बारे में उल्लेख किया। और कैसा सर्वेक्षण आवश्यकता है? मैंने रेल बजट पारित किए जाने का उल्लेख किया। रेल मंत्री को लोगों को खुश करना है। माननीय मंत्री टौलीगंज से गरिमा तक की रेल मार्ग को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर कर सकते हैं क्योंकि यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है। मैं माननीय मंत्री से उनके कक्ष में खुद मिली हूं इस बात को उन्हें नहीं भूलना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : हां मिली थीं।

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय मंत्री को इस बारे में 'हां' या 'ना' कहना चाहिए। उन्होंने एक सर्वेक्षण का उल्लेख किया था। वह और कैसा सर्वेक्षण कराना चाहते हैं? 'राईट्स' ने पहले ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है। मैंने प्रतिवेदन देखा है। स्थायी समिति के अध्यक्ष भी इससे सहमत थे। हां, दमदम से बैरकपुर तक की रेल मार्ग का सर्वेक्षण किया जाता है। लेकिन टौलीगंज से गरिमा तक की रेल मार्ग

[कुमारी ममता बनर्जी]

को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए एक पैसा भी स्वीकृत नहीं किया गया। क्या हमारी कोई पूछ नहीं है?

हमें कलकत्ता की मेट्रो रेल के बारे में गर्व है। लेकिन इसके रखरखाव के लिए एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। क्या माननीय मंत्री मेट्रो रेल की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं? कभी इसे जला दिया जाता है। यहां आम दिन अनेक घटनायें होती रहती हैं। लेकिन माननीय मंत्री इस बारे में कितना जानते हैं मैं नहीं जानती। माननीय मंत्री के लिए सभी सूचनायें प्राप्त करना संभव नहीं लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन सभी घटनाओं से उन्हें अवगत कराना चाहिए।

अतः, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मेट्रो रेल के रखरखाव के लिए धन आवंटित करें और इसी वर्ष टौलीगंज से नई गरिमा रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाना चाहिए। कृपया सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें समर्पित करने हेतु शिलान्यास करें। साथ ही कृपया बैरकपुर से दमदम तक रेल मार्ग का सर्वेक्षण भी करें।

अब, मैं प्रिंसेस घाट से मजेरहाट तक के लिए एक सर्कुलर रेलगाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जैसाकि आप जानते हैं कि कलकत्ता एक घनी आबादी वाला शहर है और इसकी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः प्रिंसंसघाट से मजेरहाट के बीच एक सर्कुलर रेलगाड़ी शुरू करने की शीघ्र आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इसके लिए कुछ भी स्वीकृत नहीं किया गया है। अब मैं लम्बित परियोजना के बारे में कुछ जिक्र करूंगी। मैं तीन या चार लम्बित परियोजनाओं के बारे में ही जिक्र करूंगी। आपने पहले कहा था कि "मैं पिछले नौ महीनों से मंत्री हूं।" क्या आप जानते हैं कि दो वर्ष पूर्व जब माननीय श्री जाफर शरीफ रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने इस परियोजना के लिए मात्र 1,000 रुपए स्वीकृत किए थे। तब मैं उनके कार्यालय में गई और "एकाउंट पेयी" चैक द्वारा उन्हें 1000 रुपए लौटा आई। मैंने कहा : मंत्री जी ,आप यह पैसा वापस ले लीजिए एक लाखी-बलूरघाट परियोजना के लिए हमें 1000 रुपए नहीं चाहिए।

उत्तरी बंगाल क्षेत्र में, कुछेक रेलगाड़ियों को छोड़कर संचार की और कोई सुविधायें नहीं हैं। उत्तरी बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। आपको यह याद रखना चाहिए। यह गंगटोक, भूटान, नेपाल और अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ता है। यह मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सभी सात निकट के राज्यों को भी जोड़ता है। अतः, उत्तरी बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। लेकिन आप यह जानकर शर्म महसूस करेंगे कि न्यू जलपाईगुड़ी से और कूचबिहार से कोई रेलगाड़ी नहीं है। क्या आप कूचबिहार से जलपाईगुड़ी या कूचबिहार से हावड़ा के लिए एक शताब्दी रेलगाड़ी प्रारम्भ नहीं कर सकते हैं? एक शताब्दी रेलगाड़ी शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता है। उत्तरी बंगाल की जनसंख्या काफी है।

[हिन्दी]

दलित की बात करते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सभी लोग वहां रहते हैं। वे बहुत गरीब हैं। यह बंग्लादेश की सीमा है। यह कलकत्ता से बहुत दूर है। अतः, आप एक नई रेलगाड़ी प्रारम्भ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि उसके बावजूद भी आप काफी राजस्व कमा सकते हैं। अतः, एकलाखी-बलूरघाट रेल मार्ग विगत बीस वर्षों से लम्बित पड़ा है। दिघा-तामलूक रेल मार्ग कितने वर्षों से लम्बित है मैं नहीं जानती। इसके अतिरिक्त, बजबोज-नामखाना और हावड़ा-अमता रेल मार्ग भी लम्बित पड़ा है और मैं नहीं जानती कि वह कब पूरा होगा।

अब, मैं माननीय सदस्यों की कुछ अन्य शिकायतों का उल्लेख करूंगी। बांकुरा एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है। जहां तक बांकुरा-पुरुलिया, बारासाट-हसनबाद और बांकुरा-हावड़ा क्षेत्रों का संबंध है तो उसके लिए एक तीव्रगामी यात्री गाड़ी होनी चाहिए। बांकुरा से हावड़ा के लिए मैं तीव्रगामी यात्रीगाड़ी शुरू करने की मांग कर रही हूं। उत्तरी दिंमापुर में, लोगों की यह मांग है कि गजोल से गंगूरी तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की जाए। यह कुछ ही दूरी पर स्थित है और वहां कोई संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझती हूं कि हर व्यक्ति यहां का दौरा कर चुका है। मैं भी इस क्षेत्र का दौरा अनेक बार कर चुकी हूं। वहां संचार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही कारण है मैं इसकी मांग कर रही हूं।

श्री बसुदेव आचार्य ने नागरकाटा के बारे में कुछ कहा है। उत्तर सीमांत रेलवे का चपनामारी में छोटा रेल मार्ग है। यह 60 बगीचों से घिरा है। यह भूटान से सड़क द्वारा जुड़ा है। लेकिन इस स्टेशन को भी समाप्त कर दिया गया है। यह एक अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हेतु कोई नई रेलगाड़ी की मांग नहीं कर रही हूं। आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भूल जायें। लेकिन आप बंगाल को दें। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र को कुछ दे रहे हैं। मुझे खुशी है। लेकिन आपको उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य हैं। मैं वहां की समस्या जानती हूं। जहां तक पर्यटन का संबंध है तो राजस्थान में भी इसकी बहुत सम्भावनाएं हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इन क्षेत्रों के लिए कुछ करें।

तार्केश्वर से आरामबाग तक के लिए एक नये रेल मार्ग की मांग की जाती रही है। इसी तरह शिवराफुल्ली से तार्केश्वर के बीच दोहरे रेल मार्ग की भी मांग है।

अब मैं कंचनजंगा रेलगाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलगाड़ी है। असम समस्या के कारण यह नई जलपाईगुड़ी तक जाती है। क्या आप इसे कूचबिहार स्टेशन तक नहीं बढ़ा सकते हैं? ऐसे करके आप असम के लोगों को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वे भारी संकट का सामना कर रहे हैं।

कंचनजंगा एक्सप्रेस गुवाहाटी तक जाती थी लेकिन विद्रोही की समस्या के कारण यह अब केवल न्यू जलपाईगुड़ी तक ही जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इसे गुवाहटी तक नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे न्यू जलपाईगुड़ी से कूचबिहार तक बढ़ा दें क्योंकि कूचबिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

जहां तक उपरिपुल का संबंध है तो मुझे उस बारे में कुछ कहना है। वे उपरिपुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। हावड़ा जिले के मोरिग्राम में भी एक उपरिपुल बनाये जाने की मांग हैं। इसी तरह, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सोनारपुर में एक उपरिपुल बनाये जाने की मांग है। मुझे आपका उत्तर मिला है। साथ ही भूतपूर्व रेल मंत्री का भी उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार इससे सहमत है लेकिन राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। मैं जानती हूं कि यह एक संयुक्त उद्यम है। अतः, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि सोनापुर और मोरिग्राम में उपरिपुल का निर्माण किया जाना चाहिए। आप चोमडलगंट और लेल गार्डन पर उपरिपुलों के निर्माण की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। लेकिन इन दोनों उपरि पुलों की वास्तविक स्थिति के बारे में मैं नहीं जानती। मैं विशेष रूप से उनकी स्थिति जानना चाहती हूं।

उड़ीसा के भी कुछ लोगों ने मुझे अनुरोध किया है कि मैं आपको निजामुद्दीन-संबलपुर एक्सप्रेस के बारे में बताऊं। वे चाहते हैं कि इस रेलगाड़ी को संबलपुर से टीटलागढ़ तक बढ़ाया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे पांच पिछड़े जिलों को लाभ होगा। अतः, यह भी मेरा एक अनुरोध है।

यह हमारी स्वतंत्रता की स्वर्णिम जयन्ति का वर्ष है। स्वतंत्रता सैनानियों की अपने साथी के साथ दूसरे श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति है। लेकिन उन्हें राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस से जाने की अनुमति नहीं है। अतः, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस मुद्दे पर विचार करें।

अर्जुन पुरस्कार पाने वालों के संबंध में मेरा कहना है कि भारतीय रेलवे ने उन्हें यात्रा करने के लिए निःशुल्क पास जारी किया है लेकिन उनके साथ किसी सहायक को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई अर्जुन पुरस्कार पाने वाले की उम्र 65 से 70 साल है तो वह बिना सहायक के यात्रा नहीं कर सकता। अतः, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मानवीय आधार पर आप इस मुद्दे पर विचार करें।

जहां तक गाड़ियों में डकैती का संबंध है तो कल ही मैं राजधानी एक्सप्रेस से आयी हूं। मैंने पाया कि लोग डकैती को लेकर काफी घबराये हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सही नहीं है जबकि कुछ इसे सच मानते हैं लेकिन मेरा मानना है कि यात्री यह महसूस करते हैं कि बिहार के रास्ते वे सुरक्षित गुजर पायेंगे या नहीं। लोगों में ऐसी भावना विद्यमान है। मैं यह नहीं जानती कि कुछ लोग आपका या लालू प्रसाद यादव को नष्ट करना चाहते हैं। यह आंतरिक कलह हो सकती है। लेकिन आंतरिक कलह के फलस्वरूप लोगों का जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। यही अफवाहें फैली है। जब तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य नहीं करती तब तक इन वारदातों को रोकना संभव नहीं है।

26 फरवरी को जो कुछ हुआ उस बारे में रेल मंत्री अवगत हैं या नहीं मैं नहीं जानती।

[हिन्दी]

मैं आपको एक मजे की बात कहना चाहती हूं। जिस दिन आप सदन में बजट पेश कर रहे थे, उसी दिन एक गुड्स ट्रेन का इंजन राजधानी एक्सप्रैस को लेकर गया था। गुड्स ट्रेन जिसको कि आप माल गाड़ी कहते हैं, इसका इंजन राजधानी एक्सप्रैस को लेकर गया था।

एक माननीय सदस्य : गुड्स ट्रेन का ड्राइवर?

कुमारी ममता बनर्जी : मालगाड़ी का इंजन ने राजधानी एक्सप्रैस का चलाया।

श्री राम विलास पासवान : इस बारे में पता लगाते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : आपके पास जानकारी नहीं है। अगर मालगाड़ी का इंजन राजधानी एक्सप्रैस चलाएगा, तो उसकी सेफ्टी-सिक्योरिटी का क्या होगा। इस बारे में तो आपको पता होना चाहिए।

[अनुवाद]

पिछले रविवार को हमारे मित्र कलकत्ता से राजधानी एक्सप्रेस से आए। यह गाड़ी करीब बीस घंटे बिलम्ब से चल रही थी। यदि कोई गाड़ी बीस घंटे विलम्ब से चलती है तो रेलगाड़ी से यात्रा करने का फायदा क्या है?

[हिन्दी]

सदन में कोरम नहीं हो रहा था और कहा जा रहा था कि एमपीज कहां हैं। फिर पता लगा कि गाड़ी बीस घन्टे लेट है। अगर यही स्थिति रही, तो इंडियन रेलवे की लाल बत्ती हो जाएगी...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

कल भी एक डकैती दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस में हुई। राजधानी में और शताब्दी में वी॰वी॰आई॰पी॰ जाते हैं लेकिन जनता एक्सप्रेस है, कालका है, पूर्वा मेल है और भी बहुत सारी लोकल ट्रेनें हैं। क्या पटना ऐसा स्थान हो गया है कि पटना से कोई ट्रेन नहीं जा सकती? कल में ट्रेन में थी तो पटना से थोड़ी दूर रेल रूक गई। उस समय सब ने डिसकशन करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप रेल की सुरक्षा के बारे में, सिक्यूरिटी के बारे में जरूर सोचिए। अगर रेल में सुधार नहीं होगा तो कुछ भी विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन कम्यूनिकेशन रेल ही है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[अनुवाद]

मेरा अंतिम मुद्दा माल डिब्बों से संबंधित है। जैसा कि आपको विदित हैं कि पश्चिम मंत्रालय में बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी, जेसप कम्पनी और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। वे सभी महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं लेकिन उन्हें उचित समय पर माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हो पाते। कभी-कभी रेलवे द्वारा माल डिब्बों की मांग में कटौती कर देने के परिणामस्वरूप हजारों कर्मकारों को खाने के लाले पड़ जाते हैं। आपको पूर्वी क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए क्योंकि उड़ीसा, बिहार और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र भी उपेक्षित राज्य हैं। अतः, पूर्व रेलवे में माल डिब्बों के ऑर्डर में कटौती नहीं की जानी चाहिए और उन्हें उचित समय में माल डिब्बे उपलब्ध कराने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ न्याय किया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने कहा है कि इससे कुछ लोग खुश हैं और कुछ खुश नहीं है। वे हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आपने एक नीतिगत निर्णय किया है और इस बार 82 नई रेलगाड़िया शुरू की गई हैं। यह ठीक है, लेकिन बंगाल के लिए एक भी रेलगाड़ी नहीं दी गई। आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको स्मरण मात्र करवा रही हूं। यही कारण है मैं उन सभी राज्यों की गुहार कर रही हूं जहां क्षेत्रीय असमानतायें हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप यह बताइए कि आप पश्चिम बंगाल से कहां से कहां तक के लिए ट्रेन चाहती हैं।

[अनुवाद]

आप मुझे बतायें, मैं इस पर विचार करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं पहले ही अनेक चीजों का उल्लेख कर चुकी हूं।

सभापति महोदय : श्री पासवान, उन्होंने बांकुरा-हावड़ा के लिए *गाड़ी को कहा है।*

***कुमारी ममता बनर्जी** : मैंने आपको बांकुरा-हावड़ा एक्सप्रेस के* बारे में बताया था। मैंने आपसे दीघा-तमलूक और इकलाखी-बलुरघाट पुरानी परियोजना के बारे में कहा था...*(व्यवधान)*। नई ट्रेनों के सम्बन्ध में, मैंने मेट्रो रेल विस्तार टालीगंज से न्यू गरिया के बारे में भी कहा था...*(व्यवधान)* और प्रिंसेपघाट से न्यू गरिया सर्कुलर रेल के बारे में कहा था। मैंने कूचबिहार से हावड़ा और बांकुरा से हावड़ा के लिए नई शताब्दी ट्रेन के लिए भी कहा था...*(व्यवधान)*। मैं अपने राज्य के लिए कह रही हूं। सियालदह से नई जलपाईगुड़ी और बांकुरा से हावड़ा चलने वाली ट्रेनें हैं। मैंने एक शताब्दी ट्रेन के लिए कहा था। नेताजी की जन्म शताब्दी पर मैंने एक मेट्रो रेल विस्तार के लिए कहा था और जो कुछ भी मैंने कहा...*(व्यवधान)*। सियालदाह से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इसलिए यदि आप सियालदाह से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलाने की बात सोंचते हैं तो कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कृष्ण नगर बारासात, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले मार्ग में आ जाएंगें।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : पूर्वी रेलवे के मानचित्र पर लालगोला-सियालदह नहीं है।

अपराह्न 5.04 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुमारी ममता बनर्जी : आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मानचित्र पर नहीं है। इसे मानचित्र पर क्यों नहीं होना चाहिए? इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैंने जो कुछ भी कहा, इस मामले में कोई पक्षपात नहीं है क्योंकि हम अपने राज्य का विकास चाहते हैं। साथ ही हम अन्य राज्यों का भी विकास चाहते हैं इसीलिए मैंने कहा कि आपने अपने राज्य के लिए जो किया, आप उसे कीजिए हमें उस बात पर कोई आपत्ति या संकोच नहीं है। यदि इसके साथ-साथ आप पश्चिम बंगाल के लिए हमारे प्रस्ताव पर विचार नहीं करते हैं, मैं आप से कह सकती हूं कम से कम मैं इस बजट के पक्ष में मतदान नहीं करूंगी। इस बजट का समर्थन करने के स्थान पर मैं इसका विरोध करूंगी। इसलिए कृपया इस पर विचार कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : मैं व्हिप जारी करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे अपने पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस मामले के लिए लड़ने और परिणाम प्राप्त करने के लिए व्हिप दिया है। इसी कारण, मैं आपसे परिणाम चाहती हूं। यदि आप परिणाम देते हैं, हम आपके प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करेंगे और यदि आप हमें परिणाम नहीं देते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए श्री संतोष मोहन देव ने यह सब कहने के लिए मुझे व्हिप जारी किया है। मेरी वचनबद्धता है और मेरे विचार से अन्य माननीय सदस्य भी इन सब बातों का अनुसरण करेंगे। मैं आपसे कह रही हूं और आप संकट में होंगें।

[हिन्दी]

***श्री राम विलास पासवान** : ममता जी, आपकी प्रत्येक बात का* जवाब मैं अभी दे सकता हूं और आपको सैटिस्फाइड कर सकता हूं। लेकिन मैं बाद में कहूंगा। आप हमें सपोर्ट करते रहिये। हमारे पास सब कुछ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गरिया के बारे में आपने कहा। तालिगंज से गरिया रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं हैं, यह अर्बन डवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। जैसे दिल्ली में मैट्रो रेल का चल रहा है। उसी तरह से नोडल मिनिस्टरी रेलवे नहीं है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हमारे पास आपका रिप्लाई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह स्वीकार्य नहीं है। यदि ऐसी बात थी, आपने अपने बजट में इसको उल्लिखित क्यों किया? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कलकत्ता मेट्रो भारतीय रेल का अभिन्न अंग है...*(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए। परन्तु कृपया हमें गुमराह मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बेहरामपुर) (प॰बं॰) : महोदय, रेल मंत्री को ममता जी के व्हिप से डरना नहीं चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका कैसे वे-ऑउट निकाला जाए, उसके लिए हम बैठ जाएंगे। हमारे लिए यह कोई प्रैस्टेज का मामला नहीं है। रेल मंत्री के नाते हमें खुशी होती है जब कोई चीज हमारे अंडर में आती है, लेकिन जहां मिनिस्टरी टू मिनिस्टरी का मामला आ जाता है, इसलिए मैंने कहा कि हम बैठकर इस पर विचार कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने रेल मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया था, प्लॉनिंग कमीशन में उठाया था। उसके बाद रेल मंत्रालय का जवाब भी मेरे पास है। क्या आप लोगों ने साजिश किया है, यह अर्बन डिपार्टमेंट में नहीं है। पहले यह अर्बन डिपार्टमेंट था लेकिन अब नहीं है। अब यह आपके डिपार्टमेंट में है। स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंट आपके वेंचर में है।

श्री राम विलास पासवान : सर्वे तो दिसम्बर 1995 में कम्प्लीट हो गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : इसके लिए जो बातें मैं कह रही हूं वह दिल से कह रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप रिप्लाई ठीक दीजिए, नहीं तो व्हिप या नो व्हिप लेकिन वोट हम आपको नहीं देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी, अपनी बात पूरी करें।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है। मैंने पूरी कर ली।

श्री एस॰के॰ कारवींधन (पलानी) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको तमिल मनिला कांग्रेस (मूपनार) की ओर से रेलवे बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री देवगौड़ा जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री, श्री राम विलास पासवान जी ने बजट प्रस्तुत किया है जो कि अत्यधिक प्रशंसनीय और स्वागत योग्य है।

भारत में रेलवे माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। यह दूर दराज के लोगों को एक साथ लाता है और पर्यटन, तीर्थयात्रा और शिक्षा के कार्यकलाप के संचालन को सम्भव बनाता है। पिछले 100 वर्षों में भारतीय रेलवे एक महान एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति रहा है। 1853 में बहुत ही साधारण शुरूआत के साथ जब पहला भाप इंजन बम्बई से ठाणे के लिए चला था तबसे पिछले 100 वर्षों में भारतीय रेलवे एक महान एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति का कार्य कर रहा है। इस बजट के माध्यम से माननीय रेल मंत्री ने हिमाच्छादित हिमालय की चोटियों से दक्षिण भारत के वर्षा सिंचित उष्ण कटिबंधीय वनों तक के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सम्पूर्ण भारत को सम्मिलित करने का प्रयास किया है।

रेल मंत्री का, प्रस्तावित वृद्धि को रेल यात्रियों के किराए में पांच प्रतिशत से दस प्रतिशत तक और मालभाड़े की दर को 12 प्रतिशत तक जिसमें से आवश्यक वस्तुओं जैसे उर्वरकों, मिट्टी का तेल और तरल पेट्रोलियम को प्रस्तुत बजट प्रस्तावों से मुक्त रखा गया है, समिति रखने का निर्णय स्वागत योग्य है।

इसमें कोई शक नहीं है कि रेल प्रयोक्ताओं के वर्गों द्वारा इसे राहत के साथ स्वीकारा जाएगा। उपरोक्त चीजों को मुक्त किया जाना उन प्रयोक्ताओं, जो पेट्रोलियम पदार्थों के साथ उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से आशंकित थे, के भार को कम करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नोट में लिखे तथ्यों को तो प्रयोग में ला सकते हैं परन्तु वे लिखित भाषण को पढ़ नहीं सकते।

श्री एम॰के॰ कारवींधन : महोदय, मैं सहमत हूं। माननीय रेल मंत्री ने, रेल प्रयोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संशोधित किरायों और माल भाड़ा दरों के माध्यम से 1,800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के द्वारा, एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। वर्तमान बजट 2,000 सवारी डिब्बों के निर्माण और 26,000 माल डिब्बों, जिन्हें वर्ष 1997-98 में खरीदा जायेगा, के साथ 300 रेल ईजनों का आश्वासन दिया है जो रेल यात्रियों द्वारा उठायी जा रही समस्याओं को कम से कम कुछ हद तक कम करेगा।

पिछले 50 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र, जोकि त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय और अन्य क्षेत्र है, रेल द्वारा जुड़े नहीं है। परन्तु इस बजट में हमारे माननीय मंत्री ने उन सभी स्थानों को जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं। यह अत्यन्त प्रशंसनीय और स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास और विस्तार कि लिए 300 करोड़ रुपये आर्बटित किए हैं। यह बात स्वागतयोग्य है। यह भी प्रशंसनीय है कि इस सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास को शीर्ष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

[श्री एस॰के॰ कारवींधन]

भारत के रेल प्रयोक्ताओं का एक बड़ा भाग अत्यधिक गरीब लोगों का है। वे केवल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में साधारण और द्वितीय श्रेणी में ही सफर कर रहे हैं। चार अरब में से 93 प्रतिशत गरीब यात्रियों की सहायता के लिए वर्तमान बजट में द्वितीय-श्रेणी किरायों, प्लेटफार्म टिकट शुल्क या सीमन टिकट शुल्कों को नहीं बढ़ाया गया है। मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

तमिलनाडु और चेन्नई में द्रुत जन परिवहन प्रणाली परियोजना के सम्बन्ध में वेलाचेरी तक द्रुत जन परिवहन प्रणाली का पहला चरण समाप्ति पर है। वर्तमान बजट इस परियोजना को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त धन की व्यवस्था करता है। इस बजट में 10 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

माननीय रेल मंत्री ने चेन्नई समुद्र तट-त्रिची और त्रिची-तन्जैर आमान परिवर्तन परियोजना को अत्यधिक महत्व दिया है और क्रमशः 130 करोड़ रुपये और 67 करोड़ रुपए का आबंटन भी किया है। मैं मंत्री को मैसूर-कामराजनगर, मेट्टुपलयाम, किवलोन-त्रिरूचेन्दुर और तेनकाशी-विरूदनगर के विस्तार के साथ आमान परिवर्तन के कार्य में सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। चेन्नई बीच-मदुरई के बीच आमान परिवर्तन देश में महत्वपूर्ण योजना है जो कि जनता की सहायता करेगी। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थलों में से एक पलानी है। प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण भारत और विदेशों से भी पच्चीस लाख श्रद्धालु आते हैं। इसकी वार्षिक आय 30 करोड़ 40 करोड़ से कम नहीं है। उस स्थान के लिए कोई रेल मार्ग नहीं है। यह डिंडिगुल के करीब हैं त्रिची-डिंडिगुल-पलानी से कोयम्बत्तूर तक आमान परिवर्तन कार्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और स्थान भी है। पूरे भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से नीलगिरि पहाड़ियां भी एक है। यहां के लिए पिछले 50 से 100 वर्षों से ट्रेनें चल रही है परन्तु उन स्थानों को जोड़ने वाली कोई नई ट्रेनें नहीं है। त्रिची-चेंगलपट्टू तक का आमान परिवर्तन कार्य तमिलनाडु में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि उस स्थान पर आमान परिवर्तन कार्य किया जाता है तो इससे सरकार भी अधिक आय अर्जित करेगी। तमिलनाडु के इन पर्यटन स्थलों को रेलवे द्वारा जोड़ा जाना होगा।

संचार व्यवस्था के सम्बन्ध में रेल मंत्री को रेलवे में कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे और संचार व्यवस्था के विकास के लिए धन आबंटित करना होगा।

ट्रेनों में चोरियों के सम्बन्ध में, इस बजट में माननीय मंत्री ने अतिरिक्त महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति और अन्य पुलिस सुरक्षा कार्मिकों की भर्ती के लिए भी धन की व्यवस्था की है। भोपाल और बीना के बीच चोरियां हो रही हैं और दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री इन चोरियों से प्रभावित हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूं।

साथ ही, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि लगभग 11 मिलियन यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। माननीय मंत्री ने अपनी निगरानी में एक शिकायत कक्ष को गठित करने की पहल की है। यह स्वागत योग्य कदम है। इस अच्छे कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता है।

खान-पान सेवाओं के सम्बन्ध में, मेरा अनुभव है कि सभी ट्रेनों में यह खराब है। इस प्रस्तुत बजट के माध्यम से उन्होंने खान-पान सेवाओं के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का वचन दिया है। मैं इस कदम का भी स्वागत करता हूं।

मैं अगली बात पर आता हूं। जून 1996 में चेन्नई में उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें तमिलनाडु के सभी 39 सदस्य उपस्थित थे। हमने माननीय मंत्री से तमिलनाडु के कतिपय क्षेत्रों में भी आमान परिवर्तन आदेश का देने हेतु कदम उठाने के लिए अनुरोध किया था। पिछले बजट में भी उन्होंने वचन दिया था। वर्तमान बजट में भी उन्होंने वचन दिया है। तमिलनाडु एक विकासशील राज्य है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि डिंडिगुल से कोयम्बटूर तक का आमान परिवर्तन का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वस्त्र इकाइयों के सम्बन्ध में कोयमबत्तूर महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। पोल्लाची, उदुमलपेट, पलानी, डिंडिगुल, तिरूपर, धावापुरम को बड़ी लाइनों पर चलने वाली ट्रेनों से जोड़ा जाना होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से तमिलनाडु में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूं। इससे रेलवे को भी अच्छी आय अर्जित होगी।

इसके साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले एक अच्छा कार्य करने के लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सिकन्दराबाद से दिल्ली के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस शुरू की है। माननीय मंत्री के प्रति आन्ध्र प्रदेश को सिकन्दराबाद से दिल्ली तक एक राजधानी एक्सप्रेस देने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

अन्य कई अनुरोध हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बेशक आन्ध्र प्रदेश वर्ण क्रम के अनुसार पहले आता है। परन्तु कई मामलों में यह एक पिछड़ा राज्य है। हमारे पास ऐसे कई स्थान है जहां पर नई रेल सेवाओं को प्रदान किया जाना है। माननीय मंत्री ने कुछ नई लाइनों के सम्बन्ध में सर्वे कराने के आदेश दिए हैं और फिर से उनके इस कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। परन्तु कुछ अन्य लाइनों को सम्मिलित नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उन पर विचार करें और इस वर्ष प्रावधान करें। एक अनुरोध हैदराबाद से विजयवाडा तक एक सीधी लाइन नकरीकल-सूर्यापेट-कोडाडा-नन्दीगामा से होकर मुख्य सड़क के साथ-साथ की एक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण के सम्बन्ध में है। पटेनचेरू से सांगारेड्डी तक एक नई लाइन बिछायी जानी है। हमें हैदराबाद-सिकन्दराबाद के सर्कुलर रेल की आवश्यकता है। सरकार ने कई शहरों, विशेषकर मुम्बई और कलकत्ता, के लिए कई सर्कुलर रेल

लाइनें बिछायी है। हम ऐसे एक सर्कुलर रेल मार्ग की मांग कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि हैदराबाद-सिकन्दराबाद का विस्तार हो रहा है। फिर से मैं मांग करता हूं कि हैदराबाद और गुलबर्गा के बीच एक ट्रेन चलायी जानी चाहिए। मैं मिरयालगुडा और मुट्टूमर्री के बीच एक नई लाइन के निर्माण जिसके लिए सर्वेक्षण जारी है, के लिए भी अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री से हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच तेज गति वाली और रात में चलने वाली एक नई ट्रेन के लिए और नडीकुडी-गुल्टूर-विजयवाड़ा खण्ड के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के लिए भी अनुरोध करता हूं। मैं पहले ही माननीय मंत्री को एक पत्र दे चुका हूं। मैं आपको भी यह प्रति दूंगा। परन्तु कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं इन बातों के लिए एक अलग पत्र भी दे चुका हूं। वहां पर एक रमन्नापेट टाउन है जहां कुछ ट्रेनें रूकती हैं। परन्तु वहां पर ढंग का प्लेटफार्म नहीं है। अभी हाल ही में वहां एक आदमी ट्रेन से उतरते समय गिरकर मर गया।

मैं आपको जलगोण्डा के रमन्नापेट स्टेशन के बारे में पत्र लिख चुका हूं और मैं आपको फिर से उस पत्र की एक प्रति देता हूं। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण नहीं कराया गया। हम इसके बारे में कई बार अनुरोध कर चुके हैं।

फिर एक फलकनुमा एक्सप्रेस है जो सिकन्दराबाद से बनकर हावड़ा तक चलती है। यह नलगोंडा जिले के मुख्यालय पर भी नहीं रूकती परन्तु मिरयालगुडा पर तकनीकी स्टाप है जोकि वाणिज्यिक मुख्यालय है और यहां से मण्डल बदलता है। हम पिछले कुछ समय से ट्रेन को वहां पर रोकने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। कृपया इस पर विचार कीजिए। आप इस बात के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश दे सकते हैं।

मैं आपसे कतिपम छोटी बातों के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करता हूं। जैसाकि हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ लोग जो कांस्टेबल का कार्य करते है या रेलवे सुरक्षा बल के कुछ साधारण लोग यह अपेक्षा करते हुए संसद सदस्यों के पास आते हैं कि हम उनकी शिकायतों को दूर करेंगे। वे भारत के किसी हिस्से से उनके नगरों या उनके गांवों को किसी पारिवारिक समस्या या अस्वस्थता के आधार पर स्थानान्तरण का अनुरोध लेकर आते हैं। इस प्रतिष्ठित सभा में उठाने के लिए यह अत्यन्त छोटा मामला हैं। फिर भी मैं महसूस करता हूं कि यदि हम जनप्रतिनिधि इनमें से कुछ समस्याओं पर ध्यान न दें तो वे महसूस करेंगे कि हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं इस बारे में माननीय मंत्री को भी पत्र लिख चुका हूं। यह केवल आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित अनुरोध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दें।

एक बात और है। मुखेड़ से निजामाबाद तक रेलवे लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है। मैं आप से इस कार्य को यथासमय पूरा करने के लिए अनुरोध करता हूं।

सामान्य बातों पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि दस प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि सावधानीपूर्वक की गई है। हमें इस बात को समझना चाहिए। यदि वृद्धि नहीं होती है तो विकास भी नहीं होगा। यदि विकास नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम इसको महसूस करेंगे। इसके बारे में जो कुछ भी किया जा रहा है, हम समझते हैं कि दरों में वृद्धि सावधानीपूर्वक की गई है। हम शयनयान के किराए में वृद्धि के बारे में महसूस करते हैं। जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा 93 प्रतिशत सामान्य लोग हैं जो शयनयान में यात्रा करते हैं। 1995-96 के बजट में, पहले 200 किलोमीटर तक शयनयान के किराए को बढ़ाया नहीं गया था। परन्तु अबकी बार सभी दूरियों के लिए शयनयान के किरायों में वृद्धि की गई है। कृपया इस पहलू पर विचार करें।

दूसरे भाग पर आते हुए, दस प्रतिशत अधिभार उन व्यक्तियों पर डाला गया जो वातानुकूलित सवारी डिब्बों में यात्रा करते हैं। यह ठीक है। परन्तु मालभाड़े पर 12 प्रतिशत अधिभार निश्चितरूप से सभी की चिन्ता का विषय है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इन बातों पर विचार किया जाएं।

नैमित्तिक मजदूरों के मुद्दे पर, 56,000 नैमित्तिक मजदूरों में से लगभग 16,000 को नियमित किया गया है। यह भी वायदा किया गया था कि 31 मार्च, 1997 से पहले और 14,000 दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जाएगा और बाकी बचे 26,000 को 1998 के अन्त तक नियमित कर लिया जाएगा। यह आपके रेलवे बजट के अनुसार है।

हमें वास्तव में प्रसन्नता होती है कि इसे विधिपूर्वक किया जा रहा है। परन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी मामले और कई अन्य बातें निश्चित रूप से बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। परन्तु मैं जानता हूं कि रेल मंत्री अनुशासनप्रिय हैं और वह निश्चितरूप से इस मामले को उठाएंगे जिससे कि 31 मार्च के पहले उन 14,000 दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जा सके। मैं जानता हूं कि 14,000 मजदूरों को नियमित किया जाना मुश्किल हो सकता है परन्तु आप एक समय सीमा रखिए और अपने अधिकारियों से कहिए कि अपना कार्य करें जिससे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। कई बार कई नैमित्तिक मजदूर इस अनुरोध के साथ हमारे पास आते हैं कि आप हमारे मामले का प्रतिनिधित्व कीजिए।

अब मैं रेलवे फाटकों की बात पर आता हूं। माननीय मंत्री ने मंत्री बनने के पश्चात् एक वक्तव्य दिया था कि वह इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे और यथासम्भव यथाशीघ्र बिना चौकीदार वाली रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात किया जाएगा। मेरे पास आंकड़े हैं, त्रुटियों के अध्यधीन, कि 40,671 रेलवे फाटकों में से, 24,554 अभी भी चौकीदार रहित हैं और केवल 16,117 पर चौकीदार तैनात किए गए। हम जानते हैं कि ऐसे स्थानों पर भी जहां पर चौकीदार तैनात हैं, सिग्नलिंग और अन्य मामलों में जो लोग तैनात हैं, उनकी गलतियों के कारण कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज भी हमें समाचार पत्रों की रिपोर्टों से यह जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में

[डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी]

एक बस और ट्रेन में टक्कर होने से 16 लोगों की मृत्यु हो गयी है। इसी कारण मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की तैनाती के मामले पर गम्भीरता से विचार करें।

मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या इस सम्बन्ध में कोई बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस प्रतिष्ठित सभा में माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद कितने रेलवे फाटकों पर चौकीदारों को तैनात किया गया है, इस सम्बन्ध में जानना चाहा परन्तु मुझे उत्तर नहीं मिल पाया।

इसी कारण मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया कुछ समय-सारिणियां बनाइए जिससे कि इस वर्ष कुछ रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात किए जा सकें और अगले वर्ष कुछ और इसी प्रकार आगे भी किया जाता रहे। यदि यह कार्य 2000 ईस्वी तक पूरा हो जाता है तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। यदि वे ऐसा कर पाते हैं तो शायद वह राष्ट्र की महान सेवा कर पायेंगे।

अब मैं सुरक्षा के मुद्दे पर आता हूं। नई रेलवे लाइन प्रदान करना, विस्तार और अन्य बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, परन्तु लोगों की सुरक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जहां कहीं भी हम कुछ सुविधाएं सृजित करते हैं, यदि वहां पर सुरक्षा नहीं होगी, तो हम अपने विस्तार, प्रगति और विकास के साथ न्याय नहीं कर पाएंगें। इसी कारण, मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और यदि पहले प्रावधान नहीं किया गया हो तो प्रावधान करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह अकेले ऐसा नहीं कर सकते। श्री चिदम्बरम को यह करना होगा...*(व्यवधान)*

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी : ऐसी बात नहीं है, वह भी मंत्रालय में उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका अपना महत्व है। यदि वह इसके प्रति गम्भीर हैं तो ऐसा जरूर होगा। इसीलिए हमें उन्हें इस बात का श्रेय देना चाहिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : इस तरह वह सदन के नेता हैं...*(व्यवधान)*

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी : वह नेता हैं।

मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें। रेलवे फाटक वास्तव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे क्षेत्र में जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर न केवल आदमी ही बिना चौकीदार वाली रेलवे फाटक पर दुर्घटना का शिकार होते हैं अपितु कई मवेशी भी मर रहे हैं। वे नहीं जानते हैं; वहां पर कोई नहीं होता और वे पटरियों पर चले जाते हैं। कई बार इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। कोई भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देता है। वे गरीब कहीं जा नहीं सकते हैं और किसी से मांग नहीं सकते। यदि वे मुआवजे के लिए जाते भी हैं तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने के लिए एक रोचक कहानी है।

गुरुवार को हम राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। उस राजधानी एक्सप्रेस में नया आयातित इंजन लगा हुआ था। वह बहुत आराम से चल रहा था। धनबाद में इसके सामने कई भैंसे आ गई और वे मारी गई। और फिर राजधानी एक्सप्रेस बर्दवान के लिए चली। यह एक आयातित इंजन था। उससे कुछ और मवेशी मारे गए। वहां पर समस्या यह थी कि आयातित इंजन मवेशियों के साथ टकराने के लिए नहीं था और बर्दबान में इंजन ही खराब हो गया और हमें इंजन के जुड़ने और घर पहुंचने के लिए दो घण्टे इन्तजार करना पड़ा।

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल) : हमारी भैंसे विदेशी इंजन से ज्यादा शक्तिशाली हैं।

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी : मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। मुझे कुछ छोटी-छोटी बातें रखनी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य हमारे वित्तपोषण की प्राथमिकता के प्रश्न के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मैं बिलकुल सही नहीं कह सकता कि मैं आप सबसे अधिक जानता हूं। परन्तु निश्चित रूप से शायद इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अन्य आवश्यकताओं, अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों की तुलना में क्या हजारों करोड़ रुपयों की धनराशि, जो कि आमान परिवर्तन के लिए प्रदान की जा रही है और पिछले कई वर्षों से वितरित की जा रही है, का वितरण क्या परिस्थिति जनित आवश्यकता के अनुसार वास्तविक रूप में किया जा रहा है। इस बारे में गम्भीरता से सोंचा जा सकता है। यदि हम उस पद्धति को देखें जिससे हमें सुविधाओं की आवश्यकता है और हमारे संसाधनों को देखें तो पता चलता है कि निश्चित रूप में हमारे संसाधन कम हैं और हमें ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता है। इसलिए इन परिस्थितियों के अन्तर्गत कृपया आमान परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए और परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता प्रदान कीजिए।

यहां उपस्थित सभी महिला और पुरूष सदस्यों ने गुणवत्ता के बारे में बात की है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। परन्तु समय के साथ-साथ हमें गुणवत्ता में भी सुधार लाना होगा। हमने दर के बारे में कई बातें की कि किराए की दर कम होनी चाहिए। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज की कीमत वाजिब होनी चाहिए और गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। यह कहना कि हर चीज सस्ती होनी चाहिए सही नहीं है। हम चीजों को सस्ती और फिर अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त नहीं कर सकते। परन्तु युक्तियुक्त लागत पर जो कुछ भी हम खर्च करते हैं हमें समय के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए क्योंकि हमें इस प्रतियोगितात्मक विश्व में रहना है।

चोरियों और हत्याओं के बारे में, हर कोई इस सम्बन्ध में बात कर रहा है और मैं भी माननीय मंत्री को यह कहते हुए कि वह विभाग उनके मंत्रालय में नहीं है, सुन चुका हूं। यह बात सही हो सकती है।

परन्तु फिर भी वे अन्य मंत्रियों से अलग नहीं है। वे भी इसी सरकार और इसी मंत्रालय में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर न लें परन्तु उन्हें सरकार में अन्य लोगों के साथ बैठना होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने जो कहा था यह राज्य और केन्द्र के मध्य है।

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी : केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्य मंत्री भी बैठ सकते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के यह कहने के बजाय कि यह राज्य का कार्य है और मुख्य मंत्री के यह कहने के कि यह केन्द्र सरकार का कार्य है, उन्हें यह देखना चाहिए कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सुरक्षा पक्ष पर ध्यान देना चाहिए।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण अठावले

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय मैं उनके स्थान पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सुरेश प्रभु : धन्यवाद महोदय। मैं रेल मंत्री को उनके इस दृष्टिकोण के लिए, जोकि उन्होंने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए प्रकट किया कि यदि राज्यों के प्रतिनिधि उनके पास आकर उनसे मिलते हैं तो वे उनकी समस्याओं को हल करेंगे, बधाई देता हूं। उन्होंने कुछ राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों के नामों का उल्लेख किया था। वे स्वयं आगे बढ़कर यह प्रस्ताव किया कि यदि पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य उनसे जाकर मिलते हैं तो वे निश्चितरूप से उनकी समस्याओं को हल करने में समर्थ होगें। मैं महसूस करता हूं कि वे उस वर्ग में महाराष्ट्र को भी रखें जिससे कि हम उनसे मिलकर उनको अपने मुद्दों के बारे में समझा सकें और उन्हें उनको हल करने योग्य बना सकें।

मुम्बई, जोकि राज्य की राजधानी है और रेलवे के राजस्व में महत्वपूर्ण अंशदान करता है। मेरे विचार से वे निश्चितरूप से हमारे राज्य से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने में समर्थ होंगे।

कई माननीय सदस्यों ने रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मुम्बई के रेल यात्रियों के मामले में, मुम्बई के ट्रेनों में यात्रियों को चढ़ने के लिए ही जगह नहीं है। इसलिए वहां पर किसी डकैत के लिए भी कोई जगह नहीं है। मुम्बई की ट्रेनों में कोई चोर घुस नहीं सकता। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में यात्रियों की चिन्ता में भागीदारी करने में अपने को समर्थ नहीं पाता हूं।

मैं उस परियोजना पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसे रेलवे में अपने हाथों में लिया और सफलतापूर्वक पूरा किया, कोंकण रेलवे। मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, विशेषरूप से कोंकण क्षेत्र का इसलिए मुझे इस परियोजना को रेकार्ड समय में पूरा करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को बधाई देनी चाहिए।

इस परियोजना को रूपायित किया गया था और इसे एक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक परियोजना के रूप में प्रत्याशित किया गया था। अब यह परियोजना पूरी होने को है। आपके वक्तव्य के अनुसार यह 98 प्रतिशत पूरी हो चुकी है परन्तु गोवा में हो रहे कतिपय विकास कार्यों के चलते, यह अब लगभग पूर्ण होने ही वाली है। यह समय है जब हम इस बात का मूल्यांकन करें कि हमने इस नई परियोजना के द्वारा क्या प्राप्त किया।

जहां कहीं भी सामाजिक-आर्थिक परियोजना होती है वहां के लिए यह कहना अनावश्यक है कि ऐसी वृहद परियोजना में स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। यह परियोजना केवल इसलिए पूरी हो पायी है क्योंकि रेलवे प्राधिकारियों को हजारों लोगों ने अपनी भूमियों को दान में दिया है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो कि एकमात्र उदाहरण है कि इस परियोजना के विकास के लिए लोगों ने वास्तव में कैसा सहयोग किया है। कई गरीब किसान जिन्होंने अपनी भूमि को, यह जाने बिना कि उन्हें कितना मुआवजा मिलने वाला है, दिया। उन गरीब किसानों को कीमती भूमि का अभी भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री से विभिन्न किसानों की मांगों और दावों की जांच करने और उनके विवादों का शीघ्र निपटारा करने के लिए एक अधिकरण गठित करने की अपील करना चाहूंगा। इस परिमाण की रेलवे परियोजना में कई सौ करोड़ रुपयों की लागत आती है। मेरे विचार से यह 200 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें सम्मिलित भूमि का मुश्किल से कोई महत्व है और यह समय है जब रेलवे प्राधिकारी बाजार दर से किसानों को मुआवजा प्रदान करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोंच-विचार करें। अन्यथा वे अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं यदि वे इस परियोजना को समाज-आर्थिक विकास परियोजना कहते हैं और परियोजना के सामाजिक पक्ष को समाविष्ट नहीं करते हैं।

ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी भूमि तो दी है और उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यह एक पक्ष है। परन्तु सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए मेरे द्वारा श्री श्रीधरन, कोंकण रेलवे निगम के अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मांग की गई थी—कि जो विस्थापित हुए है उनको नौकरियां देते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बात का अनुसरण नहीं किया गया। यद्यपि कोंकण रेलवे निगम का मुख्यालय महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में है परन्तु नौकरियां ऐसे कर्मचारियों को दी गई जो कि महाराष्ट्र के निवासी भी नहीं हैं। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि स्थानीय लोगों को विशेषकर उन विस्थापित लोगों को जिन्होंने यह भूमि दी है, के लिए काम देने की नीति को अपनाया जाना चाहिए और जिस ट्रिब्यूनल की मैं मांग कर रहा हूं वह इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दें।

रेलवे लाइन कुर्ला से शुरू होकर सावंतवादी तक जाती है। यह एक नई परियोजना है। इसलिए, मैं रेलवे बोर्ड के अधिकारियों पर यह

[श्री सुरेश प्रभु]

आरोप नहीं लगा सकता कि उन्हें सावंतवादी की स्पेलिंग नहीं आती। उन्होंने इसका नामक वार्षिक रिपोर्ट में गलत लिखा है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। अगर इसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में लिया जाता है तो यह बात समझी जा सकती है। परंतु यह रेलवे लाइन कुर्ला से शुरू होती है, जो एक बहुत दूर स्थित है और रेल यात्रियों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान करती और न ही उन्हें कोंकण से आते समय किसी प्रकार की सहूलियत ही प्रदान करती है। इसलिए माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस रेलगाड़ी को दादर से शुरू करें। इसका गंतव्य भी दादर ही हो। लोगों की यह एक सही मांग है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही साधारण मांग है जो पूरी की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री अपना जवाव देते समय इस मांग पर जरूर विचार करेंगे।

रेल लाइनों का विकास करते समय विभिन्न ट्रैकों को बिछाया गया था। बहुत सारी संस्थाएं और कई घर तोड़े जा चुके हैं। रेलवे प्राधिकारियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वे इन्हें पुनर्स्थापित करें। मैं समझता हूं कि इसे तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि मानसून आने ही वाला है और अगर बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर तुरंत ही शुरू नहीं किया जाता तो हजारों लोगों की जान-माल की क्षति हो सकती है।

इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोंकण रेलवे कार्पोरेशन ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। इसलिए माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कोंकण रेलवे कार्पोरेशन को बंद न करें क्योंकि यह संगठन सफलता का सर्वोत्तम उदाहरण है। लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है इसका यह सर्वोत्तम उदाहरण है। हम हमेशा कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में हम प्रोत्साहित लोग नहीं देख सकते। परंतु कोंकण रेलवे के कर्मचारी भारत में न केवल भारतीय रेलवे में बल्कि संभवतः पूरे सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रोत्साहित लोग हैं। इसलिए इस संगठन को बंद नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस संकल्प को बनाए रखना चाहिए और दूसरी जगहों पर भी ऐसे कार्य शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से रेलवे प्राधिकारी अपने कर्मचारियों को विस्थापित करते हैं तो यह रेलवे प्राधिकारियों का कर्त्तव्य बनता है कि उन्हें उनके मूल संगठन में वापिस ले लिया जाए। उन्हें काम से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 56 हजार स्थानीय और अस्थाई मजदूर इससे रोजगार पा रहे हैं। इसलिए यह स्कीम उनकी कीमत पर लागू नहीं की जानी चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री को इस क्षेत्र में विभिन्न सेनानियों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए बधाई देता हूं और उन्होंने इस रेलवे परियोजनाओं को उनके नाम प्रदान करके कई सेनानियों की सेवाओं को मान्यता प्रदान की है। यह रेलवे परियोजना श्री ए॰बी॰ वालवल्कर के दिमाग की उपज हैं जब किसी ने कोंकण रेलवे के बारे में नहीं सोचा था और जब लोगों ने इसे बेकार कल्पना के रूप में समझा था तब स्वर्गीय श्री ए॰बी॰ वालवल्कर ने इस कल्पना का मरते दम तक प्रचार प्रसार किया था। महोदय, जब ये परियोजना पूरी हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि यह हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम उन महान दृष्टा की देन को मान्यता हैं। इस परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान से अनुरोध करूंगा कि वे श्री नाथ पाई की भूमिका का स्मरण भी करें। जो एक अनुभवी संसद सदस्य थे। वे सभी जो सदन के लंबे समय तक सदस्य रहे हैं उनकी देन को याद करेंगे। संभवतः उनके नाम को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

स्थानीय लोगों ने कुछ मांगें की हैं। कोंकण रेलवे, रत्नागिरी और सिंदुदुर्गा जिलों से होकर गुजरती है। परंतु यह रत्नागिरी में कहीं भी नहीं रूकती। रत्नागिरी शहर और सिंदुदुर्गा जिले के अलावा यह केवल एक ही जगह रूकती है। यह आवश्यक है कि जो स्टेशन आपने बनाए हैं उनका प्रयोग किया जाए और यह गाड़ी अब से अधिक स्टेशनों पर रूके।

वार्षिक रिपोर्ट और बजट के विवरण में भी कोंकण रेलवे के संबंध में थोड़ा बहुत कहा गया है। कोंकण रेलवे कार्पोरेशन एक अलग विधाथी संस्था है। यह भारतीय रेलवे का एक भाग है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने कितना ऋण लिया है और हम इस ऋण का भुगतान कब से करने जा रहे हैं। बांड कर मुक्त हैं और इसीलिए कूपन की दर 9.5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत के बीच हैं। देय ब्याज और मूल कितना होगा। आप इन देयताओं को किस प्रकार और कितने समय में चुकाएंगे? उसके लिए कोंकण रेलवे कार्पोरेशन पर कितना अतिरिक्त भार आएगा?...*(व्यवधान)*

कोंकण रेलवे एक अलग संगठन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भारतीय रेलवे का भाग है कि नहीं क्योंकि कोंकण रेलवे के कुछ अधिकारी संसद के उन भूतपूर्व सदस्यों को इसमें यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं जो 15-20 वर्षों से संसद के सदस्य रह चुके थे। उनके अनुसार भूतपूर्व संसद सदस्य के पास केवल भारतीय रेलव में ही चलते हैं, कोंकण रेलवे में नहीं। संभवतः, कोंकण रेलवे के अधिकारी यह सोच रहे हैं कि यह भारतीय रेलवे से अलग और उसके क्षेत्र से बाहर है। हमें उन्हें यह स्पष्ट करवाना चाहिए कि वे भारतीय रेलवे का हिस्सा हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय रेलवे उन्हें इस बात से ज़रूर अवगत करवाएगा।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि संसद के भूतपूर्व सदस्यों को कोंकण रेलवे में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी?

श्री सुरेश प्रभु : हां। संसद के एक भूतपूर्व सदस्य, श्री बापू पुर्लेकर, जो कि संसद के सम्माननीय सदस्य और एक जाने माने वकील रह चुके हैं तथा 75 वर्ष की आयु के हैं, को कोंकण रेलवे में यात्रा करने से मना कर दिया गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्य की

बात है। मुझे उनसे आपकी ओर से माफी मांगनी पड़ी थी। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने का मेरा अधिकार है।

श्री राम विलास पासवान : अगर वह सच है तो अब मैं यह घोषणा करता हूं कि संसद के भूतपूर्व सदस्यों और संसद के वर्तमान सदस्यों को किसी भी भारतीय रेलवे में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

थोड़ी बहुत हमारे पास में शिकायत आ रही है। ऐसा हुआ था कि एक बार अखबार में निकल गया था कि राम विलास पासवान ने बहुत ही रेलवे पास का मिसयूज़ किया है और शताब्दी एक्सप्रैस में और राजधानी एक्सप्रैस में भी रेलवे पास बहुत इश्यू कर दिया। हमको बहुत गुस्सा आया। हम कभी करते नहीं हैं, जो कहीं-कहीं रिन्युअल वगैरह आता है, उसे कर दिया करते हैं, वह भी आप लोग कराते हैं तो।

हमने एक आदेश जारी कर दिया कि शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में जो पास दिए गए हैं, उनको बंद कर दिया जाए। उसमें यह हुआ, हमारे दिमाग में नहीं था, कि उसके कारण भूतपूर्व सांसद विक्टिम हो गए। ज्यों ही हमारी जानकारी में आया, मैंने उसी समय जारी कर दिया। आज भी कई सदस्य कह रहे थे कि भूतपूर्व सांसदों को बंद कर दिया गया है, वह बंद नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : भूतपूर्व संसद सदस्यों को उनके नाम से राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण नहीं मिलता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : वह बाद में कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : जब वे संसद सदस्य थे तब उन्हें अनुमति प्राप्त थी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : वह देख लेंगे। भूतपूर्व सांसदों को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में सहूलियतें मिलती थीं, बाद में खत्म कर दी गईं, लेकिन वह चालू कर दी गई हैं। बीच में एक-दो दिन कंफ्यूजन के कारण ऐसा हो गया था।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : कृपया, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में उनके नाम से आरक्षण दिलवाने के लिए कुछ करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत ही कुछ मांगें मान ली हैं। महोदय, पहले मुझे कोंकण रेलवे की बात पूरी करने दीजिए।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कोंकण रेलवे के कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिनका कभी उपयोग नहीं हुआ है और साथ ही कुछ लोगों द्वारा मांगे रखी गई हैं कि कुछ और रेलवे स्टेशन होने चाहिए क्योंकि जब इसकी योजना बनाई और रखी जा रही थी तो कुछ क्षेत्रों को नज़र अंदाज किया गया था। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई सर्वेक्षण करवाएं। मैं आपको कुछ स्टेशनों के नाम दूंगा जो इसके अंतर्गत होने और लाए जाने चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ओर स्थान दें।

मैं रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहा था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चयन कार्य को पूरी तरह निष्पक्ष होकर करता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कोंकण रेलवे के लिए एक क्षेत्रीय चयन बोर्ड की स्थापना करें, क्योंकि अन्य सभी के लिए अलग-अलग हैं। कोंकण रेलवे में अन्य सभी प्रणालियां हैं; प्रत्येक के लिए कार्यकारी स्वायत्तता है। इसलिए कोंकण रेलवे के लिए क्षेत्रीय चयन बोर्ड वास्तव में आवश्यक है और मैं माननीय मंत्री जी से इस मांग को भी स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक परामर्शदायी समिति है। परन्तु कोंकण रेलवे के लिए कोई परामर्शदायी समिति नहीं है और इसलिए दैनिक यात्रियों की समस्याओं, यात्रियों की समस्याओं और कोंकण रेलवे से संबंधित समस्याओं को नया रूप नहीं दिया जा सकता और न ही अन्य प्रकार से उनके संबंध में कहा जा सकता है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्रीजी से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय रेलवे पूरे विश्व में कार्य कर रही है। यह एक ऐसी बात है जिसपर वास्तव में हर्ष होना चाहिए। हमें इंर्जानियरों और इस कार्य के लिए जिम्मेवार लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। कोंकण रेलवे कारपोरेशन ही एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे इसे बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में, जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पता है, एक निश्चित समय में पूरा किया जा सकता है। हम कोंकण रेलवे कारपोरेशन के विशेषज्ञों को विश्व में अन्य जगहों पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में क्यों नहीं लगाते जहां इस प्रणाली से रेलवे के लिए धन कमाया जा सकता है? हमें इस संगठन को बंद नहीं करना चाहिए जिसे इतनी अच्छी तरह से गठित किया गया है?

[श्री सुरेश प्रभु]

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अगर मैं कोंकण रेलवे के बारे में एक बात नहीं कहता तो मैं अपने कर्त्तव्य में असफल रहूंगा। कोंकण रेलवे के अध्यक्ष श्री श्रीधरन और उनके इंजीनियरों के दल सहित अन्य सभी व्यक्तियों, जिन्होंने इसे संभव बनाया, का भारत के लोगों द्वारा किसी न किसी रूप में सम्मान किया जाना चाहिए। यही समय है जब हमें उनकी सेवाओं और उनके योगदान को मान्यता देनी चाहिए। हम विभिन्न वर्गों के लोगों को पद्मश्री और पद्म भूषण से विभूषित करते हैं। संभवतः उनमें से कोई पुरस्कार इन्हें भी दिया जाना चाहिए। भारत के लोगों को चाहिए कि उनकी अद्भुत उपलब्धि के लिए उनका धन्यवाद करें।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो कोंकण रेलवे के अंतर्गत नहीं आती। यह व्यापक प्रश्न है। हम गेज परिवर्तन का एक व्यापक अभियान शुरू कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, हमने लगभग 750 कि॰मी॰ गेज परिवर्तन का कार्य किया है। जब हम गेज परिवर्तन करते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि जब किसी रूप में कुछ रेलवे सुविधाएं उपलब्ध हैं तो क्या हमें उसे अन्य उत्कृष्ट प्रकार के आमान परिवर्तन के लिए अपनी ऊर्जा, धन और संसाधन खर्च करने चाहिए। ऐसा करके हम विकास से समझौता कर रहे हैं और उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और जिन लाइनों की मांग है उन्हें बिछा रहे हैं क्योंकि धन का उपयोग आमान परिवर्तन के लिए हो रहा है।

महोदय, आज समय की मांग है कि इस बारे में हम एक अच्छी नीति के साथ सामने आए हैं कि कैसे आमान परिवर्तन किया जाए। रेल विकास और आमान परिवर्तन इत्यादि के बीच सामंजस्य और संतुलन बैठना चाहिए। आपको एक मजबूत नीति के साथ सामने आना चाहिए और यह सरकार पारदर्शिता के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए मैं समझता हूं कि शुरू की जाने वाली नई रेल लाइनों के आधार पर हमें एक स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए। हम देश के विभिन्न भागों से उठने वाली विभिन्न मांगों को किस प्रकार पूरा कर रहे हैं, किस प्रकार हम एक क्षेत्र को वरीयता दे रहे हैं, किस प्रकार हम नई लाइनों के संबंध में आमान परिवर्तन कर रहे हैं। इन सब बातों पर हमें निश्चय ही बहस करनी चाहिए और इसे हमारी नीति का एक भाग बनाया जाना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं।

रेलवे के अनुसंधान और विकास कार्यों के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विभिन्न परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। मेरा कहना यह है कि अनुसंधान और विकास की कुछ परियोजनाएं रेलवे प्रचालन के विभिन्न भागों में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के लिए बनी हुई हैं। यह बात समझी जा सकती है और इसे ऐसा ही होना चाहिए। रेलों से यात्रा करने वाले लोगों को आराम प्रदान करने के लिए यात्री सुविधा जैसी किसी बात पर अनुसंधान और विकास परियोजना शुरू नहीं की गई है। मैं माननीय रेल मंत्री से, जो आम व्यक्ति के हितों के बारे में वास्तव में सोचते हैं, अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी एक परियोजना शुरू करें जिससे जब लोग रेलों से यात्रा करें तो वे अब की अपेक्षा अधिक अच्छी सुविधाएं देख सकें। इस प्रकार अनुसंधान और विकास परियोजनाएं उस प्रकार के किसी लक्ष्य को लेकर भी शुरू की जानी चाहिए।

रेलवे के रोलिंग स्टॉक के विकास में कुछ सुधार हुआ है। हम हमेशा कहते हैं कि देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रोलिंग स्टॉक है। परंतु मैं महसूस करता हूं कि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि रेलवे द्वारा माल के रख रखाव में 60-65 प्रतिशत से अधिक भाग कोयले का है। परंतु पर्याप्त रोलिंग स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण माल के गैर कोयले वाले भाग को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए यही समय है कि हमें रेलवे कोचों की परिकल्पित मांग के संबंध में 10-15 वर्षों का ब्लूप्रिंट निकालना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम उसे कैसे पूरा करेंगे। यह ऐसी बात है जो हमें निश्चित रूप से जाननी चाहिए।

माननीय रेल मंत्री जी को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि पिछले वर्ष रेलवे ही पहले संगठन के रूप में सामने आया है जिसने निष्पादन से जुड़े हुए लाभांश की बात की। जिसके कारण अन्य सभी क्षेत्रों को भी लाभ हुआ। परंतु इस बजट में, यह लाभांश दिए जाने का कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार इस बार निष्पादन से जुड़े हुए लाभांश को देने पर विचार नहीं कर रही है या यह ऐसा है कि वे अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं या हम कम घाटा दिखाना चाहते हैं जो नीति प्रत्येक विभाग द्वारा अपनाई जाएगी और फिर वे वास्तव में लांभांश का भुगतान कर देंगे? यह ऐसी बात है जो हमें जाननी चाहिए। क्या ये ऐसा है कि यह केवल पिछले वर्ष ही लागू किया गया था क्योंकि आपने पहली बार ही कार्यालय संभाला था? मैं इसके बारे में नहीं जानता और मैं समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री इस बारे में भी कुछ कहें।

57,000 अनियमित मजदूरों के एक भाग को काम में लगाया गया है। सचाई यह है कि वे अनियमित इसलिए बने थे कि शायद काम की प्रकृति अनियमित थी। क्या ये ऐसा है कि काम की प्रकृति स्थाई थी परंतु वे अस्थाई थे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। अगर काम की प्रकृति अस्थाई थी तो हम काम में लिए गए उन लोगों को किस तरह से काम में लगा रहे हैं और उत्पादन की दृष्टि से वे किस तरह उपयोगी होंगे? इसका उल्लेख, इसके मानवीय पक्ष को देखते हुए तथा यह कहते हुए कि उनको काम में लिया जाए, ज़रूर किया जाना चाहिए। मैंने भी पिछली बार बजट पर चर्चा करते हुए यही बात कही थी कि इस संबंध में किसी प्रकार की कोई नीति होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री अपने उत्तर के दौरान हमें यह बता सकेंगे कि हम इन लोगों की सेवाओं का अच्छे ढंग से किस तरह उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 1985 से लेकर इस सदी के अंत तक भारतीय रेलवे के पास एक कार्पोरेट योजना रही है। लगभग बारह वर्ष समाप्त हो चुके हैं और तीन वर्ष शेष बचे हैं। कार्पोरेट योजना में बताए गए उद्देश्य बहुत आकर्षक हैं और जहां तक उद्देश्यों का संबंध

है तो भारतीय रेलवे का एक अलग ही रूप होना चाहिए, क्योंकि हमने कार्पोरेट योजना के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि जब यह योजना 1985 में शुरू हुई थी तब इसके उद्देश्य क्या थे और अब भी जब हम कार्पोरेट योजना अवधि के लगभग समाप्त होने पर हैं तो इसके उद्देश्य क्या हैं? हमने उनमें से कितने उद्देश्य पूरे कर लिए हैं और अगर हमने वे उद्देश्य पूरे नहीं किये हैं तो क्या हम अन्य कार्पोरेट योजना बनाने का सोच रहे हैं? उस स्थिति में कार्पोरेट योजना बनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या होगा जब हम इसका मध्यावधि मूल्यांकन नहीं कर सकते कि हमने क्या कुछ पूरा कर लिया है?

मुंबई उपनगरीय रेलवे भारतीय रेलवे को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करती है। यह वास्तव में आवश्यक है कि हमें इस बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए कि यह रेलवे कितना राजस्व प्रदान करती है और बदले में हम मुंबई उपनगरीय रेलवे के दैनिक यात्रियों को क्या देने जा रहे हैं जो केवल इन रेलों द्वारा यात्रा करते हैं और यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। संभवतः, उनका जीवन उन जानवरों से भी बदतर है जिन्हें रेलों द्वारा ले जाया जाता है। मुंबई उपनगरीय रेलवे को अलग से देखा जाना चाहिए। उसके लिए अलग मानदंड होने चाहिए। हमें इन यात्रियों सुविधाओं का खयाल रखना चाहिए क्योंकि मेरे अनुसार कम महत्त्व की नहीं है। मुंबई लोगों को पूरे देश से लाता और ले जाता है और साथ ही देश के बाहर से भी। जो लोग इन रेलों से यात्रा करते हैं उन्हें राष्ट्रीय बजट से अलग ही सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस संबंध में सही श्वेत प्रस्तुत करना चाहिए और मुंबई रेलयात्रियों को अच्छी सुविधाएं दिए जाने के संबंध में एक अच्छी नीति बनानी चाहिए।

यात्रियों की सुरक्षा कई माननीय मंत्रियों के लिए चिंता का विषय हैं। मैं केवल मुंबई रेलवे में डकैती की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि डकैती तभी होती है जब डाकू रेल में घुसने में सफल होते हैं। वे हमारे मुंबई यात्रियों की तरह प्रशिक्षित नहीं होते। इसलिए वे रेल में नहीं घुस सकते। परंतु अब समय आ गया है कि हमें रेल यात्रियों के लिए बीमा स्कीम शुरू करनी चाहिए जिससे यात्रियों को, चाहे कुछ भी दूरी हो, बीमा सुरक्षा मिल सके क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। तो फिर क्यों न हम नए बीमा क्षेत्र को शुरू करें जिसमें सभी रेल यात्रियों की सुरक्षा हो सकेगी। हानि की पूर्ति की जाएगी और से अब वे अधिक सुरक्षित महसूस करके यात्रा कर सकेंगे।

मैं रेल बजट के कुछ आंकड़े पढ़ रहा था। भारतीय रेलों में माल की चोरी हो रही है। इस प्रकार रेलवे को क्षतिपूर्ति के रूप में और माल हानि के भुगतान के रूप में काफी राशि का भुगतान करना पड़ता है। हम अनुसंधान और विकास पद्धति इत्यादि के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। क्या माल का रखरखाव किसी अलग प्रकार से हुआ? यहां तक कि पत्तनों में भी हम माल के मशीनीकरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या रेलवे माल के रखरखाव के लिए कोई अन्य तरीका अपना रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चोरी से होने वाला नुकसान पर्याप्त रूप से कम किया जा सके?

एक-दो बातें और हैं। मुम्बई के संबंध में किराए के ढ़ांचे का युक्तिकरण होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को ब्यौरे दे दूंगा।

राजस्थान पर्यटन भारतीय रेलवे द्वारा की गई देन द्वारा बना हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि भारतीय रेलवे कितने पर्यटकों की देखभाल करती है। माल, इस्पात, कोयले, यात्रियों और पर्यटकों की देखभाल एक ही संगठन द्वारा किया जाता है। क्या हम विशेष प्रकार के यात्रियों जैसे पर्यटकों की देखभाल के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं जिससे पर्यटकों की सही देखभाल की जा सके? रेलवे का राजस्व बढ़ाया जा सकता है और उनकी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकता है। उपनगरीय रेलों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों, ट्रंक मार्गों से यात्रा करने वाले यात्रियों, पर्यटकों के रूप में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा माल की एक समान देखभाल की जा सकती है। इसलिए, मैं समझता हूं कि पर्यटकों की यात्रियों के रूप में देखभाल करने के लिए किसी विशेष प्रकार की सहायिका की आवश्यकता है। मुझे आशा है यह काम पूरा हो जाएगा।

रेलवे की कुल 4.19 लाख हेक्टेयर भूमि में से 2,000 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है। अतिक्रमण की गई 2,000 हेक्टेयर भूमि के कारण रेलवे को बहुत नुकसान हुआ है। अतिक्रमणों से इस भूमि को वापिस लेने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं? लोगों ने 2,000 हेक्टेयर बहुमूल्य भूमि का अतिक्रमण किया है। इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों के बारे कोई उल्लेख नहीं है।

4.9 लाख हेक्टेयर भूमि में से 25,000 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है। संभवतः यह भूमि अतिक्रामकों द्वारा आकर अतिक्रमण किए जाने के लिए खाली पड़ी है। पहले ही अतिक्रमण की गई 2,000 हेक्टेयर भूमि की तरह ही 25,000 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

बेकार रोलिंग-स्टॉक प्रति वर्ष काफी अधिक मात्रा में होती है। क्या हम यह सोच रहे हैं कि बेकार रोलिंग स्टाक के एक भाग का पुनर्अनुकूलन करके हम अपने मित्र देशों को भेज सकते है जिन्हें इससे वास्तव में लाभ होगा? संभवतः इस कार्य की हमें प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें कितना धन मिलेगा इसका हमें अनुमान नहीं है।

इस बजट में उत्पादकता के मानदण्डों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यही समय है जब हमें आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रेलवे में औसत वार्षिक मजदूरी 1993-94 में 45,709 रुपये से बढ़कर दो वर्षों में ही 59,219 रुपये हो गई है। यह बहुत अच्छी बात है। हम मजदूरों की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। परन्तु क्या इस अवधि के दौरान भारतीय रेलवे

[श्री सुरेश प्रभु]

में उत्पादकता में वृद्धि हुई है? जैसे हम रेलवे में प्रति कर्मचारी मजदूरी दर का उल्लेख करते हैं उसी प्रकार प्रति कर्मचारी उत्पादकता का उल्लेख करने की भी वास्तव में आवश्यकता है।

अपराह्न 6.00 बजे

महोदय रेलवे के द्वारा जन संपर्क, शिक्षा और विज्ञापन अभियान ने रेलवे की अच्छी छवि बनाने में काफी मदद की है। परन्तु विज्ञापन अभियान के एक भाग के रूप में यह आवश्यक हो जाना है कि क्या जब हम देश के एक कोने या बिहार में रेलवे लाईन शुरू कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी का पूरा चित्र देश भर में प्रकाशित किया जाए? हम देश भर में बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित करते हैं और उस पर खर्च की राशि को हम दैनिक यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देने में लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने अपनी बात पूरी कर ली है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, जैसी आपकी इच्छा।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 11 मार्च, 1997/20 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।